राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4]   ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का पांचवां दिवस   [संख्या : 3

सोमवार,

27 मार्च, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या–31.

जिला बांसवाड़ा में राहत कार्य

31. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में वर्षा की कमी से फसलें खराब होने से अकाल पड़ा है ?

(2) क्या सरकार की उक्त जिले में अकाल राहत में चारा, पानी, मजदूरी तथा सस्ते अनाज की व्यवस्था करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक चालू करा दी जाएगी और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, अकाल राहत (श्री परसादी लाल) : (1) जी, हां। जिला बांसवाड़ा में वर्षा की कमी के कारण फसलें खराब होने से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 9.1.2000 द्वारा जिले के 1458 ग्राम अभावग्रस्त घोषित हुए हैं।

(2) जी, हां। उक्त जिले में 689.31 लाख रुपये के राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं। चारे के लिए अब तक 17 डिपो खोले जाकर आवश्यकतानुसार पशुपालकों को चारा वितरण करने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त पेयजल हेतु अब तक 160 सार्वजनिक कुओं को गहरा कराने के कार्य स्वीकृत किये गये हैं एवं 989 खराब हैण्डपम्प ठीक कराये गये हैं। जिले में सस्ते अनाज की दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रति माह 1577 मैट्रिक टन गेहूं बी. पी. एल. योजना के अन्तर्गत इस जिले को प्राप्त हो रहा है, जो वितरित करवाया जा रहा है।

श्री फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी

(श्री फतेह सिंह)

ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है कि अकाल राहत कार्य शुरू कर दिये गये हैं, चारे–पानी की व्यवस्था भी कर दी गयी है और अनाज की व्यवस्था भी सुचारू रूप से की गयी है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे प्रदेश में अकाल पड़ा हुआ है, उसी तरह से बांसवाड़ा में भी अकाल है। पिछले वर्ष भी बांसवाड़ा जिले में भयंकर अकाल था। राज्य सरकार ने उस समय भी अकाल घोषित न करके लोगों को रोजगार नहीं दिया। इस वर्ष भयंकर अकाल होते हुए काफी देरी के बाद में कुछ काम सैंक्शन करने की बात कही गयी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय ने जो आंकड़े बताये हैं कि हमने इतने लाख रुपये के इतने काम स्वीकृत किये हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ काम जिला कलेक्टर द्वारा सैंक्शन किये गये हैं, लेकिन उसमें स्थिति यह पैदा हुई है पहले प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है उसके बाद में वित्तीय स्वीकृति जारी होती है उसके बाद में फिर टी. एस. जारी की जाती है। जब तक असेसमेंट तैयार करके जो एजेन्सी पेश नहीं करेगी तब तक उस काम को शुरू नहीं किया जाएगा। इसलिए अभी तक इन्होंने जो सैंक्शन की है, यह तो माना है लेकिन उस इलाके में अभी तक कोई राहत कार्य शुरू नहीं हुए हैं। सिर्फ कागजों में ही राहत कार्य दिखाये गये हैं और हाउस में राज्यपाल महोदय से यह भी कहलवाया गया कि कार्य शुरू कर दिये गये हैं, इतने मजदूर लगा दिये हैं। यह भी माननीय राज्यपाल महोदय से गलतबयानी करवायी गयी है।

दूसरा, मेरा यह कहना है कि इतना भयंकर अकाल होते हुए उन्होंने एक तो मजदूर लगाने की बात कही है और दूसरा इन्होंने यह कहा है कि हमने पेयजल की व्यवस्था कर दी। पेयजल की व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने हैण्डपम्प का उदाहरण दिया है, हैण्डपम्प साल भर से इतने खराब हैं, विभाग के पास न तो कोई किट्स हैं, न कोई पाइप वगैरह हैं। बार–बार जिले की मीटिंग में भी हमने उस बात को उठाया था, लेकिन राज्य सरकार के पास कोई पैसा नहीं है, विभाग के पास पैसा नहीं है। इसलिए जो मैटेरियल खरीदना चाहिए था, पाइप की जरूरत पड़ती है, किट्स की जरूरत पड़ती है वह उपलब्ध नहीं होने के कारण से हैण्डपम्प एक भी सही नहीं हुआ है। विभाग से या जिले से जो रिपोर्ट आपको यहां दी गयी है, मंत्री महोदय ने जो बयान किया, वह सरासर गलत है।

तीसरा, मेरा यह कहना है कि डिपो की व्यवस्था कर दी गयी। डिपो की व्यवस्था पंचायतों द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा की गयी है। सिर्फ रिकार्ड में है, आंकड़ों के अन्दर है। ग्राम पंचायतों आदि संस्थाओं को यह कहा गया है कि तुम्हारे पास पैसा है, खरीदकर आप लाओ और बांटो। उस दूर–दराज के इलाके में ऐसी स्थिति है ग्राम पंचायतों की कि उनके पास एक नया पैसा तो है नहीं, और उनको यह कहा गया है कि तुम घास खरीदकर लाओ और अपने स्तर पर उसको बेचो। आज

(श्री फतेह सिंह)

दिन तक न तो कोई घास खरीदकर कोई पंचायत या कोई अन्य एजेन्सी लायी है, न लोगों को घास दिया गया है।

अनाज के बारे में इन्होंने कहा है कि अनाज की हमने पुख्ता व्यवस्था कर दी। पिछले फरवरी महीने के अन्दर बी. पी. एल. के गेहूं उठाने थे, बांसवाड़ा जिले में वह गेहूं उठाकर गरीबों को इन्होंने दिये नहीं। एक तो अकाल की स्थिति थी और दूसरी तरफ गरीबों को जो गेहूं मिलना चाहिए था, वह नहीं दिया गया और इन्होंने उस बात को भी टाल दिया। मेरा यह कहना है कि कुल-मिलाकर उस क्षेत्र की जनता के साथ में एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वैसे राजस्थान भर में अकाल है लेकिन बांसवाड़ा जिले में गये साल भी अकाल था और इस साल भी अकाल है और ऐसी स्थिति में न तो रोजगार देना, न पानी की व्यवस्था करना, न कोई अनाज व घास की व्यवस्था करना, इस तरह की स्थिति आज उस इलाके में है।

श्री अध्यक्ष : आप तो अनुपूरक प्रश्न पूछिये। लम्बी चर्चा नहीं करें।

श्री फतेह सिंह : प्रश्न मैं यही पूछ रहा हूं कि इन्होंने जो कुछ बताया है, बात वही हमारे सानने है। उस इलाके के लोग घर छोड़कर गुजरात जा रहे हैं। गुजरात में मजदूरी नहीं मिलने के कारण वह लौटकर वापस आ रहे हैं और गुजरात जाते समय और आते समय कई लोगों की मौतें भी हुई हैं, एक्सीडेंट हुए हैं। गाड़ियों के ऊपर बैठकर लोग जाते हैं। तो यह सरकार की लापरवाही से ही लोगों की मौतें हो रही हैं और हम यह मानते हैं कि अकाल के समय में अगर कोई भी व्यक्ति भूख से करता है तो वह सरकार राज्य में राज करने का अधिकार नहीं रखती है। मेरा यह मानना है कि इस मौके पर भूख के मारे लोग गुजरात में जाते हैं और उनकी मौतें होती हैं तो क्या यह सरकार के ऊपर आरोप नहीं है। मेरा यह मानना है कि ऐसी स्थिति में प्रशासन में तो इतनी कमजोरी है, आपके यहां से तो आदेश जारी होते हैं कि हमने इतने लाख रुपये दे दिये। 35 हजार मजदूरों को काम देने की बात आपने कही है लेकिन 35 हजार मजदूरों की स्वीकृति न निकाल कर करीब 15-20 हजार की स्वीकृति जारी की है। दिक्कत यह आ रही है कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आज सैंक्शन निकलेगी, 15 दिन-महीने बाद में वह मजदूर वहां पर लगेगा। दूसरी स्थिति हमारे सामने यह है कि सिर्फ लेबर लगानी है। आप मान लो तालाब गहरा करने के लिए पैसा देंगे या और बाउण्ड्रीवाल के लिए पैसा देंगे और किसी भी निर्माण काम में पैसा देंगे तो कम से कम मैटेरियल का पैसा तो उनको देना पड़ेगा। एक मजदूर उस तालाब से मिट्टी उठाकर लेकर जाएगा, पाल एक किलोमीटर दूर है तो उस मिट्टी को कैसे... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय के

(श्री हरिसिंह)

अभिभाषण पर चर्चा के लिए पांच मिनट का समय आपको अलॉट किया हुआ है।

श्री फतेह सिंह : यह भाषण नहीं है। यह तो जनता को जो दुःख–दर्द है, उसको बता रहा हूं। मैं तो कभी ज्यादा बोलता भी नहीं हूं और आज प्रश्न लगा है तो मैं अपनी जनता की बात को दोहरा रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : यह सारी पोल खोलनी पड़ेगी न। ऐसा तो है नहीं कि आप रद्द कर दो।

श्री फतेह सिंह : मैं कहना चाहूंगा कि समय रहते जो भी सैंक्शन देने के बाद में मजदूरों को लगाया जाता है वह वहां आज स्वीकृति तो हुई तो कम से कम पांच–सात दिन में मजदूर लग जाएं तो हम मानेंगे कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हो रही है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नियम में सैंक्शन देने के बाद में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। मजदूर कब लगते हैं उसमें सुधार लाया जाए। मुझे मालूम है कि पिछली बार अकाल पड़ा, जिला कलेक्टर आज स्वीकृति जारी करता है और दूसरे दिन मजदूरों को लगाया जाता था। वह जमाना वह था और आज हमारे सामने यह स्थिति है तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बांसवाड़ा जिले में जिस तरह की स्थिति है, उसको सुधारा जाए। पानी की व्यवस्था की जाए। चारे की व्यवस्था की जाए। सब तरह की व्यवस्था की जाए।

श्री अध्यक्ष : आज दो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं नियम 31 के अन्तर्गत, आप लम्बा–चौड़ा भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान) बीच में नहीं।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अपने जवाब में मैंने काफी हद तक संतुष्ट करने की कोशिश की है। जैसा कि कहा, अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये। सरकार ने बांसवाड़ा के लिए 35 हजार लेबर की सीलिंग सीमा तय की है। माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर और भी ज्यादा बांसवाड़ा के लिए लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता होगी, अभी आपकी लेबर सीलिंग से भी कम लेबर वहां पर इंगेज हुई है, राहत कार्य आप जितने चाहो, आपके जितने लोगों को रोजगार देना चाहो, कि यह वास्तव में यहां रोजगार के लिए आवश्यकता है, जिला अकाल राहत सलाहकार समितियां बनी हुई हैं, आप कलेक्टर से, हमारे प्रभारी मंत्रीजी हैं, उनसे बात कर के लोगों को रोजगार देने के लिए जो भी बांसवाड़ा के माननीय सदस्यों के सुझाव हैं सरकार उनको निश्चित रूप से स्वीकृत करेगी और लोगों को रोजगार के लिए राजस्थान से और कहीं भी बाहर जाने के लिए सरकार किसी भी मजदूर को पलायन नहीं करने देगी।

सरकार का पूरी तरह उत्तरदायित्व है। चाहे पेयजल का मामला हो। हैण्डपम्पों की बात कही आपने, अगर हैण्डपम्प खराब होंगे तो सरकार ने विभाग को निर्देश दिये हैं कि सारे हैण्डपम्प ठीक कराये जाने चाहिए।

(श्री परसादी लाल)

आपने कहा कि चारा डिपो नहीं खोले हैं। आपके जिले में 17 चारा डिपो खोले गये हैं। माननीय सदस्य, बांसवाड़ा में और कहीं चारा डिपो खोलने की आवश्यकता हो, आप लिख कर जहां के लिए देंगे वहां पर सरकार चारा डिपो निश्चित रूप से खोलेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भाणजी।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मंत्री महोदय ने हमें यह बताया कि 35 हजार मजदूर बांसवाड़ा जिले में लगाये गये हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अभी अकाल के तहत जितने भी काम स्वीकृत किये गये हैं, पूरे जिले की 325 ग्राम पंचायतों में दुकान निर्माण के सिवाय और कोई काम स्वीकृत नहीं किये गये हैं। प्रति दुकान के पीछे 10,000 की कीमत से दुकान का निर्माण किया जाता है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे बांसवाड़ा जिले के 325 ग्राम पंचायतों में दुकान निर्माण के अलावा और कोई काम था या नहीं ? अगर इन कामों में, दस हजार से ही दुकान निर्माण का काम हो जाता है तो कितने मजदूर लगेंगे और किस तरह अपना पालन–पोषण करेंगे ?

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इस तरह से दुकान निर्माण के नाम पर हमार साथ, पिछले साल भी धोखा किया, इस बार भी किया, इसी तरह आप छलावा या धोखा करोगे या गरीब जनता को राहत देने का काम करोगे ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता एवं पुनर्वास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि केवल दुकानों के काम स्वीकृत किये गये हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के 24 कार्य स्वीकृत किये गये हैं 68. 25 लाख के, जिनमें 1525 श्रमिक नियोजित होने वाले हैं। 1.3.2000 को उसकी स्वीकृति जारी की गयी है। पंचायत समिति के 212 काम सैंक्शन किये हैं जिसमें 179.91 लागत आयेगी और उसमें 11920 लेबर काम पर लगेंगे। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के 95 काम स्वीकृत किये गये हैं जिसमें 340.25 लाख रुपये व्यय होंगे और 11425 श्रमिक उसमें काम पर लगेंगे। इसी प्रकार वन विभाग के 19 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिसकी लागत 36.85 लाख है, इसमें 1845 श्रमिक काम पर लगेंगे। कुल मिलाकर 26735 व्यक्ति इन विभिन्न एजेंसियों के मार्फत काम पर लगाने का जिलाधीश महोदय द्वारा 1.3. 2000, 13.3.2000 और 13.3.2000 को जारी कर दी गयी है। (व्यवधान) एक मिनट, मैं पूरा जवाब दे देता हूं।

इसके बाद जो दिक्कतें आपने बतायीं कि चारा डिपो पंचायत के माध्यम से या अन्य एजेंसी के माध्यम से खोले जाने का निर्णय जिलाधीश महोदय ने लिया है लेकिन उनके पास धन की कमी होने के वजह से वे कार्य प्रारम्भ नहीं कर पायेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि पंचायतों को चारा खरीद

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

करने के लिए 20,000 रुपये प्रति चारा डिपो के लिए निश्चित रूप से बिना ब्याज के ऋण स्वीकृत किया जाएगा। (व्यवधान) अब, कटारियाजी, आपको मालूम नहीं है गाड़ी तो 12,000 में ही आती है। कभी आप मंगल मार्ग चौराहे पर रुक कर देखो, गाड़ी के क्या भाव हैं, आपको पता लग जाएगा। 20,000 रुपये प्रत्येक पंचायत को, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको बिना ब्याज के ऋण स्वीकृत करने का फैसला किया है और जहां पर भी आवश्यकता होगी, उनको ऋण उपलब्ध करा कर चारा डिपो को निश्चित रूप से हम काम करायेंगे।

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अब तक बांसवाड़ा जिले में कितने लोग तो मजदूरी पर लग चुके हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप पूरी बात तो सुन लो। केवल अकाल राहत ही नहीं, अन्य कार्य जो आपके बांसवाड़ा जिले में लगे हुए हैं उसके प्रथम पखवाड़े में 23710 व्यक्ति दूसरे कामों पर काम कर रहे हैं। पहले से ही काम कर रहे हैं जो कि विभिन्न... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : बिलकुल गलत है, मंत्री महोदय। आप जो कह रहे हैं, सदन में बता रहे हैं सिर्फ आंकड़ों में ही चल रहा है। आपके कागजों के आंकड़ों में चल रहा है।

श्री भाणजी (दानपुर) : बिलकुल गलत है, कोई मजदूर काम पर नहीं आये बांसवाड़ा जिले में।

श्री जीतमल खांट : मौके पर आप जाकर देखिये वहां के हालात खराब हैं और यह मात्र आपके प्रशासनिक स्वीकृति है। यह मैं सदन में पेश कर रहा हूं, प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है, तकनीकी स्वीकृति जारी होना बाकी है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अब आप सुनें। मेरी आज सुबह ही जिलाधीश महोदय से इस सम्बन्ध में चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा कि जो भी तकनीकी या वित्तीय स्वीकृति में दिक्कत है, मैं इस स्वीकृति को तत्काल जारी कर दूंगी और लोगों को राहत कार्यों पर लगा दिया जाएगा।

दूसरा उनका यह कहना था कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें होली से लेकर दशा माता तक लोग–बाग मस्ती से घूमते–फिरते रहते हैं, काम पर कम आते हैं इसलिए मजदूर कम लगे हैं। लेकिन एक–दो दिन बाद... (व्यवधान)

श्री भाणजी : अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब देने का तरीका नहीं है। लोग तो भूख से मर रहे हैं, रोजगार नहीं है।

श्री जीतमल खांट : यह तो बिना मतलब की बात हो रही है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जैसा उनका कहना था।

श्री भाणजी : सड़कों पर घूम रहे हैं। गलत बात कर रहे हो, आप जनता को गुमराह कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : आप कह रहे हैं मस्ती से घूम रहे थे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इतना बता दें... (व्यवधान) बांसवाड़ा में कितने मजदूर लगे हुए हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : होली का त्यौहार है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कितना चारा खरीदने के लिए पंचायतों को पैसा दिया है ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, लोग अकाल से मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : मंत्री महोदय कह रहे हैं पशुओं के लिए पूरे जिले में 17 डिपो खोले गये हैं, इसमें कितनी गाड़ी चारा बेचा गया ? अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर(अटरू) : मंत्री महोदय कह रहे हैं मस्ती से घूम रहे हैं लोग। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि होली पर ऐसे त्यौंहार होते हैं, ढूंढ होती है और चीजें भी होती हैं, एक परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भूख से मरने वालों को भी मस्ती मानते हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 17 डिपो खोलने बताये हैं। 17 डिपो में कितनी गाड़ी बिकी, यह तो बता दें, आप डिपो खोलना बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह भूख से मरने वालों को भी मस्ती मानते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने भूख से मरने वाले सारे आदिवासियों पर शराब पीने का आरोप लगा दिया। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह गलत कहा जा रहा है। (व्यवधान) मैंने कभी यह नहीं कहा। (व्यवधान) मैंने कभी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। (व्यवधान) आदिवासी के जन–जीवन में जो त्यौहार होते हैं, होली का त्यौहार या जब बच्चा पैदा होता है तो वो ढूंढ के लिए जाते–आते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जानवर माने या इन्सान माने। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 17 डिपो खोलने बताये हैं। अध्यक्ष महोदय, 17 डिपो में कितनी गाड़ी चारा बेचा गया, यह बताया जाए। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, बड़े शर्म की बात है, अकाल राहत जैसे काम में आप क्वेरी लगा रहे हैं। (व्यवधान) इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात होगी। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह भूखे लोगों का अपमान है। (व्यवधान) यह प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति और आपके टैक्निकल स्वीकृति में एक महीना निकाल दिया है, अभी तक यह स्वीकृतियां नहीं हुई हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार के लिए एक शर्म की बात है कि लोग भूख से मर रहे हैं और अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किया गया। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप काम नहीं खोलना चाहते। (व्यवधान) आरोप लगा रहे हैं आप, काम नहीं खोल रहे। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : और जवाब मिल रहा है करेंगे, हो जाएगा, कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : क्या है मस्ती की परिभाषा ?

श्री मदन दिलावर : काहे की मस्ती, आप रोटी नहीं दे पा रहे, लोग भूखे मर रहे हैं और आप मस्ती कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : +++ आनी चाहिए, लोग भूख से मर रहे हैं और आप हंस रहे हो।

श्री मदन दिलावर : वे लोग भूखे मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 17 चारा डिपो का बताया है, 17 डिपो में कितना चारा बेचा गया, यह बताया जाए।

श्री जगत सिंह दायमा : इधर लोग–बाग भूख से मर रहे हैं और सरकार को बचाने के लिए विधायकगण हंस रहे हैं। चाहिए यह कि उठ कर सरकार को कहे।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं की जो स्वीकृत किये हैं उनको कब तक काम में लगा देंगे ? यह केवल कागजी आंकड़े बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सारे विधायक एक साथ हैं। कितने श्रमिक लगा देंगे ? इसकी सीमा क्या है ? कल से, परसों से या सुबह से ? कब लगा देंगे आप ? सवाल केवल, पर्टिकुलर एक ही है कि कब से काम शुरू कर देंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री दायमा, बैठिये आप।

श्री जगत सिंह दायमा : इसके ऊपर पक्ष में बैठे हुए माननीय विधायकगण हंस रहे हैं। (व्यवधान) किस बात के लिए हंस रहे

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगत सिंह दायमा)

हैं ? लोग अकाल से मर रहे हैं और ये हंस रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : थोड़ी तो +++ आये इन लोगों को। लोग भूखे मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। (व्यवधान) मंत्री महोदय ने 17 डिपो खुले हुए बताये हैं। मूक पशुओं के लिए 17 डिपो में घास कितनी भर रही है, यह बताने की कृपा करें ? (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : आप सुनने की क्षमता तो रखें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, इतना पिछड़ा इलाका है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : घास कितनी कम बैठी, यह बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य कभी यह नहीं था। मैं फतेह सिंह जी से पूछना चाहता हूं या बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों से यह जानकारी करना चाहता हूं कि होली के त्यौंहार के रोज, ढूंढ के दिन, आदिवासी अपने परिवारों के लिए ढूंढ लेकर जाते हैं या नहीं जाते हैं ? और परिवार वालों से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं ? यह परम्परा है या नहीं है.?

एक माननीय सदस्य : यह क्या मतलब हुआ ?

श्री अमराराम (धोद) : यह सब जगह है। पूरे राजस्थान में है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह क्या मतलब हुआ ? (व्यवधान) यह क्या तरीका है ?

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, यह बता दें कि मौज मस्ती का क्या तरीका है ? मंत्रीजी, कल आपने कलेक्टर से बात की है तो आज की तारीख में कितने मजदूर राहत कार्यो पर लगे हुए हैं ? आज 20 हजार रुपया जो, बगैर ब्याज के कितनी रकम पंचायतों को दी है आज तारीख तक ? यह बता दें। और आप उल्टा इल्जाम मजदूरों के ऊपर और डिपो पर लगा रहे हैं कि वे मौज–मस्ती कर रहे हैं। होली के पहले भी अकाल था। अकाल होली पर नहीं पड़ा ? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, यह भूखे लोगों का अपमान है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : चार महीने पहले कितने लगे हुए थे ? यह बता दें।

श्री जीतमल खांट : होली का त्यौहार भी उन्होंने खिलाफ में मनाया। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने विस्तार से...

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब है "लगा देंगे"। यह नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए कि कल से कर देंगे, परसों से कर देंगे। पर्टिकुलर टाइम देना चाहिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं सदन को

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं उनको एक सप्ताह में चालू कर दिया जाएगा और जो सीमा है उस पर चालू करवाया जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री अध्यक्ष : आज मंत्रीजी का वक्तव्य भी होने वाला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : हां, वक्तव्य है इसलिए मैं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता से यह निवेदन कर रहा हूं कि बहुत से माननीय सदस्य जो अभी अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं, इन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, इस पर वक्तव्य भी आ रहा है उस वक्त क्लेरिफिकेशन कर लेंगे इसलिए, I take the next question.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं ताकि आगे मंत्री महोदय को जवाब देने में सुविधा होगी। अभी आपने यह कहा कि अमुक–अमुक विभाग के काम चालू करवाये, वे विभागीय कार्य हैं या अकाल राहत के कार्य हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अकाल राहत के तहत स्वीकृत किये गये हैं लेकिन एजेंसी वह विभाग वाले करेंगे। पी. डब्ल्यू. डी. वाले पी. डब्ल्यू. डी. का कार्य करेंगे और इर्रिगेशन वाले इर्रिगेशन का कार्य करेंगे। अकाल राहत के तहत स्वीकृत किये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब विभागीय कामों पर मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार तनख्वाह मिलेगी और अकाल राहत काम में टास्क बेसिस के ऊपर मिलेगी, यही है न आपकी नीयत ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मिनिमम वेजेज को ध्यान में रखते हुए टास्क से लिंक किया हुआ है। आप उत्तर पूछ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं विभागीय कामों के लिए पूछ रहा हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : विभाग के कामों में न्यूनतम मजदूरी 60 रुपये है। विभाग विभाग के काम का चुकायेंगे। अकाल राहत कार्यों के तहत स्वीकृत काम किये जा रहे हैं उन पर राज्य सरकार विचार कर रही है कि न्यूनतम...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विचार अभी तक नहीं किया न ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कर रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर रही है। अब आप मुझे यह बताइये...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : न्यूनतम मजदूरी 60 रुपये करें...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो एक पूछना चाहता हूं कि विभागीय कामों में और अकाल राहत कामों में जहां केवल मजदूरी के भुगतान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का प्रश्न आता है, कोई अन्तर नहीं किया गया या किया है ? यह बता दीजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसा है। मैंने आपसे निवेदन किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमैंट और अन्य दूसरे कोर्ट के जजमैंट को ध्यान में रखते हुए राहत कार्यो पर जो पहले 44 रुपया न्यूनतम मजदूरी थी उसको 60 रुपये बढ़ाने पर हमारा विचार चल रहा है और जल्दी ही हम फैसला करने जा रहे हैं।

श्री सांवर लाल : नहीं नहीं। दो प्रकार की मजदूरी के काम हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

वार्षिक योजना में कमी

32. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इस वर्ष की वार्षिक योजना का आकार छोटा करने के परिणामस्वरूप कौन–कौन से काम बन्द किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि योजना का आकार छोटा करने के पश्चात् राज्य सरकार ने नये काम लेने और पुराने कामों को चालू रखने पर रोक लगा दी है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो कितनी–कितनी राशि के कार्य कराये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या–32 स्थगित किया जाता है।

(स्थगित)

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल काफी महत्वपूर्ण है और इसमें माननीय आयोजना मंत्रीजी से एक छोटा–सा सवाल पूछा है कि क्या सरकार की वार्षिक योजना के आकार को छोटा किया गया है। और दूसरा नये काम करने और पुराने काम जो अभी चल रहे हैं उन पर लगाने के लिए है। मैंने प्रश्न पूछा है। इसमें स्थगित का ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इन्होंने वार्षिक योजना, जो 5020 करोड़ रुपये की थी, उसको 3900 करोड़ रुपया किया है। इसमें स्थगित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। दूसरा मेरा यह है कि जहां पर काम पर रोक लगाने का प्रश्न है, न तो नये काम किये जाएं और पुराने काम चालू किये जाएं। 30 नवम्बर, 1999 के पहले सरकार ने एक संशोधन निकाला जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि न तो नया काम लिया जाएगा और न कोई पुराने काम को चालू किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आपने पहले वित्त मंत्री जी से पूछा। वित्त मंत्री जी ने इनको स्पष्ट कर दिया। वे इन्फार्मेशन एकत्रित नहीं कर सके हैं इसलिए पोस्टपोन के लिए कह रहे हैं।

डा. रतन लाल जाट : इस प्रकार का एक आदेश साढ़े तीन महीने पहले निकला है। उसके जवाब के लिए आज सरकार तैयार नहीं है। यह एक दुर्भाग्य की बात है। कोई कारण नहीं बताया। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सांवर लालजी, प्लीज टेक योर सीट। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जानबूझकर स्थगित किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : एक बड़े महत्व का सवाल था यह। (व्यवधान) इसको स्थगित करने का कारण क्या था। (व्यवधान) कौनसी जांच करनी है, कौनसे कागज मंगाने हैं। केवल पॉलिसी मैटर का सवाल था। (व्यवधान) स्थगित करने के पीछे क्या कारण है ?

श्री सांवर लाल : जानबूझकर प्रश्न टालना जनता के हित...(व्यवधान) भारत सरकार के लिए योजना है। उनका पैसा उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, 31 मार्च के बाद तो वैसे ही बजट खत्म हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दायमाजी, बैठिये।

श्री सांवर लाल : जानबूझकर सवाल को टाला जा रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का बजट पिछली बार जो हमने इस सदन में पास किया उस बजट को घटाया और 3800 करोड़ रुपया किया, 5022 करोड़ का। क्या सरकार को इतना समय गुजर जाने के बाद यह पता नहीं है कि हमने किस–किस हैड में कितना–कितना पैसा कम खर्च करने के लिए आदेशित किया है और हमने क्या–क्या आदेश किया जिसके कारण से जो काम चल रहे थे उनको बन्द किया और आगे जो स्वीकृति निकलने वाली थी वह भी बन्द करी, वह कितने अमाउंट की बन्द की ? कम से कम अगर हमने मान लो योजना का आकार घटाया, तो जिस परसेंट पर घटाया, उतने ही काम बन्द करेंगे या हमने टोटल चलने वाले और आगे स्वीकृत होने वाले सारे कामों को बन्द कर दिया ? इसमें कौनसी नयी चीज सरकार को ढूंढकर लानी है ? आखिर हमने बीस दिन पहले प्रश्न दिया है।

एक माननीय सदस्य : अब पढ़ लीजिए उनको और।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ... और बीस दिन के बाद इस सरकार के पास गया और सरकार ने सब प्रकार से उसको देखने के बाद यह लिस्टेड हुआ होगा। लिस्टेड होने के बाद इसमें सरकार की सारी पोल खुल जाती है और इस काम को बचाने के लिए ...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : इसलिए कि आपने दिल्ली जाकर इस सारे बजट को कटवाने में...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यानी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था तो...(व्यवधान) सवाल का जवाब मिला और मिलने के बाद

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह लिस्टेड हुआ। लाटरी से प्रश्न लगा और...

श्री जनार्दन गहलोत : दिल्ली जाकर कटवाकर आप ही आये हो। फिर आप वाहवाही लूटना चाहते हो ?

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, बी. जे. पी. से माननीय सदस्य जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब यह है कि गरीबों के लिए यह योजना बनायी जाती है और गरीबों का पैसा बांट दिया। यह क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार अगर यह कहकर टाल दे कि हमें सूचना एकत्रित नहीं हुई, ऐसी कौनसी नयी बात है कि हमने अपनी योजना का आकार घटा दिया तो योजना का आकार घटाने के बाद हमें किसमें कितना पैसा काटना है, यह तो एक ही दिन में निर्णय हो गया होगा। उस निर्णय की कापी इस सदन को क्यों नहीं मिल पा रही है और यहां जवाब क्यों नहीं आया है ? इसमें कौनसी नयी चीज हमने मांगी है ? वही जो सरकार ने किया है उसका ही डिटेल हमने मांगा है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो वार्षिक योजना बनायी जाती है, गरीबों के उद्धार के लिए बनायी जाती है और उनका पैसा काटा गया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपको कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि गरीबों का गला घोंटा गया है।

श्री अध्यक्ष : आप वार–बार खड़े हो रहे हैं। मंत्रीजी का जब अगले क्वेश्चन का टर्न होगा उस दिन यह क्वेश्चन लगा दिया जाएगा।

श्री जगत सिंह दायमा : गरीब मर रहे हैं। हम कैसे बैठ जाएंगे ? हम कोई पूंजीपतियों की मदद थोड़े करने आये हैं ?

डा. रतन लाल जाट : मंत्रीजी कुछ बोलना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये जवाब दे रहे हैं साहब।

श्री जगत सिंह दायमा : यह वार्षिक योजना पूंजीपतियों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए है। सुनना चाहते हैं, गरीबों का पैसा काट दिया आपने।

श्री अध्यक्ष : दायमा जी, आप बैठिये। श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री जगत सिंह दायमा : आपकी मर्जी, साहब।

नगरपालिकाओं को देय बकाया राशि

33. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

करेंगे :–

(1) राज्य सरकार द्वारा किस–किस नगरपालिका को कितनी–कितनी राशि किस–किस प्रकार की आर्थिक सहायता कब से देना बाकी है ?

(2) क्या राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार इनको निर्धारित सहायता दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों और कितनी सहायता बाकी है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शांतिकुमार धारीवाल) : (1) इस वित्तीय वर्ष से नगरपालिकाओं को आर्थिक सहायता राशि देनी बाकी है, उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) राज्य वित्त आयोग की अभिशंसा के अनुसार प्रदेश की पालिकाओं को अब तक वित्त विभाग द्वारा इस विभाग को आबंटित की गयी राशि रुपये 1262.05 लाख का नगरपालिकाओं को आबंटन किया जा चुका है। बजट में प्रावधित शेष राशि का विवरण भी उत्तर एक की संलग्न सूची के अनुसार ही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया है कि इस वित्तीय वर्ष से नगरपालिकाओं को आर्थिक सहायता राशि देना बाकी है। मेरा इनसे निवेदन है कि बजट प्रावधान होते हुए भी पालिकाओं को सहायता राशि वितरित नहीं करने के क्या कारण हैं ? उस राशि का उपयोग अन्य मद में किया गया है या नहीं ? किया गया है तो कहां और नहीं किया गया है तो अब कब तक सहायता राशि वितरित की जाएगी ? दूसरा, मेरा निवेदन है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा इसकी अभिशंसा के अनुसार वित्त विभाग द्वारा इन्होंने बताया है कि 1262.05 लाख रुपया पालिकाओं को आबंटित किया है। तो क्या यह पैसा विकास के कार्यों के लिए किया गया है या अधिकारियों या कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए किया गया है ? इसका स्पष्ट उत्तर दें। तीसरा, प्रश्न यह है कि इन्होंने सदन की पटल पर रखा, उसमें 3210.55 लाख रुपया देना बाकी बताया गया। इतना पैसा सहायता हेतु विभिन्न मद या सामान्य उद्देश्य अनुदान है, विकास कार्य हेतु अनुदान है, अच्छे कार्य हेतु अनुदान है, मैचिंग ग्रांट का अनुदान है, दसवे वित्त आयोग की सिफारिशों में जनसंख्या के आधार पर देने वाला अनुदान है या स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के लिए बकाया राशि का अनुदान है या राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम का अनुदान है, पालिका समर्थित योजना में बकाया राशि के लिए अनुदान है, पर्यावरण सुधार योजना है, इन सबमें एक पैसा भी नगरपालिकाओं या पालिकाओं को या परिषदों को आबंटित नहीं किया गया है तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं ? क्या यह पैसा 31 मार्च तक भेज दिया जाएगा या यह लैप्स होगा, यह स्पष्ट कर दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है,

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

आपने यह कहा है कि एक पैसा भी नहीं दिया गया, वह गलत है। मैंने आपके प्रश्न के भाग एक में जो सूचना आपको उपलब्ध करवायी है उसमें साफ लिखा हुआ है "राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान", इसमें जो बाकी पैसा है वह सामान्य उद्देश्य अनुदान यानि कि जनरल परपज के लिए तीन करोड़ चौसठ लाख रुपया देना बाकी है और दिया जा चुका है...

श्री सुरेन्द्र गोयल : दिया जा चुका है वह बता दो आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने बाकी के लिए पूछा है मैंने बाकी की रकम बता दी। अब आपने सप्लीमेंट्री में यह पूछा है कि कितना दिया जा चुका है उसको मैं बता रहा हूं।

सामान्य उद्देश्य अनुदान में इस वर्ष 1999–2000 में 14 करोड़ 58 लाख 60 हजार रुपये का बजट प्रावधान था इसमें 10 करोड़ 93 लाख 95 हजार रुपये की राशि आबंटन की जा चुकी है। आपने यह फरमाया था कि कुछ नहीं दिया...(व्यवधान) आबंटन का मतलब यह है, कि दे दिया जा चुका है।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, नहीं, नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप सुन लीजिये जवाब। विकास अनुदान के बाबत 3 करोड़ 36 लाख 20 हजार रुपये का बजट प्रावधान था। इसमें एक करोड़ 68 लाख 10 हजार रुपये दिये जा चुके हैं। प्रोत्साहन अनुदान इसमें 146 लाख रुपये का बजट प्रावधान था। यह बजट प्रावधान अच्छा कार्य करने वाली नगरपालिकाओं को दिया जाता था। जिसमें पांच लाख रुपये निगमों को, नौ लाख रुपये परिषदों को, तीस लाख रुपये द्वितीय श्रेणी को और 38 लाख रुपये तृतीय श्रेणी को, 54 लाख रुपये दूसरी नगरपालिकाओं को दिया जाता था लेकिन यह पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है उसका कारण यह है कि...

श्री मदन दिलावर : ऐसे ही है... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बैठ जाइये। मैं जवाब दे लूं उसके बाद आप भी खड़े हो जाइये। आपके सवाल का भी जवाब दे दूंगा। तीसरी बात थी मैचिंग ग्रांट वाली। मैचिंग ग्रांट वाली में सबसे बड़ी दिक्कत यह आती थी कि नगरपालिकाएं अपने हिस्से का मैचिंग ग्रांट नहीं दे पाती थीं तो उसमें अगर मान लीजिए एक योजना बनी, योजना दस लाख रुपये की बनती है। अगर दस लाख रुपयों में उनको ढ़ाई लाख रुपया मैचिंग ग्रांट का देना होता था तो उसमें ढाई लाख रुपये का प्रोवीजन राज्य सरकार ने करवाया और उसका पैसा दिया गया। दसवें वित्त आयोग के तहत मूलभूत सुविधाएं आपूर्ति हेतु जो भी आबंटन किये गये उसका विवरण मैं आपको बताता हूं। 10 करोड़ 69 लाख रुपये का प्रावधान था जिसमें 270 लाख रुपये का

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

ही आबंटन हुआ है बाकी का आबंटन नहीं हुआ। उसके बारे में वित्त विभाग से और नगरीय विकास विभाग से रोज चर्चाएं हो रही हैं और उम्मीद यह है कि इसमें से कुछ पैसा निकलकर के आएगा और वह वक्त पर पहुंच जाएगा। ठीक इसी तरह से स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के तहत छह करोड़ रुपया उसी के साथ–साथ राज्य सरकार को मिलाना था, राज्य सरकार भी उतना नहीं मिला पाई क्योंकि केन्द्रीय सरकार से पैसा नहीं आया। इसी के अन्तर्गत जो भी और थीं स्वरोजगार योजना, व्यापार को उन्नत करने वाली योजना, शहरी क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास योजना, बचत साख में और सामुदायिक विकास में जितना सैण्ट्रल से पैसा आना चाहिए था उतना पैसा न आने के कारण वित्त विभाग भी इसमें थोड़ा–सा शिथिल रहा और वह पैसा पूरा जितना नगरपालिकाओं को दिया जाना चाहिए था, नहीं दे पाया। (व्यवधान) अब रह गया गन्दी बस्ती कार्यक्रम। इसके तहत 11 करोड़ 76 लाख 29 हजार रुपये का आबंटन किया जाना चाहिए था। यह प्रक्रिया अब भी विचाराधीन चल रही है। इसमें से कुछ पैसा करीब तीन करोड़ रुपये का तो आबंटन नगरपालिकाओं को दिया जा चुका है।

श्री मदन दिलावर : आपके पास तो आबंटन और प्रावधान हैं। यही हैं ना और कुछ भी है क्या ? बुल्डोजर, आबंटन, प्रावधान, जनता के लिए क्या दिया ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह पैसा आबंटन भी है और प्रावधान भी है। यानि कि दो हैं, आपके पास-कुल मिलाकर एक है।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय दिलावर जी, आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान) आपको पता है इस समय बुल्डोजर काम आ रहा है उनका अगर आप पर यह बुल्डोजर चल गया तो आपको पता लग जाएगा दो मिनट में। बहुत ज्यादा बोलते हो आप बीच–बीच में।

श्री मदन दिलावर : आबंटन प्रावधान, आबंटन प्रावधान... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जवाब देने नहीं देते हो मंत्री जी को। वह इतना बढ़िया जवाब दे रहे हैं। जवाब तो सुनना नहीं चाहते। बार–बार डिस्टर्ब कर रहे हो बीच में। इन अतिक्रमणों को हटाओ, इन अतिक्रमणों को हटाओ बीच में यहां से। यह अतिक्रमण हैं इनको भी हटाइये आप। यह अतिक्रमण हैं सदन में, ऐसे अतिक्रमणों को आपको हटाना पड़ेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जवाब मैं दे चुका हूं और काफी पैसा दिया जा चुका है और जो पैसा बकाया है उसके बाबत वित्त विभाग से चर्चा चल रही है और उम्मीद है कि इसको 31 मार्च के पहले पहले तक दे दिया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : आप मुझे सही कर देंगे जो कुछ आपने जवाब दिया है उसके हिसाब से। बत्तीस करोड़

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रुपया नगरपालिकाओं को आपको देना है भिन्न–भिन्न मदों में जो टोटल 32 करोड़ होता है। गलत है तो आप मुझे सही कर दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 32 से भी ज्यादा देना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, ज्यादा देना है और भी अच्छी बात है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आज के दो दिन पहले राजगढ़ और चूरू नगरपालिका की आपने बिजली बंद कर दी और इसलिए बंद की, वह बिजली बोर्ड को चार्जेज नहीं दे पाया। जिन नगरपालिकाओं के बत्तीस करोड़ रुपये सरकार में बाकी हैं उन नगरपालिकाओं की क्या ऐसी हालत होगी कि वह बिजली का और इनका पेमेंट कर दें ? कृपया बिजली के कारण से जो कटौती आप कर रहे हैं, बिजली बंद कर रहे हैं क्या जल्दी से जल्दी इन रुपयों से आप कोई समायोजन कर सकेंगे ? (व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : सालों–साल आपने तो कर्मचारियों की तनख्वाह ही नहीं दी, और नगरपालिका का यह हाल था कि वह सड़ रही थी। आज कांग्रेस के राज में इतना तो हुआ एक साल के अन्दर। आपने तो कितना राज किया तब भी यह हालत बना दी, फकीर बना दिये। सारा राजस्थान फकीर कर दिया आपने और कर्मचारी भूखे भटक करके रह गये, मास्टर रह गये। सब कुछ आपके पीछे यह सारा कंगाल हुआ है। आप यह पूछ रहे हैं सवाल। (व्यवधान) यह सवाल तो आप खुद से पूछो, खुद ने क्या किया था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनका जवाब तो पहाड़िया जी दे सकते हैं। मेरे देने की क्षमता नहीं है। वह दे देंगे लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछा है कि इस बकाया राशि में से जो आपको भुगतान करना है नगरपालिकाओं को उस भुगतान के अभाव में... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप एक प्रस्ताव भेजिये कि चुंगी वापस शुरू करवाइये... (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आप एक प्रस्ताव भेजें चुंगी वापस शुरू करवाइये। कई नगरपालिका...(व्यवधान) का गला घोट करके हत्या कर दी आप लोगों ने। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : नगरपालिकाओं को सत्यानाश करवा दिया... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बी. जे. पी. के कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए यह खत्म करवाई...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा–सा है। अभी मंत्री महोदय ने यह वक्तव्य दिया कि इतनी बकाया है वह नगरपालिकाओं को सरकार की ओर से भुगतान करनी है। नगरपालिकाओं के सामने संकट यह है कि उनके पास आय नहीं होने के कारण या सरकार से उनको सहायता राशि नहीं मिलने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के कारण जो बिजली का, पानी का बकाया जमा कराने हैं वह जमा नहीं कराते और बिजली विभाग बिजली की कटौती करता है। मैं यह चाहूंगा कि आप इन बकाया के हिसाब से क्या इस प्रकार का सामंजस्य करा सकते हैं कि नगरपालिकाओं की बिजली की कटौती नहीं हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, तीन इस प्रकार के हैड्स हैं जिनके जरिये नगरपालिका बिजली खरीदती है। नगरपालिका को सड़क बनानी होती है, नाली बनानी होती है, पटान बनाने होते हैं और इस प्रकार के कई प्रकार के विकास करवाये हैं बल्कि टाइमर स्विच भी इसमें प्रोवीजन है, वह भी इसमें खरीदते हैं। पहला उसमें जो प्रोवीजन है वह दसवें वित्त आयोग के तहत मूलभूत सुविधाओं का अनुदान, इस हैड में कुल मिलाकर के 10 करोड़ 69 लाख रुपये का प्रावधान था। उसमें से 270 लाख रुपये का आबंटन हो चुका है। नम्बर एक, 270 लाख रुपये उनके पास पहुंच गया। दूसरा हैड आता है उसमें सामान्य अनुदान। सामान्य अनुदान में 1991 की जनसंख्या के आधार पर हर नगरपालिका को अपना–अपना हिस्सा मिलता है जिस तरीके से नगर निगम, नगर परिषदों को 12 रुपया 50 पैसा, द्वितीय श्रेणी में 25 रुपये और तृतीय श्रेणी की नगरपालिकाओं को 37 रुपये 50 पैसे और इसी प्रकार से चौथी श्रेणी को। यह पैसा भी 21 करोड़ रुपया जो है नगरपालिकाओं में वितरित हो चुका है। तीसरा प्रावधान, जैसा आपने फरमाया चुंगी बंद हो चुकी है और उनके पास खुद के पास रेवेन्यु कलेक्शन का कोई जरिया नहीं है... (व्यवधान) जवाब तो देने दीजिये। इस मद में 1999–2000 के लिए 320 करोड़ 66 लाख रुपये का प्रावधान था और यह सारा का सारा पैसा नगरपालिकाओं को दिया जा चुका है। मेरा निवेदन यह है, आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो सवाल पूछा है इतना पैसा पहुंचने के बाद में भी अगर कोई नगरपालिका अपना बिजली का बिल नहीं चुकाती है, जो आपने समस्या बतायी है और दो नगरपालिकाओं का नाम लिया है, निश्चित तौर पर आपके बड़े व्यक्तित्व को देखते हुए मैं इस पर जरूर ध्यान देने की कोशिश करूंगा।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : मंत्री महोदय, मैंने यह प्रश्न पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा किस–किस नगरपालिका को, आपने किसी नगरपालिका का नाम नहीं लिया है। आपने अभी बताया कि सामान्य उद्देशित अनुदान 364.43 लाख रुपये बकाया है। तो मेरे जैतारण नगरपालिका की बात बताऊं, आपको पिछले साल–डेढ़ साल में एक भी पैसा अनुदान का नहीं दिया, न कोई विशेष अनुदान का गया न आपके कोई डवलपमेंट का गया और न कोई दूसरा किसी प्रकार का पैसा गया है। मेरा निवेदन है कि आप यह जो आपने बताया कि वित्त विभाग से जो पैसा आबंटित हुआ है 1262.05 लाख, यही वित्त विभाग से पूरे साल भर में नगरपालिका, लोकल बॉडी और बजट

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

में प्रावधान था वह पूरा का पूरा आपको आबंटित हो गया, इसका इसमें सृजन करें।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आप कहोगे प्रश्नकाल में व्यवस्था नहीं उठती। अब हम सारे प्रश्न माननीय भैरोंसिंह जी से करवायें तब तो आप ध्यान देंगे नहीं तो आप ध्यान नहीं देंगे, यह गलत बात है। (व्यवधान) आपने कहा बड़ा व्यक्तित्व है। यह गलत बात है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : व्यक्तित्व आपका भी कम नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : गलत कह दिया क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपका भी कम नहीं है व्यक्तित्व।

श्री जगत सिंह दायमा : इस तरह क्या, सब को बराबर का हक है। कैसे क्या बात हो गयी ? (व्यवधान) इतना बड़ा व्यक्तित्व है तो क्या हमारे सारे सवाल माननीय भैरोंसिंहजी साहब से करवायें ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : गलत कह दिया क्या ? आपकी पुरानी टीस अभी नहीं मिटी। आपको मंत्रिमण्डल से हटाया वह टीस नहीं मिटी क्या ? अभी कोई गलत नहीं कहा है। आप इसको गलत मानों तो ठीक है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा जवाब सुन लो आप... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह सही है कि बड़े व्यक्तित्व का ही काम होगा, छोटे व्यक्तित्व का काम नहीं होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा जवाब सुन लो आप।

श्री जगत सिंह दायमा : बहुत अच्छी सरकार, सहनशील सरकार है। जवाब देने में इनका कहना चाहिए जवाब नहीं। बड़ा व्यक्तित्व का जवाब दें। अब हर सवाल इनसे करवायेंगे हम कि साहब दस्तखत कर दो हमारे, बड़ा व्यक्तित्व है। हमारा छोटा व्यक्तित्व है। आप मंत्री हैं, केबिनेट मंत्री हैं। आप हमको बराबर क्यों नहीं समझते। यह कोई... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप विपक्ष के नेता नहीं हो। वह विपक्ष के नेता हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज। सुनिये। प्रतिपक्ष के नेता प्रश्न पूछ रहे थे खड़े होकर और बीच में कुछ माननीय सदस्य व्यवधान डालने लग गये इसलिए मैंने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को भी प्रश्न पूछने दीजिये। इसलिए हर एक प्रश्न उनके... (व्यवधान) यह प्रश्न नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : आपका कुछ नहीं है। आपके लिए हम कोई बात नहीं कह रहे हैं। वह कह रहे हैं बड़ा व्यक्तित्व है, इसलिए कर देंगे यह हमारा एक सवाल है। आपका संरक्षण है तो आप इसको क्लियर करवाइये कि बराबर का हक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : पहले प्रतिपक्ष के नेता तो बनो, बड़ा व्यक्तित्व हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं उस समुदाय से आया हूं जो समुदाय इस राजस्थान में सबसे कमजोर है। जिनकी कोई आवाज नहीं है। जिनके वोटों पर आप जीत कर आये हैं मैं उनके बारे में बात कहने आया हूं। ऐसे पगड़ी हिलाने से काम नहीं चलता है माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। प्लीज, कृपया बैठ जाइये।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं अपनी बात कहने नहीं आया हूं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप पगड़ी को दोष नहीं दे सकते। माननीय दायमा जी, आपने पगड़ी का नाम कैसे लिया। आप पगड़ी को दोष नहीं दे सकते। पगड़ी को हिलाने से काम नहीं चलेगा। पगड़ी की बात कैसे कही आपने ? इस तरह आप पगड़ी को उछालना चाहते हो। (व्यवधान) पगड़ी की बात नहीं करोगे। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैंने कही पगड़ी हिलाने से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर।

एक माननीय सदस्य : पगड़ी वाले बहुत हैं, आपके पीछे भी पगड़ी वाले हैं।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़े व्यक्तित्व की बात कर रहे थे अब पगड़ी की बात करने लग गये। आप पगड़ी वालों को कुछ भी कह दो यह बात चलने वाली नहीं है। कमजोर व्यक्तित्व है आपका।

श्री जगत सिंह दायमा : आप से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। मेरा आपसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। जब कल कह रहे थे 132 के. वी. जी. एस. एस. नहीं लगाया...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सदन के अन्दर खुद मंत्रीजी ने घोषणा की है। (व्यवधान) यह +++ सरकार ने घोषणा नहीं की है। (व्यवधान) जो घोषणा कर दी वही करके दिखाते हैं, मंत्रीजी ने घोषणा की है। (व्यवधान) आपकी तरह थोड़े ही है असत्य घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, कोई विवाद की बात नहीं थी। ख्वाहमख्वाह माननीय सदस्य हीन भावना से पीड़ित लगते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : वही बात फिर देख लो फिर मैं बी. एस. पी. से आया हूं तो हीन भावना है मेरे अन्दर और यह कांग्रेस से आये हैं तो इनके अन्दर हीन भावना नहीं है। (व्यवधान) मैं खुद कह रहा हूं कि मेरे अन्दर हीन भावना है क्योंकि मनुवादियों ने यह हीन भावना पैदा कर रखी है। It is not a

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगत सिंह दायमा)

matter of joke. ऐसा सवाल नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी पूछा कि जैतारण को कोई भी सामान्य अनुदान नहीं दिया गया। जैतारण को सामान्य अनुदान दिया गया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल : पहुंचा नहीं अभी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह डाक में होगा फिर। (व्यवधान) इसी प्रकार से चुंगी पुनर्भरण का जो विशेष अनुदान है वह भी दे दिया गया है। जो कुछ बकाया है वह 31 तारीख तक देने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो एक बात जानना चाहता हूं। मंत्री महोदय, इसी वित्तीय वर्ष में आप आबंटित करवा दोगे ? जितनी राशि आपने बकाया बतायी है, आपने विभिन्न मदों में 40 परसेंट से ज्यादा राशि बकाया बतायी है। 40 परसेंट से ज्यादा राशि बकाया है जो नगरपालिका को मिलनी चाहिए। वित्तीय वर्ष समाप्ति के दिन रह गये हैं पांच, क्या इसी पांच दिन में आप वह बकाया राशि नगरपालिकाओं को आबंटित करवा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। श्री कन्हैया लाल।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में आबंटित खनन पट्टे

34. **श्री कन्हैया लाल (बस्सी)** : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में पत्थरों की खानें कहां–कहां पर हैं ? उनमें किस–किस प्रकार का पत्थर निकाला जाता है ? प्रत्येक खानों से प्रति वर्ष कितना–कितना पत्थर निकाला जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खानों के पट्टे देने के क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खानों के पट्टे स्थानीय लोगों को नहीं दिये गये बल्कि बाहर के प्रभावशाली व्यक्तियों को आपसी मिलीभगत के आधार पर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने का विचार रखती है ?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों में कितनी–कितनी खानें आबंटित की गयीं, जिनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के लोगों को कितनी आबंटित की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खनिज (श्री हीरालाल इन्दौरा) : (1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में खनन पट्टे ग्राम कुथाड़ा, तूंगा, नई का नाथ, बांसखों, राजाधोक, भांखरीख ढिढोल, पीर की डूंगरी, चारणवास, बैनाड़ा, श्यामपुरा, हाथीपुरा, भोजपुरा में प्रभावी हैं। उनमें खनिज चेजा पत्थर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन निकाला जाता है। प्रत्येक खानों

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

से प्रति वर्ष पत्थर के उत्पादन का विवरण संलग्न एनेक्चर–एक पर अंकित है।

(2) उक्त खनन पट्टे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 एवं ग्रेनाइट पॉलिसी 1995 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते हैं। नियमों की प्रति एनेक्चर–दो पर अंकित है।

(3) जी, नहीं यह सही नहीं है कि खानों के पट्टे स्थानीय लोगों को नहीं दिये गये बल्कि बाहर के प्रभावशाली व्यक्तियों को आपसी मिलीभगत के आधार पर दिये गये हों। राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली, 1986 में खनन पट्टों के आबंटन में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं होने से किसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों में आंटित खानों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं कमजोर वर्ग के लोगों को आबंटित खानों का विवरण संलग्न एनेक्चर–तीन पर अंकित है।

(विवरण एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री कन्हैया लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपने विधान सभा क्षेत्र बस्सी में खानों का जो आबंटन किया गया है, जिन लोगों को खानों का आबंटन किया गया है, उससे पहले स्थानीय लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर धंधा कर रहे थे, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले थे, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग थे, उन लोगों के पट्टे के लिए उनके द्वारा नियमानुसार एप्लीकेशंस लगायी गयीं और वह एप्लीकेशन लग जाने के बाद जिस तरीके से बड़ी कारीगरी से उन सारे लोगों की एपलीकेशंस खारिज कर दी गयीं और उसी जगह आपने स्थानीय लोगों को नहीं देकर के प्रभावशाली लोगों को वहां पर पट्टे जारी किये गये। क्या यह भी सही है कि वहां पर जो पट्टे जारी किये गये, एक व्यक्ति को जो पट्टे जारी किये वह नियम विरुद्ध पट्टे थे और एक–एक व्यक्ति को 7–7, 8–8 पट्टे भी जारी किये गये ? मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा कि एक व्यक्ति को खानों में कितने पट्टे जारी करने का नियमों में प्रावधान है, या उस परिवार को कितने पट्टे एक जगह देने का प्रावधान है ?

क्या यह सही है कि जो आपको सूचना दी गयी है, जिनको पट्टे जारी किये गये हैं उस व्यक्ति को क्या पट्टे बेचने का अधिकार भी है ? यदि है, तो कितने दिन में है ? और आपने जो यह सूची प्रस्तुत की है उसके अन्दर उस व्यक्ति ने जो खाने आबंटित की हैं, उन व्यक्तियों का मैं आपको नाम बता रहा हूं। एक ही व्यक्ति का क्रम संख्या 24 संजीव और 25 पर वह संजीव के नाम से ही है। उनकी मिसेज गीता के नाम से ही है और फिर गीता के नाम से ही है। फिर गोविन्द के नाम से उसी परिवार का है, दूसरे गोविन्द के

(श्री कन्हैया लाल)

नाम से भी उसी परिवार से है और 33 क्रम संख्या पर है कुमारी मोनिका, उन्हीं के नाम से है। श्रीमती अलका उन्हीं के परिवार की सदस्य है और उसके बाद में 34 क्रम पर मेघना, वह भी उसके परिवार में है। पी. एस. बी. उद्योग उनके परिवार की ही है। उसके साथ ही 4–5 व्यक्ति जो हैं जिनको उन्होंने खानें बेच दी हैं उनका नाम है प्रभूदयाल है, हरिनारायण है, बाबूलाल है और मांगीलाल है। इन व्यक्तियों को वह खानें जो संजीव कट्टा के नाम से थीं, उन खानों को भी बेचा गया है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि इन लोगों को एक–एक व्यक्ति के नाम से ग्यारह पट्टे दे दिये और गरीब व्यक्तियों के पट्टे खारिज किये गये ? जिनको नियम विरुद्ध पट्टे दिये गये, क्या उनको खारिज करने की और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की आप कृपा करेंगे ?

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, पूछ रहे हैं हमारे साथी कि 5–5, 7–7 पट्टे एक को दिये और वह पूर्व खनिज मंत्री जी मेघवाल जी ने भी 12–12 खानों का पट्टा दिया। 12–12 खानों का पट्टा दिया मेघवाल साहब ने। फिर क्यों नहीं पूछा आपने और 25–25 बीघा से कम नहीं दिया।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे हैं जिनका जवाब मैंने पहले ही सूचना के आधार पर दे दिया है। माइनिंग लीज ग्रांट का चैप्टर–II मैंने उनको दे दिया है। शायद उन्होंने पढ़ा नहीं। सूची मैंने उनको दे दी है, शायद उन्होंने पढ़ी नहीं है और यह अलॉटमेंट भी 1997 के हैं जबकि बी. जे. पी. का राज था। जब आप लोग राज कर रहे थे उस समय जो प्रोविजंस थे, एम. एम. सी. आर. नियम, 1986 के तहत जो अलाटमेंट हुआ है।

जहां तक स्थानीय लोगों का सवाल है, नियमों में साफ प्रावधान है कि जो भारतीय होगा, क्योंकि स्थानीय लोगों के लिए रिजर्वेशन तो है नहीं। जो भारतीय होगा उसको माइनिंग लीज लेने का अधिकार है और माइनिंग लीज में ऐसा है कि उसी व्यक्ति को प्रायोरिटी मिलती है जो ढूंढ़कर लाता है और एप्लीकेशन पेश करता है। मैंने बहुत–से केस ऐसे देखें हैं कि जिनकी प्रायोरिटी बनती है और उस प्रायोरिटी के आधार पर ही उनको अलॉटमेंट हुआ है। संजीव कट्टा की जहां बात की गयी। 2–3 एप्लीकेशन लगी। दो एप्लीकेशन हरिनारायण जी मीणा, लालाराम मीणा की लगी 11वें महीने में, और उससे पहले 10वें महीने में संजीव कट्टा की एप्लीकेशन लगी। प्रायोरिटी के आधार पर 10वें महीने में जो प्रायोरिटी बनती है उसको अलॉट कर दिया।

जहां तक फैमिली का सवाल है। फैमिली की परिभाषा शायद बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य नहीं जानते होंगे। फैमिली की परिभाषा

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

है कि नाबालिग यदि कोई बच्चे हैं तो वह फैमिली मैम्बर की परिभाषा में आता है। और कोई रिश्तेदार यदि है को एडल्ट, परिवार से अलग हो गया है तो वह फैमिली की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए किसी भी फैमिली मैम्बर को जो परिभाषा में आता है उसको एक स्थान पर दो लीज और पूरे राजस्थान में तीन लीज देने का प्रावधान है और इसके अलावा भी कोई बात हो तो मुझे बता दीजिये मैं उसको देख लूंगा लेकिन यह सारा मामला 8–10 साल के अरसे में आपका ही किया हुआ है और आप कहेंगे तो उसकी सारी जांच करवा लूंगा मैं।

माइनिंग लीज ग्रांट के जो प्रोविजंस हैं उसमें साफ जाहिर है उसका मैंने आपको एक एनेक्चर भी दे दिया है चैप्टर–II, इसमें साफ लिखा है कि ग्रांट आफ माइनिंग लीज किस प्रकार से होगा। आप उसको पढ़ लीजिये, सारा आपके सामने नक्शा आ जाएगा और प्रायोरिटीज आपको मालूम पड़ जाएंगी कि कौन अलॉटी हो सकता है और कौन अलॉटी नहीं हो सकता है और दूसरे एनेक्चर भी मैंने दिये हैं। यह सारा जो मैटर आपने मांग लिया, पूरा ही हिसाब मांग लिया है, तो हिसाब सारा कुछ है। आप उसको देखेंगे तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है कि विधान सभा का समय बरबार करें।

श्री कन्हैया लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने यह पूछा है कि स्थानीय लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी खनन कार्य करते हैं, उन लोगों ने सबसे पहले एप्लीकेशंस लगायी और एप्लीकेशंस लगाने के बाद में, नियमानुसार एप्लीकेशन लगायी, उसको खारिज की गयी और खारिज करने के बाद में उन लोगों को यह भी पता नहीं था कि क्या यहां पर खनन कार्य हो सकता है, यहां पर खानें अलॉट हो सकती हैं, उसके बाद में उन लोगों की एप्लीकेशंस ली गयीं। ली गयीं, तो जो स्थानीय लोग खनन कार्य कर रहे थे उन लोगों की एप्लीकेशनों को जो खारिज कर दिया गया और उनकी जगह उन लोगों को जिन्होंने बाद में एप्लीकेशन दी थी, उन खानों को आबंटित किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह यादव।

श्री कन्हैया लाल : आपसे मेरा दूसरा निवेदन था कि... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया है। आपने अनुपूरक प्रश्न पूछ लिया है।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, आपने सदन में फरमाया है कि आप सब कुछ नियमानुसार कर रहे हैं। बस्सी में भी, मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि ना केवल बस्ती में, बल्कि अलवर जिले में जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है...

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप क्यों समय खराब कर रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप जो कह

(श्री जगमाल सिंह यादव)

रहे हैं कि नियमानुसार किया है, जो बी. जे. पी. सरकार ने नहीं किया वह सारे मानदंड आप तोड़ रहे हैं। अलवर में अरावली हिल्स में 12.12.98 को सुप्रीम कोर्ट ने यह बैन कर दिया कि अलवर और गुड़गांव में खनन कार्य नहीं होगा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आपका लिस्ट में है। 14 नम्बर पर आयेगा तो मैं जवाब दे दूंगा। आपको मैं उस पर जवाब दे दूंगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप बात तो सुनें। आपने 6 खानें खातेदारी में दी हैं। अगर एक किलोग्राम के मिनरल वहां हों तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे सकता हूं। जो मिलीभगत आपका विभाग कर रहा है, जो 6 खानें अलवर में आपने दी हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का मुकदमा भी चलेगा, आपके विभाग पर चलेगा, आप पर चलेगा। आपने यह कह दिया कि हमने जांच भी नहीं की खानों के पट्टे देने के बाद और फिर आप कह रहे हैं कि वहां मिनरल हैं। यह मेरे जवाब में आपने कहा है कि खानों के पट्टे देने के बाद वहां कोई जांच नहीं की और फिर दूसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं कि मिनरल हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गुलाब बाड़ी (कोटा) के खेल के मैदान पर अतिक्रमण

47. **श्री प्रभूदयाल करसोल्या (नैनवां) एवं श्री मदन दिलावर (अटरू)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गुलाब बाड़ी (कोटा) में मेगजीन स्कूल के खेल के मैदान/स्कूल बुर्ज पर कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो किस–किस ने ? नाम, पते तथा कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रखा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अतिक्रमण की जानकारी करने हेतु नगर निगम, कोटा को निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो कब ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। नगर निगम, कोटा ने किस अधिकारी/कर्मचारी की अतिक्रमण की जानकारी करने की ड्यूटी कब लगायी ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त अतिक्रमण हटाने के संबंध में क्या नियम हैं ? नियमों के तहत क्या–क्या कार्यवाही की गई तथा कितने अतिक्रमण हटा दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या गुलाब बाड़ी में नाले की सफाई हेतु ठेकेदार को ठेका दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका भुगतान हो गया और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। स्कूल के मैदान पर तीन–चार व्यक्तियों ने झौपड़ियां बना रखी है तथा परकोटे पर बड़ी संख्या में कच्ची बस्ती के रूप में कब्जा कर रखा है। अतिक्रमणकर्ताओं के नाम, पते तथा क्षेत्रफल का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर द्वारा टेलीफोन पर अतिक्रमण की जानकारी चाही गयी थी, सूची तैयार करने हेतु दिनांक 18.4.99 को नगर निगम, कोटा ने मौखिक तौर पर श्री ताहिर इनाम, राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिये थे। निर्देश मौखिक रूप से निगम अधिकारियों ने दिये थे। इसलिए उसकी प्रति सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है।

(3) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 203 के प्रावधानानुसार अतिक्रमण हटाने अथवा 15.8.98 तक कच्ची बस्तियों के ऐसे अतिक्रमणों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के परिपत्र 18.5.99 के अनुसार दोष–गुण के आधार पर कार्यवाही नगर निगम, कोटा के स्तर पर विचाराधीन बताई गई है।

(4) जी हां। गुलाब बाड़ी में नाले की सफाई हेतु ठेकेदार को ठेका दिया गया था। जिसका पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अध्यक्ष, नगरपालिका लाडनूं (जिला नागौर) से वसूली योग्य राशि

48. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगरपालिका, लाडनूं जिला नागौर के अध्यक्ष द्वारा वर्ष 1995 से नगरपालिका कोष के दुरुपयोग के कौन–कौन से मामले सरकार के ध्यान में कब–कब आये तथा कुल कितनी राशि का दुरुपयोग हुआ है ?

(2) उक्त मामलों में सरकार क्या कार्यवाही करेगी तथा वसूली किस प्रकार से किस से कब तक की जाएगी ?

(3) क्या उक्त राशि के दुरुपयोग का आपराधिक मामला भी दर्ज कराया जाएगा ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका, लाडनूं जिला नागौर की अध्यक्षा के विरुद्ध वर्ष 1995 के पश्चात् समय पर बैठकें नहीं बुलाने, अनियमित भुगतान, ट्रेक्टर ट्राली खरीद, डामर सड़क निर्माण में अनियमितता आदि के सम्बन्ध में शिकायतें विभाग को दिनांक 19.12.96, 16.04.97, 21.04.97, 22.07.97, 16.09.97 एवं 19.09.97 को प्राप्त हुई हैं तथा कुल 1.80 लाख रुपये के कार्य कराने में वित्तीय अनियमितता जांच रिपोर्ट में दर्शायी गयी हैं।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) उक्त मामलों में न्यायिक जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। सम्बन्धित अध्यक्ष को अध्यक्ष पद एवं नगरपालिका की संदस्यता से निष्कासित कर 5 वर्ष के लिए नगरपालिका चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य घोषित किया गया है। न्यायिक जांच में व्यक्ति विशेष के विरुद्ध वसूली के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

(3) न्यायिक जांच रिपोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज कराने का उल्लेख नहीं होने के कारण आपराधिक मामला दर्ज नहीं करवाया गया है।

सुभाष नगर, अजमेर से खानुपरा की क्षतिग्रस्त सड़क

49. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1)क्या यह सही है कि सुभाष नगर, अजमेर से खानपुरा तक सड़क क्षतिग्रस्त है ?

(2) क्या नगर परिषद ने इस सड़क के पुनर्निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं ? यदि हां, तो कितनी राशि की और कब तक इस सड़क मार्ग को पूर्ण करवा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उक्त सड़क के पुनर्निर्माण हेतु नगर परिषद, अजमेर द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने के बाद रुपये चार लाख दस हजार दो सौ छप्पन का कार्य आदेश दे दिया गया है। इस राशि के अतिरिक्त रुपये एक लाख तिरेसठ हजार अठानवें की राशि इस कार्य के लिए डामर क्रय पर भी व्यय होगी। यह कार्य दिनांक 30.04.2000 तक पूर्ण हो जाएगा।

अध्यक्ष, नगरपालिका तिजारा द्वारा अनियमितताएं

50. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगरपालिका तिजारा में चेयरमैन श्री कमलेश कुमार सैनी कब से कब तक रहा ? उक्त अवधि में प्रति माह कितने दैनिक कर्मचारियों (सफाई) को भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ सफाई कर्मचारियों का भुगतान पत्र फर्जी बनाया गया एवं उनके हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी भी फर्जी बनाये गये ? क्या उनका वेतन पंजाब व हरियाणा में विभिन्न उद्योगों से भी उठता था ?

(3) उक्त चेयरमैन ने अपने कार्यालय में यात्रा भत्ता कितना उठाया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका, तिजारा में श्री कमलेश

(स्वायत्त शासन मंत्री)

सैनी सितम्बर, 1990 से अगस्त, 1995 तक अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। उक्त अवधि में प्रति माह रखे गये सफाई कर्मचारियों तथा उन्हें किये गये भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त सफाई कर्मचारियों का भुगतान पत्र फर्जी बनाया गया एवं उनके हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी भी फर्जी बनाये गये या नहीं, इसकी जांच करवाई जा रही है। उनका वेतन पंजाब व हरियाणा में विभिन्न उद्योगों से उठने की कोई शिकायत नगरपालिका, तिजारा को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) उक्त चेयरमैन ने अपने कार्यालय में रुपये 21546/– का यात्रा भत्ता उठाया था। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

राज्य के बेरोजगारों को गुमटी आबंटन के मानदण्ड

51. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारों को गुमटी आबंटन करने के आदेश निकाले गये हैं ? यदि हां, तो गुमटी के आबंटन के लिए सरकार के क्या मानदण्ड निर्धारित किये हैं ? आदेश/मानदण्ड/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार कितनी संख्या में बेरोजगारों को गुमटियां आबंटित करने का विचार रखती है ? राज्य के किन–किन जिलों व शहरों में गुमटी आबंटित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? मय विवरण के सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गुमटी आबंटन के लिए जारी आदेश/निर्धारित मापदण्ड/नियम की प्रति संलग्न है।

(2) राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में बेरोजगारों को इक्कीस हजार दो सौ पचास गुमटियां आबंटित करने का विचार रखती है। राज्य के जिन–जिन जिलों एव शहरों में गुमटी आबंटित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, उनका विवरण संलग्न है।

(प्रति/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आवास विकास संस्थान के कर्मियों का समायोजन

52. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आवास विकास संस्थान को भंग करने से पहले वहां कार्यरत कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का निर्णय सरकार ने लिया था ? यदि हां, तो क्या इस निर्णय की पालना कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों व कब कर दी जाएगी ?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(2) उक्त में से अब तक कितने कर्मचारियों को किन–किन विभागों में समायोजित किया गया है और शेष को कब तक समायोजित कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि आवास विकास संस्थान को भंग करने से पहले वहां कार्यरत कर्मचारियों को अन्य विभागों में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय की पालना में 127 डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं तथा 10 अन्य वर्ग के कर्मचारियों कुल 137 पूर्व कर्मचारियों की विभिन्न संस्थाओं को नियुक्ति किये जाने हेतु आबंटित कर दिया गया है। शेष कर्मचारियों की विभिन्न संस्थाओं के रिक्त पदों के अनुसार नियुक्ति हेतु आबंटन आदेश शीघ्र जारी कर दिये जाएंगे।

(2) आवास विकास संस्थान के विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों को निम्नांकित संस्थाओं में नियुक्ति दिये जाने हेतु आबंटित किया गया है :–

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ अभियंता– 23, नगर नियोजक सहायक–1, सहायक प्रोग्रामर–1, कनिष्ठ लिपिक–4 (2) राजस्थान आवासन मण्डल में कनिष्ठ अभियंता–20, स्टेनोग्राफर–4 (3) विभिन्न नगर सुधर न्यासों में कनिष्ठ अभियंता–16 (4) राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग में कनिष्ठ अभियंता–39 (5) पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ अभियंता–29.

बगरू आवासीय योजना के आवेदकों का अन्य योजना में समायोजन

53. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1996 में बगरू आवासीय योजना के नाम से आवेदन पत्र मांगे थे ? उक्त योजना के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ? क्या इस आवासीय योजना के लिए लाटरी निकाल कर आबंटन पत्र जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो आबंटन पत्र जारी न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार के समक्ष इस योजना को निरस्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय लिया जाकर जमा राशि आवेदनकर्ताओं को वापस लौटा दी जाएगी ?

(2) क्या उक्त योजना के आवेदकों को अन्य योजना में समायोजित करने का विचार है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त योजना के लिए कुल 77 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। यह योजना निरस्त होने के कारण आबंटन पत्र जारी नहीं किये गये हैं। योजना पूर्व में ही निरस्त की जा चुकी है अतः प्रस्ताव विचाराधीन होने का प्रश्न ही नहीं है। योजना के निरस्तीकरण का निर्णय लिया जा चुका है। इस योजना के आवेदकों

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

में से 18 आवेदकों को उनकी जमा धनराशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित लौटा दी गई है। शेष 59 आवेदकों को भी धनराशि वापस लौटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं। शेष आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने की कार्यवाही की जा रही है।

किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत बकाया किस्तों पर ब्याज की छूट अवधि में वृद्धि

54. **श्री सहदेव शर्मा** (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने किराया क्रय पद्धति के आबंटियों द्वारा मासिक किस्तें समय पर जमा न कराने के कारण देय ब्याज में छूट योजना 2000 चालू की है ? यदि हां, तो क्या इसमें आबंटियों द्वारा बकाया राशि एक मुश्त जमा कराई जानी है ?

(2) क्या यह सही है कि यह योजना दिनांक 31 मार्च, 2000 तक प्रभावी रहेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि हाल में राज्य कर्मचारियों की हुई हड़ताल के कारण वे कर्मचारीगण जो इस योजना में सम्मिलित होना चाहते थे, आर्थिक तंगी से गुजरने के कारण इसका लाभ प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है ?

(4) क्या दिनांक 31 मार्च, 2000 तक सीमित रखी गई इस योजना से इसकी अवधि में अभिवृद्धि नहीं करने की स्थिति में राज्य को अपेक्षाकृत राजस्व की वसूली में कमी सम्भव है ?

(5) क्या राज्य सरकार हड़ताल के कारण उत्पन्न राज्य कर्मियों को आर्थिक तंगी एवं राज्य को होने वाली राजस्व की अधिक प्राप्ति को देखते हुए इस योजना की अवधि में 31 मई, 2000 तक अभिवृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) इस आशय का कोई भी आवेदन पत्र मण्डल को प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) जी नहीं।

(5) संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार छूट की अवधि 31.3.2000 तक निर्धारित की गई है। वर्तमान में समयावधि बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सहायक अभियन्ता, चौमूं द्वारा ली गई वाहन का किराया भुगतान

55. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उप खण्ड

(श्री रमेश खींची)

चौमूं जिला जयपुर ने हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के दौरान माह मार्च, अप्रेल व मई, 1997 में जीन नम्बर आर. जे. आर. 4736 किराये पर ली थी ? यदि हां, तो उक्त जीप किस–किस तिथि को उक्त अभियन्ता के अधीन कार्यरत रही ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जीप के मालिक ने उक्त अधिकारी द्वारा काम में ली गई गाड़ी के 22 दिन का भुगतान प्राप्त करने हेतु कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(3) उक्त भुगतान में अब तक विलम्ब किये जाने के क्या कारण रहे ?

(4) क्या सरकार उक्त भुगतान में हुए विलम्ब के कारणों की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) अब उक्त गाड़ी के भुगतान की राशि रुपये 7,700/– का भुगतान कब तक करा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) जी नहीं।

(3) बजट आबंटन उपलब्ध नहीं होने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ है।

(4) जी नहीं।

(5) भुगतान दिनांक 16.3.2000 को कर दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

तहसील डेगाना (नागौर) के ग्रामों की पेयजल योजना

56. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर में अप्रेल, 1999 से दिसम्बर, 1999 तक विभिन्न जलप्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी राशि के कार्य विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा कितने अपूर्ण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील डेगाना जिला नागौर के ग्राम तामडौली तिलानेश, रामसरी, हिम्मतनगर केरीया, रावां आदि गांवों में आज तक किसी भी योजनान्तर्गत पेयजल का वितरण नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त गांवों की पेयजल की समस्या का निराकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अप्रेल, 1999 से दिसम्बर, 1999 तक विभाग द्वारा रुपये 516.23 लाख की योजनाएं

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

स्वीकृत की गई। स्वीकृत योजनाओं की तहसीलवार सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) इन योजनाओं की नवीनतम स्थिति संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

(3) जी नहीं। ग्राम तामडोली को 10, रामसरी को 10 व तिलानेश को 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव हिम्मत नगर में पाइप लाइन मरम्मत का कार्य चल रहा है तथा वर्तमान में टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

ग्राम केरिया रावां जनता जल योजना के अन्तर्गत लाभान्वित है तथा वर्तमान में मोटर पम्प की खराबी के कारण बन्द है। जनता जल योजनाओं की मरम्मत करवाने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत का है।

(4) जी हां। ग्राम तामडोली, हिम्मतनगर, रामसरी व तिलानेश में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु, संवर्धन प्रस्ताव क्रमशः रुपये 8.00 लाख व 4.03 लाख स्वीकृत है जो क्रियान्विति में हैं।

(सूची/विवरण के लिए परिशिष्ट-6 देखें)

छोटी सेरवा व कसारवाड़ी, विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की लम्बित पेयजल योजना

57. **श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)** :- क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में पेयजल योजना बस्सी व कसारवाडी के लिए अनास नदी से पाइप लाइन द्वारा पानी पहुंचाया जाना था ?

(2) क्या यह भी सही है कि बस्सी गांव के लिए छोटी सेरवा व कसारवाडी के लिए अनास नदी से पाइप लाइन द्वारा पानी पहुंचाया जाना था ?

(3) अब बस्सी व कसारवाडी की पेयजल योजना कब तक चालू करने जनता को पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ये योजनाएं वर्ष 1997 के अन्त में स्वीकृत हुई थी। कार्य प्रगति पर है। योजनाओं के बचे हुए कार्य को पूरा करवाकर दोनों योजनाएं माह अप्रेल के अन्त तक प्रारम्भ कर दी जाएगी।

(2) हां, यह सही है कि बस्सी गांव के लिए छोटी सेरवा से व गांव कसारवाडी के लिए अनास नदी से पाइप लाइन द्वारा पानी पहुंचाया जाना था।

(3) गांव बस्सी व कसारवाडी की पेयजल योजनाओं को माह अप्रेल के अन्त तक चालू करने जनता को पेयजल उपलबध करा दिया जाएगा।

ग्राम टोरडा ब्राह्मणान (कोटपूतली) में टंकी निर्माण

58. **डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली)** :

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार वर्ष 2000 में ग्राम टोरडा ब्राह्मणान (कोटपूतली) जयपुर में टंकी द्वारा पानी उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां। ग्राम टोरडा ब्राह्मणान (कोटपूतली) जयपुर में टंकी द्वारा पानी उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27.9.99 को रुपये 6.79 लाख की पम्प व टैंक योजना स्वीकृत की गई है। उक्त ग्राम में नलकूप का निर्माण किया जा चुका है। बजट की उपलब्धता के अनुसार योजना के शेष कार्य का निर्माण किया जा सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र खानपुर के प्रस्तावित हैण्डपम्प

59. **सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर के किस–किस ग्राम को किस–किस स्कीम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के ग्रामों में आधे से ज्यादा हैण्डपम्प खराब हैं ? यदि हां, तो कौन–कौनसे ? विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करवा दिया जाएगा ?

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी के लिए हैण्डपम्प खुदवाने प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो कितने व कहां–कहां पर तथा उनको कब तक चालू करा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर के 7 गांवों को पाइप्ड, 2 गांवों को क्षेत्रीय एवं 5 गांवों को जनता जल योजना द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शेष 227 गांवों में हैण्डपम्प योजना द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट "1" व "2" संलग्न है।

(2) जी नहीं। क्षेत्र में कुल स्थापित 949 हैण्डपम्पों में से 112 गांवों के 169 हैण्डपम्प मरम्मत योग्य खराब पाये गये हैं। इन हैण्डपम्पों को ठीक करने के लिए अभियान चल रहा है। अभियान का पहला चरण अप्रेल माह में समाप्त कर दिया जाएगा, जिसके तहत मरम्मत योग्य खराब पाये गये सभी हैण्डपम्पों को ठीक कर दिया जाएगा।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 132 हैण्डपम्प लगाये जाने प्रस्तावित हैं। इन हैण्डपम्पों को धन की उपलब्धता के अनुसार लगाया जाएगा। विवरण परिशिष्ट "3" पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम नांगल सिरस (पंचायत समिति आमेर) में खातेदारी भूमि में हैण्डपम्प प्रकरण

60. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति, आमेर (जयपुर) के ग्राम नांगल सिरस में पांचू, झूथा पुत्र नारायण जाट व नाथू पुत्र सीताराम जाट के खातेदारी भूमि के खेत में पानी के बड़े हौद के पास 8 इंच पाइप का 280 फुट गहरा हैण्डपम्प लगाने का क्या औचित्य रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति, आमेर (जयपुर) के ग्राम नांगल में प्रभात पुत्र चूनाराम जाट व रघुनाथ पुत्र भैरूं जाट की खातेदारी भूमि के खेत में 8 इंच पाइप का 280 फुट गहरे दिखावे में हैण्डपम्प लगाने का क्या औचित्य है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त हैण्डपम्प उक्त व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने हेतु लगाये गये हैं ? क्या सरकार इनकी जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? उक्त प्रकरण में दोषी कौन–कौन अधिकारी/सरपंच हैं और अब इनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम नांगल सिरस की ढाणी में क्रमशः पांचू पुत्र नारायण व गंगाराम पुत्र रामकुमार को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु दोनों ढाणियों को मुख्य ग्राम से जोड़ने वाले मार्ग के मोड़ पर हैण्डपम्प स्थापित किया गया है।

(2) ग्राम नांगल, सिरस की ढाणियों में क्रमशः नीठारवाली, सेडू पुत्र दयाल, कालू पुत्र नाथू, रामू पुत्र मुरली, काना पुत्र गंगाराम, धन्ना पुत्र बालूराम कुल छह ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु छह ढाणियों के मध्य में पगडण्डी पर हैण्डपम्प स्थापित किया गया है।

(3) जी नहीं।

जिला नागौर में इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल आपूर्ति

61. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर में पीने का पानी इन्दिरा गांधी नहर से लाये जाने की योजना है ? यदि हां, तो कौन–कौन से क्षेत्र में कब तक ? योजना की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना इस समय किस स्तर पर विचाराधीन है जिस पर कितनी राशि व्यय होगी तथा किस–किस क्षेत्र के कौन–कौन से गांव लाभान्वित होंगे और कब तक इस योजना का पानी मिल सकेगा ? जिस पर कितनी राशि व्यय होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्तानुसार।

मांगरोल (बारां) की विचाराधीन नल योजना

62. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल जिला बारां में नल योजना के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उक्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा अब तक क्या–क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना को स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। शहरी जल योजना मांगरोल जिला बारां की जल योजना रुपये 208.00 लाख की त्वरित शहरी जल योजना प्रोग्राम के तहत वर्ष 1998–99 से विचाराधीन है।

(2) योजना की स्वीकृति से पूर्व वांछित जल उत्पादन क्षमता के स्रोत स्थल चिन्हित करने हेतु दो कम गहराई के नलकूप स्वीकृत कर खुदवाये गये हैं, जिनको शीघ्र चालू किया जा रहा है।

(3) नवनिर्मित नलकूपों की जल उत्पादन क्षमता का आकलन पूर्ण होने पर योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाने की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

ब्यावर शहर में पानी के खराब मीटर

63. **डा. के. सी. चौधरी** (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ब्यावर शहर में वर्तमान में कितने पानी के कनेक्शन हैं ? इनमें से कितने कनेक्शनों पर मीटर लगे हुए हैं और कितने मीटर खराब पड़े हुए हैं ? सरकार को मीटर नहीं लगे होने से राजस्व वसूली में कितनी हानि प्रतिमाह हो रही है ?

(2) क्या सरकार ब्यावर शहर के प्रत्येक उपभोक्ता के कनेक्शन पर पानी के मीटर लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ब्यावर शहर में वर्तमान में 17515 पानी के कनेक्शन हैं जिनमें से 2715 कनेक्शन पर मीटर लगे हुए हैं। वर्तमान में खराब मीटरों की संख्या 395 हैं। वर्तमान में नये कनेक्शन मीटर द्वारा ही किये जा रहे हैं। फ्लेट रेट जल सम्बन्धों से कोई राजस्व हानि नहीं है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) पुराने फ्लेट रेट जल सम्बन्धों पर उपभोक्ताओं द्वारा मीटर लगाये जाएंगे।

पंचायत समिति बामनवास (सवाईमाधोपुर) की बन्द क्षेत्रीय जल योजनाएं

64. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति बामनवास में कौन–कौन सी क्षेत्रीय जल योजना एवं पम्प एण्ड टैंक की योजनाएं कार्यरत हैं और उनसे कौन–कौन गांव लाभान्वित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बानौर रीजनल स्कीम से करीबन 18 गांव कमीशन्ड हैं ? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय हुई और अब इस योजना से किस–किस गांव को पानी मिल रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि रामसिंहपुरा, राधे की झाडोली, रानीला, बडीला, सराय, बंधावत आदि गांवों में भूमिगत जलाशय निर्मित हैं किन्तु गत एक वर्ष से इसमें पानी ही नहीं पहुंचा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गर्मियों में जनता को पानी उपलब्ध करा देगी ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। क्षेत्रीय योजना बानौर से 17 ग्राम कमीशन्ड हैं। इस योजना पर 46.93 लाख रुपये का खर्चा हुआ है। योजना पर विद्युत की कमी के कारण वर्तमान में निम्न ग्रामों को ही पानी मिल रहा है– बानोर, टोडा, कीरतपुरा, श्यामपुरा, दांतासूती, झाडोली, बाढ झाडोली एवं शफीपुरा।

(3) जी हां। ग्राम रामसिंहपुरा, राधे की झाडोली, रानीला, बडीला, सराय, बंधावत में भूतल जलाशय निर्मित हैं। ग्राम रामसिंहपुरा के भूतल जलाशय में वर्ष 1999 की गर्मियों में पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। ग्रामवासियों की मांग पर ग्राम राधे की झाडोली के तालाब में निर्मित कुओं का पाइप लाइन से पानी छोड़कर चार्ज कर वर्ष 1999 की गर्मियों में पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। रामसिंहपुरा, राधे की झाडोली, रानीला, बडीला, सराय, बंधावत आदि गांवों में पेयजल उपलब्धता, जल स्रोत पर नियमित एवं डिजाइन अनुसार विद्युत प्राप्त न होने पर प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है, यह अन्तिम छोर के गांव हैं इन गांवों के संवर्धन प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। स्वीकृति पश्चात् निर्माण कार्यो को पूर्ण कर नियमित तौर पर पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

पंचायत समिति बामनवास(सवाई माधोपुर) के ग्रामों में भूमिगत जलाशयों से जलापूर्ति

65. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) :

(डा. किरोड़ी लाल)

क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कोहली प्रेमपुरा, सीतापुरा, रामनगर, दोसी, खेडली, पंचायत समिति बामनवास में भूमिगत जलाशय बने हुए हैं ? यदि हां, तो उनसे पीने का पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

(2) कोहली प्रेमपुरा की पाइप लाइन कब डाली गई थी तथा भूमिगत जलाशय कब एवं कहां पर किस क्षमता का बना रखा है और इसे कब–कब भरा जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कोहली प्रेमपुरा ने दिनांक 3 मार्च, 2000 को प्रस्ताव सं. 5 दिनांक 3 मार्च, 2000 को लेकर जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर एवं सम्बन्धित अधिकारियों को पेयजल की विकराल समस्या के समाधान हेतु पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम खेडली, सीतापुरा, कोहली प्रेमपुरा, रामनगर, दोसी में भूतल जलाशय निर्मित हैं। ग्रामवासियों की मांग पर ग्राम सीतापुरा में सार्वजनिक नलों से पानी दिया जा रहा है। ग्राम कोहली प्रेमपुरा, रामनगर, दोसी में भूतल जलाशय क्षेत्रीय जल योजना रामपुरा, रामनगर, दोसी के अन्तर्गत वर्ष 1998–99 में बनाये गये हैं। स्रोत पर विद्युत सम्बन्ध नहीं मिलने के कारण चालू नहीं किये गये हैं।

(2) कोहली प्रेमपुरा की पाइप लाइन वर्ष 1998–99 में डाली गई है। भूतल जलाशय का निर्माण वर्ष 1998 में प्रा. विद्यालय के पास 40 किलो लीटर क्षमता का बनया गया है। क्षेत्रीय योजना रामपुरा, रामनगर, दोसी पूर्ण होने पर इसे भरा जा सकेगा।

(3) जी हां। पत्र की प्रति संलग्न है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में अवैध खनन

66. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में चाइना क्ले खनन हेतु कितने सब माइंस आबंटित किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पट्टाधारी खनिज विभाग के आदेश के तहत नियमानुसार खनन कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो प्रतिदिन कितना टन चाइना क्ले निकाला जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि माइंस होल्डर द्वारा अवैध/नियम विरुद्ध खनन कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जैतारण में चाइना क्ले के खनन हेतु कोई "सब माइंस"

(राज्य मंत्री, खनिज)

आबंटित नहीं किये गये हैं, लेकिन इस क्षेत्र में खनिज चाइना क्ले के खनन के लिए तीन खनन पट्टे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां। तीनों खनन पट्टों में खनन कार्य नियमानुसार स्वीकृत खनन क्षेत्रों में ही किया गया है। दो खनन पट्टों में खनन कार्य असुरक्षित ढंग से भूमिगत विधि से किया जा रहा है, इसे बन्द करवाने के आदेश सहायक खनि अभियन्ता, सोजत द्वारा दिनांक 4.6.99 से दिये गये थे कि ओपन–कास्ट विधि से कार्य कराया जाए। ऐसी स्थिति में वर्तमान में पिट विकसित किये जाने की कार्यवाही के कारण उत्पादन नहीं हो रहा है इसलिए खनिज चाइना क्ले का वर्तमान में उत्पादन नहीं हो रहा है। क्रम संख्या 3 के खनन पट्टे में खनन कार्य बन्द है।

(3) जी नहीं। किसी माइंस होल्डर द्वारा अवैध खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। जो भी खनन कार्य हो रहा है वह स्वीकृत खनन क्षेत्रों में ही हो रहा है परन्तु सूची में अंकित खनन पट्टा संख्या 1 व 2 में भूमिगत खनन कार्य किया गया था उसे विभाग द्वारा असुरक्षित होने के कारण बन्द कराके ओपन–कास्ट विधि से खनन कार्य करने का आदेश दिया था और एक पट्टाधारी श्री श्याम सोनी द्वारा ओपन–कास्ट विधि से खनन कार्य करने हेतु पिट विकसित किये जा रहे हैं। दूसरे को भूमिगत कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जिला नागौर में चोरी की वारदातों में वृद्धि

67. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अप्रेल, 1999 से दिसम्बर, 1999 तक जिला नागौर में कुल कितने मुकदमें किस–किस किस्म के विभिन्न थानों में दर्ज किये गये ? संख्या सूची थानेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त जिले में चोरी, नकबजनी एवं डकैती के कुल कितने मुकदमें दर्ज किये गये, इनमें से कितने मुकदमों में चालान किया गया तथा कितने मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि अधिकांश चोरी के प्रकरण नहीं खुले तथा चोर बेरोक–टोक घूम रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार चोरी के प्रकरणें को खोल कर चोरों को दंडित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 01 अप्रेल, 1999 से दिसम्बर, 1999 तक नागौर जिले में विभिन्न थानों में कुल 4126 अभियोग पंजीबद्ध हुए। थानेवार, शीर्षकवार दर्ज अभियोगों की संख्या सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त अवधि के दौरान नागौर जिले में चोरी के कुल 254 अभियोग पंजीबद्ध हुए जिनमें से 57 अभियोगों में चालान, 50

(गृह मंत्री)

अभियोगों में एफ. आर. अदमवकू, 143 अभियोगों में एफ. आर. अदमपता तथा 4 अभियोग अभी अन्वेषणाधीन हैं। इसी प्रकार नकबजनी के कुल 147 अभियोग पंजीबद्ध हुए जिनमें से 38 अभियोगों में चालान, 14 अभियोगों में एफ. आर. अदमवकू एवं 93 अभियोगों में एफ. आर. अदमपता, 2 अभियोग अभी अन्वेषणाधीन हैं। डकैती का कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुआ।

(3) यह सही नहीं है। उपरोक्त अवधि के दौरान चोरी के कुल 57 अभियोगों में चोरी का माल बरामद कर विभिन्न अभियुक्तों के विरुद्ध चालान पेश किया गया। चोरी की वारदात की रोकथाम के लिए रात्रि गश्त एवं नाकाबन्दी की जा रही है तथा चोरी के जो प्रकरण एफ. आर. अदमपता माल मुलजिम रहे हैं उन प्रकरणों में माल मुलजिम की पतारसी, पूछताछ एवं अनुसंधान जारी रखने एवं सफलता अर्जित किये जाने के लिए पुलिस अधीक्षक, जिला नागौर द्वारा सम्बन्धित थानाधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

अजमेर का अंकित हत्याकाण्ड

68. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या अक्टूबर, 1999 में अजमेर शहर निवासी चन्द्रप्रकाश बंसल के चार वर्षीय पुत्र अंकित का अपहरण कर हत्या की गई थी ? यदि हां, तो हत्या कब और कहां कैसे की गई तथा लाश कहां और किस हालत में मिली ?

(2) क्या अंकित के हत्यारों को पकड़ लिया गया ? यदि हां, तो कब ? उनके नाम व पते का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अंकित के हत्यारों से प्राप्त जानकारी व पुलिस अनुसंधान के आधार पर अंकित की हत्या कैसे और क्यों की गई ? यदि हत्यारे नहीं पकड़े तो क्यों ? क्या पुलिस ने इतने लम्बे समय बाद भी हत्यारों का पता नहीं लगाया ?

(4) हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने क्या–क्या प्रयास किये ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री अंकित पुत्र चन्द्र प्रकाश बंसल, निवासी 253/15, भाटागुवाडी पुरानी मण्डी, अजमेर की हत्या दिनांक 4.10.99 को हैप्पी मोंटेसरी स्कूल, घी मण्डी, अजमेर से अपहरण कर आनासागर लिंक रोड पर खाली पड़े प्लाट में बनी बिना दरवाजे की ईंटों की कोटरी में ले जाकर मृतक के स्कूल बैग की डोरी से गला घोंट कर की गई। मृतक की लाश आनासागर रोड पर खाली प्लाट में बनी हुई बिना दरवाजे की ईंटों की कोटरी में पड़ी मिली।

(2) जी हां। अभियुक्तगण (1) हेमन्त सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति राजपूत, आयु 19 वर्ष, निवासी भाटागुवाडी, पुरानी मण्डी, अजमेर व (2) कैलाश चन्द्र पुत्र नारायण बंसल जाति

(गृह मंत्री)

अग्रवाल, आयु 28 वर्ष, निवासी बंसल भवन, आटागुवाडी, पुरानी मण्डी, अजमेर को दिनांक 21.1.2000 को पुलिस थाना सदर कोतवाली, अजमेर द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है।

(3) मृतक अंकित की हत्या उसके स्कूल बैग की डोरी से गला घोंटकर की गई। अभियुक्त कैलाश बंसल मृतक का सगा चाचा है उसने मृतक के पिता चन्द्रप्रकाश से पारिवारिक सम्पत्ति के बंटवारे के विवाद से आपसी रंजिश के कारण हत्या की।

(4) अभियोग पंजीबद्ध होने के पश्चात् एक विशेष अनुसंधान दल गठित कर अनेक स्थानों पर तलाश की गई एवं गोपनीय जानकारी की गई। अनुसंधान से मृतक के पिता व उसके चाचा में सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद होना ज्ञात हुआ, इस पर मृतक के चाचा कैलाश बंसल से तफ्तीश की गई तो उसने अभियुक्त हेमन्त सिंह को पैसे देकर बालक अंकित को स्कूल से मंगवाना एवं उसकी हत्या करना स्वीकार किया।

थाना आहोर (जालौर) में दर्ज प्रकरणों की जांच

69. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जालौर के पुलिस थाना आहोर में दिनांक 1 जनवरी, 1999 से 29 फरवरी, 2000 तक कुल कितने मुकदमें दर्ज हुए ?

(2) उक्त मुकदमे किस–किस कानून की किस–किस धारा के अन्तर्गत किस–किस के द्वारा किस–किस के विरुद्ध दर्ज करवाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किस मुकदमे में अन्तिम रिपोर्ट लगी व किस–किस में चालान पेश हुआ व किस–किस मुकदमे में अभी जांच विचाराधीन है।

(4) जिन मुकदमों में जांच चल रही हैं उनमें विलम्ब के क्या कारण हैं और जांच पूर्ण होकर कब तक चालान पेश हो जाएगा ?

उत्तर

(1) जिला जालौर के पुलिस थाना आहोर में दिनांक 1 जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 तक विभिन्न प्रकार के कुल 355 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं।

(2) पूर्ण सूचना परिशिष्ट "क", "ख", "ग" में संलग्न है।

(3) थाना आहोर में 1 जनवरी, 1999 से 29 फरवरी, 2000 तक पंजीबद्ध कुल 355 अभियोगों में से 204 में चालान, 131 में अन्तिम रिपोर्ट एवं 20 अभियोग अभी अनुसंधानाधीन पुलिस हैं। अभियोगवार सूचना परिशिष्ट "क", "ख", "ग" में अंकित है।

(4) अनुसंधानाधीन (पेंडिंग) अभियोगों के पेंडिंग रहने की, कारण सहित, सूचना परिशिष्ट "ग" में अंकित है। इन कारणों की पूर्ति के साथ–साथ आगामी कार्यवाही की जा रही है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

थाना देसूरी (पाली) में दर्ज प्रकरण संख्या-5/2000

70. **श्री कुबेर सिंह (फलासिया)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि थाना प्रभारी देसूरी (पाली) ने अभियुक्त से सांठ–गांठ कर दिनांक 26.10.99 को श्रीमती हंजा भील के साथ हुए बलात्कार कांड का मुकदमा दर्ज करने की बजाय मात्र धारा 151 सी. आर. पी. सी. की ही कार्यवाही की है ? क्या ऐसी कार्यवाही क्रमांक 46 दिनांक 27.10.99 को की है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पीड़ित महिला द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, जोधपुर के समक्ष सपरिवार पेश होने पर थाना देसूरी में मुकदमा नम्बर 5/2000 अन्तर्गत धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुआ ? उक्त प्रकरण से सम्बन्धित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस चौकी घाणेराव के प्रभारी हैड कांस्टेबल कालू राम को निलम्बित कर दिया गया है ? क्या थाना प्रभारी देसूरी को आजतक निलम्बित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? जांच रिपोर्ट मय निलम्बन आदेश नोटिस 17 सी. सी. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त थाना प्रभारी देसूरी (पाली) के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर उसे हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि थाना प्रभारी देसूरी ने अभियुक्त श्री प्रकाश शर्मा से सांठ–गांठ करके दिनांक 26.10.99 को श्रीमती हंजा भील के साथ हुए बलात्कार का मुकदमा दर्ज करने की बजाय मात्र धारा 151 सी. आर. पी. सी. की कार्यवाही की है क्योंकि उस दिन रात्रि को बस स्टैण्ड देसूरी की सराय में सो रहे यात्रियों के साथ प्रकाश शर्मा शराब के नशे में धुत होकर गाली–गलौच कर रहा था। कानि. पेमाराम एवं कानि. लक्ष्मणराम रात्रि गश्त करते हुए जब वहां पहुंचे तो उनके द्वारा मना करने एवं समझाने के उपरान्त भी प्रकाश नहीं माना, गाली–गलौच, पत्थरबाजी करने पर उक्त दोनों कांस्टेबलों द्वारा उसे थाने पर लाया जाकर धारा 151 जा. फो. में गिरफ्तार किया गया था तथा प्रकाश के विरुद्ध परिवाद अन्तर्गत धारा 151 सी. आर. पी. सी. न्यायालय में जरिये क्रमांक 46 दिनांक 27.10.99 के प्रेषित किया गया। श्रीमती हंजा भील के साथ बलात्कार करने की बात उस समय नहीं बताने के कारण बलात्कार का अभियोग दर्ज नहीं किया गया था।

(2) जी हां। यह सत्य है कि श्रीमती हंजा भील पत्नी पूनाराम भील दिनांक 8.1.2000 को उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज जोधपुर के समक्ष पेश हुई थी। उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज जोधपुर के

(गृह मंत्री)

आदेशानुसार अभियोग संख्या 5/2000 अन्तर्गत धारा 376 भादस एवं 3 (1)(11) एस.सी./एस.टी. एक्ट मे पंजीबद्ध किया गया था।

(3) जी हां। यह सत्य है कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस चौकी घाणे राव के तत्कालीन प्रभारी हैड कानि. कालूराम एवं कानि. गजराज सिंह को दिनांक 17.1.2000 को निलम्बित कर दिया गया है। थाना प्रभारी देसूरी को निलम्बित नहीं किया गया है क्योंकि उसके विरुद्ध जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। जांच रिपोर्ट, निलम्बन आदेश व नोटिस 17 सी.सी.ए. की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट "अ", "ब" एवं "स" पर संलग्न है।

(4) थाना प्रभारी देसूरी के विरुद्ध जांच रिपोर्ट से किसी प्रकार का कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः उसे हटाने का कोई आधार नहीं है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

खानपुरा (बूंदी) के दैनिक वेतन कर्मियों को भुगतान प्रकरण

71. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा दैनिक मजदूरों की मजदूरी की दर तय की हुई है ? यदि हां, तो वन विभाग में किस दर से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है ?

(2) जिला बून्दी में खानपुरा के प्लांटेशन "बी" पर फरवरी, 1999 से अगस्त, 1999 तक कितने मजदूरों ने कार्य किया तथा उनको किस दर से भुगतान किया ?

(3) क्या दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 को मजदूरों को उक्त भुगतान के लिए धरने पर बैठना पड़ा ? उक्त मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन क्यों दिया जा रहा था ? भुगतान करते समय न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन देने को क्यों कहा गया ? यदि कार्य कम हो रहा था तो पूर्व में ही मजदूरों को क्यों नहीं बताया गया ? अब पूर्ण भुगतान न्यूनतम मजदूरी से कब तक कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वन विभाग द्वारा श्रमिकों को दैनिक मजदूरी पर नहीं लगाया जाता है। वन विभाग में कार्य पीस रेट कांट्रेक्ट एवं पीस रेट पद्धति द्वारा कराये जाते हैं जिसमें श्रमिकों को कार्य पर लगाने, उनसे कार्य लेने, प्रत्येक श्रमिक द्वारा किये गये कार्य का लेखा जोखा रखने तथा किये गये कार्य का निर्धारित दरों पर भुगतान करने का दायित्व पीस रेट कांट्रेक्टर/गैंग मुखिया का होता है।

(2) जिला बून्दी के खानपुरा "बी" वृक्षारोपण में फरवरी, 1999 से अगस्त, 1999 के दौरान कार्य का संपादन स्थानीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति द्वारा स्थानीय श्रमिकों को कार्य

(राज्य मंत्री, वन)

पर लगाकर कराया गया था। इस दौरान समिति ने बाड़बन्दी हेतु खाई खुदवाने, खड्डे कन्टूर ट्रेन्चेस खुदवाने, बीज बुवाई करने पौधरोपण करने, थॉवले बनाने तथा पौधों को पानी पिलाने का कार्य कराया था। 1.12.98 से 31.8.99 के मध्य करवाये गये कार्यों के लिए समिति को विभाग ने 4,12,639.50 रुपये का भुगतान किया था। समिति ने प्रत्येक श्रमिक द्वारा किये गये कार्य के आधार पर निर्धारित दर अनुसार श्रमिकों को भुगतान किया गया। प्रत्येक श्रमिक को उसके द्वारा किये गये कार्य के अनुरूप राशि प्राप्त हुई।

(3) समिति के द्वारा श्रमिकों को समय पर भुगतान न दिये जाने से श्रमिक धरने पर बैठे थे। तहसीलदार, नैनवां एवं सहायक वन संरक्षक के समक्ष समिति से श्रमिकों को उनके द्वारा किये गये कार्य के आधार पर भुगतान कराया गया, श्रमिकों को कार्य पर टास्क आधार पर लगाया गया था तथा उनके द्वारा किये गये कार्य के अनुरूप भुगतान किया जा चुका है। अतः अब अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होता है।

वन विभाग बारां में अनियमितताएं

72. **श्री प्रभूलाल करसोल्या** (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बारां में वन विभाग में हुए घोटाले के सम्बन्ध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी पुलिस स्टेशन पर दिनांक 1 अगस्त, 1998 के बाद दर्ज हुई है ? यदि हां, तो दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मामले की जांच पुलिस ने पूर्ण कर ली है ? यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(3) उक्त घोटाला कैसे उजागर हुआ ?

(4) क्या पुलिस ने चालान पेश किया या किसी को गिरफ्तार किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया है।

(3) कोष कार्यालय से आय के चालानों का मिलान करने पर तेंदू पत्ता आय की राशि 25,46,667/—रुपये का चालान फर्जी पाये जाने के उपरानत कार्यालय का रिकार्ड चैक करने तथा व्यापारियों से पूछताछ करने पर यह घोटाला प्रकाश में आया।

(4) पुलिस द्वारा न्यायालय में दिनांक 24.5.99, 5.4.99 एवं 9.4.99 को चालान पेश कर दिया गया। श्री सुरेश चन्द्र जैन को माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायालय, बारां एवं उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा अग्रिम

(राज्य मंत्री, वन)

जमानत पर छोड़ा गया।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बांसवाड़ा के भूमिहीनों को वन भूमि पर अतिक्रमण का नियमन

73. **श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)** : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1980 के पूर्व वन विभाग की भूमि पर भूमिहीन काश्तकारों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं ? यदि हां, तो किस–किस रेंज में कितने–कितने ? सूची नामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1980 के पूर्व वन विभाग की भूमि पर भूमिहीन काश्तकारों ने मौके पर मकान, कुआ, वृक्ष आदि लगा लिये हैं ? क्या उक्त इन्द्राज वन विभाग द्वारा रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया है ? क्या सरकार ऐसे केस की मौके पर जांच कराकर भूमिहीनों को उक्त भूमि आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1980 से पूर्व भूमिहीन आदिवासी अतिक्रमणों के प्रकरणों का रेंजवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	नाम रेंज	प्रकरणों की संख्या
1.	बांसवाड़ा	639
2.	बागीदौरा	481
3.	डूंगरा	227
4.	गढ़ी	127
5.	घाटोल	157
6.	पीपलखूंट	336
7.	कुशलगढ़	343
	योग	2310

नामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। ऐसे समस्त अवैध कब्जों के प्रकरण रिकार्ड में दर्ज हैं। आदिवासी भूमिहीन अतिक्रमियों के 1980 से पूर्व के नियमन योग्य प्रकरणों के प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रेषित कर दिये गये हैं। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होना अपेक्षित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

वन विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों को चयनित वेतनमान

74. **सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर)** : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग में

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

कार्यरत कर्मचारियों को 9, 18, 27 के चयनित वेतनमानों का लाभ दिया जाता है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों को यह लाभ दिया जाता है ? यदि हां, तो अब तक कितने आशुलिपिकों को यह लाभ दिया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या किसी आशुलिपिक कर्मचारी ने यह चयनित वेतनमान प्राप्त करने के लिए सरकार को कोई पत्र/परिवेदना दी है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या उक्त कर्मचारी द्वारा मय सम्बन्धित दस्तावेज/नियमों के विभाग को देने के उपरान्त भी अभी तक उसे चयनित वेतनमानों का लाभ नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक यह लाभ दे दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां। चयनित वेतनमान स्वीकृति सम्बन्धी राज्यादेशों की प्रतियां (परिशिष्ट "अ" व "ब") सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) जी हां। अब तक विभाग में 37 आशुलिपिकों को चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है। विवरण (परिशिष्ट "स") सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। एक आशुलिपिक श्री अशोक कुमार शर्मा ने उनके राजस्थान लोक सेवा आयोग से आशुलिपिक के रूप में चयनित होने से पूर्व में न्यायालय के अधीन की गई सेवा की गणना 9 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृति हेतु करने का आवेदन किया है।

(4) राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 1990 में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक कर्मी सेवा नियम, 1957 के अन्तर्गत आयोजित आशुलिपिक परीक्षा श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा उत्तीर्ण किये जाने पर कार्मिक विभाग ने 15.12.92 को इनको वन विभाग को आबंटित किया। जिसकी पालना में कर्मचारी ने दिनांक 20.1.93 को वन विभाग में आशुलिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर उपस्थिति दी। उक्त कर्मचारी पूर्व में न्यायिक सेवा में आशुलिपिक के पद पर नियमित रूप से नियुक्त नहीं था एवं वन विभाग में 20.1.93 से आशुलिपिक के पद पर नियमित रूप से नियुक्त हुआ अतः चयनित वेतनमान की गणना नियमित नियुक्ति पर वन विभाग में उपस्थिति की तिथि से की जानी है। उक्त कार्मिक द्वारा न्यायिक सेवा में तदर्थ आधार पर की गई सेवा अवधि चयनित वेतनमान की स्वीकृति हेतु गणना किये जाने योग्य नही हैं। दिनांक 20.1.2002 को 9 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान देय होगा।

(प्रतियां/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम तलवाड़ा (बांसवाड़ा) में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

75. **श्री भाणजी** (दानपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दानपुर के ग्राम तलवाडा जिला बांसवाड़ा में वन विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे चल रहे हैं ?

(2) राज्य सरकार ने अनाधिकृत कब्जे हटाने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर के ग्राम तलवाडा में आयी वन भूमि पर 10 लोगों ने कब्जे कर रखे हैं।

(2) वन खण्ड फाटीखान में किये गये 10 अतिक्रमणों में से 6 आदिवासी अतिक्रमियों के कब्जे 1980 से पूर्व के होने से नियमन हेतु भारत सरकार को भेजे गये हैं। अवशेष 4 कब्जे वर्ष 1980 के बाद के तथा नियमन योग्य न होने से उक्त प्रकरणों में न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत बेदखली के आदेश जारी किये गये हैं। अतिक्रमणियों द्वारा इन बेदखली आदेशों के विरुद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा में अपील कर रखी है जो उक्त न्यायालय में विचाराधीन है।

जिला भीलवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें

76. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला भीलवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितनी राशन की दुकानें हैं ? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के ग्रामीण क्षेत्र में डीलर कौन–कौन हैं ?

(3) उक्त दुकानों पर प्रतिमाह क्या–क्या माल जाता है ?

(4) उक्त जिले में किन–किन दुकानदारों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 529 उचित मूल्य की दुकानें हैं। तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जो–जो डीलर हैं उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) उक्त दुकानों पर प्रतिमाह चीनी, गेहूं, केरोसीन तेल वितरित कराया जाता है।

(4) उक्त जिले में जिन–जिन दुकानदारों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई एवं इन पर जो

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

कार्यवाही की गई है, का विवरण संलग्न है।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

खाद्य विभाग की विचाराधीन रिट याचिकाएं

77. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में उच्चतम न्यायालय, दिल्ली तथा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर में खाद्य विभाग से सम्बन्धित किस विषय की कितनी रिट याचिकाएं किस स्तर पर विचाराधीन है ? उक्त प्रकरणों के लम्बित रहने के क्या कारण रहे तथा सरकार ने लम्बित प्रकरण के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या खाद्य सचिव की अध्यक्षता में कभी कोई बैठक में उक्त लम्बित प्रकरणों में विचार विमर्श हुआ है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ? तीन वर्षों से अधिक अंवधि में विचाराधीन वाले प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से सम्बन्धित कुल 279 रिट याचिकाएं विचाराधीन हैं। जो उपभोक्त संरक्षण अधिनियम की 32, आवश्यक वस्तु अधिनियम की 193, बैरल पाइंट 12, लोक सेवकों 6 तथा सेवा से सम्बन्धित 36 है। उक्त सभी प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें न्यायालय द्वारा सुनवाई की जानी है। लम्बित प्रकरणों में न्यायालय में सुनवाई शुरू होने पर विभाग द्वारा अभिभाषक के माध्यम से विभागीय पक्ष रखा जाता है।

(2) खाद्य सचिव की अध्यक्षता में लम्बित प्रकरणों में विचार–विमर्श हेतु हर माह में समीक्षा की जाती है, जिसमें विचाराधीन प्रकरणों की स्थिति के विषय में विचार–विमर्श किया जाकर आवश्यक निर्देश सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को दिये जाते हैं। गत तीन वर्षो से अधिक वाले विचाराधीन प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

जिला भीलवाड़ा के ग्रामों में ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना

78. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के गंगापुर में ए. डी. जे. कोर्ट तथा रायपुर में मुन्सिफ कोर्ट खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के लोगों एव जनप्रतिनिधियों ने उक्त दोनों कोर्ट खोलने के लिए राज्य सरकार को ज्ञापन भी भिजवाये थे ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई।

उत्तर

(1) राज्य में नवीन न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार अपनी अनुशंषा/प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय को परामर्श हेतु प्रेषित करती है। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा शहर गंगापुर जिला भीलवाड़ा में ए. डी. जे. कोर्ट खोलने हेतु विधि विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को दिनांक 26.4.99 को पत्र लिख दिया गया है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने ए. डी. जे. कोर्ट खोलने के मामले में अपने निर्णय से राज्य सरकार को अवगत नहीं कराया है। माननीय उच्च न्यायालय ने रायपुर में मुन्सिफ कोर्ट इस क्षेत्र के प्रकरणों की संख्या मानदण्ड से कम होने के कारण अपने पत्र क्रमांक सामान्य/11/35/88/1383 दिनांक 27.11.97 द्वारा मना कर दिया है।

(2) श्री के. एल. खाटोड़, प्रधान, पंचायत समिति रायपुर ने दिनांक 23.8.97 को मुख्य सचिव, राजस्थान राज्य सरकार को पत्र लिखा। श्री रामपाल उपाध्याय, संसद सदस्य, लोक सभा ने दिनांक 13.4.99 को माननीय विधि मंत्री महोदय को गंगापुर में ए. डी. जे. कोर्ट स्थापना के लिए पत्र लिखा। इन जनप्रतिनिधियों के प्रतिवेदन पर उपरोक्त पत्र विधि विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को निवेदन किया गया। प्रश्न प्राप्त होने के पश्चात् एक और पत्र माननीय उच्च न्यायालय को भेज दिया गया व निवेदन किया गया है कि शीघ्र निर्णय लेकर सूचित करें।

ग्राम जसवन्तगढ़ (नागौर) के पंचायत चुनावों में हुई अनियमितताएं

79. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अभी हाल ही में सम्पन्न हुए चुनावों में ग्राम पंचायत जसवन्तगढ़, पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर में नियुक्त अधिकारी द्वारा चुनाव में कई अनियमितताएं की गई हैं ? यदि हां, तो क्या–क्या तथा किस अधिकारी द्वारा ?

(2) क्या उक्त चुनाव में अधिकारी द्वारा नोमीनेशन पर्चा गलत रूप से खारिज करने की शिकायत प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह सही है कि नियमानुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के अन्तिम दिन को 3 बजे चुनाव चिन्ह आबंटित करने चाहिए थे ? यदि हां, तो इस पंचायत के चुनाव में चुनाव अधिकारी ने उस दिवस को 3 बजे दिन के बजाय रात्रि में चुनाव चिन्ह आबंटित किये ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) चुनाव चिन्ह आबंटित करने का समय

(चुनाव मंत्री)

3 बजे के बाद का है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा समय पर ही चुनाव चिन्ह आवंटित किये हैं।

वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर के दैनिक/वर्कचार्ज कर्मियों का नियमितिकरण

80. **श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर एवं पंजीकृत संस्था है ? यदि हां, तो उक्त संस्था का पंजीकरण कब एवं किन उद्देश्यों को लेकर हुआ था ? पंजीकरण की प्रति सहित संस्था के बाईलाज एवं आम सभा के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्था में कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारी कब–कब से किस–किस पद पर कार्यरत हैं एवं उनके चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है ?

(3) वर्तमान में उक्त संस्था की प्रबन्ध समिति में कौन पदाधिकारी हैं ? पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त संस्था में कुछ ऐसे भी दैनिक/वर्कचार्ज कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्हें अभी तक भी नियमित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कौन–कौन एवं कब–कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संस्था का पंजीयन इंडियन सोसाइटीज एक्ट, 1860 के अन्तर्गत क्रमांक 54/1950–51 पर दिनांक 16.3.51 को हुआ। (पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत बाइलॉज की प्रति क्रमशः परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है) उक्त संस्था के नाम में परिवर्तन किया जाकर "वनस्थली विद्यापीठ" के नाम से पंजीयन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत दिनांक 30.5.67 को किया गया। (पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत बाइलॉज की प्रति क्रमशः परिशिष्ट "स" व "द" पर संलग्न है) संस्था के उद्देश्य, पंजीकृत बाइलॉज (परिशिष्ट "ब" एवं "द") के नियम–3 पर उपलब्ध हैं। संस्था की सदस्यता सम्बन्धी प्रावधान पंजीकृत बाइलॉज (परिशिष्ट "द") के नियम–5 पर उपलब्ध हैं।

(2) संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 की धारा–4 एवं 4–क के अन्तर्गत संस्था द्वारा रजिस्ट्रार, संस्थाएं को ऐसी सूचनाएं प्रेषित नहीं की जाती हैं।

(3) मंत्री, वनस्थली विद्यापीठ से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15.7.99 को मैनेजिंग कमेटी की सूची परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(4) संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 की धारा–4 एवं 4–क के अन्तर्गत संस्था द्वारा रजिस्ट्रार, संस्थाएं को ऐसी सूचनाएं प्रेषित नहीं की जाती हैं।

(प्रतियां/सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र खारची में ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों में बकाया राशि

81. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में गत एक वर्ष में प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति ने किन व्यक्तियों को कितना–कितना ऋण वितरित किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समितियों में डिफाल्टर व्यक्ति कितने हैं और उनमें कितनी राशि बकाया है ?, सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में गत एक वर्ष में 33 ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा 4973 सदस्यों को 645.62 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया है। विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(2) इन समितियों में 1703 डिफाल्टर व्यक्तियों की ओर 152.64 लाख रुपये की राशि बकाया हैं विवरण परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भूमि विकास बैंक, सुल्तानपुर (कोटा) में ऋण वितरण में अनियमितता

82. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भूमि विकास बैंक शाखा सुल्तानपुर जिला कोटा में गत 1 जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 तक कुल कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन व्यक्तियों को ऋण दिया गया वे मानदण्ड के अनुसार सही थे व दिये गये ऋण का सही उपयोग हुआ है ?

(3) क्या नियम विरुद्ध किये गये ऋण वितरण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? क्या प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(4) क्या सरकार उक्त शिकायतों की शीघ्र जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) भूमि विकास बैंक शाखा सुल्तानपुर जिला कोटा द्वारा गत 1 जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 तक 296 व्यक्तियों को ऋण दिया गया है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। ऋण दिये गये 296 व्यक्तियों में 16 व्यक्तियों द्वारा ही ऋण का दुरुपयोग किया गया है।

(3) जी हां। प्राप्त शिकायतों की जांच करायी जा रही है।

(सहकारिता मंत्री)

(4) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

रानी से वाया खौड खटूकड़ा चौडवाड़ी (पाली) में निगम बस सेवा का संचालन

83. **श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी के किन–किन ग्रामों में सरकार राज्य पथ परिवहन निगम की बस चलाने का विचार कर रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रानी से वाया खौड खटूकडा चौड़वाड़ी गांव में निगम बस सेवा चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निगम द्वारा विधान सभा क्षेत्र देसूरी में सिरोही से आशापुरा वाया केनपुरा–रानी–नाडोल दो सेवाएं संचालित की जा रही है। निगम द्वारा निम्नांकित मार्गों पर निगम बसों का संचालन प्रारम्भ करने के लिए अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया गया :–

1. सोजतसिटी–सोजतरोड–फुलाद–देसूरी

2. पाली–देसूरी वाया खिवाडा

उक्त मार्गों में से एक मार्ग सोजतसिटी–देसूरी मार्ग पर तीन स्थाई अनुज्ञा पत्र दिनांक 22.3.2000 को स्वीकृत हो चुके हैं और बसों का संचालन शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है। दूसरे मार्ग पाली–देसूरी पर माननीय उच्च न्यायालय के रिट संख्या 973/99 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 26.3.99 के कारण फिलहाल निगम को अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जा सका है।

इसके अतिरिक्त निगम द्वारा परिवहन प्राधिकार पाली से निम्नलिखित मार्गों पर बस संचालन हेतु मार्ग खोले जाने हेतु निवेदन किया गया है :–

1. पाली–उदयपुर वाया जाडन–मारवाड़ जंक्शन–फुलाद–कामलीघाट–देवगढ़।

2. पाली–उदयपुर वाया सोमेसर–नाडोल–देसूरी।

3. पाली–देसूरी वाया सोमेसर–नाडोल–ढालोप–सोनाणा–खेतलाजी।

निगम के आवेदन पर मार्ग खोलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में इस मार्ग पर बस संचालन की कोई मांग/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

निगम को राज्य सरकार द्वारा देय बकाया राशि

84. **श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) वर्ष 1990 से फरवरी, 2000 तक राज्य पथ परिवहन निगम में लाभ–हानि किस प्रकार रही ? विवरण प्रत्येक वर्ष अनुसार सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के गत वर्षों में घाटे में जाने के क्या कारण रहे ? क्या घाटे का प्रमुख कारण राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष रोडवेज को दिये जाने वाली राशि जो निःशुल्क और रियायती यात्रा सुविधा देने की एवज में है ? यदि हां, तो प्रतिवर्ष राज्य सरकार को इस पेटे कितनी राशि देनी थी और कितनी दी गई और कब से नहीं दी गई ?

(3) वर्ष 1990–91 से 1999–2000 के मध्य निःशुल्क एवं रियायती यात्रा की सुविधा देने के बदले में कितनी राशि राज्य सरकार को रोडवेज को देनी थी ? विवरण वित्तीय वर्ष अनुसार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1990–91 से 1999–2000 (माह फरवरी, 2000) तक राज्य परिवहन निगम को वर्षवार हुए लाभ–हानि का विवरण परिशिष्ट "एक" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। निःशुल्क एवं रियायती यात्राओं का पुनर्भरण ही निगम के घाटे का प्रमुख कारण नहीं है। अपितु यह कई कारणों में से एक कारण है।

राज्य परिवहन निगम वर्ष 1997–98 से वर्ष 1999–2000 (माह फरवरी, 2000) तक हानि में रहने के प्रमुख कारण दर्शाते हुए, सूचना परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 1992–93 से 1998–99 के मध्य निःशुल्क एवं रियायती यात्रा की सुविधा देने के बदले निगम की देय बकाया राशि का विवरण परिशिष्ट–3 पर संलग्न है।

(सूचना/विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

चांदपोल से जयरामपुरा (जयपुर) बस सेवा के नियत बस स्टैण्ड

85. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम की चांदपोल से जयरामपुरा जाने वाली सिटी बस के हरमाड़ा से जयरामपुरा तक कौन–कौन से नियत स्टैण्ड हैं ? उनका किलोमीटर अनुसार नियत किराया कितना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दौलतपुरा स्टैण्ड नगर सीमा में चांदपोल से 20 कि. मी. की दूरी पर होने के पश्चात् भी जनता से अधिक किराया लिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जयरामपुरा रोड पर नींदड़ से जयरामपुरा तक सभी स्टैण्डों पर एक ही किराया वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो

(श्री बाबूलाल नागर)

क्यों ? क्या बीच के स्टैण्डों का किराया तय नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) रूट नम्बर 212 की दूरी किस जगह से कहां तक एवं कितने किलोमीटर है ? किराया सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम की चांदपोल से जयरामपुरा जाने वाली सिटी बस सेवा हरमाड़ा बस स्टैण्ड से 0.4 कि. मी. पूर्व नींदड़ मोड़ होकर जयरामपुरा तक संचालित होती है।

नींदड़ मोड़ से जयरामपुरा के बीच निगम के नींदड़, दौलतपुरा, नांगल, गोविन्दपुरा निर्धारित बस स्टैण्ड हैं।

चांदपोल से जयरामपुरा मार्ग के विभिन्न स्टैण्डों की कि. मी. दूरी तथा किराया तालिका परिशिष्ट–1 पर संलग्न है

(2) जी नहीं। दौलतपुरा से चांदपोल की निगम सर्वे के अनुसार दूरी 22.5 कि. मी. है।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या प. 7(71)परि/नियम/मु/97/पार्ट जयपुर दिनांक 9.12.99 के अनुसार मंजिली गाड़ियों की भाड़े की दरों के अनुसार 20 से 30 कि. मी. तक के लिए निर्धारित किराया ही यात्रियों से लिया जा रहा है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। जयरामपुरा रोड पर नींदड़ से जयरामपुरा के बीच पड़ने वाले स्टैण्डों का किराया नियमानुसार तय किया हुआ है, तदनुसार ही यात्रियों से किराया लिया जाता है। इस मार्ग की किराया तालिका परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(4) रूट नम्बर 212 चांदपोल से जयरामपुरा की मार्ग दूरी 27.5 कि. मी. है। किराया तालिका परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(किराया तालिका/अधिसूचना की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

अल्प बचत मद से विकास कार्य

86. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अल्प बचत मद से विकास के महत्वपूर्ण कार्य करवाने की रोक दिनांक 1 अप्रेल, 1999 को लगा दी गई थी ?

(2) क्या यह रोक अब हटा ली गई ? यदि नहीं, तो कब तक इस रोक को हटाने का विचार है ?

(3) क्या दिनांक 1 अप्रेल, 1999 को अल्प

(श्री रमज़ान खान)

बचत मद से राशि खर्च करने पर लगी रोक से पूर्व में स्वीकृत किये गये विकास कार्यों पर यह रोक प्रभावी नहीं होगी ? यदि होगी तो क्या रोक हटाने के बाद प्राथमिकता के आधार पर पूर्व में स्वीकृत कार्यों को करवाया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त रोक को दिनांक 16.2.2000 से हटा लिया गया।

(3) उक्त रोक पूर्व में स्वीकृत कार्यों पर भी प्रभावी थी। स्थाई निर्माण विकास कार्य मद से पूर्व में स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने हेतु जिला कलेक्टर कार्य की उपयोगिता को ध्यान में रखकर निर्णय लेने हेतु सक्षम हैं।

कृषि उपज मण्डी समिति कठूमर (अलवर) की क्षतिग्रस्त सड़कें

87. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि कठूमर जिला अलवर की कृषि उपज मण्डी समिति की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कार्य विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त सड़कों को कब तक पूर्ण करवा दिया जाएगा और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कृषि उपज मण्डी समिति खेरली द्वारा कठूमर विधान सभा क्षेत्र की 27 सम्पर्क सड़कें 78.05 लाख रुपये मरम्मत राशि के साथ एवं 4 सम्पर्क सड़कें अच्छी हालत में होने के आधार पर बिना मरम्मत राशि के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मरम्मत राशि में से 79.11 लाख रुपये व्यय किया जाने का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित किया है। हस्तान्तरित सड़कों की मरम्मत का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है।

विधान सभा क्षेत्र खारची के पंचायत मुख्यालयों हेतु सम्पर्क सड़क

88. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार की योजना के अनुसार 1000 की आबादी के ग्राम एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय को पक्की सड़क से जोड़ा जाना है ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र

(श्री केसाराम चौधरी)

खारची में 1000 की आबादी वाला ग्राम ऊपरली निम्बडी अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि ऊपरली निम्बडी को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु कृषि उपज मण्डी समिति सोजत रोड ने तखमीना बनाकर स्वीकृति हेतु जयपुर मार्केटिंग बोर्ड को भेजा है ? यदि हां, तो कब और कितनी राशि का ?

(4) क्या उक्त तखमीने के अनुरूप स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इससे उच्च वरीयता एवं अधिक आबादी की सड़कें शेष रहने के कारण।

(3) जी हां। दिनांक 12.10.99 को 25.40 लाख रुपये के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए।

(4) जी हां। प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 28.1.2000 को तथा वित्तीय स्वीकृति दिनांक 29.1.2000 को जारी की जा चुकी है।

कृषि उपज मण्डी भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य

89. डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला भीलवाड़ा में कुल कितनी कृषि उपज मण्डियां तथा कितनी गौण मण्डियां हैं ?

(2) उक्त जिले की किस–किस कृषि उपज मण्डी व गौण मण्डी की वार्षिक आय कितनी–कितनी है ? उक्त आय किस मद में व्यय की जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मण्डी द्वारा तहसील क्षेत्र सहाड़ा तथा रायपुर की कौन–कौन सी सड़क बनाई जाना प्रस्तावित है ? मण्डी द्वारा कौन–कौन सी सड़क के प्रस्ताव सरकार को स्वीकृति के लिए भेज हुए हैं ?

(4) अब उक्त सड़कों का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में 3 कृषि उपज मण्डी समितियां एवं इनके अधीन 15 मण्डियां हैं।

(2) मण्डियों की आलोच्य वर्ष में फरवरी, 2000 तक आय व व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	नाम मुख्य मण्डी/ गौण मण्डी	आय	व्यय				
			संस्थापन	बोर्ड अंशदान	निर्माण	अन्य	योग
1.	मुख्य मण्डी भीलवाड़ा	129.54	54.67	17.79	97.01	7.96	177.43
	1. गौण मण्डी स्पीनिंगमिल						
	2. गौण मण्डी फल सब्जी (आय मुख्य मण्डी में सम्मिलित है)						
	3. गौण मण्डी शाहपुरा	7.24					
	4. गौण मण्डी आसीन्द	5.61					
	5. गौण मण्डी माण्डल	5.47					
	6. गौण मण्डी बनेड़ा	1.66					
	7. गौण मण्डी कोटड़ी	2.40					
	8. गौण मण्डी करेड़ा	2.57					
	9. गौण मण्डी शम्भूगढ़	–					
		155.49					
2.	मुख्य मण्डी मांडलगढ़	5.48	12.20	–	0.13	2.19	14.52
	10. गौण मण्डी बिजोलिया	6.71					
	11. गौण मण्डी बिगोद	6.84					
	12. गौण मण्डी काछोला	3.14					
	13. गौण मण्डी महुआ	2.57					
	14. गौण मण्डी बंरूदनी	2.41					
		27.15					
3.	मुख्य मण्डी गंगापुर	11.56	7.05	–	10.91	2.71	20.67
	15. गौण मण्डी रायपुर	1.34					
		12.90					

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(3) तहसील सहाड़ा तथा रायपुर कृषि उपज मण्डी समिति गंगापुर मण्डी के अन्तर्गत है। मण्डी कोष से कोई सड़क प्रस्तावित नहीं है। आई. आर. डी. एफ. योजना के अन्तर्गत तहसील सहाड़ा में सम्पर्क सड़क गोवलिया, एवं सम्पर्क सड़क मटूनिया का कार्य आदेश जारी किया जा चुका है।

(4) उक्त दोनों सड़कों पर सामग्री एकत्रीकरण एवं सी. डी. कार्य प्रगति पर है।

कृषि उपज मण्डी समिति गंगापुर सिटी द्वारा सड़क निर्माण

90. **डा. किरोड़ी लाल (बामनवास)** : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी गंगापुर सिटी में मंत्री महोदय के विवेकाधीन 30 प्रतिशत कोटा की राशि सड़क विकास हेतु उपलब्ध है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या यह भी सही है कि मण्डी समिति गंगापुर सिटी द्वारा सम्पर्क सड़क ग्राम सराय एवं बिछौच के तिबारे से सुरसाली मिसिंग लिंक के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार/बोर्ड उनकी स्वीकृति कब तक जारी कर निर्माण चालू कर देगा ?

उत्तर

(1) विशिष्ट, "अ" एवं "ब" श्रेणी की मण्डी समितियों में नवीन सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए उपलब्ध प्रावधान के 30 प्रतिशत के समतुल्य राशि विशेष कोष से मण्डी समितियों के स्वयं के विवेकानुसार सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर व्यय किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 1999–2000 में इस विशेष कोष में मण्डी समिति के पास 23.27 लाख रुपये का प्रावधान उपलब्ध है।

(2) जी हां। प्रस्ताव अपूर्ण प्राप्त होने के कारण मण्डी समिति से पूर्ण प्रस्ताव चाहे गये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नीति अनुरूप स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(12.00)

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री प्रद्युम्न सिंह जी।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) अधिसूचना संख्या प. 4 (27) वित्त/कर/अनुभाग/99–241 दिनांक 30.9.1999 जिसके द्वारा स्प्रीकलर पद्धति और ड्रीपसिस्टम पद्धति के लिए विनिर्दिष्ट पुर्जों

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

और उप साधनों के विक्रय या क्रय को 4.3.1992 से 11.3.1997 तक कर से छूट प्रदान की गई है।

(2) अधिसूचना संख्या प. 4 (19) वित्त/कर/अनुभाग/97–242 दिनांक 30.9.1999 जिसके द्वारा सूती पट्टी और निवार के विक्रय या क्रय को 27.3.1995 से 25.3.1999 तक के लिए कर से छूट प्रदान की गई है।

(3) शुद्धि पत्र संख्या प. 14 (8) वित्त/कर/अनुभाग/98–243 दिनांक 30.9.1999 जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 7.4.1998 में संशोधन किया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–244 दिनांक 15.10.1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (37) वित्त/कर/अनु/98–72 दिनांक 1.8.1998 में संशोधन किया गया है।

(5) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–245 दिनांक 15.10.1999 जिसके द्वारा पेट्रोल और विमानन स्प्रीट पर बिक्री कर की दर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत की गई है।

(6) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–245 दिनांक 15.10.1999 जिसके द्वारा लाटरी टिकिट 10 प्रतिशत, विदेशी मदिरा और अफीम (चीरे हुए पोस्ट डोडे को छोड़कर) 2 प्रतिशत और चीनी तम्बाकू और सभी प्रकार के वस्त्र पर 1.5 प्रतिशत कर की दर निर्धारित की गई है।

(7) अधिसूचना संख्या प. 4 (11) वित्त/कर/95 दिनांक 27.10.1999 जिसके द्वारा नई विक्रय कर एमनेस्टी योजना 1999 लागू की गई है।

(8) अधिसूचना संख्या प. 4 (25) वित्त/कर/94–247 दिनांक 11.11.1999 जिसके द्वारा ईट भट्टा उद्योगों को दी गई कर मुक्ति योजना 30.12.1999 तक बढ़ाई गई है।

(9) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–248 दिनांक 13.11.1999 जिसके द्वारा सभी प्रकार के कपड़ों को प्रवेश कर से सशर्त मुक्त किया गया है।

(10) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–249 दिनांक 13.11.1999 जिसके द्वारा सिनेमा घरों पर लगने वाले 1 रुपया की उपयोगिता फीस को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है।

(11) अधिसूचना संख्या प. 4 (26) वित्त/कर/94–250 दिनांक 18.11.1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (4) वित्त/कर–अनु/99–150 दिनांक 26.3.1999 को अतिष्ठित किया गया है।

(12) अधिसूचना संख्या प. 4 (49) वित्त/कर/99–251 दिनांक 29.11.1999 जिसके द्वारा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग, राजस्थान सरकार को पोलिथीन शीट और

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रोल ड्राई मिल्क पाउडर, गुड़ के विक्रय या क्रय को 5.11.1999 से 5.12.1999 तक सशर्त कर से छूट प्रदान की गई है।

(13) अधिसूचना संख्या प. 4 (49) वित्त/कर/99–252 दिनांक 29.11.1999 जिसके द्वारा अरण्डी के बीज को बिना शर्त दी गई छूट वापस ले ली गई है।

(14) अधिसूचना संख्या प. 4 (49) वित्त/कर/99–253 दिनांक 29.11.1999 जिसके द्वारा हरण्डी के बीज के क्रय या विक्रय को सशर्त कर से छूट प्रदान की गई है।

(15) अधिसूचना संख्या प. 2 (26) वित्त/कर–अनु/98 दिनांक 8.12.1999 जिसके द्वारा राजस्थान सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगरपालिकओं, राजस्थान राज्य शहरी आवास एवं परिसंघ, कृषि उपज मण्डियां, मण्डी समितियों, पंचायतों, पंचायत समितियों और राज्य सरकार के अन्य निकायों द्वारा आबंटित/विक्रित स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में उनके द्वारा निष्पादित किये गये समस्त विलेखों या लिखितों पर स्टाम्प शुल्क बाजार मूल्य के स्थान पर ब्याज, शास्तियों, दो वर्ष के औसत किराये को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल की कुल रकम और प्रतिफल के रूप में संदत्त किसी अन्य रकम की राशि पर 10 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाएगा।

(16) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर–अनु/99–254 दिनांक 9.12.1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर–अनु/99–248 दिनांक 13.11.1999 में संशोधन किया गया है।

(17) अधिसूचना संख्या प. 4 (37) वित्त/कर–99–255 दिनांक 15.12.1999 जिसके द्वारा जैम्स एवं स्टोन पर विमुक्ति योजना को 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 1999 किया गया है।

(18) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–256 दिनांक 21.12.1999 जिसके द्वारा खाण्डसारी शुगर को जिस पर राज. विक्रय कर अदा किया गया है विमुक्ति कर से छूट प्रकार की गई है।

(19) अधिसूचना संख्या प. 2 (5) वित्त/कर–अनु/99–दिनांक 21.12.1999 जिसके द्वारा दिनांक 21.3.2000 तक स्टाम्प मुद्रांक शुल्क जमा करने पर उक्त राशि पर वसूल किये जाने वाले ब्याज को माफ किया गया है।

(20) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–257 दिनांक 30.12.1999 जिसके द्वारा चीनी की कुछ किस्मों को प्रवेश कर से मुक्त किया गया है।

(21) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–258 दिनांक 30.12.1999 जिसके द्वारा लाटरी टिकट, अफीम, विदेशी शराब और विमानन स्प्रीट पर लगने वाली बिक्री

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कर की दर को 44 से घटाकर 43 प्रतिशत किया गया है।

(22) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–259 दिनांक 30.12.1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर–अनु/99–246 दिनांक 15.10.1999 में संशोधन किया गया है।

(23) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–260 दिनांक 15.1.2000 जिसके द्वारा 39 माल पर बिक्रीकर की दर पड़ौसी राज्यों के अनुरूप निर्धारित की गई है।

(24) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–261 दिनांक 15.1.2000 जिसके द्वारा सभी प्रकार के कपड़ों पर प्रशमन योजना को लागू किया गया है।

(25) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–262 दिनांक 19.1.2000 जिसके द्वारा 20 प्रकार के माल पर बिक्री कर की दर पड़ौसी राज्यों के अनुरूप की गई है।

(26) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर–अनु/99–263 दिनांक 19.1.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 14 (8) वित्त/कर–अनु/98 दिनांक 7.4.1999 में संशोधन किया गया है।

(27) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–264 दिनांक 19.1.2000 जिसके द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली बिक्री कर आस्थगन एवं प्रोत्साहन योजना का फायदा लेने की तिथि 31.3.2003 से घटाकर 24.1.2000 कर दी गई है।

(28) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–265 दिनांक 20.1.2000 जिसके द्वारा चीनी व्यापारियों के लिए प्रशमन योजना को लागू किया गया है।

(29) अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर/97–266 दिनांक 21.1.2000 जिसके द्वारा सीमेंट की अन्तरराज्यीय बिक्री कर की दर 6 प्रतिशत की गई है।

(30) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर–99/267 दिनांक 21.1.2000 जिसके द्वारा ईंट भट्टा व्यापारियों के लिए प्रशमन स्कीम लागू की गई है।

(31) अधिसूचना संख्या प. 8 (23) वित्त/कर/98 दिनांक 21.1.2000 जिसके द्वारा भूमि एवं भवन कर के सम्बन्ध में एमनेस्टी योजना लागू की गई है।

(32) अधिसूचना संख्या प. 2 (15) वित्त/कर/93 दिनांक 21.1.2000 जिसके द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, जोधपुर को मुद्रांक शुल्क में रियायत दी गई है।

(33) अधिसूचना संख्या प. 4 (55) वित्त/कर/95–268 दिनांक 24.1.2000 जिसके द्वारा मै. कजरिया सेरेमिक लि. द्वारा राज्य व अन्तरराज्य में की जाने वाली बिक्री को सशर्त कर से मुक्त किया गया है।

(34) अधिसूचना संख्या प. 4 (68) वित्त/कर/99–269 दिनांक 24.1.2000 जिसके द्वारा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मै. समकोर ग्लास लि., कोटा को उनके द्वारा राज्य में और अन्तरराज्य में की जाने वाली बिक्री को सशर्त कर से मुक्त किया गया है।

(35) अधिसूचना संख्या प. 4 (68) वित्त/कर/99–270 दिनांक 24.1.2000 जिसके द्वारा मै. वरूण बिवरेजस लि. को उनके द्वारा राज्य में और अन्तरराज्य में की जाने वाली बिक्री को सशर्त कर से मुक्त किया गया है।

(36) अधिसूचना संख्या प. 4 (68) वित्त/कर/99–271 दिनांक 24.1.2000 जिसके द्वारा फ्लाई एश से बनने वाले एसबेस्टोज सीमेंट शीट एवं ईंट को 23.1.2010 तक बिक्री कर से मुक्त किया गया है।

(37) अधिसूचना संख्या प. 4 (68) वित्त/कर/99–272 दिनांक 24.1.2000 जिसके द्वारा मै. एस. कुमार लि. भिवाड़ी द्वारा कपड़े के निर्माण हेतु खरीदे गये कच्चे माल को बिक्री कर से मुक्त किया गया है।

(38) अधिसूचना संख्या प. 4 (68) वित्त/कर/99–273 दिनांक 24.1.2000 जिसके द्वारा मै. एस. कुमार द्वारा खरीदी गई जमीन पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है।

(39) अधिसूचना संख्या प. 2 (26) वित्त/कर–अनु/98–दिनांक 31.1.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 2 (26) वित्त/कर–अनु/98 दिनांक 8.12.1999 में संशोधन किया गया है।

(40) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–274 दिनांक 4.2.2000 जिसके द्वारा अगरबत्ती पर लगने वाले 8 प्रतिशत बिक्री कर की दर को घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है।

(41) अधिसूचना संख्या प. 2 (1) वित्त/कर/94–दिनांक 18.2.2000 जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान विद्युत मण्डल द्वारा जारी किये जाने वाले 100 करोड़ रुपये अपरिवर्तनीय बंधपत्रों पर स्टाम्प शुल्क को घटाकर 0.25 प्रतिशत किया गया है।

(42) अधिसूचना संख्या प. 8 (9) वित्त/कर/94–दिनांक 29.2.2000 जिसके द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डा जयपुर की भूमि एवं भवन के लिए वर्ष 1999–2000 के लिए भूमि एवं भवन कर 10 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

(43) अधिसूचना संख्या प. 8 (9) वित्त/कर/95–दिनांक 29.2.2000 जिसके द्वारा राजकीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डा कोटा की भूमि एवं भवन के लिए वर्ष 1999–2000 हेतु भूमि एवं भवन कर 5 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

(44) अधिसूचना संख्या प. 8 (9) वित्त/कर/95–दिनांक 29.2.2000 जिसके द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डा जोधपुर की भूमि एवं भवन के लिए वर्ष 1999–2000 हेतु भूमि एवं भवन कर 1.4375 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(45) अधिसूचना संख्या प. 2 (32) वित्त/कर/99–दिनांक 3.3.2000 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या प. 2 (27) वित्त/ग्रप–4/87–दिनांक 25.5.1998 को विखण्डित किया गया है।

(46) अधिसूचना संख्या प. 4 (35) वित्त/कर/99–275 दिनांक 15.3.2000 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 में संशोधन किया गया है।

(47) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–276 दिनांक 15.3.2000 जिसके द्वारा कपड़ा व्यापारियों के लिए जारी प्रशमन योजना अवधि 29.1.2000 से बढ़ाकर 31.3.2000 की गई है।

(48) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–277 दिनांक 15.3.2000 जिसके द्वारा चीनी व्यापारियों के लिए जारी प्रशमन योजना की अवधि 29.1.2000 से बढ़ाकर 31.3.2000 की गई है।

राजस्व विभाग

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं :–

(1) अधिसूचना संख्या प. 6 (19) राज–6/92/पार्ट/31 दिनांक 23.4.1999 जिसके द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या प. 10 (1) राज/ग्रुप–6/94/पार्ट/33 दिनांक 12.10.1999 जिसके द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किये गये हैं।

(3) अधिसूचना संख्या बी. आर./एल. आर/जी–3/एफ–140/97/1748 दिनांक 5.10.1999 जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

प्रतिवेदन एवं लेखे

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1996-97)

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) (श्री सी. पी. जोशी, उच्च शिक्षा मंत्री के स्थान पर) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 1987 की धारा 38 के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996–97 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री तैय्यब हुसैन।

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 29वां प्रतिवेदन (वर्ष 1997-98)

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि मंत्री) : माननीय

(श्री तैय्यब हुसैन)

अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997–98 सदन की मेज पर रखता हूं।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में अकाल की स्थिति

श्री अध्यक्ष : मंत्री द्वारा वक्तव्य। श्री गुलाब सिंह शक्तावत।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, संवत् 2055 में राज्य के 20 जिलों के 20059 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। राहत कार्यों पर अधिकतम माह जून, 1999 में 6.13 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। चारा व्यवस्था हेतु कुल 213 चारा डिपो खोले गये। राज्य में 319 टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन कर समस्याग्रस्त 2130 गांवों में पेयजल की व्यवस्था की गई। इन व्यवस्थाओं पर राज्य सरकार द्वारा 467 करोड़ की राशि व्यय की गई।

राज्य में इस वर्ष 2056 में भी कम वर्षा एवं अनियमित वर्षा से गंभीर अभाव की स्थिति बन गई। राज्य के 26 जिलों के 23406 गांवों को...

(12.04 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर। यह बता रहे हैं पिछले साल के अकाल का और हम बात कर रहे हैं इस साल के अकाल की...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं आ रहा हूं ना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम बात करना चाह रहे हैं इस साल के अकाल के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : इनका वक्तव्य पूरा थोड़े ही हो गया है। सुन लीजिये ना।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आ गया ना। मैं 2056 पर आ गया हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कहां आ रहे हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सुन लीजिये ना।

श्री सांवर लाल : पिछले पांच साल का ही बता दो ना।

श्री रामस्वरूप : आ गये हैं ना।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, पैसा खर्च किया नहीं, पिछले साल का बताने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, सुनिये माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : अजमेर जिले में दो लाख का घोटाला हो गया... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अब आपने सुनने की कोशिश करिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप ही थे, उस समय अकाल मंत्री।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राज्य में इस वर्ष कम वर्षा एवं अनियमित वर्षा से गंभीर अभाव की स्थिति बन गई। राज्य के 26 जिलों के 23406 गांवों को दिनांक 9 जनवरी, 2000 को अभावग्रस्त घोषित किया गया। इससे 261 लाख जनसंख्या एवं 345 लाख पशु धन प्रभावित हुआ। इन अभावग्रस्त क्षेत्रों में आदेश दिनांक 10.3.2000 राजस्व वसूली को दिनांक 30.09.2000 तक स्थगित किया गया। सहकारिता विभाग के आदेश दिनांक 16.3.2000 से अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया गया है। खरीफ, 99 की अल्पकालीन ऋणों की वसूली में कुर्की की कार्यवाही भी तत्काल प्रभाव से बन्द कर दी गई है।

अकाल की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बड़े पैमाने पर राहत गतिविधियां चलाई जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा राहत कार्य, पशुधन संरक्षण एवं पेयजल व्यवस्था हेतु कुल 1311 करोड़ रुपये की आवश्यकता का आकलन किया जाकर 1145 करोड़ रुपये का ज्ञापन भारत सरकार को प्रेषित किया गया। भारत सरकार ने सूखे की स्थिति के अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय अध्ययन दल जनवरी माह में भेजा। केन्द्रीय अध्ययन दल ने भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर राष्ट्रीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 27 मार्च, 2000 में राज्य को दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है। राज्य सरकार के पास आपदा राहत कोष के तहत माह जुलाई, 2000 तक कुल 166 करोड़ रुपये उपलब्ध रहेंगे।

राहत कार्य

राज्य सरकार द्वारा 16 फरवरी, 2000 से राहत कार्य प्रारम्भ करने के आदेश जिला कलेक्टरों को दिये गये। राहत कार्यों के तहत रोजगारोन्मुख कार्यों, भू–संरक्षण के कार्य, जल ग्रहण की क्षमता बढ़ाने के कार्य, वानिकी कार्य, ग्रामीण सड़कें तथा सिंचाई के ऐसे कार्य, जिसमें अधिक रोजगार दिया जा सके, को प्राथमिकता दी गई है। इस वर्ष ऐसे राहत कार्यों को हाथ में लिया गया है जिनसे भू–संरक्षण एवं पानी की क्षमता को बढ़ाया जा सके।

अभावग्रस्त जिलों में 11250 राहत कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं, वर्तमान में 6122 राहत कार्य चल रहे हैं। माह फरवरी व मार्च, 2000 के लिए श्रमिक सीमा 4,31,500 स्वीकृत की गई है तथा वर्तमान में चालू राहत कार्यों पर 1,48,143 श्रमिक कार्यरत हैं। अन्य विभागीय एवं ग्रामीण विकास के कार्यों पर 75,402 श्रमिक कार्यरत हैं। इस प्रकार कुल 2,23,545 श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। अप्रेल, 2000 के लिए श्रमिक सीमा बढ़ाकर 5.01 लाख स्वीकृत की गई है।

पशु संरक्षण

अभावग्रस्त क्षेत्रों में चारे की कमी तथा प्रभावित पशुपालकों की क्रय शक्ति कमजोर होने से 15 अक्टूबर, 99 से ही अनुदानित दरों

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

पर चारा उपलब्ध कराने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिये गये। वर्तमान में 1453 चारा डिपो स्वीकृत हैं जिनमें से 610 डिपो पर चारा वितरण किया जा रहा है। अब तक 3,93,712 क्विंटल चारा लाया जाकर पशुपालकों को वितरित किया जा चुका है। ये चारा डिपो स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं व सहकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। चारा डिपो चलाने के लिए इन संस्थाओं को 20,000 रुपये प्रति डिपो बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया गया है। इस कार्य के लिए 209 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। राज्य सरकार द्वारा परिवहन अनुदान की दरें दिनांक 17.11.99 को बढ़ायी गयी हैं। राज्य के बाहर से आने वाले चारे पर अनुदान 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति क्विंटल तथा एक जिले से दूसरे जिले में लाये गये चारे पर 30 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। हरे चारे पर अनुदान 25 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। इस वर्ष राज्य सरकार ने निर्णय लेकर अभावग्रस्त शहरी क्षेत्रों में भी चारा डिपो खोलने का प्रावधान रखा गया है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.1.2000 को चारे की कमी वाले 11 जिलों में पशु शिविर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इन शिविरों में 57500 पशुओं को लाभान्वित करने की स्वीकृति जारी की गई। वर्तमान में 46 पशु शिविरों की स्वीकृति जिला कलेक्टरों द्वारा जारी कर 21,177 पशुओं को लाभान्वित किया जा रहा है। ये शिविर पंचायती राज संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने 7 मार्च, 2000 को आदेश जारी कर राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्थापित गौशालाओं द्वारा संधारित समस्त छोटे व बड़े पशुओं को 1.3.2000 से 30.6.2000 तक अनुदान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान में गौशालाओं में 31,237 पशुओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

पशु शिविरों एवं पंजीकृत गौशालाओं में बड़े पशुओं के लिए 3 रुपये तथा छोटे पशुओं के लिए 1.50 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन अनुदान दिये जाने का प्रावधान था। राज्य सरकार ने इन दरों को बढ़ाने का निर्णय लेकर दिनांक 24.3.2000 को आदेश जारी कर बड़े पशुओं हेतु 6 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन व छोटे पशुओं हेतु 3 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन की दरें निर्धारित की हैं जो 1 अप्रेल, 2000 से प्रभावशील होंगी। (व्यवधान) मेरी बात तो सुन लें, पहले 3 था, डबल किया है। एक मिनट सुन लें। आपको जो कमेण्ट करने का अधिकार है वह सुरक्षित रखिये, मेरी सुन लीजिये।

नस्ली साण्डों के लिए 8 रुपये प्रति साण्ड प्रतिदिन की दर से अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। माननीय सांसद श्री बूटासिंह द्वारा सिरोही व जालौर जिले में 10,000 क्विंटल चारा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

अभावग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के जरिये पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : एक ही नाम कैसे लिया है, दानदाता तो और भी होंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सांसदों में एक ही व्यक्ति आगे आया है, इसलिए नाम ले लिया। बाकी और दानदाता भी हैं, मैंने सांसद का नाम लिया है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल की व्यवस्था के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार कर स्वीकृत किया गया है। ऐसे गांव जहां पेयजल के स्रोत उपयोगी नहीं रह गये तथा जहां 1.6 किलोमीटर की परिधि में कोई पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं रह गया हो, वहां पेयजल परिवहन की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में 151 गांवों में 53 टैंकरों के जरिये पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा राहत गतिविधियों हेतु विभिन्न स्तरों पर अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में 9 जनवरी, 2000 को राज्य के माननीय सांसदों की मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक बुलाकर उनको केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक राशि प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करने के लिए आह्वान किया गया ताकि राहत गतिविधियां सुचारू रूप से चलाई जा सकें।

राज्य सरकार ने यू. एन. डी. पी. की मदद से अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने के प्रयत्न किये हैं। इन प्रयासों में राज्य सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। अब यू. एन. डी. पी. से काम के बदले अनाज योजना के तहत डूंगरपुर, सिरोही, राजसमंद एवं बांसवाड़ा में वन विभाग के माध्यम से चलाये जाने वाले राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। समस्त जिला कलेक्टर्स को यू. एन. संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाली योजनाओं में पूर्ण सहयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है। इससे राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा नाबार्ड के उच्चाधिकारियों से राज्य की अभाव स्थिति को देखते हुए अधिक से अधिक सहायता देने का आह्वान किया गया। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 360 करोड़ रुपये का जिसमें 218 करोड़ रुपये सामग्री मद के लिए एवं 142 करोड़ रुपये श्रम मद के लिए, प्रस्ताव नाबार्ड को दिनांक 14.3.2000 को भेजा गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को पशु संरक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सहायता मंत्री द्वारा दिसम्बर, 1999 में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की एक बैठक आयोजित, की गई, जिसमें उनसे पशु संरक्षण के क्षेत्र में आगे आने का

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

आह्वान किया गया। इस सम्बन्ध में उनका रूख सकारात्मक रहा है।

वर्ष 2056 में जो गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं उनका मोटा–मोटा आकलन आपके सामने पेश किया है। जो मेमोरेण्डम मैंने भारत सरकार को प्रस्तुत किया है, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, आज तीन बजे नेशनल केलैमिटी रिलीफ फण्ड की बैठक है। हमने भारत सरकार से अनुरोध किया कि इस दूसरे वर्ष भी राज्य के 23406 गांव अभावग्रस्त हैं। पहले वर्ष 20000 गांव थे, इस बार 3000 गांव और अधिक जुड़ गये हैं, इसलिए हमको अधिक से अधिक सहायता प्रदान करें। आज बैठक है, हमारे मुख्य मंत्रीजी भी उस कमेटी के सदस्य हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार राजस्थान के इन अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता स्वीकार करेगी ताकि उसके सहयोग से हम अधिक से अधिक राहत कार्य और पशुधन को बचाने का पूरा काम कर सकेंगे। अब तक हमने जो राहत कार्य प्रारम्भ किये हैं और जो श्रमिक हमने लगाये हैं उनके जिलेवार आंकड़े भी मेरे पास उपलब्ध हैं, मैं आपको ये आंकड़े यदि आप चाहें तो निश्चित रूप से आपके समक्ष रखने को तैयार हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपना सकारात्मक सहयोग दें। यह कोई राजनीति का प्रश्न नहीं है। आज मवेशी, मानव और पशुधन अभाव की स्थिति में गुजर रहे हैं। चाहे इस पक्ष में बैठे हुए लोग हों, चाहे उस पक्ष में बैठे हुए लोग हों, हम सबका दायित्व बन जाता है कि हम भारत सरकार को इस प्रकार का अनुरोध करें कि हमारी इस कठिनाई में विशेष सहायता करे। जैसा कि आप सबको पता है, उड़ीसा में तूफान आया था और नेशनल केलैमिटी रिलीफ फण्ड का 800 करोड़ रुपया उनको आबंटित किया गया है। मेरी जानकारी यह है कि आज की बैठक में उनका प्रस्ताव है कि 826 करोड़ रुपया दिया जाए, 800 करोड़ तो वह मिलेंगे जो पहले उनको दिये जा चुके हैं लेकिन 26 करोड़ रुपये और दिये जाएं इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रश्न पर मानवीय आधार पर सोचें और विचार करें और हम मिल–बैठकर इस चुनौती को स्वीकार करें और पशुधन को बचाने का काम करें।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : मंत्री महोदय, सी. आर. एफ. की एडवांस किस्त भी ले लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहायता एवं अकाल राहत मंत्री) : ये सामने बैठे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी, आप पधारे थे नरसिंह रावजी के पास में और बाद में तो इनकी बड़ी घनिष्ठता भी बढ़ गई थी लेकिन बहुत पैसा लाये हैं कांग्रेस राज में ये, अब हमारा राज आया है तो नेताजी ने जाकर यह कह दिया कि इनको एक कौड़ी मत दो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, नहीं ऐसा नहीं है।

श्री सांवर लाल : आप में काबलियत नहीं है पैसा लाने की।

श्री देवीसिंह भाटी : यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं। भाजपा के शासन ने कांग्रेस शासित प्रदेश को 800 करोड़ की मदद की थी। आपमें भी अगर माद्दा हो तो आप भी लेकर आइये।

श्री गुलाब सिह शक्तावत : भाटी साहब, मैं इस विषय पर आगे नहीं जाना चाहूंगा और इसको राजनीतिकरण नहीं देना चाहूंगा, छोड़ दीजिये। लेकिन जब उड़ीसा पर आपदा आई, भारत सरकार ने भी मदद की, कई प्रान्तीय सरकारों ने भी मदद की, राजस्थान ने भी करीब एक करोड़ रुपया दिया। यह हमारा दायित्व बन जाता है कि किसी प्रान्त पर इस प्रकार की आपदा आती है तो जितना हम सहयोग कर सके उतना सहयोग किया और मुझे उम्मीद है कि आज की इस बैठक में भारत सरकार निश्चित रूप से हमारी स्थिति का अध्ययन करके हमको सहयोग करेगी, ऐसा मैं मानता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी मंशा फरवरी से काम प्रारम्भ करने की थी, लेकिन आपको मालूम है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने की वजह से कुछ आपत्तियां हमारे सामने आई कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राहत कार्य शुरू करके राजनैतिक लाभ लेना चाहती है, इसलिए हमने राहत कार्य शुरू नहीं किये। जब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समाप्त हो गये, राज्यव्यापी कर्मचारियों की हड़ताल हुई और हड़ताल की वजह से लम्बा समय हड़ताल में निकल जाने की वजह से हमारे जिलाधीश और दूसरे लोग जिनको तत्परता से 16 फरवरी से काम प्रारम्भ करने के हमने आदेश दिये थे उसको लागू नहीं कर सके। यह विलम्ब हुआ है और इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके कुछ कारण हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और कर्मचारियों की हड़ताल थी। अब मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मार्च महीने में हमने जो सीलिंग तय की है और अप्रेल महीने में जो सीलिंग तय कर रहे हैं, बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों की आपत्तियां थीं, स्वीकृतियां तो जारी हो जाती हैं, लेकिन टैक्नीकल और फाइनेंसियल स्वीकृतियां जारी नहीं होने की वजह से समय लगता है। लोगों को तत्काल राहत किस प्रकार से पहुंचायी जाए इस सम्बन्ध में सरकार निर्णय लेकर शीघ्र ही जिलाधीशों को निर्देश देगी ताकि स्वीकृति और कार्य प्रारम्भ करने के बीच में सात दिन से अधिक का समय न लगे ताकि लोगों को राहत मिल सके।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने... (व्यवधान) अब आप सुन लें, आपको मैं सब कहता रहूंगा, जवाब देता रहूंगा। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने सवाल खड़ा किया मजदूरी का। अब तक आप चाहे किसी के जमाने में, चाहे आप मुख्य मंत्री रहे हों, चाहे इधर बैठने वाले मुख्य मंत्री रहे हों अकाल राहत कार्यों को टास्क से लिंक

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

किया है और जब अधिक गर्मी पड़ जाती है तो टास्क को हमने 15 पर्सेन्ट से 25 पर्सेन्ट तक कम किया है। 60 रुपये की मजदूरी की मांग पर सरकार विचार कर रही है और मुझे उम्मीद है कि एक–दो दिन में हम फैसला कर देंगे, उसको टास्क से लिंक करेंगे ताकि काम भी हो और लोगों को मौके पर पैसा भी दे देना पड़े। काम भी हो जाए, उनको आवश्यकतानुसार रुपया मिल जाए, इस सम्बन्ध में हम शीघ्र ही निर्णय करने जा रहे हैं। जब गर्मी अधिक पड़ेगी तो उस टास्क के जो आज के दिन के नोर्म्स हैं उसको घटाकर 15 से 25 पर्सेन्ट कम करेंगे ताकि उनको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़े। यही बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले महीने से हम इन सारे कामों का इस तरह से समायोजन करेंगे और पड़ौसी राज्यों, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हमने चारा मंगाने की व्यवस्था की है। हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह की व्यवस्था करें कि अधिक से अधिक चारा पहुंचे और अधिक से अधिक शिविर खोले जाएं। उसमें स्वयंसेवी संस्थाओं और आप सबका सहयोग अपेक्षित है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस अकाल की चुनौती को स्वीकार करें।

पीने के पानी के सम्बन्ध में जहां गांवों में टैंकर्स लगाने की बात है वह मैंने कही, शहरी जल प्रदाय योजना, नगरीय जल प्रदाय योजना के बारे में हमारे साथी रामसिंहजी विश्नोई हमको कुछ कहना चाहेंगे तो बता देंगे, बाकी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं धन हमारे पास है, भारत सरकार जितना देगी स्वागत है, लेकिन उसके बावजूद भी इस अभावग्रस्त जनता को हम पीने के पानी के लिए, चारे के लिए और काम के लिए महरूम नहीं रहने देंगे, यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या आपके पास ऐसे आंकड़े हैं कि गत छह माह में किसान का कितना गौधन खतम हो चुका है ? इसलिए जो प्रक्रिया बनायी है उसमें कितना पशुधन, गौधन हमारा अब तक खतम हो चुका है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। आप विराजें। (व्यवधान) एक मिनट आप विराजें। विराजें प्लीज। (व्यवधान) आर्डर प्लीज, आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की... (व्यवधान) जिस प्रकार का लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें प्लीज। आप विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिसके कारण से 20 किसान घायल हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : निवेदन करे मुझसे स्वीकृति लेकर ही। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल आंकडों के आधार पर आप कहना चाहते हो कि हमने काम शुरू कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह ईमानदारी की बात नहीं है। आज दिन तक कोटड़ा में केवल दो काम स्वीकृत किये और केवल 30 मजदूर काम पर लगे हुए हैं और उसके कारण से वहां के आदिवासी कलेक्टर से 16 तारीख को मिलकर गये। उनको 23 तारीख को आने के लिए कहा। जब वे नहीं आये तो रास्ता जाम किया और उस रास्ता जाम के कारण लाठीचार्ज करके उन आदिवासियों को लाठियों से मारा जिसमें चार उदयपुर हास्पिटल में भर्ती हुए। आपकी ईमानदारी कितनी है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने राजनैतिक आधार पर इन कामों को स्वीकृत किया। मैं चैलेंज करता हूं आपने कोटड़ा में केवल दो काम स्वीकृत किये, 30 मजदूर लगे और आपके क्षेत्र में, जहां इतना भयंकर अकाल नहीं है, वहां पर 90 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं, वहां चूंकि बी. जे. पी. का प्रधान है इसलिए दो काम स्वीकृत किये। सलूम्बर में 24 काम स्वीकृत किये, बड़गांव में 21 काम स्वीकृत किये, सराड़ा में 31 काम स्वीकृत किये, भिण्डर में 23 काम स्वीकृत किये, खैरवाड़ा में 25 काम स्वीकृत किये और गिर्वा में 26 काम स्वीकृत किये, तो कोटड़ा में दो काम किस खुशी में स्वीकृत किये थे जिसके कारण से किसान को सड़क पर आना पड़ा, भूखे मरते हुए कलेक्टर से मिलकर गये, कलेक्टर ने कहा कि वे स्वयं 23 तारीख को आ रहे हैं और उनके आने की तारीख के कारण से लोग इकट्ठे हुए। जब कलेक्टर वहां नहीं पहुंचे तो लोगों ने रास्ता जाम किया और पुलिस ने बहाना क्या बनाया ? पुलिस ने कहा ये लोग होली के दिन गाड़ियां रोककर चन्दा वसूल कर रहे हैं। आप और मैं भी उस क्षेत्र में रहते हैं, हमारे यहां सामान्यतः परिपाटी इस आदिवासी क्षेत्र में जैसे ही होली मनती है तो उस रोज प्रेम से निश्चित रूप से कुछ पैसा लेते हैं। लेकिन दो गाड़ियों से पैसा लिया इसका मतलब कोई इतना पाप नहीं कर दिया कि उसके कारण से आप उन पर लाठियां बरसाओ, केवल इस कारण से कि वे काम मांगने आये और वे भी आपके कहे अनुसार मांगने आये। आपने कहा हम 23 तारीख को वहां आयेंगे। कलेक्टर ने स्वयं ने समय दिया, 16 तारीख को उदयपुर आकर ये सारे गांव के लोग कलेक्टर से मिलकर गये कि हमारे यहां अकाल की भयंकर स्थिति है, भूखे मरने की स्थिति आ रही है। उसके बाद काम तो नहीं मिला और उनको डण्डे मिले और उसके बाद भी आप कहते हो हमने काम शुरू कर दिया। यह केवल आंकड़ों के जाल में आप फंसे हुए हो। वास्तव में धरातल के ऊपर मजदूर नहीं लगा। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं केवल आप ये आंकड़े देकर अपने मन को धोखा दे रहे हो और वो आदिवासी जिसके मन में यदि एक बार आग सुलग गई तो आपको,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमको, सबको इस क्षेत्र को संभालना मुश्किल होगा। वह कभी भी मरने से नहीं डरता है, क्योंकि भूखे मरने से अच्छा तो आप लोगों से लड़कर मर जाएगा। हम तो यहां विधान सभा शुरू कर रहे हैं, 10.30 और 11.00 बजे और एक–दूसरे से मिलकर बधाइयां दे रहे हैं वहीं दूसरी और उन आदिवासियों पर सड़कों पर डण्डे पड़ रहे हैं। उसके कारण से एक 45 साल की महिला को जब डण्डे पड़े तो वह जाकर पुलिया के नीचे गिरी उसके कारण से उसके पैर टूट गये जो आज भी उदयपुर हास्पिटल में भर्ती है। आखिर इस बात का कौन जिम्मेदार है ? केवल यह कहकर कि हमने यह कर दिया, वो कर दिया, इस तरह से काम नहीं चलेगा। इस आदिवासी क्षेत्र में आपको काम देना पड़ेगा, उसके पेट की भूख को शांत करने के लिए। वह आपसे भीख नहीं मांगता है, वह अपनी मेहनत का, पसीने का पैसा लेना चाहता है ताकि अपने बच्चों को शाम को रोटी खिला सके और अगर वह बच्चा भूखे मरेगा तो आप और हम सब लोग देखते रहेंगे और ऐसी आग सुलगेगी इस आदिवासी क्षेत्र में जिसको न आप बुझा सकोगे, न हम बुझा सकेंगे। इसलिए कृपा करके राजनैतिक चश्मे से मत देखो, क्योंकि कोटड़ा में प्रधान भारतीय जनता पार्टी का आ गया इसके कारण से दो काम आखिर किस कारण से स्वीकृत हुए। आपके सारे कामों की मैंने सूची बतायी। आपके यहां 35 या 36 काम स्वीकृत हो सकते हैं तो वहां दो काम किस कारण से स्वीकृत हुए, यह मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। एक मिनट। (व्यवधान) मैं आपको बुलाऊंगा। एक मिनट। (व्यवधान) आपको बुलाऊंगा।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष की जो मीटिंग हो रही है, मंत्री महोदय ने भारत सरकार को ज्ञापन दिया है उसमें माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया कि इस महीने में इतने श्रमिकों को रोजगार देंगे, यह व्यवस्था चारे की, पानी की करेंगे। अब उस बैठक के अन्दर आप किस तरह से अपना दृष्टिकोण रखेंगे। ज्ञापन में जो आपने श्रमिक सीमा लिखकर भेजी है उसके हिसाब से आज राजस्थान में श्रमिक सीमा आबंटित कर दी है पूरे जिलों को ? अजमेर में कितनी थी प्रति महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च में कितने–कितने श्रमिक लगाने थे ? क्या उस ज्ञापन के अनुसार श्रमिक सीमा नियोजित कर दी राजस्थान में, जो आज यहां पर राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष की बैठक में जस्टीफाई करोगे ?

दूसरा मेरा निवेदन है कि आप बार–बार भारत सरकार से विशेष सहायता, विशेष सहायता की मांग कर रहे हो। आपको निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा कोष से राशि मिलती है। अगर आपको पीड़ा होती तो भारत सरकार से प्रार्थना कर सकते थे कि हमको दो किस्तें, तीन किस्तें एडवांस चाहिए, राजस्थान की

(श्री सांवर लाल)

जनता को पालना है, पर आप बिलकुल संवेदनहीन हो। आपके पास आज भी प्राकृतिक आपदा कोष में पैसा पड़ा हुआ है और आप खर्च नहीं करना चाहते हो। चारे का संकट, रोजगार का संकट, आपने गांव—गांव में लड़ाइयां पैदा कर दीं। गांवों में कितनी हालत खराब है, एक पंचायत में पांच सौ आदमियों को, छह सौ आदमियों को रोजगार चाहिए। आपने आपस में लड़ाई—झगड़े पैदा कराने का प्रयास किया है। चारा डिपो आपने कागजों में खोल दिये, गायें मर रही हैं, राजस्थान में मर रही हैं, मुख्य मंत्रीजी के हलके में मर रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय के हलके में मर रही हैं। हमारे अजमेर में गायों की हालत गम्भीर हो रही है और राज्य सरकार को बिलकुल चिन्ता नहीं है। माननीय मंत्री महोदय केवल यह आंकड़े और स्टेटमैंट देने से काम नहीं चलेगा। आज आपने टैंकर के लिए बात की है, कितने टैंकर लगा दिये ? जो आपके सहायता विभाग के टैंकर हैं वह तक चालू नहीं हुए। गांवों में हम जिला कलेक्टर की बैठक में मांग करते हैं कि गांवों में पानी नहीं है लोग प्यासे मर रहे हैं, जानवरों के लिए पानी नहीं है और पता ही नहीं कौन—कौन से नार्म्स आप बना देते हो, टैंकर चालू नहीं कर पाते हैं। इसलिए मंत्री महोदय, मेरा एक ही निवेदन है कि स्थिति बहुत ही विस्फोटक है, हम पूरा सहयोग देंगे प्रतिपक्ष के नाते, पर आप हालत पर नजर रखिये, पर्याप्त मात्रा में काम खोलिये, चारे—पानी की व्यवस्था कीजिये और जो जानवर कमजोर हो जाते हैं इस अकाल के टाइम में उनके पोषण के लिए बांटे का अनुदान जो चालू किया था, भैरोंसिंह जी के टाइम में चालू था, आपकी सरकार के टाइम में पहले मिलता था उसको आप चालू कीजिये। बाकी किसानों की हालत बहुत गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप विराजिये। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी से जो स्टेटमैंट दिलाया गया उसके पीछे सदन की यह भावना थी कि माननीय राज्यपाल का भाषण अथवा बजट सामने आये, उस वक्त माननीय सदस्य को बोलना है। राजस्थान में अब तक अकाल की क्या स्थिति रही उस पर एक वक्तव्य दिया जाए, वक्तव्य आ गया। कुछ माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, अब आप लोग इस पर यदि इस तरह चर्चा करना चाहते हैं और यदि इसको बहस में डालना चाहते हैं तो मैं आज ही इसकी बहस करवा देता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समय निर्धारित करवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या समय ? यह तो वक्तव्य आपने दिला दिया, यदि आपको कोई क्लेरीफिकेशन मांगना है... (व्यवधान) एक मिनट आप विराजिये, बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितना गम्भीर मामला है, एक पूरा दिन तय करवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बोल रहा हूं न मैं। यदि

(श्री उपाध्यक्ष)

कुछ माननीय सदस्य, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, कुछ क्लेरीफिकेशन चाहते हैं तो मैं आपको इजाजत देता हूं लेकिन आप भाषण देकर यदि इसको डिबेट में डालना चाहते हैं तो उस तरह से कार्यवाही चलायें और यदि आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो स्पष्टीकरण की दृष्टि से कर लें। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आदमी मर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस वक्तव्य को डायल्यूट कर रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया, इस पर चर्चा हो रही है, अब चर्चा किस प्रकार से आप करायें, यह आपके हाथ में है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आप क्लेरीफिकेशन मांग सकते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। चर्चा नहीं हो सकती, इस बात का तो कहीं भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, चर्चा आप कराइये, मैं तो कह रहा हूं आप चर्चा कराइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर चर्चा करवा लें।

श्री उपाध्यक्ष : तो चर्चा करा लीजिये फिर।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था हो गयी क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आसन का ध्यान रूल 290 की तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूं। इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष महोदय की सम्मति द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जाए कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यह बहुत लिमिटेड स्कोप है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : यही कह रहा हूं आपको।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कोई प्रश्न तक के लिए इसमें मुनादी कर दी गई है और उसके बाद भी अगर कुछ रिलेक्सेशन आसन के द्वारा दिये गये हैं तो लम्बा पूरा भाषण देकर और इसमें कोई ऐसी अव्यवस्थाएं तो नहीं कर रहे हैं। मेरा आसन से अनुरोध है। (व्यवधान) नहीं, नहीं आप इससे बाहर नहीं जा सकते। यह सदन पूरा इससे बंधा हुआ है और इसी से संचालित होता है, किसी भी माननीय सदस्य को इससे बाहर जाने की कोई गुंजाइश है ही

(श्री हरिसिंह)

नहीं। यह पूरा प्रक्रिया से बंधा हुआ है। किसी भी माननीय सदस्य को इससे बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 3–4 सवाल पूछना चाहता हूं माननीय अकाल राहत मंत्री जी से।

श्री महेश जोशी : पहले व्यवस्था होनी चाहिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप इसको स्पष्ट कर लीजिये। मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं यदि इसमें कोई क्लेरीफिकेशन आप चाहते हैं तो आप क्लेरीफिकेशन कर लीजिये। (व्यवधान) चर्चा होती ही नहीं इस नियम में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप समय तय कर दें, दिन तय कर दें, अकाल पर सदन में चर्चा कराइये। उपाध्यक्ष महोदय, हर एक माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की बात उठाना चाहते हैं और 23,406 गांवों में अकाल है।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर एड्रेस पर बोलने का इनको मौका है, वक्तव्य से प्रश्न पूछ सकते हैं, यह कोई सिस्टम ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर निवेदन कर रहा हूं अकाल पर चर्चा करायी जा सकती है, अलग से फैमिन पर एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, बात करेगी, उस पर आप डिस्कस करेंगे तो उस वक्त चर्चा हो जाएगी और फैसला हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, तो करवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, करवा दीजिये नहीं, आप तय करोगे। मैं नहीं कह रहा हूं करवा देंगे लेकिन यह है कि अभी आप बजट पर बोलेंगे, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलेंगे। यह इसीलिए स्टेटमैंट कराया गया है कि आपको सुविधा हो उसमें चर्चा करने के लिए, यह मंशा थी माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय की। इसलिए चर्चा द्वारा समाप्त करके राज्यपाल के अभिभाषण को शुरू किया जाए।

श्री देवीसिंह भाटी : यह क्या मतलब हुआ ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह सदन नियमों से चलेगा, आपकी इच्छा से नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : आप अकाल के लिए कितने गम्भीर हैं यह तो सारे सदन को मालूम है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : चर्चा क्यों नहीं होगी और इसको रखने का क्या मतलब है ? केवल स्टेटमैंट ही आयेगा क्या ? (व्यवधान) आज इस स्टेटमैंट को रखने का क्या मतलब था ?

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज का समय इसी नियम के तहत तय

(श्री अमराराम)

किया गया था। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उस दिन ही तय किया गया था कि चर्चा होगी अकाल पर। अकाल पर चर्चा के लिए रखा जाता है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पूरे राजस्थान में इससे भयंकर कोई सवाल नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज विराजिये। आप इसकी गम्भीरता को समझिये। आप विराजिये, आपको इसको डायल्यूट मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन को सम्बोधित करने का तरीका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बाद में मौका मिलेगा।

श्री महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन को सम्बोधित करने का तरीका नहीं है, आसन को धमकाया नहीं जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने का अवसर मिलेगा। यही तो कह रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन नियमों से चलेगा या इनकी इच्छा से चलेगा ? यह तय होना चाहिए। इनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने सदन में यह चाहा कि दोनों पक्षों को बजट पर और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए कुछ मैटर चाहिए और स्टेटमैंट दिलायें इस बात के लिए, हमको कुछ मैटर मिल जाए, आपको मैटर मिल गया। अब आप बोलो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप समय तय कर दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई समय तय नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह चर्चा करने के लिए ही रखा गया है, स्टेटमैंट यों ही रखा गया है ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा के लिए ही तय हुआ था कि मंत्री जी वक्तव्य दें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं...(व्यवधान) माननीय भाटी साहब।

श्री हरिसिंह (महुआ) : This House must stick to the wordings in the spirit of the rules. We must adhere to the business of the Rules.

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सचेतक महोदय, जीरो आवर में ही तय किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : इस वक्तव्य पर आप बोलिये न, मैं मना कहां कर रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : जीरो आवर खतम करने का क्या मतलब था ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जीरो आवर खतम करने का मतलब क्या था, स्टेटमैंट आयेगा मंत्रीजी का। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : स्टेटमैंट आये तो उसके ऊपर चर्चा तो हो।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा कर रहे हैं न।

श्री देवीसिंह भाटी : कहां करवा रहे हो ?

श्री उपाध्यक्ष : करवा रहे हैं चर्चा, आप बोलो न, मना कौन कर रहा है। चर्चा का अवसर दे रहा हूं न आपको। आप समझ ही नहीं रहे हैं बात को। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, चारा उगाने के लिए अकाल से बचने के लिए बिजली कनेक्शन ले रखे हैं। आपने बात कही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो आप बोलिये न, मना कोन कर रहा है। I am not stopping you.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है इस विषय की गम्भीरता डायल्यूट नहीं हो, इसलिए आप समय तय कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ नहीं रहे हैं इस बात को। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अब चर्चा बाद में करने से क्या मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष : आज कराइये न आप।

श्री देवीसिंह भाटी : इन आंकड़ों से क्या था, यह आंकड़े तो रोज आते हैं अखबारों में, मेरा पी. ए. भी ले आता है आंकड़े तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी आज ही... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हम अपने जिले की, अपने प्रदेश की बात करना चाहते हैं कि क्या पशुधन की हालत है। (व्यवधान) धोखाधड़ी करके लोगों को मार रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं 10 मिनट बाद आपको बोलने का अवसर दूंगा, आप खूब बोलना। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : विषय की गम्भीरता को देखते हुए वक्तव्य की बात रखी थी, माननीय सारे सदस्य इस बात के ऊपर अपनी भावना रखना चाहते थे और उसी कारण से आज का दिन तय किया था। आज आपने जीरो आवर को स्थगित किया इसी कारण से कि इस विषय के ऊपर चर्चा हो।

श्री उपाध्यक्ष : तो चर्चा करा रहे हैं न।

श्री देवीसिंह भाटी : कहां करवा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : करवा रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अब अभिभाषण के ऊपर उस दिन भी बात आयी थी। अध्यक्ष महोदय ने यह सुझाव दिया था कि अभिभाषण के ऊपर आप अपनी बात रख दें जब विपक्ष के नेता महोदय ने कहा था कि वह गम्भीरता नहीं रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं कहा, यह कहा है कि हमको फीड बैक चाहिए और अब तक जो स्थिति हुई उस पर वक्तव्य दिलायें। आप पूछ लें न इनसे।

श्री देवीसिंह भाटी : हम तो आसन से प्रोटेक्शन चाहते हैं कि अगर सदन में कुछ अवसर दें तो अपनी बात रख सकें।

श्री उपाध्यक्ष : I will give you.

श्री देवीसिंह भाटी : हमको यह पता है कि यह सरकार वही करेगी जो चाहेगी। लोगों को मारेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं सम्पूर्ण प्रोटेक्शन दूंगा आपको। प्लीज विराजिये। (व्यवधान) शुरू करो।

श्री देवीसिंह भाटी : कुछ नहीं, सब लोगों को मूख बनाना... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जो मंत्रीजी ने बतायी ही नहीं, वह मैं बताना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो सदन में अपना अभिभाषण दिया उसके समर्थन में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नवम्बर, 1998 में विधान सभा के चुनाव हुए और उन चुनावों में राजस्थान की जनता ने, राजस्थान की मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी के हित में प्रचंड बहुमत देकर के विधान सभा की 200 में से 153 सीटें दीं। उसके पीछे क्या कारण थे ? मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बड़ा +++ आप नवम्बर, 1998 को याद रखिये जब जनता ने आपके +++ को देखकर फैसला किया। उस वक्त जनता में आपके क्या कार्यकलाप थे, क्या आपको शासन था उससे क्रोधित होकर जनता ने फैसला दिया। इस फैसले के पीछे सीधा सच्चा सोच था कि हम एक ऐसी सरकार चुनें जो आम जनता के भले के लिए, इस प्रदेश से गरीबी मिटाने के लिए, इस प्रदेश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, हर जाति–धर्म को सम्मान मिले, हर वर्ग का सम्मान हो, शोषित और पीड़ित लोगों को न्याय मिले, इस दिशा में कार्य करे और उनके विकास का रास्ता खुले। इसके लिए नवम्बर, 1998 में हमारे राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया। उस समर्थन में हमें खुशी इस बात की

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री आर. पी. शर्मा)

है कि हमें एक ऐसा नौजवान युवा, ईमानदार, मेहनती मुख्य मंत्री मिला जिनका दृढ़ इच्छा संकल्प से स्पष्ट सोच था, जिनका कठोर सोच था और अपने पिछले अनुभव को देखते हुए वे चाहते थे कि इस प्रदेश से गरीबी दूर करने के लिए ऐसा काम किया जाए जिससे कि इस प्रदेश से गरीबी दूर हो, इस प्रदेश से भ्रष्टाचार दूर हो और इस प्रदेश के कमजोर लोगों को मदद मिले। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि माननीय गवर्नर महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, आपके सामने जो उन्होंने कहा है कि इस प्रदेश में किस तरह से सरकार विकास करना चाहती है उसमें सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम, आप सब जानते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या गांवों में बसती है और 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। पूजनीय महात्मा गांधीजी, जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई, उनका एक सपना था, वह चाहते थे कि असली राज का मतलब जब ही होगा जब हमारा ग्राम स्वराज हो, गांवों में आजादी की बात बने। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे पंचायत राज मंत्रीजी ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, पंचायत राज संस्थाओं के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं वह आपसे छिपे हुए नहीं हैं। यह निश्चित रूप से सोची–समझी बात थी कि जब तक हम पंचायतों को अधिकार नहीं देंगे, पंचायतों को इतना सुदृढ़ नहीं करेंगे कि वहां के क्षेत्र के विकास की बात हो तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। उस सोच में सबसे पहला कदम जो हमारी सरकार ने उठाया वह कदम था कि पंचायत राज संस्थाओं में जो डी. आर. डी. ए. हैं उनमें चुने हुए जो हमारे जिला प्रमुख हैं उनको उनका अध्यक्ष बनाया जाए और अध्यक्ष बनाकर डी. आर. डी. ए. का शासन संचालन जिला प्रमुखों के जरिये किया जाए।

इसके अलावा जो नौ महत्वपूर्ण योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों से सीधी सम्बन्धित हैं उनको ग्रामीण मंत्रीजी ने पंचायत समितियों और जिला परिषदों के माध्यम से कराने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त पंचायत राज संस्थाओं में जो अमेंडमेंट हुए थे उसमें एक कमी रही थी कि सरपंच पंचायत समिति का सदस्य नहीं था और प्रधान जिला परिषद का सदस्य नहीं था। थ्री टायर सिस्टम लागू करने के लिए इस सरकार ने सरपंच को पंचायत समिति का सदस्य बनाकर, पंचायत समिति के प्रधान को जिला परिषद का सदस्य बनाकर इस महत्वपूर्ण कार्य को किया है।

इसके साथ–साथ जो पंचायतों में भ्रष्टाचार होता था उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस सरकार ने फैसला किया कि केवल चुने हुए प्रतिनिधि ही उस भ्रष्टाचार के लिए दोषी नहीं होंगे, उसका सचिव या अन्य अधिकारी को भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा 112 करोड़ रुपये का अनुदान देकर भी ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विकास के लिए इस सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इसके साथ–साथ पंचायत

(श्री आर. पी. शर्मा)

राज में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नहीं आये उसके लिए कानून बनाया गया और उस कानून का नतीजा यह हुआ कि अभी जो पंचायत राज के चुनाव हमारे यहां हुए हैं उनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, वह इस राज में नहीं आ पाया।

इसके अलावा जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें पहले एस. सी., एस. टी. और महिलाओं के लिए जो अध्यक्ष के पद आरक्षित थे उन पदों के लिए लोग यह उम्मीद करते थे कि इन पदों पर जो आरक्षित कोटे के अध्यक्ष थे उनको हटाकर हम उसका चार्ज ले लें। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमारी राजस्थान सरकार ने एक नीति बनायी। उसके अन्तर्गत आरक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति ही नोमिनेट होगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण कदम इस सरकार ने उठाया है। "

ग्रामीण विकास के लिए जिला आयोजना समितियों का जो गठन किया गया है उसमें ग्रामीण विकास के लिए केवल जिला आयोजना समिति ही उस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम करेगी।

एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर भी एक व्यक्ति केवल एक पद पर बैठे, यह सोच भी हमारी सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायत राज के क्षेत्र में किया है, वह आपसे छिपा हुआ नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए बहुत जरूरत इस बात की है, लोग कच्ची बस्तियों में रहते थे, वहां आग लग जाती थी, लोग परेशान रहते थे। इस सम्बन्ध में इस समस्या के निवारण हेतु इस सरकार ने 50 हजार रुपये के ऋण देने की योजना की है जिसमें 40 हजार रुपये का ऋण होगा और 10 हजार रुपये की अनुदान राशि होगी, यह भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

इसके साथ–साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन साहब, जो कि मूल भारतीय हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि इस प्रदेश के विकास के लिए जब तक हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तब तक विकास नहीं होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य का सीधा सम्बन्ध विकास से है। जिस प्रदेश में, जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य उत्तम होता है उस प्रदेश का, उस देश का विकास ऑटोमेटिक होना स्वाभाविक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं वह आपसे छिपे हुए नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जरूरी था कि ऐसे लोगों के साथ जो स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसी ढाणी, ऐसे मौहल्ले जहां स्कूल जाने में लोगों को दिक्कत महसूस होती हो या नहीं जा पाते हों उनके लिए इस सरकार ने राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं शुरू करके जो 12,500 पाठशालाएं खोली हैं और जिनका परिणाम यह निकला कि पांच

(श्री आर. पी. शर्मा)

लाख तीस हजार विद्यार्थियों ने इसमें प्रवेश लिया, यह बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम था शिक्षा के विकास में।

इस सरकार ने यह सोच पैदा किया, यह सोच उनका था कि हम केवल प्राथमिक शिक्षा की ही शिक्षा देकर के शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको मालूम है कि 1991 में 38.6 प्रतिशत साक्षरता राजस्थान में है ओर हमारा 22वां स्थान हिन्दुस्तान में आता है तो इस हिसाब से हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए थे। इस सरकार का यह फर्ज बनता था कि इसको सुधारे। यह इस सरकार ने करके दिखाया और 867 प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूल में क्रमोन्नत किया गया, 387 मिडल स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया गया और 189 सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया गया और यह शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है।

सामान्य शिक्षा के साथ—साथ उच्च शिक्षा भी जरूरी है। उसके क्षेत्र में हमारी सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 14 और प्राइवेट सैक्टर में 17 महाविद्यालय खोले हैं। इसके अलावा बीकानेर में सरकारी क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और सीकर और जयपुर में दो निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करके इस सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।

इसके साथ--साथ ही डीफ एण्ड डम्ब, जो बच्चे कहीं पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए विद्यालय खोले गये। ब्लाइंडों के लिए विद्यालय खोले गये। हमारे प्रदेश में हमारे लोगों की इच्छा थी कि संस्कृत जो हमारी संस्कृति का पाठ है, जो वेद और मंत्रों का मूल पाठ है उस संस्कृत का भी विकास हो। इसके विषय में इस सरकार ने संस्कृत महाविद्यालय खोलकर के बहुत बड़ा कदम उठाया है। संस्कृत शिक्षा में 50 प्राइमरी स्कूलों को मिडल और उसी तरह से शास्त्री से आचार्य में कन्वर्ट करके भी इस सरकार ने संस्कृत शिक्षा में बहुत बड़ा कदम उठाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम जो सुरक्षा का था, एक से बारह साल के बच्चे जो पढ़ने जाते थे उनकी सुरक्षा का सवाल था, उनके जीवन की रक्षा का सवाल था तो उसके लिए जो प्रीमियम सरकार देती थी उसको दुगुना करके भी इस प्रदेश की जनता के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए बीमा राशि बढ़ाकर के एक बहुत बड़ा काम किया है।

महिलाओं की शिक्षा को अगर हम लें तो 25 विद्यालयों में लड़कियों के हॉस्टल बनाकर के भी महिलाओं की शिक्षा के लिए कदम उठाये गये हैं।

इसके साथ—साथ बाउण्डरी वॉल, चारदीवारी और यूरिनल्स वगैरह बनाकर भी महिलाओं के विद्यालयों में बहुत बड़ा काम इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किया है। शिक्षा के क्षेत्र में एस. सी., एस. टी. के लिए

(श्री आर. पी. शर्मा)

हायर कालेजेज में, इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज में जिनका रिजर्वेशन पहले था उसको दुगुना करके भी इस सरकार ने एस. सी., एस. टी. और ओ. बी. सी. के लिए ठोस कदम उठाये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार का सोच बिल्कुल साफ है कि हम जब तक शिक्षा को हासिल नहीं कर सकते, उच्च शिक्षा और शिक्षा जब तक इस प्रदेश में नहीं होगी, हम इस प्रदेश की तरक्की नहीं कर सकते। उसी तरह से मैंने कहा कि अमर्त्य सेन ने कहा था कि शिक्षा के साथ–साथ स्वास्थ्य का भी सीधा सम्बन्ध विकास से है। स्वास्थ्य के सम्बन्ध में इस सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। मुझे कहते हुए फख्र है इस बात के लिए कि यह पहला मुख्य मंत्री है जिनको इस बात का सोच आया कि हम उन गरीब लोगों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है, जो कमजोर हैं, जो किसी दूसरे पर आश्रित हैं, जो कमजोर वर्ग के हैं, जिनका कोई इलाज नहीं करा सकता, उनके इलाज के लिए मुख्य मंत्री रक्षा कोष में तीन करोड़ रुपये देने के साथ उसकी स्थापना की गई और उस स्थापना से ये जो बी. पी. एल., बिलो पावर्टी लाइन के लोग हैं, उनको चाहे कितनी भी गम्भीर बीमारी हो, उसके लिए निःशुल्क अगर कोई कदम उठाया है तो हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्री जी ने उठाया है। इसके साथ–साथ मुझे कहने में यह बड़ा दुःख होता है, जहां हम एक ओर स्वास्थ्य के लिए कहते हैं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह स्वास्थ्य का काम करे, हमारे पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं राजेन्द्र जी राठौड़ साहब। आपकी सरकार ने गरीब लोगों के लिए आपने मेडिकल केयर रिलीफ सोसायटी बनाई। उसमें यह कह दिया कि जो भर्ती हो तो पैसा दे, वहां जाकर दिखाये तो पैसा दे। आपने तो स्वास्थ्य को फ्री करने की बजाय वहां एक तरह से टैक्स लगाना शुरू कर दिया। कोई अस्पताल में दिखाने आये तो पहले टैक्स जमा करवाये फिर आप दिखा सकते हैं। लेकिन मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा इस बात के लिए कि इस सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि जो बिलो पावर्टी लाइन के लोग हैं, उनके लिए जो हमारे इलाज का पैसा है, अगर वह मेडिकल केयर रिलीफ कार्ड इश्यू करने के बाद उन सबकी शिक्षा मुफ्त की गई इस सरकार के जरिये, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उन गरीब लोग, कमजोर लोगों के लिए इस सरकार ने उठाया है जिससे कि लोग यह नहीं सोचे, वह अपने आत्म सम्मान के साथ यह कहे कि हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं तो हमारे इलाज में यह सरकार कोई घाटा नहीं आने देगी। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य में उठाया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ इस सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्षय रोग निवारण के लिए 85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, एड्स के निवारण के लिए 86 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, कैंसर रोग के निवारण के लिए

(श्री आर. पी. शर्मा)

15 करोड़ का प्रावधान किया गया। उसी तरह से बीकानेर में एक मेडिकल कालेज कैंसर का स्थापित करने जा रहे हैं।

इसी के साथ–साथ पीने के पानी की समस्या के बारे में मैं कहना चाहता हूं, आज हम राजस्थान की स्वर्ण जयन्ती का साल मना रहे हैं। हमें फख है इस बात का कि इस प्रदेश को बने हुए 50 साल हो गये, 30 मार्च को हमारे 50 साल पूरे हो जाएंगे लेकिन इस प्रदेश में 50 साल के शासन में, हमें चाहिए तो यह था कि हम शिक्षा, मेडिकल एण्ड हैल्थ और पीने के पानी जैसी समस्याओं को अगर हम दूर रहें, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह देश की वास्तविक आजादी नहीं है पर हमें खुशी इस बात की है कि इस सरकार का एक सोच बना कि हम जब तक बड़ी–बड़ी योजनाएं बनाकर के पीने के पानी की समस्या को हल नहीं करेंगे, इस प्रदेश में हम पीने के पानी की समस्या को हल नहीं कर सकते। इस सरकार ने अपने कार्यकाल में 2000 करोड़ रुपये की बड़ी–बड़ी योजनाएं अपने हाथ में ली हैं और केवल योजनाएं हाथ में नहीं ली, इन योजनाओं पर कार्य भी शुरू हो गया है। जैसे जोधपुर में इन्दिरा गांधी नहर से, पीने के पानी की व्यवस्था हेतु 149 करोड़ रुपये स्वीकृत करके उसका काम शुरू हो गया है। उसी तरह से जयपुर शहर में बीसलपुर बांध से पानी लाने के लिए 1100 करोड़ रुपये की योजना इस सरकार ने ली है, उस पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। उसी तरह से अजमेर को बीसलपुर से पानी मिले, उसके लिए भी लगभग 100 करोड़ रुपये की योजना सरकार ने हाथ में ली है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि भरतपुर जिला जिसमें खारे पानी की समस्या थी, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, यह प्रथम सरकार है, यह पहली सरकार है जिसने भरतपुर के लिए चम्बल से पीने का पानी लिफ्ट करके उपलब्ध कराने हेतु 166 करोड़ रुपये की योजना प्रारम्भ हो गई है। उसी तरह से कच्ची बस्तियों के लिए जहां पीने के पानी की समस्या है, वहां 6000 गांव चिन्हित किये गये हैं, उनमें पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु यह सरकार काम करेगी। राजीव गांधी नेशनल पेयजल मिशन के माध्यम से भी यह सरकार पीने के पानी की समस्या हल करना चाहती है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, काम बड़े जरूर हैं इनको हाथ में लेने में समय लग सकता है लेकिन यह सोच तो पैदा हुआ कि पीने के पानी की समस्या के समाधान करने के लिए यह कार्यक्रम हाथ में लिये गये। इसी के साथ–साथ मैं इस बात के लिए भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान, जैसा कि मैंने कहा कि कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहां लोग गांवों में रहते हैं, कृषि पर आश्रित हो गये। कृषि के क्षेत्र में इस सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। पहली बार चम्बल का हमारा जो पानी बचता है, उसको कैसे हम प्रोपर वे में यूटिलाइज करें, उसके लिए सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, वे सराहनीय हैं

(श्री आर. पी. शर्मा)

और कुल तीन लाख हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के कार्य में प्रगति करने के लिए सरकार ने धन दिया है। साथ ही साथ किसान के भले के लिए, आज तक जो किसान की फसल उगती थी, जब किसान की फसल ज्यादा हो जाए तो कोई उसको खरीदने वाला पैदा नहीं होता था और किसान की फसल कम होती थी तो किसान वैसे मर जाता था लेकिन मुझे खुशी है इस बात के लिए कि इस सरकार ने इस बात को माना कि जब तक हम किसान को मजबूत नहीं करेंगे, उनकी फसल का पूरा पैसा नहीं देंगे, हमारा किसान मजबूत नहीं हो सकता। उसके लिए सरकार ने वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के जरिये किसान को इस बात की छूट दी कि कोई किसान अगर अपने माल को नहीं बेचना चाहता है तो जो हमारी फिक्स्ड रेट है, जो हमारी रेट फिक्स की गई है, उसके आधार पर वेयरहाउसिंग कारपोरेशन में अपना माल जमा करवा दे और 75 प्रतिशत राशि उसी वक्त ले जाये। जिसका परिणाम यह हुआ कि 199 लाख मैट्रिक टन माल इस साल हमारे किसानों का खरीदा गया, किसानों को अच्छी कीमत मिली।

इसी के साथ–साथ आप जानते हैं कि पहले सेठ लोगों को केवल बैंक ऋण दिया करती थी। किसान अगर ट्रेक्टर पर लोन ले तो दुबारा कागज बनवाये, ट्यूबवैल पर लोन ले तो कागज बनाये, और किसी काम से लोन ले तो कागज बनवाये लेकिन इस सरकार ने पहली बार सहकारी किसान कार्ड की योजना चालू करके, किसान को एक कार्ड दिया गया है, उसमें उसकी लिमिट तय की गई है, उसकी जमीन के आधार पर कोई भी किसान उस लिमिट के अनुसार कभी भी पैसा ले सकता है, कभी भी जमा कर सकता है। इससे भी किसानों को बहुत बड़ी सहायता मिली है। इसी के साथ–साथ कृषि के साथ–साथ जब तक पशुधन का विकास नहीं करेंगे, पशुपालन क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ायेंगे, हमारे किसान की मदद नहीं कर सकते। इस क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। 100 पशु औषधालय राजस्थान में खोले गये, 400 पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि पशु औषधालय खोलने के बाद इस प्रदेश में पशुपालन का काम बढ़ेगा और पशुपालन का काम बढ़ने से आपको जैसा कि मैं कह सकता हूं, इस प्रदेश की तरक्की के लिए मौका मिलेगा।

इसी के साथ–साथ एक महत्वपूर्ण काम सरकार ने इन किसानों के लिए किया है। बड़े लोग, कुछ पूंजीपति लोग सहकारी समिति बनाकर के जमीन खरीदने के बाद अपने प्लाट्स बनाकर उन प्लाट्स को बेचा करते थे। लेकिन इस सरकार ने फैसला किया है कि किसान खुद अपनी जमीन का नक्शा बनाकर, प्लाट बनाकर, लैंड यूज चेंज करवाकर के प्लाटिंग का काम कर सकता है। इससे भी

(श्री आर. पी. शर्मा)

किसानों के शोषण को सरकार ने रोका है। इससे निश्चित रूप से किसान की आर्थिक उन्नति होगी।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि आज इस प्रदेश के विकास की बात है, बिजली के उत्पादन में मैंने अपने पहले भाषण में कहा था, जिस तरह से हम कहते थे "रोटी, कपड़ा और मकान", लेकिन रोटी, कपड़ा ओर मकान के साथ—साथ बिजली को भी हमें एक साथ जोड़ना पड़ेगा क्योंकि बिजली के लिए न तो किसान निर्भर रहता है, न उद्योगपति उस पर निर्भर रहता है। बिजली हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताओं में बहुत जरूरी हो गयी है। आज जरूरत इस बात की है कि बिजली के उत्पादन में हम अधिक से अधिक तरक्की करें और मुझे कहने में इस बात का दुःख है कि पूर्व की सरकार ने बिजली के उत्पादन में ठोस कदम नहीं उठाये लेकिन जब से यह सरकार बनी, इस सरकार की नीयत और मंशा बिलकुल साफ थी कि जब तक हम बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे, न तो हम उद्योग धंधों को आगे बढ़ा सकते हैं, न खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, न हम जनता की सेवा कर सकते हैं। उस सम्बन्ध में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में इस सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। उसमें सरकार का एक लक्ष्य था कि हम अपने कार्यकाल में 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करें और उसमें केवल लक्ष्य ही नहीं रखा बल्कि हमारी सरकार ने कारगर कार्य भी किया है। 250 मेगावाट का हमारा सूरतगढ़ में ताप बिजलीघर प्लांट शुरू हो गया है फरवरी, 99 में। दूसरा प्लांट अक्टूबर, 99 में शुरू हो गया। बरसिंगसर में हमारे प्लांट की योजना स्वीकृत हो गई है। इसी के साथ—साथ गैर परम्परागत ऊर्जा क्षेत्र में भी इस सरकार ने कठोर फैसला करके एक नीति बनाई है। उसके साथ राजस्थान का यह पहला बजट था, जबकि बिजली उत्पादन के लिए, बिजली बोर्ड की मदद के लिए इस सरकार ने 900 करोड़ रुपये बिजली बोर्ड के लिए दिये हैं। यह पहला बजट था इस प्रदेश में कि इतनी अधिक राशि देने का मतलब साफ है कि इस सरकार की नीयत साफ है कि बिजली उत्पादन से ही इस प्रदेश की प्रगति हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ—साथ मैं कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा कि इस प्रदेश में गरीबी है, इस प्रदेश में बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए जब तक हम औद्योगिक विकास नहीं करेंगे, इंडस्ट्रीज का डवलपमेंट नहीं करेंगे, केवल कृषि पर रहकर इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में सरकार ने जो सकारात्मक रूख अपनाया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आगे आने वाले समय में उद्योग धंधों की भी तरक्की होगी क्योंकि सबसे पहला काम हमने एक इकोनोमिक डवलपमेंट बोर्ड बनाया है। उसके साथ—साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट से सम्बन्धित मुख्य मंत्रीजी की

(श्री आर. पी. शर्मा)

अध्यक्षता में एक बोर्ड का गठन भी किया गया है और एक सिंगल विंडो क्लियरेंस, जिसमें तय किया गया है कि एक ही विंडो पर कितने–कितने बड़े उद्योगों के लिए, 25 लाख का अगर उद्योग है तो उसके लिए कौन इम्पावर्ड है और इससे ऊपर के लिए कौन इम्पावर्ड है, उसके लिए त्वरित गति से उद्योगों के काम में प्रगति हो तथा उनको कोई रुकावट नहीं आये। उद्योगों के नियमों और प्रक्रिया को सरल किया गया है, राजस्थान फाइनेंशल कारपोरेशन और रीको के नियमों को सरल किया गया, रीको से पहले जो भूमि के आबंटन में कठिनाई थी, उसको दूर किया गया है। इसी तरह से यह सरकार चाहती है कि हम उद्योगों का अधिक से अधिक विकास करके इस प्रदेश का विकास करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग के विकास में अब तक अड़चनें थीं, एक काम इण्डस्ट्रियल पॉलिसी, 1948 हिन्दुस्तान में बनी हुई है, उसके बाद में समय–समय पर पॉलिसी पर विचार तो किया गया लेकिन आज तक भी इस सोच का डवलपमेंट नहीं हो पाया है कि ग्रामीण औद्योगिक पॉलिसी जब तक इस देश में नहीं बनेगी, इस प्रदेश में नहीं बनेगी, ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग धंधों का कैसे डवलपमेंट हो, हम उद्योग धंधों में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, न बेरोजगारी को हम दूर कर सकते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस बात की पहल करे, ग्रामीण औद्योगिक विकास नीति हम बनायें जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले लोग, ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित उत्पादन के सम्बन्ध में उद्योग वहीं लगे, उसमें सहायता दी जाये, निश्चित रूप से यह इस प्रदेश के विकास में एक बड़ा कदम और होगा।

(13.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक साधनों का किस तरह से दोहन हम कर पायें, इसके लिए सरकार ने साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की मदद से एक रिमोट सेंसिंग रिसोर्स एटलस तैयार की है और उसमें वाटर शेड एटलस, दोनों एटलस इस तरह की है, किस तरह से हम कहां किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कहां क्या साधन हैं, क्या साधन नहीं है, उसका विस्तृत ब्यौरा भी दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने कहा है, इस प्रदेश में बेरोजगारी है, इस प्रदेश में मैंने कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार ने महिलाओं के साथ अत्याचार हुए उन पर ध्यान नहीं दिया, इस प्रदेश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुए उन पर ध्यान नहीं दिया गया, इस प्रदेश में मानव की रक्षा के लिए जो काम होने चाहिए थे, मानव अधिकार आयोग की जो जरूरत थी, वह नहीं बनाया गया। इस सरकार ने सबसे पहले महत्वपूर्ण काम मानवाधिकार आयोग का गठन करना, महिला आयोग का गठन करना, अल्पसंख्यक आयोग का गठन करना, यह महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया

(श्री आर. पी. शर्मा)

है। इसके साथ–साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हिन्दुस्तान गरीब है, यहां के लोग अपना सिर ढकने के लिए कच्ची बस्तियों में शरण लेते हैं, अपने मकान बनाते हैं। इस सरकार के सामने बहुत बड़ा सोच था कि ऐसी कच्ची बस्तियां, जो 15 अगस्त, 1998 से पहले इस प्रदेश में चाहे सरकारी भूमि हो और चाहे निकायों की भूमि हो, उस पर बसी हों, ऐसी कच्ची बस्तियों को, जो यह 2113 बस्तियां थीं उनको चिन्हित किया गया और एक नीति बनाई गई कि इसमें दो सौ वर्गगज भूमि का पट्टा, नियमन सरकार द्वारा किया जाए। इसमें दो राय नहीं है कि अभी पूरा काम नहीं हुआ है लेकिन काम स्टार्ट हो गया है, काम जारी है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, ऐसे गरीब लोगों के लिए इस कच्ची बस्ती नियमन से बहुत बड़ी रिलीफ मिलने जाएगी और मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि इस प्रदेश में बेरोजगारी है। यह आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार के भरोसे अगर हम रोजगार की बात करें, केवल यह सोचें कि सरकार हमें नौकरी देगी, कोई भी सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, चाहे किसी भी दल की हो और चाहे भारत सरकार हो, सबको रोजगार नहीं दे सकती। मैकाले की शिक्षा पद्धति से हट करके हमको स्वरोजगार योजनाओं में आना पड़ेगा। अगर व्यक्ति जो होशियार है वह अपनी सोच करके आगे चलता है, हम स्वरोजगार योजनाओं के लिए अपने नौजवान शिक्षितों के लिए ऐसा मौका नहीं देंगे तो केवल मैकाले की पद्धति से हम सोचते रहें कि हमें रोजगार मिल जाएगा, यह असम्भव है। इस सरकार ने इसी बात को स्वीकार करते हुए स्वरोजगार योजनाओं में एक लाख गुमटियां बनाने का जो फैसला किया है, आगे आने वाला समय बतायेगा कि यह कितना महत्वपूर्ण फैसला है उन बेरोजगार नवजवानों के लिए, जिनको कि खाने को नहीं है, जो गरीब हैं और खास तौर से यह योजना उन लोगों के लिए बनी है जो बिलो पावर्टी लाइन के हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला इस सरकार ने एक लाख लोगों केलिए गुमटियां बनाकर देने का जो किया है, मैं कहता हूं यह बहुत सराहनीय कदम है। इसके साथ–साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यह निश्चित ही सही बात है कि आज हम परम्परागत उद्योगों से, कृषि से हट करके अगर पर्यटन और सेवाओं के क्षेत्र में भी अपने को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे प्रदेश की गरीबी दूर कर सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं। पर्यटन के विकास में इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं और उठाने जा रही है। अभी माननीय बिल क्लिंटन साहब गये, मुझे फख्र है इस बात का, आगे आने वाले समय में राजस्थान में पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप बढ़ेगा क्योंकि जिस तरह से मीडिया में और इस तरह से पूरे संसार में राजस्थान के प्रति जो सहानुभूति हुई है पर्यटन के क्षेत्र में, मैं यह निश्चित रूप से कह सकता

(श्री आर. पी. शर्मा)

हूं कि पर्यटन का भविष्य आगे बहुत अच्छा है। इस क्षेत्र में भी यह सरकार बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे सैनिकों की है और उन सैनिकों का अगर सम्मान नहीं हो, उन सैनिकों के प्रति सरकार सिम्पैथी नहीं रखे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश का भविष्य और उस देश की जनता सुरक्षित नहीं है। इस बात को कहते हुए मुझे खुशी है कि राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से सैनिकों के सम्मान हेतु और सैनिकों के लिए एक अपनी पहल की, एक पैकेज की जो घोषणा की है, वह पैकेज मैं कह सकता हूं, सभी प्रदेशों से अगर उसका तुलनात्मक अध्ययन करें, बहुत ही अच्छा पैकेज इस सरकार ने सैनिकों के सम्मान के लिए दिया है। और केवल पैकेज की घोषणा, पैकेज देने की बात नहीं है, इस सरकार के मुख्य मंत्री ने खुद जाकर के उस दुःख में शामिल होकर जिस तरह से अपनी संवेदना बताई है, मैं कहता हूं इसमें राजस्थान की जनता उनके प्रति बहुत सहानुभूति रखती है और राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अभी बजट पेश किया, उस बजट के बारे में मुझे कहते हुए दुःख है कि किसी देश के विकास के लिए इतना खतरनाक बजट शायद कभी नहीं हो सकता। जहां कस्टम, एक्साइज ड्यूटी जो हमारी थी 16–6, 8–16–24, उसको उन्होंने कह तो यह दिया कि 16 प्रतिशत हम कर रहे हैं लेकिन 24 प्रतिशत को घटाया नहीं, 8 से 16 कर दिया। उसके साथ–साथ जो कस्टम ड्यूटी हमारी थी 40 प्रतिशत, उसको कम कर दिया है। इससे आगे आने वाले समय में जो हमारा उत्पादन है उसमें गिरावट आयेगी और इम्पोर्ट बढ़ेगा, उससे इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। इस सरकार के प्रति मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, भारत सरकार गरीबों के सोच के लिए नहीं है, मजदूरों के सोच के लिए नहीं है, किसानों के सोच के लिए नहीं है, यह तो केवल पूंजीपतियों और समय को निकालने वाली सरकार है। इसलिए मुझे कहने में दुःख है इस बात का कि जिस तरह से इन्होंने पहले पांच रुपये लीटर डीजल के बढ़ाये, फिर धीरे–धीरे इन्होंने बजट में नहीं बढ़ा करके गैस के पचास रुपये प्रति सिलैण्डर बढ़ाये, ढाई रुपये लीटर केरोसिन के बढ़ाये, इससे महंगाई बढ़ेगी, गरीब लोगों को नुकसान होगा।

इसके साथ–साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रदेश के पास एक नौजवान ईमानदार, युवा मुख्य मंत्री हो, जिसका स्पष्ट लक्ष्य हो, जिसका दृढ़ विश्वास हो, जिसमें काम करने की लगन हो,

(श्री आर. पी. शर्मा)

वह मुख्य मंत्री इस प्रदेश की जनता की रक्षा के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए पूरी मेहनत करेगा। अब मैं माननीय प्रतिपक्ष वालों से कहना चाहता हूं – तेरे सीने में न सही, मेरे सीने में सही, आग लगनी चाहिए। मेरा मकसद केवल हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे हम किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, हमारा सबका मकसद है इस प्रदेश से गरीबी दूर हो, इस प्रदेश से बेरोजगारी दूर हो, इस प्रदेश से भ्रष्टाचार दूर हो। जनता ने हम सब को चुना है, हमको यह बात कहकर के चुना है। हम अपनी बातें करें, निश्चित रूप से सही बात है लेकिन प्रदेश के भले के लिए अगर कोई आम सहमति बनती है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए।

अन्त में निवेदन करना चाहता हूं, सबसे लास्ट में, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार है और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं, अगर हम विकास के घड़े को कितना भी भरें, उसमें कितना भी कार्य करें, उस घड़े में अगर छेद है तो वह घड़ा कभी नहीं भर सकता। और उस घड़े में छेद क्या है, सब अच्छी तरह से जानते हैं। उस घड़े में आज कोई छेद हो गया है, वह बहुत बड़ा छेद है राजनीतिज्ञों और कर्मचारियों में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। जब तक राजनीतिज्ञों और कर्मचारियों में भ्रष्टाचार खतम नहीं होगा तब तक हम इस विकास के घड़े को नहीं भर सकते। इन कामनाओं के साथ जब तक कि राजनीतिज्ञ इस बात का सोच पैदा करें कि हमें ईमानदारी से, मेहनत से इस प्रदेश की सेवा करनी है तथा जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार जो कठोर कदम उठाने की सोच रही है, आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा कि रोडवेज के कर्मचारियों को निलम्बित करने के बाद सोलह लाख रुपये की आमदनी बढ़ गई, इस प्रदेश में हमारे पास कोई नैचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, यहां की जनता मेहनती है, यहां के लोग मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं लेकिन इस भ्रष्टाचार ने जो अपना इतना बड़ा रूप धारण कर लिया है, इसको अगर इस प्रदेश से खतम नहीं करेंगे, इस प्रदेश की बहबूदी और उन्नति नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती ममता शर्मा।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करती हूं, राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र और मिलेनियम की इस राजस्थान विधान सभा में हमारे मुख्य मंत्रीजी द्वारा किये गये प्रगतिशील और जनता को जागरूक करने के कार्यों के लिए मैं सभी को हार्दिक बधाई देकर यह बात जरूर कहना चाहूंगी कि पचास साल की आजादी के बाद पहली बार

(श्रीमती ममता शर्मा)

ऐसा कोई ठोस कदम उठाये गये और वो हमारी राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री माननीय अशोकजी गहलोत द्वारा किये गये कार्य हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि, ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्य, ग्राम पंचायतों के चुनाव...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कितना अच्छा भाषण चल रहा है और इस तरह यह वरिष्ठ लोग...

श्री उपाध्यक्ष : आपने भी जाकर के नमस्ते किया है, आपने भी। आपने यही किया है, शुरूआत आपने की है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पी. सी. सी. के प्रेसीडेंट वहां होंगे, यह सदन है। सदन नियमों से चलेगा। उपाध्यक्ष जी, यह क्या है ?

श्री मदन दिलावर : यह बहुत गम्भीर मामला है। दो—दो वरिष्ठ मंत्री इस प्रकार चर्चा करें...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसकी शुरूआत माननीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ ने की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने नहीं की है। मैंने यहीं बैठ कर अभिवादन किया था।

श्री उपाध्यक्ष : वह एक ही बात हो गई। बात तो बराबर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, देखिये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ममता जी।

श्रीमती ममता शर्मा : नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के चुनाव उन विषय परिस्थितियों में करवाना, जब राज्य कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी और जिस हड़ताल ने रिकार्ड ब्रेक किया, 64 दिन की हड़ताल, पहली बार यह हड़ताल हुई इतने लम्बे समय के लिए लेकिन मुख्य मंत्री जी ने साहसिक कदम उठाकर उस हड़ताल में सफल चुनाव करवाये। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की अवधारणा ग्राम स्वराज की कलपना के तहत हमारे मुख्य मंत्री जी ने और पंचायत राज मंत्री जी ने जितने अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये हैं, जिला परिषदों को दिये हैं, प्रधानों को दिये हैं, जो सारे काम डी. आर. डी. ए. के जरिये होते थे वे सब जनप्रतिनिधियों के जरिये करवाना एक बहुत बड़ा कदम है। राज्य की जनता के हित में जितने कार्य जल्दी से जल्दी सम्भव थे हमारी सरकार ने उन कार्यों को पूर्ण करने का बीड़ा उठाया और जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, मैं सोचती हूं कि इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी से जल्दी हो रहा है और जो बाकी बचे हुए काम हैं वे होंगे। अभी—अभी पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने सारा कुछ बहुत अच्छा विवरण दिया कि जिस तरह से हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठा कर और विकास के कार्यों को गति दी है और ऐसे—ऐसे निर्णय लिये हैं जिनके लिए हमारे राज्य की

(श्रीमती ममता शर्मा)

जनता सालों से तरस रही थी, उन सराहनीय कामों के लिए इस सरकार का हमें जी खोल कर, हमें ही नहीं, मैं विपक्ष के सम्माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगी, उनसे भी अनुरोध करूंगी कि उन्हें भी खुल कर भूरि--भूरि प्रशंसा करनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात को नहीं दोहराते हुए यह चाहूंगी कि कुछ अपने सुझाव अवश्य रखूं। जिस तरह से हमारी सरकार फाइनेंशियल क्राइसेस से गुजर रही है और केन्द्र सरकार हमें पैसा देने को तैयार नहीं है ओर हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य जो विराजे हुए हैं वे इस बात के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। यह हमारे अकेले का हित नहीं है इसमें राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर हमें काम करना चाहिए और राज्य की जनता के हित में जितने कार्य हो सकें गरीबी उन्मूलन के लिए हमें करना अत्यन्त आवश्यक है। प्रकृति ने राजस्थान को परिश्रमी मानव सम्पदा दी है, कला दी है, संस्कृति दी है और प्राकृतिक सौन्दर्य दिया है। हमें इन सबको दृष्टिगत रखते हुए कुछ ऐसे कार्यो की तरफ अग्रसर होना चाहिए, जिस तरह से बरामदा प्रकरण चल रहा है उसी तरह से कुछ ऐसे कार्य हों कि जिसे जनता याद करे। ऐसे लोग जो राजनीति से कभी प्रेरित नहीं हुए और राजनीतिक रूप से उन्होंने कभी किसी गवर्नमेंट के लिए कोई कमेंट नहीं किया, कोई कम्प्लीमेंट नहीं दिया आज वे इस सरकार की भूरि--भूरि प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं इस राजस्थान प्रदेश में। इस समृद्ध प्रदेश में जो कुछ कमियां हैं उन्हें यह हमारी सरकार कम करे इसके लिए हमारे सामूहिक प्रयास होने चाहिए। मेरा सरकार से बहुत--बहुत करबद्ध निवेदन है कि कोई ऐसे काम हों जिन्हें हम याद करें। वीरगाथाओं को लेकर अगर हम देखते हैं तो कारगिल का जो हमारे सामने उदाहरण आया प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के सैनिकों ने अपनी जान झोंक दी इस देश को बचाने के लिए। ऐसे प्रदेश में जिसमें सबसे ज्यादा सैनिकों ने अपनी जान झोंकी हो और जिस प्रदेश ने अपने उन कारनामों से अपने नाम को रोशन किया हो, आगे भी हमें इसके लिए कुछ करना अत्यन्त आवश्यक है। राज्य के आर्थिक विकास को गति देने के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव रख रही हूं और वे सुझाव यह हैं कि हमें शहरी क्षेत्र की तरह ग्राम स्तर को भी वैज्ञानिक तरीके से जोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। वैज्ञानिक प्रगति से जोड़ना हमें अत्यन्त आवश्यक हो गया है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे पिछड़े हुए हैं इनमें दो चीजों की कमी जो खास महसूस करती हूं, सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर और उसके बाद सड़क।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि हम जब शिक्षा की बात करते हैं, हम जब लिटरेसी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह

(श्रीमती ममता शर्मा)

सोचना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए या साक्षरता के लिए वहां आने–जाने का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है या नहीं। इतने वर्षों बाद भी जो सरकारें आयीं और खास तौर से जो पिछले 10 साल सरकार रहीं, इन्एक्टिवली

(13.15 बजे)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति, पदासीन)

जिसने रोल किया अपने निजी स्वार्थों के प्रति सजग सरकार ने जिसने कोई काम नहीं किया आज हमें उसके लिए सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और हमारी सरकार का माइन्यूट आब्जर्वेशन इसके लिए होना चाहिए कि वह क्या करे। जहां तक पी. डब्ल्यू. डी. का सवाल है सड़कों को हमें शीघ्रातिशीघ्र जैसे भी हम ठीक कर सकें, चाहे वह बी. ओ. टी. स्कीम हो, चाहे वह एम. ओ. टी. स्कीम हो और चाहे वह मेन्टीनेंस लाइनीयर चार्ट बनाकर किया जाए, कैसे भी हो लेकिन हमें सड़कों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कृषि उपज मण्डी के माध्यम से या पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से हमें सबसे पहले यह कार्य करने चाहिए। जहां तक पीने के पानी का सवाल है, अगर पीने का पानी नहीं है तो जीवन ही नहीं है। हवा, पानी के बिना जीवन नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि दोनों मंत्री यहां विराजमान हैं उन्हें सबसे पहले इसका ध्यान देना पड़ेगा। मेंटीनेंस लाइनीयर चार्ट के तहत जो पंचायत समिति में पी. डब्ल्यू. डी. के कामों का चार्ट लगेगा उसमें सीधा जनता से सम्पर्क होगा ओर उन कामों के लिए जनता की जिम्मेदारी होगी। वह यह बतायेगी कि आज कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। वह चार्ट पंचायत समिति में लगाया जाएगा कि वे यह पता कर सकें कि किस क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाए। और अगर ऐसे काम होगा तो मैं सोचती हूं कि इस माध्यम से ही हम भ्रष्टाचार को खतम कर पायेंगे। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन ए. ईएन. और जे. ईएन. और जो ऊपर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे हमें किसी न किसी तरह से जरूर खतम करना होगा। जैसा मैंने सुना है और पाया है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी यह भी कर रहे हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी अब कदम उठाये जाएंगे। जनता की पूर्ण चौकीदारी में अगर जनता के ही काम होंगे तो मैं सोचती हूं कि उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, जनता स्वयं जिम्मेदार होगी। मेंटीनेंस रोड प्लान जो है वह अपनाना चाहिए जीरो से लेकर तीन किलोमीटर तक की सड़क अगर एक बार रिपेयर हो चुकी है तो उसके लिए यह होना चाहिए कि कहीं दुबारा उसके लिए टेण्डर पास नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, यही होता है. तीन किलोमीटर की सड़क पर बार–बार टेण्डर पास होते हैं, ठेकेदारों का पैसा इंजीनियर्स और इन सब में बंट जाता है और काम नहीं हो पाता है और जनता सीधी शिकायत

(श्रीमती ममता शर्मा)

जनप्रतिनिधियों से करती है। इसके लिए हमें कुछ कारगर काम करने होंगे। अगर इसी तरह का काम हुआ तो मैं सोचती हूं कि जो रिपोर्ट पेश होगी माननीय मंत्रीजी के सामने उसका एक अनूठा उदाहरण होगा। क्वालिटी कंट्रोल के लिए ऑडिट होनी चाहिए और उस ऑडिट की रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए कि काम हुआ या नहीं हुआ और नहीं हुआ तो जनता सीधी शिकायत करे, ऐसे कुछ प्रावधान होने चाहिए।

ग्रामीण विकास के लिए मेरे दो–एक छोटे–छोटे सुझाव हैं जो मैं यहा रखना चाहती हूं। राज्य सरकार को स्वयं कम से कम दो पंचायतें एडाप्ट करनी चाहिए। उन पंचायतों में डाइरेक्ट पैसा पहुंचे यह प्रावधान होना चाहिए। माध्यम किसी को न बनाया जाए, यह प्रावधान होना चाहिए और फिर उन पंचायतों की प्रगति को देखा जाना चाहिए कि उन पंचायतों में क्या प्रगति हुई और आदर्श पंचायतों के रूप में उन पंचायतों को लेना चाहिए। ग्राम पंचायत के ग्रामवासी, सरपंच, मैम्बर्स और उप सरपंच सब स्वतंत्र हों और मिल कर कार्य करें तो मैं सोचती हूं कि हर व्यक्ति की भागीदारी जब इसमें होगी तो इसमें कमीशन प्रथा की समाप्ति हो जाएगी और भ्रष्टाचार एजेन्सी कहीं नहीं जुड़ पाएगी। प्रजातंत्र के हिसाब से गांवों का ग्रामीणों द्वारा करवाया गया जो काम होगा वह समृद्ध व्यवस्था हमें दे पाएगा। गरीबी उन्मूलन के लिए हमें एन. जी ओज. का सहारा नहीं लेना चाहिए। राजीव गांधी पाठशाला में जो हमने अभी 16 हजार पाठशालाएं खोली हैं राजीव गांधी पाठशाला के नाम से, उन पाठशालाओं के टीचर्स को हमें तीन महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम देना चाहिए और अगर वे तीन महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेंड हो जाते हैं, क्योंकि वहीं पर पैदाइश, वहीं पर पला–बढ़ा और वहीं पर साक्षर हुआ, वहीं पर शिक्षा, ऐसे जो लोग होंगे वह किसी भी गांव के लिए, किसी भी पंचायत के लिए खुल कर कार्य करेंगे और मन से जुड़ कर कार्य करेंगे। उसके अनूठे नतीजे हमारे सामने आयेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह अनुरोध है कि अकाल राहत के कार्यों में महिलाओं की भागीदारी भी सरकार को जरूर देनी चाहिए। महिलाओं को भी अकाल राहत के कार्यों में अवश्य जोड़ा जाना चाहिए। कोई भी पुरुष यह नहीं समझे, यहां पुरुष वर्ग ज्यादा है, कि मैं कोई आक्षेप लगा रही हूं या किसी तरह का मेरा पुरुषों के मामले में कोई संदेहात्मक वाक्य मैं कह रही हूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन महिलाओं की भागीदारी होना आवश्यक है। महिलाओं की सच्चाई, ईमानदारी, तहेदिल से जो महिलाएं जुड़ती हैं पुरुषों में वह भावना नहीं आ सकती। क्योंकि महिलाओं का एक वात्सल्य भाव, इस देश के प्रति, इस जमीन के प्रति जुड़ा हुआ है। आप महिलाओं के बारे में भी सुनने की कोशिश करें। इसके रिजल्ट भी आयेंगे। (व्यवधान) यह बहुत सही बात है इसीलिए आपके यहां कोई महिला नहीं

(श्रीमती ममता शर्मा)

है। (व्यवधान) महिलाएं तो हैं, महिलाओं के लिए कोई मना नहीं है लेकिन महिलाओं के लिए रजिस्टर भी अलग से हो, उनकी मस्टररोल भी हो और साथ में मेजरमेंट भी अलग से किया जाए और उनके लिए सर्टिफिकेशन भी अलग से हो। राज्य के हित में अगर इन सब बातों को रखा गया तो मैं सोचती हूं कि महिलाओं के काम की वेल्यू को निर्धारित किया जाए, महिलाओं के समय की वेल्यू को निर्धारित नहीं किया जाए। एक 55 वर्षीय महिला अगर अपने काम को अपने पुत्र या पुत्री से करवाती है तो उसके लिए कोई आब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आपको काम से मतलब है। इतने पुरूष बैठे हुए हैं, आपको रोटी खाने से मतलब है, यह मतलब नहीं होना चाहिए कि खाना मां ने बनाया है या खाना पत्नी ने बनाया है या खाना पुत्री ने बनाया है। महिलाओं के लिए इतनी सी एक रियायत मैं सोचती हूं बहुत जरूरी है।

श्री रामसिंह विश्नोई : जहर मिला दे तो ?

श्रीमती ममता शर्मा : साहब ऐसे कैसे जहर मिला देगी ? मां कहलाने वाली महिला कभी जहर नहीं मिला सकती।

वाटरशैड का जहां तक सवाल है, किसान के हित में इन कार्यक्रमों को सख्ती से लागू करना चाहिए। इससे हमें बहुत लाभ हो सकता है। इसमें जोइंट डाइरेक्टर की पोस्ट हुआ करती थी, उस पोस्ट को खतम किया गया है। वह पोस्ट जनता, सरकार और वहां की समस्याओं के बीच का एक बहुत बड़ा माध्यम थी। मैं जानती हूं कि ओवर स्टाफ है और जो ओवर स्टाफ लोग हैं उनको कम करना चाहिए और उनकी सैलेरी से हमें विकास के काम करवाना चाहिए। यह बात सभी को समझ में आती है लेकिन जिन पोस्टों की हमारे किसानों के लिए आवश्यकता है उन पोस्टों को कम नहीं किया जाना चाहिए। हमारे राजस्थान की 75 प्रतिशत जनता किसानों में वास करती है, गांवों में वास करती है। जो शहरी लोग हैं वे इतनी समस्याओं से घिरे हुए नहीं हैं। किसानों के लिए बिजली की कमी है, किसानों के लिए पानी की कमी है, किसानों की नहरें खराब हो चुकी हैं, किसानों के लिए खातेदारी नहीं है। कैचमेंट की समस्या है। कैचमेंट का जहां तक सवाल है, कैचमेंट की जमीनें किसानों को जल्दी लौटानी चाहिए। मई के मिड में लौटानी चाहिए। किसानों को कैचमेंट की जमीनें लौटाई जाती हैं जून के मिड में और वह एक क्राप लेट हो जाता है। वह उस क्राप को कर ही नहीं पाता। एक क्राप लेट होकर उसका सीजन निकल जाता है। यह छोटी—छोटी बातें सुनने में और कहने में बहुत छोटी लगती हैं लेकिन किसान के हित में यह बहुत बड़ी बात है।

सभापति महोदय, चूंकि कोटा डिविजन की हूं इसलिए कोटा की बात कहना चाह रही हूं। सी. ए. डी. में कई समस्याएं आई हुई हैं और सी. ए. डी. के लिए जितना पैसा

(श्रीमती ममता शर्मा)

हमारी माननीय मंत्री महोदय दे सकें, वहां के विकास के लिए दे सकें, वह दें। आज हमारा किसान बहुत बुरी तरह से तरस रहा है। बूंदी की मण्डी में चावल हुआ 40 लाख बोरी और 40 लाख बोरी में से चूंकि सड़कों का अभाव था 10 लाख बोरी कोटा चला गया और उस 10 लाख बोरी का सीधा–सीधा बूंदी की मण्डी को रेवेन्यु का लोस हुआ। माननीय सभापति महोदय, यह सब बातें गौरतलब हैं।

सभापति महोदय, जिस तरह से एलोपैथी मेडिसन और हमारे मेडिकल के तीनों डिपार्टमेंट ऐलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी जिस तरह से इम्पोर्टेंट हैं, उसी तरह से आयुर्वेद में सच पूछा जाए तो आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रोपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। प्रोपर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयुर्वेद विभाग को करने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर करने चाहिए। फोरेस्ट विभाग की स्कीम के तहत जो प्लांटेशन होता है उसमें इन दवाइयों का भी प्लांटेशन होना चाहिए जो आयुर्वेद में हमारे काम आती हैं। आयुर्वेद में चूंकि उनके पास जमीनें नहीं हैं, जड़ी–बूटी उपलब्ध नहीं होती है। उन जड़ी–बूटियों को फोरेस्ट विभाग से बात कर के फोरेस्ट के द्वारा ही लगाया जाए तो मैं सोचती हूं बहुत ज्यादा लाभ होगा। कुछ मेले आयोजित हों। अभी–अभी एक नई थैरेपी केरला की आई है "पंचकर्म थैरेपी"। उस थैरेपी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको सरकार टेक ओवर करे। यहां प्राइवेट तो बहुत चल रही हैं लेकिन अगर सरकार उस थैरेपी को टेक ओवर करती है तो आयुर्वेद में एक नया उदाहरण आयेगा और एक नयी प्रगति आयेगी। जनरल हास्पिटल में इसका एक वार्ड या एक डिपार्टमेंट या एक विंग बना दी जाए और उस इकाई के जरिये यह काम बहुत आसानी से हो पायेगा। आज किसी भी इंसान से बात करें तो समय नहीं है और इन हर्बल मेडिसिन का जो युग है इस युग में हमें आयुर्वेद पर, हर्बल मेडिसिन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ऐसा किया जाएगा तो मैं सोचती हूं कि दोनों ही मिलकर बहुत बड़ा काम होगा।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में खनिज सम्पदा अपार है और उस खनिज सम्पदा को ऊपर लाने के लिए मेरे एक–दो सुझाव हैं। हमारे यहां लिग्नाइट और आयल के अपूर्व भण्डार हैं। उन भण्डारों का एक्सप्लोरेशन जिस तरीके से होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। इसमें हमें टेक्निकल पाइंट्स और टेक्निक को इन्वाल्व करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम कुछ कर पायेंगे। जिस तरह से आन्ध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, यू. पी. गवर्नमेंट ने और छोटा–सा प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश ने इंटरनेशनल कंसलटेंस को इंवाइट किया है और उनकी सलाह पर जिस तरह से काम किये हैं उससे खनिज सम्पदा, खनन क्षेत्र में इतनी बढ़ोतरी और इतना ज्यादा लाभ हुआ है, उनसे हमें प्रेरणा लेकर यह सब करना चाहिए। आन्ध्र

(श्रीमती ममता शर्मा)

प्रदेश गवर्नमेंट ने दो–तीन इंटरनेशनल कम्पनीज जो है, फीड बैक वेंचर्स, मेकेंजी, वर्ल्ड ट्यूरिज्म आर्गेनाइजेशन के जरिये अपनी खनिज सम्पदा को बहुत बढ़ाया है। ऐसी फर्म्स जो वहां आई हैं, उनसे हमें कांटेक्ट करके लिग्नाइट और तेल सम्पदा को एक्सप्लोरेशन करके काम करना चाहिए। हमें अट्रेक्ट करना पड़ेगा, विजिटर्स को अट्रेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें बड़े–बड़े एयर पोर्ट पर या बड़े–बड़े देशों में आफिसेज बनाने पड़ेंगे।

सभापति महोदय, इसी तरह ट्यूरिज्म का है। ट्यूरिज्म के लिए हमारे राजस्थान में जो सम्पदा है, अभी–अभी अमेरिका के प्रेसीडेंट माननीय बिल क्लिंटन यहां यात्रा करके गये हैं और वे एक अपूर्व छाप अपने मानस पटल पर लेकर गये हैं। शायद वो इस जिन्दगी में उसको नहीं भूल पायेंगे। ऐसे पर्यटन स्थल को जो हमारे राजस्थान में है, बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने चाहिए। छोटे–छोटे देश जिन्होंने पर्यटन में पता नहीं कितनी ख्याति प्राप्त कर रखी है। हमारे देश में उसकी थोड़ी सी कमी है। मैं सोचती हूं हमारे प्रदेश में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए इसी तरह के आफिसेज बाहर लगाकर के ट्यूरिस्ट को अट्रेक्ट करना पड़ेगा। उनको जितने साधन चाहिए वो देने पड़ेंगे। ट्यूरिस्ट आता है वह अपनी मर्जी से आता है। लेकिन इसके साथ कुछ वो व्यवहार नहीं हो पाता, जो होना चाहिए। मैं छोटी सी बात अपने नगर की भी कहूंगी। बूंदी नगरी जो पर्यटन के लिए मशहूर है, जहां ऐतिहासिक सम्पदा कुएं, बावड़ी, महल, किले और सच पूछिये तो रानीजी की बावड़ी, जो एशिया की वन ऑफ दी बेस्ट बावड़ी में आती है वह बावड़ी है लेकिन वहां ट्यूरिस्ट के लिए ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत कोशिश के बाद अब वृन्दावती जो वहां ट्यूरिस्ट डिपार्टमेंट का एक होटल है उसमें 10 कमरे हुए हैं, उसके बावजूद भी हालत बहुत खराब है। केशोरायपाटन का केशोरायजी का बहुत बड़ा मन्दिर ऐसे ट्यूरिज्म प्लेस हैं। रामनगर अभ्यारण्य है, तो ऐसी गेम सेंक्चुरीज को पनपाने के लिए, ट्यूरिस्ट के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर ट्यूरिज्म और माइन्स पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तो एक न एक दिन वह आयेगा कि हमारा राज्य टैक्स फ्री राज्य भी हो सकता है।

ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक बात और निवेदन करना चाहूंगी। जो हमारे नैचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं उनको ही पनपाने की कोशिश करें तो मैं सोचती हूं हमें बहुत लाभ हो सकता है। बूंदी नगर में ही ले लीजिये, वहां 50 कुएं और बावड़ियां हैं और अगर उनकी गर्मियों में झलाई हो जाएगी तो ड्रिंकिंग वाटर की कोई कमी नहीं आयेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ऐसी–ऐसी जगह हैं, ऐसे–ऐसे रेगिस्तान हैं जहां (व्यवधान)

श्री सभापति : आप मुझे सभापति कहा

(श्री सभापति)

करें, मैं उपाध्यक्ष नहीं हूं।

श्रीमती ममता शर्मा : सॉरी सर। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है और उस वाटर लेवल के नीचे जाने से आज इतनी खराब हालत है कि पानी नहीं आ रहा है। मैं समझती हूं कि जब मई और जून की गर्मी पड़ेगी तो लोग बहुत ज्यादा परेशान होंगे, इसलिए हमें इस ओर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

चम्बल नदी जो कोटा में बह रही है, 35 किलोमीटर पर बूंदी है लेकिन वहां चम्बल का पानी नहीं आता है। यह तो वह वाली हालत हो गई कि कहा जाता है बूंदी का बेटा कोटा है और इस बुढ़ापे में कोटा बूंदी को पानी नहीं पिला पाये तो यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि चम्बल का पानी बूंदी में, ड्रिंकिंग वाटर जरूर किया जाए। आपको भी मिलना चाहिए, मैं मना नहीं कर रही हूं। यह सार्वजनिक काम है। यह सिर्फ बूंदी का सवाल नहीं है। जहां--जहां भी राजस्थान में पानी की कमी है वहां पर भरपूर पानी मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, हम हाई प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। हाई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर को हमें बहुत ऊपर ले जाना चाहिए, बीज अच्छे होने चाहिए, खाद अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए जब तक किसान सम्पन्न नहीं होगा, सड़कें नहीं होंगी, पानी नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता।

श्री सभापति : अब समाप्त करो।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खतम करना चाहती हूं। हम लिटरेसी की बात करते हैं लेकिन साक्षरता के साथ-साथ जितनी लिटरेसी की आवश्यकता है उतनी ही एजुकेशन की भी आवश्यकता है। अगर लिटरेसी के साथ एजुकेशन नहीं हो तो जीवन अधूरा है। इसलिए हम जितना ध्यान लिटरेसी पर दे रहे हैं उतना ही हमें एजुकेशन पर भी देना चाहिए। यहां मंत्री जी तो विराजमान नहीं हैं लेकिन स्कूलों में मास्टरों का नहीं होना, वह अव्यवस्था तो मैं मानती हूं कि 1998 से पहले, उस वक्त जो तत्कालीन सरकार थी, उसके समय की अव्यवस्था चली आ रही है। और इतने बिगड़े हुए ढांचे को सम्भालने के लिए हमें थोड़ी समस्या जरूर आ रही है। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को बहुत थोड़े शब्दों में निवेदन करना चाहूंगी कि हमें इसके लिए कोई न कोई उपाय जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि टीचर्स समय पर नहीं जाते। कई बार तो सड़कों के अभाव में नहीं जाते, जिससे हमारे बच्चों का जीवन व फ्यूचर जुड़ा हुआ है, हमारे राजस्थान का फ्यूचर जुड़ा हुआ है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयासरत रहना पड़ेगा। चूंकि आप समय की पाबन्दी लगा रहे हैं, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : श्री सांवर लालजी।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। चर्चा की गम्भीरता का अंदाजा इसी से लगा लीजिये कि अधिकारी दीर्घा में जिम्मेदार अधिकारियों को होना चाहिए लेकिन एक भी उपस्थित नहीं है। माननीय सभापति महोदय, महामहिम का यह अभिभाषण सवा साल की सरकार के कार्यकाल के बाद में...(व्यवधान) चौधरी साहब, आप विराजें, पहली बार आये हो, आपको परम्परा का पता नहीं है कि कैसे बैठना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : उन्हें एक बार बोलने दें।

श्री सांवर लाल : सवा साल के बाद में इस राज के आने के बाद जो यह महामहिम का अभिभाषण हुआ है, इससे राजस्थान की जनता को बहुत निराशा हुई है। जनता ने बड़ी आशा और उम्मीदों के साथ 155 व्यक्तियों को देश की आजादी के बाद शायद पहली बार इतना प्रचण्ड बहुमत दिया तो इसके पीछे बहुत भावनाएं थीं कि लोकतंत्र में जन-कल्याणकारी सरकार इतने प्रचण्ड बहुमत से बनाकर भेज रहे हैं तो शायद यह सरकार जिम्मेदारी से जनता की सेवा करेगी। लेकिन इस सवा साल के अन्दर गरीबों को मारने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। राजस्थान की योजनाओं में कटौती करने के अलावा कोई काम नहीं किया। पुरानी बकाया वसूली किसानों से करने के अलावा कोई भी काम नहीं किया। इस गवर्नर एड्रेस के अन्दर इन-इन बातों को सम्मिलित किया है जो राजस्थान को आने वाले समय में तबाही की ओर ले जाएगी।

सभापति महोदय, इन्होंने कहा हमने 15,000 राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं। आप राजीव गांधी का नाम रोशन करना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, राजीव गांधी के नाम को रोशन कीजिये, हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं, पर इस नाम को आपने बदनाम कर दिया है। राजस्थान के मजदूर को मिनिमम वेजेज 60 रुपये मिलता है और गांव के बच्चों को पढ़ाने वाले को 1200 का आनरेरियम दे रहे हैं। (व्यवधान) राजस्थान में मजदूर, अकुशल श्रमिक 60 रुपये में नहीं मिलता है और यह पढ़ाने वाला शिक्षक भेज रहे हो और वाहवाही में यहां टेबल बजा रहे हो। राजस्थान के गांव के बच्चों के भविष्य को बरबाद करने के अलावा इन्होंने कोई योजना इन पांच सालों में नहीं बनाई। आज राजस्थान के बेरोजगार जो ट्रेंड टीचर्स हैं, जिनको, एक मास्टर को 5000 रुपये मिनिमम, नौकरी की पहली तिथि को वेतन मिलता है, वैसे पढ़ाने वाले को 1200 रुपये देकर टेबल बजा रहे हो। राजस्थान के गांवों में प्रचार कर रहे हो। अगर इतनी बढ़िया योजना थी तो यहां पर राजस्थान की म्युनिसिपिल एरिया में, नगरपालिकाओं में, महापौर एरिया में क्यों नहीं लागू की ? आपने यहां नगरों में क्यों नहीं लागू की राजीव

(श्री सांवर लाल)

गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं ? क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर यह व्यवस्था लागू कर दी तो लोग यहां से उठा ले जाएंगे, सचिवालय से उठा लेंगे, इसलिए नहीं किया। गांव के गरीब लोगों के ऊपर, आपने 100 साल पीछे धकेलने की योजना प्रारम्भ की है। (व्यवधान) यह फर्क आपके घर में होगा। मिस्टर चौधरी, एम. एल. ए. ब्यावर, आदमी को पैसा चाहिए चाहे मजदूरी के रूप में दो, चाहे आनरेरियम के रूप में दो, चाहें तनख्वाह के रूप में। आप 1200 रुपये देंगे क्या तर्क करना चाह रहे हो ? आप पढ़ाने वाले को 1200 रुपये दे रहे हो, जो राजीव गांधी पाठशालाओं में पढ़ाने जाता है, क्या लॉजिक देना चाहते हैं आप ? (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, यह घोषणा पत्र है। आदरणीय सोनियाजी का फोटो बीच में छपा रखा है इन्होंने। हमारे ऊर्जा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, जब महामंत्री थे कांग्रेस के, बड़े–बड़े स्टेटमैंट दिया करते थे। अभी ऊर्जा मंत्री हैं, उद्योग विभाग और मिल गया इनको। (व्यवधान) ऊर्जा मंत्रीजी ने घोषणा पत्र में जो वायदे किये कि कांग्रेस राज में आयेगी तब हम क्या करेंगे। क्या कर दिया राजस्थान के गरीब किसानों के साथ आपने ? इतना बढ़–चढ़कर मत बोलो। मिस्टर ताम्बीजी, आपके कुओं में पानी नहीं है जिनके पानी है... यह हमारे माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, जहां पर ट्यूबवैल चलते हैं, उनको मालूम है बिजली में क्या किया, मंत्रीजी घुस नहीं पाये थे इस बार रबी की फसल के टाइम। (व्यवधान) सरकार कृषि कार्यों के लिए कुओं के नर्सरी कनेक्शन की नर्सरी योजना को तुरंत समाप्त कर देगी, कुओं पर कनेक्शन के लिए मार्च, 1990 के पूर्व कांग्रेस शासन के समय की सामान्य प्राथमिक योजना को रखा जाएगा, खम्भों की कीमत घटा दी जाएगी। (व्यवधान) सचेतक जी, आपको याद करेंगे, आपको तो कोई महकमा ही नहीं दिया। उनको मालूम है, शायद एक–आध फैसला आप किसानों के भले का ले लेते। (व्यवधान) कुछ नहीं है, इस पगड़ी को हिलाते रहो। यह राजस्थान की शान है, इस पगड़ी को इतना मत हिलाओ। यह राजस्थान की शान है जरा इसको मजबूती से रखो। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, जिन किसानों के कुओं में पानी नहीं है, उनके ऊपर मिनिमम चार्ज मीटर के स्थान पर वसूल किया जा रहा है। इससे ज्यादा अन्याय क्या होगा। जहां पर पानी है वहां पर बिजली नहीं दे रहे हैं। फिर भी मिनिमम चार्ज वसूल कर रहे हैं। खम्भों के रेट, जो हमारे टाइम नर्सरी योजना की 9 हजार थे, अब एक नई चारा उगाओ योजना लाये हैं। चारा तो आपने, पहले जाखड़ साहब ने मशीनों से बनाना शुरू कर दिया था। अब आप चारा उगाने के नाम पर कनेक्शन दे रहे हैं। सभापति जी, कनेक्शन कब देंगे, चारा उगाएंगे, अभी अकाल है, अकाल तो जून तक खतम हो जाएगा, आज तक एक कनेक्शन

(श्री सांवर लाल)

नहीं दिया है। एक कनेक्शन आज तक चारा उगाने के नाम पर नहीं दिया है फिर इस योजना की सार्थकता क्या है ? केवल इसका राजनीतिकरण करके अपने लोगों को ओब्लाइज करना, गरीब किसानों को कनेक्शन नहीं देना। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह राज आने के बाद जो नर्सरी योजना के प्रार्थना-पत्र हमारे टाइम के थे, उनको वापस कनेक्शन देना चाहते हैं। परन्तु आज तक वे भी पूरे नहीं दे पाये हैं। इसके अलावा एक भी किसान को राजस्थान में ये कनेक्शन नहीं दे पाये। जब बच्चे पढ़ने लगते हैं तब लाइट चली जाती है। गांवों में लोग कहते हैं कि, सांवर लालजी, आप विधान सभा में बैठते हैं। जब आप राज में थे तब बिजली बहुत आती थी और आजकल तो शाम को उजाला करने का, रोटी खाने का समय आता है तभी ये बिजली गुल कर देते हैं। कहो, तो कोई सुनता नहीं है। अफसरों पर, ब्यूरोक्रेसी पर इनकी कोई पकड़ नहीं है। सभापति महोदय, तोड़फोड़ के लिए इशारा करते ही अफसर रवाना हो जाते हैं और किसानों तथा गरीबों का काम करने के लिए, इनका हुकुम कोई नहीं मानता है। इससे बड़ी +++ इस प्रदेश के किसानों के साथ और नहीं हो सकती है।

सिंचाई मंत्रीजी विराजमान हैं। अब इनको पता नहीं, 15 वर्ष से किसानों के पैंडिंग पैसे, हमारे जैसे गांवों के छोटे-छोटे तालाब जिनमें कभी नहरें ढंग से नहीं बनीं, इर्रिगेशन का एक नया रुपया नहीं लगा, केवल नाम इर्रिगेशन ट्रांसफर हो गये, आज भयंकर अकाल राजस्थान में है इसके बावजूद भी उन किसानों से वसूली अभियान चालू कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मंत्री महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस राज के आते ही इतनी भूख आ गयी क्या सरकार को, जो किसानों से 15-15 साल के पैसे आप वसूल करने जा रहे हैं ? 10 वर्ष भैरोंसिंहजी ने राज किया लेकिन कभी किसानों से इस प्रकार वसूली नहीं की।

सभापति महोदय, इन्होंने एक बात और कही कि हमने हमारे घोषणा पत्र के हिसाब से मंडल आयोग में जाटों को आरक्षण दे दिया। (व्यवधान) सभापति महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि दे दिया, बहुत बढ़िया। बहुत कम, धीरे आवाज में बोल रहे हैं, आपकी भी आत्मा जाग गयी। आपकी सुनते नहीं थे गहलोत साहब। इन्होंने कहा आरक्षण नहीं देंगे जाटों को। जाटों को आरक्षण दे देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पहाड़ टूट जाएगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह कभी नहीं हुआ। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने पर देंगे। (व्यवधान) पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने पर जाटों को आरक्षण देंगे। हमेशा यही कहा। यह कभी नहीं कहा। आप असत्य

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरिसिंह)

प्रवचन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हरिसिंह जी, मैं मेरी बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमने दिया है जाटों को आरक्षण। हमारी मेहरबानी से आरक्षण मिला है आपको। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मुख्य सचेतक महोदय, मैं मेरी बात कह रहा हूं और मेरी बात सही है। आपको भी बहुत तकलीफ होती थी। आज भी जा–जा कर इधर उधर की बातें करते थे। आप कहते थे कि इसको कैसे न कैसे करके टालो। जाट आ गये तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अहसानमंद है जाट बिरादरी राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की कि हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जाटों को आरक्षण किया। पहली केबिनेट मीटिंग में घोषणा करते ही फच्चर फंस गया राजस्थान की सरकार को। प्रोग्राम छोड़कर राजस्थान के दौरे पर... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : राजस्थान की सर्विसेज में आरक्षण राजस्थान की सरकार ने दिया है, अशोक गहलोत सरकार ने दिया है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, तथ्यों को तोड़–मरोड़कर मत रखिये।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सांवर लालजी, इतना करेक्शन तो कर दें, राजस्थान में आरक्षण जाटों को किसने दिया है। अशोक गहलोत की सरकार ने दिया है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को बार–बार तकाजा किया कि हमारा आयोग अभी काम करना शुरू कर रहा है। उसको समय लगेगा। आपके पास में रिपोर्ट आई हुई पड़ी है। मेहरबानी करके उस रिपोर्ट को जारी कर दें तो हम उसका लाभ लेकर तत्काल यह आरक्षण जारी कर सकते हैं। पर आपकी सरकार ने नहीं किया और जब चुनाव आया तब आपके महान प्रधानमंत्रीजी को पब्लिक में वादा करने की मजबूरी आयी और उन्होंन मजबूरी में वह जारी किया और वह रास्ता खुल गया।

श्री मोहन लाल मोदी : कांग्रेस के तो घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, जाटों को आरक्षण देने का। आप यह किस तरह से बात कर रहे हैं ? आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है कि नहीं, नहीं है तो आपके पास भिजवा दें घोषणा पत्र।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि मंत्री महोदया ने तो एक बार कहा था इसी सदन के अन्दर, कि मुझे किसी जाति में, बिरादरी में विश्वास नहीं है, मैंने बेनीवाल से श्रीमती कमला लिखना शुरू कर दिया। अब जात–बिरादरी के लिए आपने क्या प्रयास किया, यह हमारी जानकारी में नहीं है।

श्रीमती कमला : यह जात–बिरादरी का

(श्रीमती कमला)

मामला नहीं है। यह एक मुद्दे का मामला है। यह आरक्षण हो, न हो, उसका मामला नहीं है। यह मुद्दे का मामला है कि आप उसको किस तरह पुट–अप कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : मैं सही पुट–अप कर रहा हूं। राजस्थान की बिरादरी यह जानती है कि आरक्षण किसने दिया। हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री के प्रति बहुत अहसानमंद है।

श्री रामस्वरूप : आरक्षण हमारे घोषणा पत्र ने दिया है। घोषणा पत्र के अन्दर लिखा हुआ था यह। इसलिए आपको आरक्षण मिला है। घोषणा पत्र ने आरक्षण दिया है आपको। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजस्थान में आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया, यह सच्चाई है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य, पहले केन्द्र सरकार ने बैक–वर्ड क्लासेज को आरक्षण दे दिया था। राजस्थान की सरकार ने पांच साल तक क्यों लटकाया, क्यों नहीं दिया ? माननीय भैरोंसिंहजी ने आरक्षण नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री जीतमल : यह वी. पी. सिंहजी की सरकार ने आरक्षण दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज, बैठिये।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : वी. पी. सिंह जी का पुतला बी. जे. पी. ने जलाया था। जहां आपा विराज रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : दोनों ने ही जलाया था, बी. जे. पी. और कांग्रेस ने। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। एक मिनट, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप धन्यवाद प्रस्ताव में जिस तरीके से वाद–विवाद करना चाहते हैं, करिये। लेकिन ऐसी बात मत करिये जिससे कि आपस में हाउस के अन्दर व्यवधान हो। (व्यवधान) मेहरबानी करके अपनी बातों को प्रस्तुत करिये, बस।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, वाद–विवाद उसी तरीके से हो रहा है। कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैं असंसदीय भाषा नहीं बोल रहा हूं। अभिव्यक्ति की मुझे स्वतंत्रता है। असंसदीय भाषा बोलूं तो आप कह सकते हैं मुझे।

श्री सभापति : आप गैर–जरूरी बातें भी मत करिये।

श्री जगत सिंह दायमा : जाटों को आरक्षण तब मिला जब +++

श्री सभापति : यहां जाटों को आरक्षण पर कोई बहस नहीं हो रही है। आप बोलिये। (व्यवधान) सांवरलाल जी, आप शुरू करिये।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, अभी ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सांवर लाल)

+++ कर रहे थे। बीसलपुर की योजना अजमेर जिले और अजमेर जिले के गांवों को पानी देने के लिए बनी थी। अभी अजमेर में मीटिंग थी। कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने एक प्रस्ताव पास करके राजस्थान सरकार से अनुरोध किया था कि इस बीसलपुर का पानी, बीसलपुर की जो मूल योजना है, इसका पानी इतना है, अजमेर के लायक, ब्यावर के लायक, अजमेर जिले के गांवों के लायक, किशनगढ़ के लायक... सभापति महोदय, इस सरकार ने आते ही इस पानी को जयपुर भेजना शुरू कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर के सैकड़ों, हजारों गांव... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : जयपुर को पानी नहीं मिलना चाहिए क्या ? आप क्या कहना चाहते हैं कि जयपुर में लोगों को पानी नहीं मिलना चाहिए ?

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, यह जो बीसलपुर योजना है और जो बीसलपुर बांध है, यह टोंक जिले में आया हुआ है और टोंक जिले को जोड़ने के लिए ही जयपुर को पानी दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा योजनाएं भिनाय क्षेत्र की बनाई हुई हैं। 105 करोड़ रुपये की योजना अभी हमारी सरकार ने आपके अजमेर जिले की बनाई है। जहां फ्लोराइड के गांव हैं, जहां पर पानी नहीं हैं, पानी नीचे चला गया है, गुलाबपुरा वगैरह की, वहां युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। आप बेवजह ऐसी बातें कहकर माननीय सदस्यों को और सदन को गुमराह नहीं करें।

श्री सांवर लाल : मेरा इरादा गुमराह करने का नहीं है।

सभापति महोदय, पंचायत राज के बारे में बहुत बातें कही गयी हैं। पंचायत राज कानून ऐसा बनायेंगे, जन प्रतिनिधियों की कद्र, जन प्रतिनिधियों के हाथ में अधिकार देंगे। जिला प्रमुख डी. आर. डी. ए. का अध्यक्ष बनेगा। क्या हो गया अध्यक्ष बनकर, लालीपाप का क्या करेगा ? मुझे बता दीजिये। क्या सामान है इनके पास में ? आदेश कुछ जारी कर नहीं सकते हैं, काम कुछ कर नहीं सकते हैं, अध्यक्ष बनेंगे ? तौहीन करने के अलावा गांव की जनता का कुछ नहीं किया आपने।

मैं भिनाय का एक उदाहरण दिया था। मैंने कहा यह विकास अधिकारी, पंचायती राज के अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है, आदेश जारी कर रहा है। सरकार से सवाल पूछा। सरकार ने कहा कि यह अवैधानिक काम कर रहा है, इल्लीगल काम कर रहा है। हम स्पष्टीकरण लेंगे। हम इसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मैंने कहा, आप तो प्रसाद खिलाते रहना, जल्दी जाने वाले हो अगर आप नहीं करोगे तो हम ताबीज बना देंगे।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सांवर लाल)

नहीं हुई। एक बार कलेक्टर ने कहा कि सरकार ने मान लिया कि यह आदेश गलत है तो निरस्त करा देते हैं। जैसे ही निरस्त कर दिये, वहां सी. ई. ओ. ने आदेश, मूंछ का सवाल बना कर मूंछ खेंच कर यहां आ गये। कानून रहे या नहीं रहे, हमारी कांग्रेस की मूंछ रहनी चाहिए। ऐसी हालत में आप इनसे कहलवा दीजिए कि किस तरीके से जनप्रतिनिधियों को अधिकार देना चाहते हैं ? पंचायत राज को यह किस प्रकार से मजबूत करना चाहते हैं ? भगवान मालिक है। राजस्थान की जनता के ऊपर डंडा चला रहे हैं। यह दस वर्ष बाद राज आया, इनको मालूम है फिर जाने वाले हैं, वापस नहीं आएंगे। जितनी दादागिरी +++ करनी हो कर लो। बरामदे खाली करवाये, हमारी सहमति है पर जनता के ऊपर बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया जयपुर के अन्दर, सभापति महोदय, इस राजस्थान के अन्दर, हिन्दुस्तान के अन्दर आपातकाल के अलावा कभी भी इतनी ज्यादती नहीं हुई जितनी ज्यादती अभी हुई है। किसके पास क्या अधिकार है, कौन कहां बैठा है, किसी को कुछ नहीं है। लोगों में भय व्याप्त कर दिया कि बुलडोजर आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पंचायतों में कैसे जीते ? माननीय भूतपूर्व मंत्री, यह बताओ कि पंचायतों में कैसे जीते हम ? पंचायतों में हमारा बहुमत कैसे आया अगर हमारा बुलडोजर चल रहा है तो, सबसे ज्यादा हमारे मैम्बर जीते, जिला प्रमुख जीते और आपके जीत कर आये नहीं। (व्यवधान) आपके जीतकर नहीं आये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ से जीतकर आये हो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : नहीं, नहीं, जनता ने चुना है। आपके तीस रह गये। आपकी यह हालत हो गयी। देख लो, आपकी यह हालत है। अब तो तीस रह गये, तीन रह जाओगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कर्मचारियों को लेकर जीते हो। (व्यवधान) कर्मचारी हड़ताल पर थे। कर्मचारी आपके खिलाफ, व्यापारी आपके खिलाफ, इंजीनियर आपके खिलाफ, डाक्टर आपके खिलाफ, सारे किसान आपके खिलाफ, सारे जमींदार आपके खिलाफ, +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : तीन रह जाओगे, तीन। (व्यवधान) पूरा आपको सफाया हो गया जिला परिषदों में। पंचायत समितियों में आपका सफाया हो गया और आगे सफाया होता जा रहा है। माननीय +++ आपका सफाया होता जा रहा है। आप आगे देखो कि आपकी क्या हालत होगी। अब तो तीस रह गये, तीस। तीस से तीन रह जाओगे। जनता ने जवाब बना दिया आपके लिए। अब आपका सफाया हो गया है। अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गयी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रामस्वरूप : मूंछों को बेकार में ऊपर कर रखी है, नीचे कर लो इन मूंछों को। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान के शहरों में... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, आसन से रिक्वेस्ट है। आसन का काम सदन को सुचारू रूप से चलाना है। इस तरीके से चाहे जो सदस्य खड़ा हो जाए, चाहे कुछ +++ मैं समझती हूं कि यह उचित तो नहीं है। आसन का काम है ऐसे लोगों को रोकना और टोकना। आप बिलकुल नहीं रोकते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह ऐसा है, विधान सभा का सत्र जो चल रहा है, उसको इन लोगों ने गांव की पंचायत समझ लिया है शायद।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, तो आपका काम है न कि आप पंचायत नहीं बनने दें। यह आपका काम है, आसन का काम है। (व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा है सांवर लाल जी... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह +++ कह दें, मूंछें कह दें, +++ कह दें, क्या पूरी छूट दे रखती है इन्हें आपने ? आसन रोकता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री सांवर लालजी, आपका टाइम खतम हो रहा है, जल्दी कम्पलीट कीजिये।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय, पंचायत को आपने क्या समझ लिया है कि पंचायत में सब बातें गलत होती हैं। गंवारपना होता है वहां। (व्यवधान) नहीं, आप बताइये, सभापति महोदय, आपने क्या समझ रखा है ?

श्री सभापति : नहीं, जिस तरीके से वाद–विवाद यहां चलता है, ऐसा लगता है कि जैसे ग्राम पंचायत चल रही हो। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, अगर आप इसको जायज समझते हो... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप पढ़े–लिखे हैं। सदन की गरिमा को सामने रखकर बात करें।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, तो इस पंचायतों को भंग करवा दो फिर।

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन।

श्री रामस्वरूप : कैसे बंद कर दो। वह ग्राम पंचायत है नायला जहां राष्ट्रपति भी गया है। वह होती है पंचायत तो। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री जगत सिंह दायमा : क्या पंचायत आपको अच्छी नहीं लगती ? (व्यवधान)

श्री सभापति : बात को बढ़ाइये मत। प्लीज सिट डाउन।

श्री जगत सिंह दायमा : यह आसन की तरफ से व्यवस्था हुई है कि यह ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पंचायतों में, मतलब पंचायतों में तो कोई काम ठीक होता ही नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : जो असंसदीय शब्द है उसको कार्यवाही से बाहर निकलवाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : गांव की पंचायत... (व्यवधान) होता है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह सारा कार्य सरकार ने क्यों दे रखा है पंचायतों के अधीन ? क्यों अधिकार दे दिये, आप बताइये इस बात को ? यह पंचायतों को और सरपंचों का एक तरह से अपमान है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब तो और अधिकार दे दिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग शालीनता रखें तो हम लोग भी रखेंगे। पहले इनको शालीनता सिखाइये। यह बीच में खड़े हो जाते हैं। यह शालीनता रखें। हरिसिंहजी गुर्जर साहब हमारे माननीय सचेतक हैं। वे सचेतक बड़ी अशालीनता से बीच में बोलते हैं। शालीनता रखनी चाहिए। बड़ी–बड़ी पगड़ी लगाकर आये हैं। इतनी बड़ी पगड़ी और शालीनता रखते नहीं। गरिमा रखते नहीं हैं, मुख्य सचेतक हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : पंचायत को आप ऐसे समझते हो, आप तो गंवार के... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठो, जगमाल सिंह जी। प्लीज सिट डाउन।

श्री जगत सिंह दायमा : पंचायतों के बारे में आपका... (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं तो बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : मेरा कोई बुरा तात्पर्य नहीं था। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : क्या था ?

श्री सभापति : मैं आप लोगों को यह कह रहा था कि यहां आपको अपने हितों की रक्षा के लिए बोलना है, सुचारू ढंग से बोलना है, पढ़े–लिखे लोगों की तरह बोलना है, जैसे विधान सभा चलती है, वैसे बोलना है, यह सब रखिये ध्यान में। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह आपने कहा है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको यह

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

ध्यान रखना चाहिए था कि आप आसन पर बैठे हुए हैं। यह ध्यान रखना चाहिए था आपको। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सभापति महोदय, आप सरकार में नहीं बैठे हैं। अब आप ऐसे आसन पर बैठे हुए हैं, जिनके लिए सब बराबर हैं और आपने पंचायतों के बारे में जो कहा है, यह आसन की व्यवस्था है क्या ?

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन। मैंने पंचायतों के बारे में कोई बुरा शब्द नहीं कहा।

श्री जगत सिंह दायमा : आसन की व्यवस्था है क्या आपकी यह ?

श्री सभापति : कोई व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : पंचायतों के बारे में जो आपने कहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कोई मैंने व्यवस्था नहीं दी है फोर योअर इन्फार्मेशन। मैंने आपको एक बात कही है कि यहां बहस ऐसे ढंग से होनी चाहिए कि लगे कि आप लोग पढ़े–लिखे बहस कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन का एक–एक शब्द व्यवस्था होता है। आसन का एक–एक शब्द व्यवस्था होता है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : ऐसे कहा कि ऐसे लड़ रहे हो जैसे गांव की पंचायतों में लड़ते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, अमरीका के राष्ट्रपति महोदय अभी पधारे थे तो नायला में वे ग्राम पंचायत में जाकर बैठे थे, वहां लोगों को सुना था। तो ग्राम पंचायत को इतना महत्व दिया गया है कि सारे वर्ल्ड का माना हुआ एक राष्ट्रपति वहां जाकर ग्राम पंचायत में बैठा है, इससे बढ़िया ग्राम पंचायत और क्या हो सकती है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : पंचायत की गरिमाएं खतम हो गयी आज। यह क्या बात कर दी आपने ? अब भी मैं गलत कह रहा हूं ?

श्री सभापति : आप बैठ जाइये, प्लीज।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप आसन को सजा देना चाह रहे हैं क्या ?

श्री जगत सिंह दायमा : तो कार्यवाही से इन शब्दों को निकाल दो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : गांव के लोग नहीं करते हैं क्या ? (व्यवधान) क्या चाह रहे हो आप ? आप इसको करने दो, आप पूरे हाउस को बांधकर बैठ गये। और कोई काम ही नहीं है आपका। (व्यवधान) एक्सप्लेनेशन काल कर रहे हो, कमाल है। कोई सीमाएं होती हैं। आप अपनी सीमाएं देखिये। आप विराजिये। पूरे हाउस का समय बरबाद कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो ग्राम

(एक माननीय सदस्य)

पंचायत का वास्तव में अपमान है।

श्री जगत सिंह दायमा : कहने का अर्थ यह हुआ कि पंचायतों में गंवार लोग बैठे हैं जो झगड़ा करते हैं, यह करते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह आसन ने बात कही है या किसने कही है आपको ? किसने कहा है आपको ? किसने कही है ? (व्यवधान) आप सजा दे रहे हो क्या ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप खुद सरपंच रहे हो, ग्राम पंचायत के खुद सरपंच रहे हो।

श्री जगत सिंह दायमा : हम आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। यह सरकार का जवाब नहीं है। हम आसने से पूछ रहे हैं। आसन से पूछ रहे हैं। आप इनको अभी ऐसे गिन रहे हैं जैसे कि कोई... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आसन से जवाब नहीं पूछा जाता है। आसन से जवाब नहीं पूछा जाता है। आसन सुप्रीम है। यहां आसन सुप्रीम है, आसन से जवाब नहीं पूछा जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा विनम्रता से निवेदन है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि क्या यह है क्या आपकी व्यवस्था ? स्पष्टीकरण ले रहा हूं और गलत है तो उसको कह दीजिये। गलत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आपके श्रीमुख से दो बातें निकल गयी हैं। एक तो यह निकली... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, गांधी जी के बंदर, जैसे वे दिखाते हैं न, आंख बन्द, कान बन्द, मुंह बन्द... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह बहुत दुःख की बात है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर आपकी यह बातें, आपका यह कथन लिखा गया है।

श्री सभापति : मैंने आपकी बात सुन ली, आप बैठें।

श्री जगत सिंह दायमा : बहुत अच्छा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

आपके श्रीमुख से दो बातें निकल गयीं। एक बात तो यह निकली कि आप वाद–विवाद इस तरह करो कि जिस तरह पढ़े–लिखे लोग करें। इसका मतलब यह हुआ कि अब तक जो वाद–विवाद चल रहा था वह अनपढ़ों जैसा चल रहा था। वह वाद–विवाद पढ़े–लिखे शिक्षित लोगों जैसा नहीं चल रहा था।

दूसरा, सभापति महोदय, आपने यह फरमा दिया कि यह ग्राम पंचायतों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सभापति महोदय, वह स्वराज जिसकी कल्पना महात्मा गांधीजी ने की थी, हमारी सबसे मजबूत इकाई, सभापति महोदय, राजस्थान गांवों का प्रदेश है, आपने ग्राम पंचायत की... (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज, मैंने आपसे कहा ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक्सपंज करा दीजिये। एक्सपंज करा दीजिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : गांव की पंचायतों को भंग करा दीजिये अगर इस तरह की कोई बात भी हो रही है तो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह ग्राम पंचायत और सदन के माननीय सदस्यों के बारे में जो टिप्पणी हुई है, मैं समझता हूं कि आसन की तरफ से हुई है, कैसे भी हुई, आप एक्सपंज करा दीजिये यह। कोई बड़ी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कह दी आपने।

श्री सभापति : देखिये, मेरा हर्गिज यह मतलब नहीं था। मैंने ग्राम पंचायत का शब्द यूज नहीं किया है। मैंने गांव की पंचायतों की तरह यूज किया है।

श्री जगत सिंह दायमा : सर, किया है। दिखा लो। दिखा लीजिये, आप, बिलकुल किया है।

श्री सभापति : नहीं, नहीं।

श्री जगत सिंह दायमा : किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप खेद व्यक्त कर दीजिये, सभापति महोदय। अंकित हुआ है।

श्री जगत सिंह दायमा : आप इसको दिखा लीजिये।

श्री सभापति : मैंने गांव की पंचायतों के लिए कहा है।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, गांव की पंचायतों में इतनी अनुशासन—हीनता कभी बर्दाश्त नहीं होती है। गांव की पंचायत में अगर मुद्दे से भिन्न कोई सवाल उठाया जाता है और कोई अनुशासनहीनता होती है तो दंड दिया जाता है। यहां क्या होता है ? गांव की पंचायत की तौहीन मत करें। यहां असेम्बली को अगर गांव के लोग देख लें तो इसकी मर्यादा ही खतम हो जाएगी। गांव में तो बहुत अनुशासन हैं। बहुत मर्यादित तरीके से कार्यवाही चलती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप एक्सपंज करा दीजिये। कार्यवाही से निकलवा दीजिये। सभापति महोदय, कार्यवाही से निकला दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति महोदय, मुझे एक निवेदन करना है।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, आपकी मंशा ऐसी नहीं हो सकती परन्तु यह लिखा गया है कि ऐसे लड़ रहे हो, जैसे कि गांव की पंचायत में... (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : आपने बहुत कह लिया, बैठ जाओ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कोई दूसरी बात करो। कमाल है, कोई सीमाएं होती हैं।

श्री सभापति : बैठो आप। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : ... करवा दीजिये आप इसको।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप हीं हाथ जोड़ते हो। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है। यह सदन सर्वोच्च है, गरिमामय है और हम माननीय सदस्य एक तरफ हैं, आसन एक तरफ है। हम माननीय सदस्य उत्तेजनावश या और किसी कारण से आपस में उलझ जाते हैं, ऐसी बातें जो नहीं आनी चाहिए, वह हमारे पास में बीच में हो जाती हैं। लेकिन हमारा आसन सर्वोपरि है

(14.00 बजे)

और आसन का कोई भी रिमार्क निकलता है उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो भी महान व्यक्ति इस आसन को सुशोभित करते हैं, उनको अपने ऊपर संयम रखना पड़ता है। हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, आप हमको लताड़ सकते हैं, लेकिन आसन को कौन लताड़े ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार के पासिंग रेफरेंस आसन की तरफ से चाहे गांव की पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, कुछ भी हो, यह एक गांव का अपमान है। ऐसे शब्द निकलने नहीं चाहिए थे। गांव की पंचायत को हमने क्या समझ रखा है ? गांव की पंचायत हमसे बहुत ज्यादा समझदार है। उन्होंने अपनी समझदारी को काम में लेते हुए हमको यहां भेजा है। उन्होंने ही हमको अपनी समझदारी का उपयोग करके यहां भेजा है। इसलिए आसन की तरफ से जो भी रिमार्क्स निकले हैं वह मेरे ख्याल से सोच–समझकर, संजीदा होने चाहिए। यह आसन से कौन कहे। हम आपसे इतना ही निवेदन करना चाहते हैं जो भावनाएं आपने व्यक्त की हैं, आपकी भावना शुद्ध हो सकती है लेकिन वह विचार रिकार्ड पर आये हैं, उनको आप एक्सपंज करा दीजिये तो मेरे ख्याल से यह अच्छा रहेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : इसमें कोई मान–मर्यादा का सवाल नहीं है। स्लिप हो गया। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पंचायत मंत्रीजी इसकी परिभाषा करेंगे। पंचायत मंत्री जी परिभाषा दे रहे हैं ग्राम की।

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : सभापति महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भावना अभिव्यक्त की है, उसके बाद माननीय सदस्यों की यह भावना नहीं होनी चाहिए कि सभापति महोदय ने कोई

(श्री सी. पी. जोशी)

रिमार्क्स किये हैं तो उनकी जो भावना है, उन्होंने कहा कि इसको उस स्प्रिट में नहीं किया गया है। मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि हम सब सदस्य सभापति महोदय की भावना को समझें और इस चैप्टर को यहीं बंद करके अपनी डिबेट शुरू करें।

श्री अमराराम (धोद) : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ तो राज्य सरकार, ... (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, अब आप वाद--विवाद पर बोल रहे हैं ? किस सब्जैक्ट पर बोल रहे हैं ? (व्यवधान) आप कोई प्रशंसा ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : गांव की सभा कह रहे हो, वार्ड सभा, ग्राम सभा को सर्वोच्च... (व्यवधान) अधिकार दे रही है और आपके रिमार्क्स... (व्यवधान) मैं यह नहीं कहना चाहता। आपसे पुनः निवेदन है कि जो भी रिकार्ड पर आया है कि गांव की सभा या... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सी. पी. जोशी साहब, आपका विभाग है पंचायतों का।

श्री अमराराम (धोद) : निश्चित रूप से राजस्थान की 75 प्रतिशत जनता जो गांवों में बसती है, कोई अनपढ़ हो सकता है, साक्षर नहीं है। लेकिन वह अज्ञानी हो, यह बात जरूरी रही है। चाहे वह अनपढ़ है, चाहे वह गांव में रहते हैं, इस राजस्थान की 75 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और यहां जो 200 सदस्य चुनकर आते हैं उनमें भी 80 प्रतिशत लोग उन गांवों के लोगों का वोट लेकर आते हैं और इस देश में, जो गांवों का देश है और अगर किसी भी भावना से कहा हो, वह रिकार्ड में जो शब्द आये हैं, उनको वापस लेंगे तो अच्छा होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज। ठीक है, आपकी भावना मैंने समझ ली। आप बैठें। आप वक्त को क्यों खराब कर रहे हैं ? देखिये ऐसा है, मैंने... (व्यवधान) प्लीज... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : आपने अब कह दिया वक्त खराब कर रहे हैं। माननीय सदस्य का यहां अधिकार है बोलना। आपने कह दिया, वक्त खराब कर रहे हो। माननीय पंचायत मंत्री की बात पर हम सोच रहे थे।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। (व्यवधान) ऐसा मत करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप भावना को समझें। बैठें।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय जोशी साहब कह रहे हैं कि आपकी भावना की कद्र करें। अब अगर आपकी भावना की कद्र करें तो, माननीय जोशी साहब, इसके मिनिस्टर हैं आप और आपने जो भाषा बोली है, वह ऐसी है जैसे कि पंचायतों में गंवार लोग लड़ रहे हैं।

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन। मैंने कोई पार्लियामेंट के खिलाफ भाषा नहीं बोली

(श्री सभापति)

है कुछ भी।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं माननीय सी. पी. जोशी साहब से पूछना चाहता हूं कि आप गंवारों के मंत्री हैं क्या ?

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या भाषा बोली है ऐसी ? ऐसी कोई भाषा नहीं बोली है जिसको इतना बड़ा तूल दिया जाए। आप लोगों के पास कुछ बोलने को तो है नहीं, जबरदस्ती उलझा रहे हैं। कहां है विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए। जो यह सरकार काम कर रही है, उसमें कुछ बोलने के लिए तो है नहीं और जबरदस्ती इन मामलों को उठा रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या चाह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपने क्यों धमकाया मुझे ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : किसको ?

श्री जगत सिंह दायमा : मुझे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप तो रोज ही धमकाते हैं। आप तो रोज ही धमकाते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : बताइये साहब, अब देख लो। पत्रकार भी सुन रहे हैं कि रोज धमका रहे हैं। अब आसन की तरफ से चाहते हैं, यूं कह रहे हैं हमें रोज धमका रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हो गया न। सांवर लाल जी बोल रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह : मुझे इतना निवेदन करना है कि माननीय सांवर लालजी ने एक शब्द बोला था कि जिला प्रमुख के पास क्या सामान है ? एक तो वह शब्द बाहर करवाइये। एक माननीय सदस्या ने यह बोला था कि मर्जी आए वो बोलते हैं... (व्यवधान) मर्जी आवे जो खड़ा हो जाए, --- (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जिला प्रमुख कोई दुकान खोल रहे हैं क्या सामान की ? जिला प्रमुख कोई दुकान खोल रहे हैं क्या ? कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो आप ? सामान नहीं है जिला प्रमुखों के पास। कोई दुकान है उनके पास ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप बैठें। सांवर लालजी आप बोलें।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही सामान होना, आपने कहा था न पढ़े–लिखे का यह फर्क पड़ जता है। मैं बहुत पढ़ा–लिखा हूं। पहली से लेकर सोलहवीं क्लास तक प्रथम श्रेणी से मैंने पास की है। पीएच. डी. की है। मैं जो भी शब्द बोल रहा हूं, उसका कोई न कोई अच्छा अर्थ निकलेगा और यह सामान का मतलब मेरा यह है कि उनको किसी प्रकार का अधिकार आपने नहीं दिया। उसके लिए मैं राजस्थान सरकार की जो यह प्रचार–प्रसार करते थे कि हम पंचायतों को

(श्री सांवर लाल)

यह कर देंगे, वह कर देंगे, इसकी भर्त्सना करता हूं।

श्री रघुवीर सिंह : किसी किताब में सामान शब्द नहीं होता। आप किसको समझा रहे हो ? प्रोफेसर हो, पीएच. डी. हो। (व्यवधान) सामान शब्द कोई अच्छा शब्द है ?

(14.06)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामस्वरूप : यह कहां लिख रहा है, कहां से लाए हो इस डिग्री को आप ? हमने भी एम. ए., एलएल. एम. राजस्थान की यूनिवर्सिटी से किया है। राजस्थान की यूनिवर्सिटी से एम. ए., एलएल. बी. की है। आप बन रहे हो प्रोफेसर। हम भी कम नहीं हैं आपसे किसी भी हालत में। आप परिभाषाएं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान).

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : पहले शालीनता सीखिये सत्तारूढ़ पार्टी के लोग। पहले गरिमा रखिये, शालीनता सीखिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को कंट्रोल करिये। (व्यवधान) हम तो बैठ जाएंगे, पहले इनको बैठाइये। ये शालीनता सीखें। हरिसिंहजी, यह क्या कर रहे हैं ? मुख्य सचेतकजी, यह नहीं चलेगा। इनको गरिमा सिखाइये। इनको शालीनता सिखाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य। एक मिनट सुन लीजिये। (व्यवधान) आपके केवल आठ मिनट बाकी थे। आपको बोलने का मौका दे रहे थे, आप रुक ही नहीं रहे हो।

श्री सांवर लाल : मुझे मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो खड़ा ही हूं। बैठा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं--नहीं, मुझे मालूम है आप बोल रहे थे, मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा ही रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री सांवर लाल : मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान के नगरों के अन्दर, जयपुर के अन्दर जिस प्रकार तोड़--फोड़ की जा रही है, उसके पीछे केवल एशियन बैंक से मिलने वाले 1500 करोड़ रुपये इनको दिख रहे हैं। इसकी वज़ह से जनता के हकों पर कुठाराघात किया जा रहा है। उनके क्या अधिकार हैं, क्या अधिकार नहीं हैं, कहां किसका कब्जा है, कहां किसका कब्जा नहीं है, कौन सी चीज किसलिए बनी, किसी को नहीं देख रहे हैं। दो--दो मंजिला मकान ढहाये जा रहे हैं। फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों को उजाड़ा गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत चिन्ता की बात है कि आखिर इस प्रदेश में आप किस प्रकार राज करना चाहते हैं ? यह 1500 करोड़ रुपये हमारे लिए मायने नहीं हैं।

(श्री सांवर लाल)

उपाध्यक्ष महोदय, यहां की जनता हमारे लिए पहले है। जनता को आबाद करना हमारा काम है। आज हम एक मकान, जिसके पास मकान नहीं है, उसको मकान नहीं बना सकते। सरकार उसको मकान बनाकर नहीं दे सकती। दो–दो मंजिल लोग किस प्रकार बनाते हैं, उनको बुलडोजर से ऐसे उड़ा रहे थे, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। यहां के जो जन–प्रतिनिधि हैं, माननीय एम. एल. ए. साहिबान, जो कांग्रेस पार्टी के हैं वह +++ बिलकुल दबी जबान से कहते हैं, मुख्य मंत्रीजी, एरिये में नहीं जा सकते हम। बहुत बुरी हालत हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : यह +++ शब्द एक्सपंज कर दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप उस दिन से कहां सो रहे थे ? (व्यवधान) निकल गयी गणगौर... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : विधान सभा में... (व्यवधान) अतिक्रमण के हम खिलाफ हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी। आर्डर। यह +++ शब्द एक्सपंज कीजिये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : यह माननीय सदस्य पीएच. डी. हैं। आप पीएच. डी. हैं, देखिये साहब।

श्री सांवर लाल : राजेन्द्र सिंहजी जब चिकित्सा मंत्री थे, गरीबों को दवाई नहीं मिलती थी। हमारी सरकार ने आने के बाद अण्डर पावर्टी लाइन कार्ड बनवाकर दिये। मैं चुनौती देता हूं आज तक उस कार्ड पर एक भी गरीब को कोई दवाई नहीं मिली है। केवल नाम मात्र के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है।

श्री आर. पी. शर्मा : एक की भी चुनौती दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप बोलते वक्त सोचा करिये कि क्या बोल रहा हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शर्माजी, इंटरप्ट मत कीजिये। उन्हें बोलने दीजिये।

श्री सांवर लाल : यह भी एक मुहावरा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावर जी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अगर आपने एक प्रतिशत लोगों को दे दी होगी तो उसका मतलब क्या निकला ? आपका आब्जेक्ट उससे पूरा नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर : पंचायतों में एक को भी दी तो मेरी चुनौती है आपको।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सांवर लाल : आप यह कहने का अधिकार नहीं रखते कि हम गरीबों को दवाई दे रहे हैं। अभी बड़ी–बड़ी बातें बतायीं कि हमने इतनी सीनियर खोल दीं, इतनी सैकण्डरी कर दीं, इतनी मिडल कर दीं और उस दिन माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं समानीकरण में हमने व्यवस्था कर दी तो यह कर देंगे। आपने किया क्या ? क्या तीर मार लिया ? आपने एक मास्टर को नौकरी नहीं दी और सीनियर कर दी, सैकण्डरी कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, जहां स्कूलों में जरूरी नार्म्स के हिसाब से जितने अध्यापक जिस स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के राज में लगे हुए थे उन नार्म्स में कटौती करके उन मास्टरों को इधर से उधर भेज दिया। जिस स्कूल से किसी अध्यापक को भेजा उसकी जगह दूसरा वहां लगा दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह केवल कागजों में खोली हैं। गांव के लड़कों के साथ यह एक दूसरा अन्याय शिक्षा के नाम पर इन्होंने किया समानीकरण के तहत राजस्थान के गांवों के विद्यालयों के पदों में कटौती कर दी और उन्हीं पदों पर इन्होंने दूसरे विद्यालय खोल दिये। आप ईमानदारी से यह बता दीजिये कैसे आप पढ़ा दोगे ?

जिस दिन से राज में आये हैं एक ही बात है–खजाना खाली है, खजाना खाली है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में दूसरी बार लगातार अकाल पड़ गया और गांव के लोग कहते हैं कांग्रेस और काळ कै तो राशी एक है, आं को राज आग्यो तो काळ ही पड़ैलो। मैं पेली ही किया हा, ओ छप्पनो आ र्‌यो है अबकी बचर रेजो, पर बचा कोनी लोग। आज दूसरी बात अकाल भुगत रहे हैं। चारा नहीं, पानी नहीं, बांटा नहीं, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। 20–20, 40–40 आदमियों के मस्टररोल देकर गांवों के अन्दर लड़ाई करवा रहे हैं।

माननीय महामहिम से कहलवा दिया हम व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अकाल का समय तो यही है, 30 जून के बाद राम राजी हो जाएगा तब इस सरकार की तरफ किसान देखने वाला नहीं है। इसलिए हमारा आपके माध्यम से यह सरकार से अनुरोध है।

यह जो महामहिम का अभिभाषण है, महामहिम बहुत गौरवपूर्ण पद पर विराजमान हैं और 155 के मद में जैसा चाहे वैसा अभिभाषण दिलवा दिया। मैं इसका विरोध करता हूं। यह जो अभिभाषण है इसमें राजस्थान की जनता के हित के लिए कुछ भी नहीं किया है और इस अभिभाषण में जो–जो इन्होंने बताया है उससे राजस्थान आगे आने वाले सालों में और पीछे जाएगा। गरीबों के साथ अन्याय किया, गांव वालों के साथ अन्याय किया। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हफीज मोहम्मदजी।

श्री हफीज मोहम्मद (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हुआ हमारी

(श्री हफीज मोहम्मद)

सरकार की पिछली एक साल की उपलब्धियों के साथ सदन में अपनी बात कहना चाहता हूं। इस साल में बजट के प्रावधानों में राजस्थान के विकास के लिए जो महामहिम ने आश्वासन दिया है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इन सब बातों को पूरा करेगी।

इस वर्ष हम स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं और स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष में हमने आजादी के उन योद्धाओं को जिनकी कुर्बानियों से, जिनके त्याग और तपस्या से हमको आजादी मिली थी, उनको हमने सम्मानित करने के लिए 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये पेंशन देकर उनका सम्मान किया है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बहुत–बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं।

अभी हमारे विपक्ष के साथी मन से नहीं विरोध की भाषा से सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ यहां पर अपनी बात कह रहे थे। लेकिन वे स्वयं इस बात को जानते हैं कि पिछले सवा साल में राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वह रिकार्डबद्ध हैं। हमारे और इनके नकारने से, यह कहने से उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है।

मैं सदन को इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने सवा साल पहले जब राज्य की शासन की बागडोर संभाली और राजस्थान की महान जनता ने हमें बहुत बड़ा बहुमत देकर यहां भेजा तो हमने पिछले एक साल में खजाना खाली होने के बावजूद भी, 23 हजार करोड़ रुपये का कर्जा जो पिछली सरकार राजस्थान में छोड़ गयी थी, और उनके काल में हम यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने राजस्थान में कोई बड़ा विकास नहीं किया। अगर वे राजस्थान में एक बड़ी योजना हमको गिना दें कि हमने कोई बहुत बड़ा बांध बनाया हो, हमने बिजली का बहुत बड़ा काम किया हो या हमने शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को कुछ उपलब्धियां दी हों तो हम मान सकते हैं कि 23 हजार करोड़ रुपये उन्होंने किन काम में खर्च किया। दुर्भाग्य से हमको खजाना खाली मिला। लेकिन मैं राजस्थान की सरकार को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह से खजाना खाली होने के बावजूद भी राजस्थान में पिछले साल के अकाल में करीब 500 करोड़ रुपये राजस्थान के अकाल पीड़ित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए, हमारे पशुधन को बचाने के लिए, पानी की व्यवस्था करने के लिए हमारी सरकार ने खर्च किये। इन परिस्थितियों को देखते हुए आज मैं कह सकता हूं कि देश के अन्य राज्यों के मुताबिक राजस्थान बहुत ही शांतिप्रिय है और सरकार को समर्थन देते हुए राजस्थान की जनता आगे चल रही और उसका प्रमाण हमारे यह चुनाव हैं।

अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ, चुनाव में अमुक धांधलियां हुई। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने लोक सभा के चुनाव लड़े और कुछ जातियों को आपने बहकाया। आपने उनको

(श्री हफीज मोहम्मद)

अपने रास्ते से डिगाने के लिऐ जिस तरह से प्रलोभन दिये। हालांकि हमने वादा किया था, हमने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम अमुक–अमुक जातियों को आरक्षण देंगे और उनको ओ. बी. सी. में लाने का प्रयत्न करेंगे। आज भी और कल भी हम इस बात पर अडिग थे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक बार नहीं, अनेक बार इन सारी जातियों को इस बात का विश्वास दिलाया था। लेकिन जो कुछ घटनाएं हुईं, उन घटनाओं को देखते हुए आपने राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए उनको बहुत उकसाने की कोशिश की ओर उसके परिणाम यह सामने आये कि कांग्रेस को उससे थोड़ा धक्का लगा। आपने यह सोच लिया कि शायद राजस्थान में कांग्रेस कमजोर हो जाएगी अब।

इसी दरमियान आपने और हमने देखा कि कांग्रेस में जब नगरपालिका के चुनाव हुए तो राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के काम का समर्थन करते हुए, कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करते हुए राजस्थान में नगरपालिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद राजस्थान के कर्मचारियों ने बोनस के नाम पर जो सरकार को डराने–धमकाने की बात की, सरकार ने यह कहा कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसी स्थिति में हम आपको आज बोनस नहीं दे सकते। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख है कि राजस्थान के विकास की बात करने वाले कुछ राजनीतिक दलों ने उनको बहुत भरमाया, उनको बहुत उक़साया और उनको कहा तुम मजबूत रहो, हड़ताल करो, लड़ते रहो हम साथ हैं, तुम कुछ लेकर हटोगे। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, सरकार को धन्यवाद देता हूं, जो उनके मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, राजस्थान की गरीब जनता के हितों को देखते हुए उन्होंने गलत नीतियों पर कभी भी हां में हां नहीं मिलायी और सरकार ने मजबूती के साथ उसको फेस किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसी स्थिति में जब राजस्थान का कर्मचारी आन्दोलन पर था, हड़ताल पर था और हमारे पंचायत राज के चुनाव ड्यू हो गये थे, हमारे लोग सोचते थे, राजनीतिक पार्टियों के लोग सोचते थे अब चुनाव नहीं करा सकेंगे। यहां तक कि हमारे इलैक्शन कमीशन को भी यह दुविधा थी कि जब सारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो चुनाव किस तरह होंगे। लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, उसके दृढ़ निश्चय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा हम चुनाव करा कर रहेंगे। किन्हीं भी परिस्थितियों में सरकार अपने कार्यक्रम के आधार पर राज्य में पंचायत चुनाव करायेगी। और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि राजस्थान के कर्मचारियों के इस भ्रम को आपने तोड़ दिया। वे सोचते थे कि हमारे हड़ताल पर

(श्री हफीज मोहम्मद)

रहते हुए चुनाव नहीं होंगे, लेकिन ऐसे चुनाव हुए, ऐसे निष्पक्ष चुनाव हुए कि आज राजस्थान के लोग इस बात को समझते हैं। मैं कहता हूं अगर इसमें भ्रष्टाचार ओर बेइमानी होती तो हमारे प्रतिपक्ष के लोग क्यों जीत कर आये ? अगर जीतते तो 100 प्रतिशत रिजल्ट हम कांग्रेस के हक में ला सकते थे लेकिन हम ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि राज्य में पंचायत के चुनाव बहुत ईमानदारी से, बहुत निष्पक्षता से हुए और राजस्थान की जनता ने यह समर्थन देकर बता दिया कि हम कांग्रेस में अशोक गहलोत की नीतियों का समर्थन करते हैं, कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल में जो उपलब्धियां थीं उनको हम नकार नहीं सकते। अभी हमारे साथी कह रहे थे, राजीव पाठशालाओं का विरोध कर रहे थे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर शिक्षा की उपलब्धि हुई है तो पिछले इन 15 महीनों में राजीव गांधी स्वर्ण पाठशालाएं खोल कर हमने उस गरीब, किसान और मजदूर को जो दूर—दराज की ढाणी में रहता था, जिसके बच्चे को पढ़ने के कोई साधन नहीं थे, जिसको पढ़ने के लिए दो—तीन किलोमीटर दूर जाकर शिक्षा लेनी पड़ती थी, हमने उस गरीब किसान की झोपड़ी में एक राजीव गांधी पाठशाला खोल कर के उसके बच्चे और बच्ची को पढ़ने का साधन दिया है। आज वह वाह—वाही कर रहा है। आज पंचायत चुनाव ने इस बात को साबित कर दिया है कि हमारी राजीव गांधी पाठशाला खोलना कांग्रेस का समर्थन है, सरकार का समर्थन है क्योंकि हम भारी बहुमत से ग्रामीण जनता का समर्थन लेकर आपके बीच आये हैं। हमने उन जगहों पर स्कूल खोले हैं जहां की ग्राम सभाओं ने वहां के प्रस्ताव लिये हैं, हमने वहां पर उन लोगों को पढ़ाने के लिए शिक्षक रखे हैं जिनके ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव दिये हैं। उसमें कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं है, किसी तरह की राजनीति नहीं है। लेकिन मुझे यह कहते हुए अफ़सोस है कि हमारे लोग जो राजस्थान को शिक्षा की दृष्टि से बहुत पीछे धकेलना चाहते हैं, उन्होंने भारत सरकार में जाकर विरोध किया कि आप इनकी एड रोक दीजिये। यह राजीव गांधी पाठशाला के नाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नौकरियां दे रहे हैं। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि आप साबित कर दीजिये कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां पर राजीव गांधी पाठशालाओं में अध्यापक का कार्य कर रहे हैं ? जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उस गांव के, उस जाति के और समाज के जिस जगह पर हमने स्कूल खोला है उनके समर्थन से हमने उनको काम दिया है। यह भी आपको कहना चाहता हूं, आप भी शायद इस बात को जानते हैं, चूंकि आप विरोधी पार्टी के लोग हैं, आपको विरोध करना है इसलिए आप ऊपर के मन से कह रहे हैं। मेरे यहां पर 115 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती स्कूल्स खुले हैं और उनकी यह प्रगति है कि

(श्री हफीज मोहम्मद)

एक स्कूल में 70 और 80–80 बच्चे आज पढ़ रहे हैं ओर गांव का वह लड़का जो कई वर्षों से बेकार था, जिसका इंटरव्यू नहीं लिया, उसका एक पैसा खर्चे का नहीं पड़ा। हमने उसकी शिक्षा के आधार पर वहां की ग्राम सभा के चयन के आधार पर हमने उसको शिक्षक का काम दिया है और वह बहुत निष्ठा और ईमानदारी से अपने गांव के बच्चे को पढ़ा रहा है। उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आज वह शिक्षा में दूसरे स्कूलों के मुकाबले में किसी से पीछे नहीं है और आज होड़ लगी हुई है। लोग कहते हैं हमको नौकरी लगाइये, हमको शिक्षा का काम दीजिये। मैं विरोधी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप अच्छी से अच्छी योजना को बदनाम करना चाहते हैं। आज कम तनख्वाह के नाम पर हमारे उन गरीब लोगों की, जो सेवा की भावना से हमारे गरीब गांव के लड़के को पढ़ाना चाहते हैं, आप उनकी इन्सल्ट करना चाहते हैं ? आप मेहरबानी करके उसकी इन्सल्ट मत करिये। हमारे दबाव में वह नौकरी नहीं कर रहा है। उसकी इच्छा से, उसकी अपनी मर्जी से उसने काम हाथ में लिया है और अच्छे रिजल्ट हमको दे रहा है। इसलिए, मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे और राजीव गांधी पाठशालाएं खोलने के प्रस्ताव हैं आप मेहरबानी करके जहां पर, जिस क्षेत्र में राजीव गांधी पाठशालाएं खोलने के प्रस्ताव आये हैं वहां पर स्कूल खोलने के आदेश दीजिये ताकि हमारे कुछ गांव और ढाणियां जो किसी कारण से रह गये हैं वहां पर स्कूल खुल सकें।

जहां तक ग्रामीण पंचायतों को स्वायत्तता देने की बात कहते हैं, मैं नहीं कहता, हिन्दुस्तान के लोग नहीं कहते, दुनिया का माना हुआ अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है। उन्होंने बम्बई में जाकर तारीफ की है राजस्थान के पंचायत राज की। उन्होंने "नायला" की बात की है कि वहां पर पंचायत राज को और उन महिला प्रतिनिधियों को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हमारी सहकारी समिति की तारीफ की है लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि दुनिया का एक माना हुआ शख्स, दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्रपति हमारी प्रगति की बार–बार प्रशंसा करता है और हम ही लोग पता नहीं उसका क्यों विरोध करते हैं, उसकी मुखालफत करना चाहते हैं।

मैं अन्त में विरोधी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप विरोध की जगह विरोध करिये लेकिन निर्माण और शिक्षा में मेहरबानी करके हर प्रकार का सहयोग करिये। शिक्षा और निर्माण राजस्थान में कोई कांग्रेस की बपौती नहीं है या और किसी की बपौती नहीं है। जो लोग इसमें सहयोग करके राजस्थान को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं, राजस्थान को शिक्षा की दृष्टि से आगे ले जाना चाहते हैं, हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। और महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी आखिरी में अपने शब्दों में यही कहा था कि आप सब मिल बैठकर एक होकर राजस्थान की प्रगति

(श्री हफीज मोहम्मद)

में आप अपना सहयोग दीजिये। इसलिए हमने न केवल पंचायत के चुनाव करवाये, न केवल राजस्थान की सरकार ने जो कहा है उसको करके दिखाया है।

आज राजस्थान की पंचायत राज को मजबूत करने के लिए हमने स्वायत्तशासी कई योजनाएं लागू की हैं। हमने उनको नौ विभाग समर्पित किये हैं और हमने जिला प्रमुख को डी. आर. डी. ए. का चेयरमैन बनाया है। पिछले कई सालों से हम लोग भी मांग कर रहे थे और आप लोग भी मांग कर रहे थे लेकिन मनोबल की कमी की वजह से, इच्छाशक्ति की कमी की वजह से आप और हम जिला प्रमुख को डी. आर. डी. ए. का चेयरमैन नहीं बना सके। लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, सरकार के मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत बनाते हुए प्रमुखों को सारे अधिकार दिये जो आज जिले का सर्वोपरि है, सर्वेसर्वा है। अगर कोई अधिकार का उपयोग नहीं कर सके, अधिकारों का लाभ जनता को नहीं दे सके तो उसमें सरकार का दोष नहीं है। इसलिए आज कोई कहता है कि उसकी दुकान में क्या सामान है या क्या नहीं है, यह असंसदीय भाषा बोलने से हमको परहेज करना चाहिए ओर हमको कहना चाहिए कि वाकई में इस सरकार की इच्छाशक्ति ने जिला प्रमुखों को, ग्रामीण पंचायत राज को शक्तिमान बनाया है। जो पंचायत राज पिछले आठ साल में चरमरा गया था, टूटने की स्थिति में आ गया था, हमारा थर्ड टाइप सिस्टम बेकार हो गया था, मैं धन्यवाद दूंगा पंचायत राज मंत्री जी को कि आपने सरपंच को पंचायत समिति का मैम्बर बनाया, आपने प्रधान को जिला परिषद का मैम्बर बनाया और सारे जिले के विकास में आपने कड़ी से कड़ी जोड़ दी और पंचायत राज को फिर से एक मजबूत और नई दिशा आपने दी है। इसमें हम आपकी भूरि–भूरि प्रशंसा करते हैं और राजस्थान में यह पंचायत राज बढ़े और फले फूले, इसकी हम कामना करते हैं और आपको हर तरह से पंचायत राज की सफलता में हम अपना सहयोग देने की बात को दोहराते हैं।

इसी तरह से हमने गरीब किसान को जो बीमार से ग्रस्त होकर इधर–उधर घूमता था, पैसे के अभाव में बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं करा सकता था हमारी सरकार ने मुख्य मंत्री सहायता कोष से एक जीवन रक्षा समिति बनायी और उसमें तीन करोड़ रुपये का प्रावधान रखा। अभी थोड़े दिन पहले हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अगर इसमें दस करोड़ रुपया भी करना पड़े तो राजस्थान सरकार करेगी और हमारा गरीबी की रेखा से नीचे वाला जो है उसको दवा के अभाव में नहीं मरने दिया जाएगा। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारे कैंसर के मरीज और जिनके वाल्व खराब हो गये हैं वे मरीज, ऐसी बीमारियों के लोग आज राजस्थान सरकार से सहायता प्राप्त करके अपना उचित इलाज करवा रहे हैं

(श्री हफीज मोहम्मद)

और उनको लगा है कि इस प्रदेश में गरीबों की सरकार है, गरीब की सेवा करने वाली है और वे रोज दुआएं दे रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार और मुख्य मंत्री जी को क्योंकि उन्होंने सारे जिला कलेक्टर्स को पाबंद किया है कि वह हर महीने में हर पंचायत समिति में एक बड़ा कैम्प लगायें और उस कैम्प के माध्यम से उस जिले के गरीब लोगों को पेंशन दें। और धन्यवाद दूंगा कि जो 100 रुपया महीने की पेंशन मिला करती थी, आर्थिक अभाव के बावजूद भी हमारी सरकार ने उसको बढ़ाकर 200 रुपये किया है। जिन गरीब छात्रों को समाज कल्याण के होस्टल में 300 रुपया समाज कल्याण की तरफ से सहायता मिला करती थी, सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आपने उसको बढ़ाकर आज 675 रुपये महीने की सहायता की है और आज वह हमारा विद्यार्थी बड़े आराम से दो वक्त का खाना खाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। यही नहीं इतने अभाव के बावजूद भी सरकार बधाई की पात्र है कि राज्य में संस्कृत स्कूल से लेकर उर्दू स्कूलों से लेकर यहां तक कि उन्होंने 800 मिडल स्कूल्स खोले हैं, 400 सैकण्डरी स्कूल्स को इन्होंने क्रमोन्नत किया है और करीब 200 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल्स ओर हमारे राज्य में कई कालेज खोलकर प्रगति और शिक्षा के प्रेम को जाहिर किया है। मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने इस साल की योजनाओं में जो राजस्थान की जनता को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में विश्वास दिलाया गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह सरकार राज्यपाल महोदय ने जो घोषणाएं की हैं ये शतप्रतिशत सही उतरेंगी और राजस्थान की जनता इस बात को स्वीकार करके चलेगी।

मैं पानी के मामले में कहना चाहता हूं। पानी की स्थिति में यह बात सही है कि आज राज्य के बड़े भू–भाग में अकाल की स्थिति बनी हुई है। अकाल सरकार की देन नहीं है, सरकार की गलतियों की देन नहीं है, यह प्रकृति की देन है और भगवान की नाराजगी का कारण है, लेकिन सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इसके बावजूद भी सरकार ने किसी तरह की अकाल राहत कार्यों को खोलने में कोई कंजूसी नहीं की है। पानी की योजनाओं में सैकड़ों करोड़ रुपये का प्रावधान जयपुर के लिए, जोधपुर के लिए, अजमेर के लिए, भिनाय के लिए और अनेक जिलों के लिए किया है। मैं, जलदाय मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सारे जिलों का पेयजल की दृष्टि से बड़ी–बड़ी योजनाओं का वर्णन किया गया है लेकिन दुर्भाग्य से भीलवाड़ा को अभावग्रस्त तो माना है, लेकिन उसको कोई बड़ी योजना का लाभ देने की बात उसमें नहीं कही गयी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप मेहरबानी करके, भीलवाड़ा की ज्वलन्त समस्या जो पेयजल की है, और भीलवाड़ा जिले में मेरे क्षेत्र मांडल में, जो सबसे ज्यादा कठिन पेयजल

(श्री हफीज मोहम्मद)

की समस्या है, जहां पर गरीब आदिवासी हमारे रावत भाई, हमारे गूजर भाई छोटी–छोटी ढाणियों में और जंगलों में रहते हैं उनके यहां पानी का बहुत अभाव है। आप मेहरबानी करके बीसलपुर जहां कि मेरे जिले से पानी जाता है, सारा का सारा बनास का पानी भीलवाड़ा से जाता है उस पानी का शेयर भीलवाड़ा जिले को मिले, माण्डल को मिले, भीलवाड़ा शहर को मिले, शाहपुरा ओर जहाजपुर को मिले। आप मेहरबानी करके इस योजना को बनवाइये। भीलवाड़ा जिले के पानी को भीलवाड़ा में देने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को स्वीकार करते हैं। जब भी आप अपना अभिभाषण देंगे, आप अपने विभाग की बात करेंगे तब भीलवाड़ा के प्रति आप अपनी पूरी सहानुभूति रखते हुए हमें पूरा का पूरा भरोसा दिलवायेंगे।

इसके साथ में हमारी जो सहकारी समितियों में हमारी कृषि उपज मण्डी में आने वाले हमारे किसान भाइयों को जो सुविधाएं दी हैं, उनकी उपज का 75 प्रतिशत आपने बैंकों के जरिये, अगर भाव में नमी है, कमी है और मार्केट में उतार–चढ़ाव है तो ऐसी स्थिति में किसान 75 प्रतिशत मूल्य का लेकर अपने माल को रोक सकता है। इस प्रकार की अनेक योजनाएं आपने राजस्थान की सरकार को देकर हमारा सिर ऊंचा किया है। इसलिए मैं इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

पशुपालन के लिहाज से, अभी हमारे बहुत सारे प्रतिपक्ष के साथी कह रहे थे, बहुत से पशुओं की हालत खराब है, पशुओं की कोई देखभाल नहीं है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल हमारी सरकार ने सौ पशुपालन चिकित्सालय खोले हैं, करीब 800 सब–सैण्टर खोले हैं और जगह–जगह हमने घास डिपो बनाये हैं। आप यह कह सकते हैं कि आपने कागजों में डिपो खोल दिये, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं दूसरे जिलों की बात नहीं करता लेकिन मैं अपने भीलवाड़ा जिले के बारे में आपको निमन्त्रण देता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप पधारिये और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कहां–कहां हमने घास के डिपो लगाकर सस्ती दर पर किसान को, मवेशी को जिन्दा रखने के लिए घास दे रहे हैं, मैं आपको वहां पर बता दूंगा। हम पानी के लिए कितना कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा, आपने कभी यह नहीं कहा कि राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है। आपने कहा पैसा है या नहीं है लेकिन पानी के अभाव में राजस्थान की जनता को प्यासा नहीं मरने देंगे। आपने हमको नलकूप दिये, आपने हैण्डपम्प दिये, नयी–नयी योजनाओं के बारे में आप प्रस्ताव लेकर आये हैं। आपने कहा है जयपुर में भीलवाड़ा जिले की समस्याओं के लिए अधिकारियों को बुलाकर जनप्रतिनिधियों के बीच में बैठकर बात करूंगा। मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं। हर क्षेत्र में चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो

(श्री हफीज मोहम्मद)

चाहे कृषि का क्षेत्र हो। आज हम बिजली की बात बहुत करते हैं। मैं माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं आठ साल तक राजस्थान का किसान बिजली के लिए बार—बार मांग कर रहा था और राजस्थान में बड़ी से बड़ी संख्या में राजस्थान की सरकार को अपनी बात कहने के लिए आया। क्या आपने उनको बिजली दी ? आपने उनको गोलियां दीं, लाठियां बरसायी थीं। राजस्थान में किसान के ऊपर जो अत्याचार उस वक्त की सरकार ने किया था, आज यही कारण है कि कांग्रेस इतनी बड़ी मैजोरिटी में जीतकर के यहां आयी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पिछले 15 महीनों में राजस्थान की सरकार ने जो बिजली की बड़ी—बड़ी योजनाएं बनायी हैं, योजनाएं ही नहीं बनायी, सूरतगढ़ का हमारा ढाई सौ मेगावाट का चालू हो गया और ढाई सौ का और आने वाला है और बड़ी—बड़ी योजनाएं और विचाराधीन हैं जो स्वीकृति के लिए दे चुकी हैं। इसलिए मैं इस मौके पर इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार की दृढ़ शक्ति, सरकार के नेक इरादों का समर्थन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक यहां पर आकर यह अभिभाषण दिया उसके लिए तो वह धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन जिस प्रकार का भाषण उनसे दिलवाया गया वह थोथा, दिशाहीन और निराशाजनक भाषण है। यह थोथा और निराशाजनक मैं इसलिए कह रही हूं कि आज प्रदेश में बिजली नहीं, पानी नहीं, 26 जिलों के 23 हजार से अधिक गांवों में अकाल है। सरकार के पास पैसा नहीं, खजाना खाली है। वह भारत सरकार की ओर बड़ी उम्मीदों और आशाओं से निहार रही है कि भारत सरकार कुछ पैसा दे दे तो अकाल राहत का काम चलायें। व्यापारी नाराज हैं, कुछ बरामदा प्रकरण को लेकर, कुछ तोड़ फोड़ को लेकर, कुछ एंट्री टैक्स को लेकर। कर्मचारी नाराज है। हालांकि चुनाव घोषणा पत्र में कर्मचारियों के बारे में कांग्रेस ने कहा था। मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी, कहा था कि यह सरकार लगातार...

श्री हरेन्द्र मिर्धा : सिर्फ आप ही नाराज हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं पहले कहीं भी होऊं आज मैं यहां हूं उसी हिसाब से बोल रही हूं और जिस तरीके से बोल रही हूं वह मेरा हक है और अधिकार है बोलने का। मैं पहले कहीं भी रही हूं आज मैं निवेदन कर रही हूं कि अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि राज्य के कर्मचारी एवं शिक्षकों की हड़ताल का सिलसिला...

श्री परसादी लाल : इसको बनाने में आपका भी सहयोग था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : देखिये, आप बीच में ना बोलें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगी कि मुझे इस प्रकार बीच में रोका–टोकी नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। नहीं बोलेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि शिक्षकों की हड़ताल का सिलसिला कई वर्षों से चलता रहने से प्रदेश में प्रशासन नाम की कोई व्यवस्था नहीं रह गयी है। कर्मचारियों की मांगों पर तर्कसंगत विचार करने के बजाय उनके साथ बदले की भावना से कार्यवाही की जाती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रोविडेंट फण्ड और पेंशन देने के अनेक मामलों में भी सरकार असफल रही है। यह चुनाव घोषणा पत्र में लिखकर के आपने कर्मचारियों की सहानुभूति को अर्जित कर लिया और अब आपने उन्हें पीट दिया हड़ताल में बुरी तरह से। तो अपनी हड़ताल के पिट जाने से कर्मचारी नाराज और उनके साथ नौजवान चूंकि ठाले बैठे हैं, इसलिए वह नाराज, 60 से 58 साल की उम्र तो कर दी सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की और कहा कि पन्द्रह हजार से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। अब उस पर पाबन्दी। एक को नौकरी नहीं मिली।

श्री हरिसिंह (महुवा) : चालीस को...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बीच में नहीं बोलेंगे, मैंने आपसे निवेदन किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मुख्य सचेतक होकर के इस प्रकार का काम करते हैं। इनको आप ताड़ना दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक जी, आप यहां पधारो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि बड़ी–बड़ी डींग हांक–हांककर सत्ता में बैठने वाले सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमने साढ़े बारह हजार राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोलकर साढ़े बारह हजार लोगों को नौकरी दे दी। अकुशल की रोजाना की मजदूरी है 60 रुपया और अर्द्ध कुशल की है 64 रुपया और कुशल की 68 रुपया और एम. ए. पास को दे रहे हो 1200 रुपये और कहते हो कि मानदेय है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन एम. ए. और बी. ए. पास जो व्यक्ति है वह जाकर के राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला में पढ़ायेगा ? क्यों जाएगा वहां पर ? इससे तो अच्छा वह अकाल राहत के अन्दर काम कर लेगा तो कम से कम चौसठ रुपया नही तो साठ रुपया मिल जाएगा। वह क्यों जाएगा वहां पर ? मैंने यह भी देखा है, मेरे इलाके में ही मैंने देखा है कि जिस आदमी ने 1200 रुपये में अपना नाम लिखा रखा है पांच दिन जाएगा, आधी तो स्कूलें बन्द हो गयी हैं आपकी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं और जो चालू भी हैं उनमें आज मैं चली गयी और कल मेरी बहन चली जाएगी, परसों मेरा बेटा चला जाएगा और कभी कोई और चला जाएगा, केवल बच्चों की हाजरी से मतलब है बाकी पढ़ाने से कोई मतलब नहीं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

है। अभिजात्य वर्ग के लोग तो पढ़ेंगे आपके पब्लिक स्कूल्स में और उन ग्रामीण बच्चों को इस तरीके से रखना चाहते हो कि गांव में रहने वाला बच्चा आगे पढ़े ही नहीं। लेकिन आप ताज्जुब करोगे कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आयी थी। यूनिसेफ ने अपनी फैक्ट शीट के अन्दर कहा है कि छह से ग्यारह वर्ष के बच्चे, आधे बच्चे तो उनमें पढ़ने आते ही नहीं और जो आते हैं पांचवीं क्लास तक आते–आते आधे बच्चे भी नहीं आते। प्राथमिक शिक्षा पर हमारा जो बजट 59 प्रतिशत था वह घटकर धीरे–धीरे 48 पर्सेण्ट पर आ गया है। यह बताता है कि हम प्राथमिक शिक्षा के बारे में कितने जागरूक हैं या कितने पर्टिकूलर हैं उसके बारे में, यह बात इस यूनिसेफ की रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गर्व और गौरव के साथ राज्यपाल महोदय से कहलवाया गया कि इस बार पंचायतों के चुनाव इन विषम परिस्थितियों में जब एक तरफ कर्मचारी हड़ताल पर थे तो भी पूर्ववर्ती चुनावों से अच्छे ढंग से हमने चुनाव करवाये हैं। मैं पूछना चाहती हूं चुनाव के दौरान चार–चार हत्याएं हुई हैं। उससे पहले किसी भी पंचायत चुनाव में इस प्रकार से हत्याएं नहीं हुई और इसे आप पूर्ववर्ती चुनावों से अच्छा बताते हो। जहां चार–चार हत्याएं चुनावों में हो जाएं, जहां कितने पोलिंग स्टेशन्स पर री–पोल हुए हैं और आप गवर्नर साहब के मुंह से यह कहलवाओ कि पूर्ववर्ती चुनावों के मुकाबले में इस बार के चुनाव ठीक ढंग से सम्पन्न हुए हैं। मैं समझती हूं ऐसा कहलवाना उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ पहली बार शायद राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर इस प्रान्त के लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति की किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की। केवल इतना सा कहकर के अपने इस भाषण की इतिश्री कर दी कि महिला अत्याचार के मामले सरकार अधिक संजगता और अधिक सक्रियता से लेगी। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है इस बात का कि कभी आज से पहले, चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज हो, चाहे जनता पार्टी का राज हो कभी थानेदारों की हत्या नहीं हुई थी। इस प्रशासन में छह महीने, साल के अन्दर तीन थानेदारों की हत्या हुई है। (व्यवधान) हुई होगी, थानेदारों की हुई होगी मैं तो कह रही हूं इस साल के अन्दर तीन थानेदारों की हत्या की गई है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जब आपके महिलाओं के अत्याचार के बारे में पुलिस विभाग की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई, पुलिस डिपार्टमेंट ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी है उसमें खुद स्वीकार किया है कि पिछले सालों के बजाय अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दहेज हत्या में बढ़ोतरी, दहेज उत्पीड़न में बढ़ोतरी हुई। 1997 में जहां 356 दहेज हत्याएं हुई थीं 1999 में 443 दहेज हत्याएं हुई हैं। जहां दहेज

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उत्पीड़न 1997 में 4304 हुआ था इस वर्ष 1999 में 5425 हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इतना ही नहीं, यह चुनाव के दौरान की सारी अखबारों की कटिंग है। एक तरफ तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा जा रहा है, आज के वित्त मंत्री उस समय गृह मंत्री थे। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इसके बारे में कोई बात की होगी। सगाई तोड़ने के बदले 7 दिन तक सामूहिक बलात्कार और बलात्कार किसने किया 3 बेटे और बाप ने क्योंकि सगाई उस लड़की की वहां से किसी और जगह कर दी गई थी। जोधपुर का समाचार है। खुद मुख्य मंत्री के गृह जिले का समाचार है। बाप और बेटे सबने सात दिन तक लगातार उस बच्ची के साथ बलात्कार किया सगाई तोड़ने के अपराध में। इतना ही नहीं याद होगा आपको, आज के वित्त मंत्री और तत्कालीन गृह मंत्रीजी को कि गीजगढ़ के अन्दर लड़की के साथ बलात्कार किया और जलाकर मार दिया। इतना ही नहीं यहां पर शरणार्थी लड़की, तिब्बत से आई तिब्बती लड़की के साथ किस प्रकार से बलात्कार हुआ और किस प्रकार से उसके बाद में क्या कार्यवाही हुई, किस तरह से हुई वह बतायेंगे वित्त मंत्रीजी। एक अखबार की कटिंग मैं जरूर सुनाना चाहूंगी आपको। 40 हजार रुपये के अन्दर एक व्यक्ति ने एक महिला को खरीदा। इस 21वीं शताब्दी में भी महिला क्या बकरी और गाय की तरह खूंटे पर बांध कर उसकी कीमत लगाई जाती है। कोई दो टके की बकरी तो नहीं है औरत कि उसे इस तरीके से 40 हजार रुपये में बेचा और खरीदा जाए। एक महीने बाद उसका बाप और 3 जने आये और आकर के उसे ले गये और कहीं और बेच दिया। आज भी औरत को जानवर ही समझा जाता रहेगा, कब तक उसको समझा जाता रहेगा एक पशु की तरह से ? मैं निवेदन करना चाहती हूं शायद आप सब लोगों ने पढ़ा होगा इस अखबार को कि दो टके की बकरी नहीं होती औरत कि जिस तरीके से उसे आप चाहे जहां बेच दो। पहले किसी के घर बांधा फिर वहां से लाकर के दूसरी जगह बांध दो। 40 हजार में आप एक जगह बेच दें, 35 हजार में फिर दूसरी जगह बेच दो। कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा ? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगी कि जब इसका जवाब दिया जाए तो इन सब बातों का जवाब दिया जाए। एक तरफ कानून व्यवस्था, महिलाओं के लिए एक तरफ महिला आयोग बना दिया और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ इस तरह की वारदातें और इस तरह की घटनाएं कब तक घटित होती रहेंगी ? इसके बारे में निश्चित तौर पर जवाब देने की कृपा करेंगे।

श्रीमती जकिया (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : इसीलिए तो महिला आयोग बनाया है मैंने। इसीलिए बनाया है।

श्री मदन दिलावर : महिलाओं पर अत्याचार करने के लिए बनाया है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं तो कहना नहीं चाहती थी।

श्रीमती जकिया : महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं और वहां तक सुनवाई नहीं होती उस सुनवाई को पूरा करने के लिए महिला आयोग बनाया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री महोदया, थोड़ा सब्र रखिये। इसी अखबार की, मैं तो कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वह मेरी अच्छी मित्र हैं इसलिए मैं आयोग के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती थी। आपने मजबूर कर दिया मुझे कहने के लिए तो मुझे कहना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि महिला आयोग की खबर भी इसमें है कि अब तक 400 से अधिक उनके पास शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। और भी बहुत कुछ लिखा है। आप लोग देख लीजिये, दर्ज पढ़ लीजिये कि और क्या--क्या लिखा है। कई मामलों के अन्दर महिला आयोग भी उदासीन रहा है। 2--3 केसेज में लोगों ने शिकायत की है उसके बाद जाकर के सुनवाई हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी पेयजल के बारे में। पेयजल के बारे में यह बात ठीक है कि पिछली बार भी पेयजल मंत्री ने काफी रूचि लेकर इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की कि अकाल का वर्ष है, जहां धीरे--धीरे वाटर टेबल नीचे चला गया, कुओं का पानी सूख गया इसलिए कोशिश की थी कि ऐसी जगहों के ऊपर राहत पहुंचाने के लिए चाहे कुओं को गहरा करना पड़े, चाहे हैण्डपम्प लगाना पड़े, चाहे कुछ और किया जाए, लेकिन पानी लोगों को मिले। उपाध्यक्ष जी, यह तो सब ठीक है लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि खजाना खाली है। सरकार के पास पैसा नहीं है। रोजाना दो मंत्री तो यही काम कर रहे हैं कहीं शिलान्यास, कहीं उद्घाटन। एक तो मुख्य मंत्रीजी और एक हमारे ऊर्जा मंत्रीजी। रोजाना अखबार के अन्दर आता है, आज अमुक जगह शिलान्यास, आज अमुक जगह शिलान्यास। पानी का 150 करोड़ रुपया तो इन्दिरा गांधी नहर से जोधपुर को पानी लाने का काम जोधपुर शहर के लिए कर लिया। खुद पेयजल मंत्रीजी की दिलचस्पी थी इस बात में और मुख्य मंत्रीजी की तो थी ही थी लेकिन मुख्य मंत्री यहां हैं नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत उनके कान तक यह बात जरूर पहुंचाना चाहती हूं कि चार साल पड़े हैं अभी। कोई मुख्य मंत्री होता है वह पूरे प्रदेश के लिए होता है, कोई किसी एक जगह के लिए ही नहीं होता है। सुखाड़िया जी मुख्य मंत्री रहे, लम्बे समय तक रहे। जोशी जी भी रहे, शिवचरण जी भी रहे लेकिन यह नहीं कि एक साल में सारा बजट, जिस किसी डिपार्टमेंट का भी बजट हो वह सारा बजट एक ही जगह जहां से वे जीते हों वहां पहुंच जाएं, ऐसा पहले किसी मुख्य मंत्री ने नहीं किया था। इस बार तो जो कुछ भी है, विधि विश्वविद्यालय खुलेगा तो जोधपुर में खुलेगा... (व्यवधान) आपके आने के बाद प्रस्तावित हुआ है। (व्यवधान) काहे का प्रस्तावित। आप बीच में नहीं बोलिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : जो बात आप बता

(श्री रामसिंह विश्नोई)

रही हैं, आरोप लगा रही हैं मुख्य मंत्री के ऊपर, यह जो योजनाएं हैं, इन्दिरा गांधी नहर का पानी पिछले लम्बे समय से प्रयास के बाद आया है और II फेज का यह मामला लम्बे समय से पैंडिंग था, इसको स्वीकृत किया गया। लेकिन आपका यह आरोप कि जोधपुर में किया गया है, यह गलत है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब आपके नम्बर बढ़ गये। आप विराजिये, आपके नम्बर बढ़ गये। आप विराजिये, आपके नम्बर बढ़ गये, मुझे बोलने दीजिये। बढ़ गये आपके नम्बर, बढ़ गये, मंत्रीजी, मुझे बोलने दीजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरे नम्बर से मेरे फर्क नहीं पड़ता है। मैं मंत्री रहूं या नहीं रहूं, मेरे फर्क नहीं पड़ता है। आपको गलतफहमी है, आपसे कोई नम्बर बढ़ाना है नहीं। आपसे कोई लेना है नहीं लेकिन...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उनकी, मुख्य मंत्रीजी की नजर में बढ़ गये।

श्री रामसिंह विश्नोई : 4 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं अलग—अलग जिलों की और आपके जिले की भी 104 करोड़ की योजना मंजूर हुई है। जयपुर की और टौंक की 15 सौ करोड़ रुपये की योजना मंजूर हुई है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरे जिले की हुई तो आपकी जिम्मेदारी है, सम्पूर्ण राजस्थान की जिम्मेदारी है। जहां आवश्यकता है वहां करने का आपका कर्तव्य है। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्या, यह आरोप गलत है। मैं तो कहता हूं धौलपुर भी इसमें है, भरतपुर भी है, इसमें सवाई माधोपुर भी है, जयपुर भी है, टौंक और अजमेर... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आरोप नहीं, मैं तथ्यात्मक स्थिति का वर्णन कर रही हूं। (व्यवधान) मुझे करने दीजिये। मैं तथ्यात्मक स्थिति का वर्णन कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर—आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय यूं ही खा जाएंगे यह लोग।

श्री उपाध्यक्ष : 3 बजे बुलेटिन है। एक—दो माननीय सदस्यों को और बुलवाना चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि अभी यह इन्होंने मुझे कहा तो मुझे कहना पड़ेगा, शायद मैं पूरी बात कहती कि नहीं कहती लेकिन और बातें छोड़ कर इसी बात पर आ जाती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर की बात जो मैं कर रही हूं और मुख्य मंत्रीजी के निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रही हूं, 400 के. वी. जी. एस. एस. सब—स्टेशन, जोधपुर का शिलान्यास थोड़े दिनों पहले अभी हुआ था। शिलान्यास किया है मुख्य मंत्रीजी ने और इस पर खर्चा आता है 90 करोड़ रुपये। 90 करोड़ रुपये का खर्चा केवल 400 के. वी. जी. एस. एस. के लिए। उसके अलावा विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

में पुलिस के आधुनिकीकरण और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए, अंगुल चिन्ह संग्रहालय के लिए 1 करोड़ 70 लाख का प्रोवीजन अगले वर्ष में पर्यावरण की दृष्टि से जोधपुर में संयुक्त उपचार संयंत्रों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा। मतलब इस वर्ष से क़र दिया जाएगा। और पिछले वर्ष आपने, आज़ जो रख रहे हैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स उसमें आपके ओसियां मंदिर, जोधपुर, शाही छतरियां मंडोर, इनकी मरम्मत के लिए, इनको अच्छा स्वरूप देने के लिए भी बजट प्रावधान किया है। जोधपुर में अंध विद्यालय भी कायम किया जाएगा। पानी तो खैर ठीक है, आवश्यकता है इसलिए वह तो 150 करोड़ खर्च होना भी चाहिए और आप करोगे भी सही लेकिन जोधपुर में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत 20 विशेष विद्यालय भी खोले जाएंगे। केवल चार ही जिलों में खोले जाएंगे उनमें एक जोधपुर भी है। इसलिए मैं यह कह रही थी मंत्री अपने इलाके में भी काम करता है वह मंत्री अच्छा नहीं होता है। विधायक तो अच्छा हो सकता है कि जो अपने इलाके में काम कराये लेकिन मंत्री के लिए सम्पूर्ण राजस्थान होता है इसलिए सम्पूर्ण राजस्थान के मद्देनजर उसे विकास का काम करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि सड़कों के बारे में... (व्यवधान) मैं यह भी निवेदन कर रही थी कि शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर पिछली बार जो यहां पर... (व्यवधान) धन्यवाद दूंगी। बात तो कह दूं मेरी पूरी। पिछली बार जो बजट भाषण दिया था उसमें एक हजार प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शाला बनाने की बात थी लेकिन 867 ही बनायी गयीं। बल्कि मैं चार्ज लगाना चाहती हूं सरकार के ऊपर कि सरकार का यह सारा का सारा जो काम है वह पार्टी के आधार पर किया गया है। चार प्राथमिक शालाओं को मेरे कहने पर क्रमोन्नत किया और जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो चारों उन स्कूलों के आदेश निकाल दिये कि यह स्कूल नहीं खुलेंगी और वह चारों स्कूलें नहीं खुलीं। वह इसलिए कि वह मैंने प्रपोजल दिये थे और मैं चूंकि अपोजिशन की मैम्बर हूं इसलिए मेरे कहने से एक भी स्कूल नहीं खुली और क्रमोन्नत के आदेश करके वापस विद्ड्रावल के आदेश कर दिये और वह स्कूल नहीं खुली। (व्यवधान) महाविद्यालय तो ऐसा है, देखिये, सुनिये आप बात। महाविद्यालय तो आपने अपने इस गीता कहूं, कुरान कहूं, बाइबल कहूं, क्या कहूं, मैं तो गीता ही कह देती हूं। इसमें आपने कहा कि हर जिला मुख्यालय के ऊपर तीनों संकायों से युक्त एक राजकीय कालेज होगा... (व्यवधान) होगा, पांच साल के लिए होगा, तीन साल के लिए होगा। इसमें लिखा है और इसमें लिखा हुआ था और केवल झुंझुनूं ही एकमात्र जिला मुख्यालय था जहां राजकीय कालेज नहीं था, इसलिए आपको कालेज खोलना पड़ा, किसी पर कोई अहसान नहीं किया। लेकिन मैं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आपसे निवेदन करती हूं कि आपने अपने बजट भाषण के अन्दर... (व्यवधान) जहां एक हजार प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शाला बनाने की बात थी वहां आपने 867 ही खोलीं। जहां चार सौ की बात थी वहां आपने वह संख्या भी पूरी नहीं की। जहां सैकण्डरी को सीनियर बनाने की बात थी, वह भी संख्या आपने 200 नहीं बल्कि 168 खोलीं। आपने खुद ने कहा है। आपके भाषण में है। महामहिम ने कहा है इसमें...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उच्च प्राथमिक तो हैं आपकी 867, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक हुई हैं 387 और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक हुई हैं 189, यह इतनी ही आपकी स्कूलें हुई हैं।

आपने कालेज खोल दिये लेकिन कालेज के बारे में भी मैं कहना चाहूंगी कि पहले तो हमने सुना था, सुना नहीं था, बात भी सच है कि हाकिम चला जाता है, हुक्म नहीं जाता। लेकिन अब हाकिम के साथ—साथ हुक्म भी जाता है या हाकिम ही ऐसे हो गये जिनको पता ही नहीं है कि हुक्म कैसे दिया जाता है। 10 जुलाई, 1999 के रोज झुन्झुनूं जिले के बिंदुसर ग्राम के अन्दर तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री गये और मिश्री देवी केडिया बालिका कालेज का उद्‌घाटन करके चले आये और कह आये कि 7 दिन के भीतर—भीतर स्टाफ यहां पर आ जाएगा। आज दिन तक न कालेज खुला, न स्टाफ गया और वह लड़कियां इसी उम्मीद के अन्दर कि कालेज हमारा खुल जाएगा इसलिए और कहीं एडमीशन नहीं लिया, एक साल बरबाद कर दिया आपने बच्चियों का और ऐसे मंत्री कि जिन मंत्री को यह भी पता नहीं मंत्री का एक—एक निकला हुआ शब्द सरकार का शब्द होता है और जब उन्होंने उसकी घोषणा कर दी तो उनकी मोरल ड्यूटी थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि वह कालेज प्रारम्भ करवाते लेकिन मैंने कहा हाकिम भी जाता है, हुक्म भी जाता है। हाकिम को पता ही नहीं हुक्म कैसे देते हैं और उसके शब्दों का क्या मूल्य है। शायद इन मंत्रियों को यह भी पता नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी सड़कों के बारे में। पिछली बार तो कहलवा दिया गवर्नर साहब से कि हम एक हजार की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे और कर्स किया, पिछली सरकार को कर्स किया कि यह सड़कों की हालत बहुत खराब है। 8 साल में बराबर हो गयी यह सड़कें। टूटी—फूटी सड़कें, सड़कें चलने लायक नहीं हैं और एक साल के अन्दर एक इंच सड़क का भी पुनरूद्धार नहीं किया। एक—एक फीट के गड्ढे पड़े हैं। झुन्झुनूं जिले की सड़कों में तो एक—एक फीट के गड्ढे पड़े हैं जिन पर चला भी नहीं जा सकता लेकिन इस सरकार ने एक इंच की भी मरम्मत नहीं की। केवल कागजी आश्वासन देकर अपना फर्ज पूरा कर लिया।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो समाप्त हुई ही नहीं, कुछ बातें तो रह गयीं...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करने के लिए ही आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, यह भी बात आप सही कह रहे हो। तो यह इधर बैठने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय सदस्य हैं, यह अपने मन में सोचते हैं यह नहीं किया, वह नहीं किया, मैं कहती हूं पांच साल के लिए है यह सरकार। एक साल तो सरकार चलाने की प्रेक्टिस में आदमी का निकल जाता है। इसलिए इतनी जल्दी मत करो। इतनी जल्दी मत करो आप। एक साल तो प्रेक्टिस में निकला है। अब चार साल बाकी हैं। चार साल के अन्दर देखेंगे क्या-क्या काम और करती है यह सरकार।

तो मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ कि बात तो मेरी बहुत रह गयीं लेकिन चूंकि आपने घंटी बजा दी इसलिए फिर मुझे अपना स्थान ग्रहण करना ही पड़ेगा। इन्हीं अपने शब्दों के साथ मैं इस... (व्यवधान) तीन मिनट बाकी हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : एक-दो मिनट और बोल लो आप। संकेत दिया आपको मैंने।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन कर रही थी कि...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : कैसे तो बुलायें, दस मिनट बोल लो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मैं यह नहीं कह रही हूं। मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में नहीं बोल पायी। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी।

मुझे सबसे अधिक ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के मामले में 1937 में एस. एम. एस. अस्पताल बना था। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी और लोकार्पण हुआ है इसका 22 मार्च, 2000 को। इतने सालों बाद लोकार्पण के पीछे क्या मंशा और किस नीति से किया गया, यह मेरे कुछ समझ में नहीं आयी बात। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है, मैं शर्म समझती हूं और सरकार को भी शर्म आनी चाहिए कि क्लिंटन महोदय, अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन यहां पर आये। उनके किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा उपचार के लिए आवश्यकता पड़ने पर उनकी व्यवस्था के लिए चुना गया संतोकबा अस्पताल को। आपके राजकीय अस्पताल एस. एम. एस. को, जिसमें बढ़िया से बढ़िया डाक्टर हैं, जिसमें आप कहते हैं कि सब तरह की सुविधा है उसे आपने बेस हास्पिटल के रूप में नहीं चुना, बल्कि संतोकबा को चुना। यह शर्म की बात है इस सरकार के लिए और हमारे लिए भी शर्म की बात है। किसलिये चुना गया उसे ?

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

तो मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ कि सचमुच शर्म की बात है कि संतोकबा को बेस हास्पिटल के रूप में चुना जाए और आपका एस. एम. एस. अस्पताल जिसमें सब तरह की सुविधाएं हैं जिसे आप बेस हास्पिटल के रूप में नहीं चुनें यह शर्म की बात है। इन्हीं अपने शब्दों के साथ में...

श्रीमती जकिया : मैडम, उनकी हैल्थ सुविधा के लिए राजस्थान गवर्नमेंट कहीं जिम्मेदार नहीं थी। उनके साथ कुछ लोग आये थे। यह हमारी व्यवस्था थी...

श्री रामसिंह विश्नोई : वह प्राइवेट ट्यूर पर आये थे इसलिए प्राइवेट हास्पिटल अलॉट किया उनको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या इन सबके लिए बोलना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर।

(15.00 बजे)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, क्या इन सब लोगों के लिए बोलना जरूरी है ? यह अपने नम्बर बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि मुख्य मंत्रीजी की नजर में उनके नम्बर बढ़ जाएं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो रहोगे और उसके बाद कोई आने देगा नहीं, यह मैं आपको बता रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं आने देगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह मीणा।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय खोलने की बात की गयी थी। यह राज्य सरकार का फैसला नहीं है। बार कॉन्सिल ऑफ इण्डिया ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पूरे देश में सर्वेक्षण कराया था।

श्री उपाध्यक्ष : जब आप बोलेंगे तब बोल देना। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : पूर्ववर्ती सरकार के सामने यह प्रस्ताव विचाराधीन था। इस सरकार ने तो पिछली सरकार ने जो काम नहीं किया वह काम किया है, कोई फेवर जोधपुर के साथ नहीं किया है। माननीय सदस्या ने कहा है कि मुख्य मंत्रीजी के निर्वाचन क्षेत्र में 400 के. वी. जी. एस. एस. लगाया गया, वह मुख्य मंत्रीजी के निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है। जोधपुर में जरूर है। सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर वह स्थापित किया गया है। मैं आपके माध्यम से सदन में यह जानकारी देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह।

डा. चन्द्रभान : आपके क्षेत्र में भी 220 के. वी. का बना रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय सदन में पधारे और उन्होंने अभिभाषण के द्वारा इस कल्याणकारी सरकार के गत वर्ष के कार्यक्रम, किये गये कार्य और आने वाले वर्ष में किस तरह के कार्य होंगे, यह अभिभाषण में प्रस्तुत किया। भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से 15 महीने पूर्व विधान सभा के चुनाव हुए, उसके पूर्व आठ वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार राजस्थान में चल रही थी। राजस्थान की जनता अच्छी तरह से आठ सालों का अनुभव प्राप्त कर चुकी थी। उसके बाद राजस्थान की प्रबुद्ध जनता को अवसर मिला और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को प्रचण्ड बहुमत देकर जिताया और अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनी। इस 15 महीने के अल्पकाल में जिस तरह से सरकार ने कार्य किये हैं, यह आपके सामने हैं। आज विपक्ष, विरोध के लिए विरोध करता है परन्तु उनकी आत्मा यह बोल रही है कि अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में यह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और राजस्थान में ऐसा वातावरण बना कि अभी सवा साल के दरमियान जो–जो चुनाव हुए, उनके जो–जो रिजल्ट आये वह अभूतपूर्व और अप्रत्याशित हैं। यदि यह सरकार पांच साल तक इस तरह से काम करती रहेगी तो निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में हमारी स्थिति इससे भी अच्छी हो जाएगी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : 'यदि' शब्द हटा दें। यह तो पांच साल तक रहेगी। 'यदि' नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह : चलो, पंडित जी की बात मानता हूं। मान्यवर, इस तरह से इनके मन में एक डर हो गया है और इनको यह आभास है कि 30 से संख्या घट सकती है। अतः विरोध करना स्वाभाविक है। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत की जितनी तारीफ करें उतनी कम हैं क्योंकि आजादी के बाद, मेरा लम्बा अनुभव तो नहीं है लेकिन मैं दूसरी बार विधायक बनकर आया हूं, मैं पूर्व में भी कुछ मुख्य मंत्रियों के सम्पर्क में रहा, और अवसर मिला क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी भी 40 साल तक विधायक रहे थे। सरकार के बनने के बाद, जो कांग्रेस का घोषणा–पत्र था, उस घोषणा–पत्र को सामने रखकर सरकार ने काम करना शुरू किया और सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस घोषणा–पत्र के अनुरूप ही काम करना है और वह काम शुरू हो गये इसलिए एक के बाद एक बहुत अच्छे परिणाम सामने आये हैं। पिछला अनुभव, विधान सभा के बाद नगरपालिका चुनाव हुए, पंचायती राज के चुनाव हुए, इस दरमियान बीच में कई तरह की रुकावटें आयीं, कर्मचारियों ने हड़ताल की परन्तु सरकार ने समय पर चुनाव कराये और चुनाव का नतीजा इतना बढ़िया आया है कि इस सरकार के पक्ष में राजस्थान की पूरी जनता है। यह कहते हुए मुझे हर्ष है।

(श्री रघुवीर सिंह)

जहां तक पंचायती राज का सवाल है, हमारी सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो कदम उठाये हैं, पंचायती राज को प्राथमिक स्तर पर मजबूत करने के लिए जिला प्रमुख को डी. आर. डी. ए. का चेयरमैन बनाया है और कई विभागों को इसके अंतर्गत जोड़ा है। प्रधानों को पावरफुल बनाया है, सरपंचों को पंचायत समिति का मेम्बर बनाया है और प्रधान जिला परिषद से जुड़े हैं। यह निश्चित रूप से बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किये हैं। आज ग्राम पंचायत में जो भी कार्य होते हैं वह ग्राम सभा के माध्यम से होते हैं। अब वार्ड सभा बनाकर के गांव के जितने भी विकास कार्य हैं उनकी प्राथमिकता, सत्यापन एवं सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करेगी। इतने अल्पकाल में निश्चित रूप से सरकार ने यह बहुत ही अच्छे कदम उठाये हैं और भविष्य में भी जो काम करने के लिए कार्यक्रम दिये, एक महत्वपूर्ण कदम है।

जहां तक राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं की बात है, विरोध के लिए विरोध करना अलग बात है परन्तु जो साढ़े बारह हजार स्कूल प्रदेश में खोले हैं, मैं नहीं कहता हूं कि उसका असर सब जगह एक जैसा हुआ होगा परन्तु पहाड़ी क्षेत्र, बिखरी हुई जहां आबादी है वहां इसका असर बहुत ही अच्छा हुआ है और जो बच्चे पांच किलोमीटर, छह किलोमीटर पढ़ने ही नहीं जा सकते थे उन बच्चों को इस माध्यम से स्कूलों में जाने का अवसर मिला है, बैठने का अवसर मिला है और वहां कुछ न कुछ सीखने का और साक्षरता की तरफ हमेशा से जो हमारा ध्येय था, उसकी तरफ ध्यान गया है लोगों का और पांच लाख तीस हजार आज तक जो एनरोलमेंट हुए हैं एक वर्ष में यह साक्षरता की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं।

पिछली सरकार ने शिक्षा का व्यावसा–यीकरण कर दिया था। अगर सैकण्डरी स्कूल खोलना है तो तीन लाख रुपये जमा कराओ, सीनियर सैकण्डरी खोलना है तो पांच लाख रुपये जमा कराओ। उसमें वह लोग स्कूल खुलवा सकते थे जो आर्थिक रूप से सक्षम हों और तरह–तरह से सक्षम हों। सक्षम लोगों को ही शिक्षा दी जा सकती थी। ग्रामीण लोगों को, कमजोर तबके के लोगों को शिक्षा नहीं मिल सकती थी। यह एक साल में हमारी सरकार ने किया है। जैसा कि बहन जी कह रही थीं कि एक हजार उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की सरकार ने घोषणा की थी परन्तु सरकार ने अपने वादे के अनुरूप 867 स्कूल क्रमोन्नत किये हैं, 387 माध्यमिक विद्यालय एक साल में खोले हैं, 189 सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले हैं, यह एक साल में कम नहीं हैं।

एक तरफ तो हमारा प्रदेश कर्जे में दबा हुआ है, हमें करीब ढाई हजार करोड़ रुपये ब्याज के रूप में चुकाने पड़ते हैं, 23 हजार करोड़ का कर्जा ऊंट की तरह लादकर पुरानी

(श्री रघुवीर सिंह)

सरकार चली गयी। इसके बावजूद भी इतने सारे कल्याणकारी कदम उठाना किसी भी सरकार के लिए बहुत ही कठिन काम होता है। यह सरकार कल्याणकारी नीतियां रखती है और काम करना चाहती है। उसकी वजह से यह अच्छे—अच्छे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं।

हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए जो महिला आयोग का गठन किया है और सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत आरक्षण किया है, यह महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की ओर बढ़ते हुए कदम हैं। इसके लिए सराहना करनी चाहिए थी। अभी माननीय सदस्या बोल रही थीं, इसके बारे में मैं किसी तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहता परन्तु उनसे यह उम्मीद थी कि आप इस सरकार को धन्यवाद देतीं और देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा इस सदन में, कि मैं जनजाति क्षेत्र से आता हूं और स्वयं भी जनजाति हूं, इसलिए माननीय अशोक जी गहलोत, मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र पैटर्न जो पिछले पांच साल से हम मांग कर रहे थे पूर्ववर्ती सरकार से, कि महाराष्ट्र पैटर्न हमारे राजस्थान में लागू किया जाए ताकि उसके माध्यम से हम जनजाति क्षेत्र में विकास करें। पिछली सरकार की तारीफ नहीं करूंगा किन्तु पिछली सरकार के मंत्रीजी की हार्दिक इच्छा जरूर थी, वह मन ही मन घुटते थे कि महाराष्ट्र पैटर्न सरकार को लागू करना चाहिए, वह अपने मन की पीड़ा कभी—कभी हमको बताते थे।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : हमें बड़ा अफसोस है इस बात का, कि इतने बहुमत में आने के बावजूद भी सरकार के सामने हथियार डाल दिये और आदिवासी क्षेत्रों के लिए... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : मैं आपको धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि आपने कमेटी बनाकर महाराष्ट्र और इधर—उधर अध्ययन भी करवाया था और सरकार के सामने प्रस्ताव भी रखा था किन्तु सरकार की इच्छाशक्ति नहीं थी कि इस योजना को लागू किया जाए। परन्तु हमारी सरकार बनते ही आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से हमने आग्रह किया कि एक प्रपोजल पड़ा हुआ है, उसका अध्ययन करवाइये और लागू करवाइये। मुख्य मंत्रीजी ने इस हेतु एक कमेटी बनाई और उसका अध्ययन किया और अभी इस अभिभाषण में इस आने वाले वर्ष से इस योजना को लागू करने की जो घोषणा की है, उसके लिए निश्चित रूप से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसके माध्यम से जनजाति क्षेत्र के कई तरह के काम हैं, अधूरे काम और किसी योजना में जो पूरे नहीं किये जा सकते हैं या किसी भी तरह के विकास के कार्य निश्चित रूप से वहां के लोग अपने हिसाब से अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के

(श्री रघुवीर सिंह)

अनुसार उन कामों को करा सकेंगे, इसके लिए सरकार को धन्यवाद दे रहा हूं।

एक इकोनोमिक डवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है जो त्वरित निवेश हेतु सिंगल विण्डो क्लियरेंस की व्यवस्था की है, उससे हमारे प्रदेश में उद्यमी आएंगे, निवेश बढ़ेगा और हमारे यहां औद्योगिक वातावरण बनेगा। न्यूनतम मजदूरी भी हमारी सरकार ने बढ़ाई है। 60 रुपये, 64 रुपये और 68 रुपये की है, गरीब और मजदूरों के प्रति हमारी सरकार की सोच निश्चित रूप से उत्तम है।

विद्युत की जहां बात आती है, विद्युत के बारे में पिछली सरकार के समय में कई लम्बी–चौड़ी घोषणाएं हुई थीं, यहां तक कि मुख्य मंत्रीजी ने सदन में ही कहा था कि जैसलमेर के अन्दर एक–डेढ़ किलोमीटर ऊंची चिमनी लगेगी, डेढ़ किलोमीटर ऊपर उसका धुंआ निकलेगा और उसके ऊपर चढ़कर हम पाकिस्तान को देखेंगे। तो वह चिमनी तो लगी नहीं, न ही विद्युत बनी और न ही धुंआ निकला, परन्तु हमारी सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में यहां आने के बाद भी, सरकार के गठन के बाद 100 दिन तक हमारे काश्तकारों को एक करोड़ रुपये प्रति दिन की बिजली खरीद कर दी और आठ घण्टे बिजली दी, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। ऊर्जा मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं।

सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण की 250 मेगावाट की प्रथम इकाई में फरवरी, 1999 से वाणिज्यिक उत्पादन चालू है, 250 मेगावाट की दूसरी इकाई अपनी निर्धारित लक्ष्य अक्टूबर, 2000 से पूर्व कार्य प्रारम्भ कर दे इसके प्रयत्न किये जा रहे हैं। 2057 करोड़ रुपये की 500 मेगावाट क्षमता की सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण का काम प्रारम्भ कर दिया गया है। यह इच्छाशक्ति और काम करने की सोच जो सरकार रखती है उसके नमूने सामने आ रहे हैं। हमारी सरकार ने नागरिक अधिकार पत्र जो निर्धारित किया है, मैं माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप स्वयं भी इसे पढ़े और लोगों में भी वितरित करने का प्रयत्न करें। हमारी सरकार ने गरीब लोगों, जिनका हृदय का वाल्व खराब हो जाता था, हार्ट का आपरेशन होता था, उसमें गांव में रहने वाला व्यक्ति कभी भी अपना आपरेशन नहीं करा सकता था और वह कल्पना ही करता था कि काश मेरे पास डेढ़ लाख रुपये होते तो मैं आपरेशन कराता और इलाज करा कर ठीक हो सकता था। वह यह सिर्फ कल्पना ही कर सकता था। पूर्ववर्ती सरकार ने किसी भी तरह से इस ओर सोचा ही नहीं, इस गरीब के लिए, हमारी सरकार बनते ही मुख्य मंत्रीजी ने यह महसूस किया कि गरीब व्यक्ति को वही इलाज मिलना चाहिए जो अमीर व्यक्ति को मिले। अमीर व्यक्ति अपने पैसों से इलाज करवा सकता है, अच्छे हास्पिटल में जाकर

(श्री रघुवीर सिंह)

आपरेशन करवा सकता है, गरीब व्यक्ति कभी करा नहीं सकता है। नाममात्र की सहायता मुख्य मंत्री कोष से 25 हजार रुपये मिल जाते थे या पन्द्रह हजार रुपये मिल जाते थे, उससे इलाज नहीं हो पाता था उसका, परन्तु हमारी सरकार ने जिस तरह से 23 लाख मेडिकेयर कार्ड बांटे हैं चयनित परिवारों को, उसमें कितना भी खर्चा होगा, सरकार वहन करेगी। यह इतना बड़ा काम है, निश्चित रूप से आपको इसकी सराहना करनी चाहिए। और एक बात कहते हुए मुझे खुशी है कि प्रतिपक्ष के, विशेषकर, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय सदस्यगण जब–जब सदन में बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जरूर बताते हैं, चाहे उसको कोई गीता कहे या बाइबल कहे, परन्तु हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को, विशेषकर हमारे सभी माननीय विपक्ष के सदस्य पढ़ रहे हैं और पढ़कर उसमें से अच्छी–अच्छी बातें जो भी हैं, ग्रहण कर रहे हैं और भविष्य में कभी उनका घोषणा पत्र बने, उसमें भी इस घोषणा पत्र के सारांश को अपने घोषणा पत्र में डलवाने का प्रयास करेंगे।

आज यह सर्वविदित है कि सरकारी नौकरी देना किसी भी सरकार के लिए बहुत कठिन है। इसलिए हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए घोषणा पत्र में भी कहा और प्रैक्टिकल भी शुरू कर दिया है, 6 लाख कियोस्क बनाकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की कार्यवाही चल रही है, यह काम कम सराहनीय नहीं है। अभी मेरी जानकारी में डेढ़ लाख से ऊपर कियोस्क बन चुके हैं और आबंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

पशुओं के लिए सरकार ने 100 चिकित्सालय और 400 उप केन्द्र खोले। हर क्षेत्र में हमारी सरकार बराबर ध्यान रखकर काम कर रही है। इसलिए मैं लम्बी–चौड़ी बात नहीं कहना चाहूंगा और इतना आग्रह करना चाहूंगा कि विशेषकर, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण से, कि हमारी सरकार इतने अच्छे कदम उठा रही है। आजादी के बाद से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी यह बरामदे खाली करवाने की किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तो मंशा हो ही नहीं सकती थी। किन्तु हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति कि जयपुर शहर को सुन्दर बनाया जाए, हैरिटेज बनाया जाए, यह हमारे प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा, आप सबको मदद करनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक द्वेषता के कारण अच्छे काम को बिगाड़ना नहीं चाहिए, यह हमारा आग्रह है, आपसे विशेषकर कि आप निश्चित रूप से मदद करेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : + + + भारत की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रघुवीर सिंह : मैं प्रतिपक्ष के सभी सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी इस अभिभाषण का समर्थन करें। इसी भावना के साथ और इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमलजी।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की रीति–नीति का बड़े अच्छे ढंग से जिक्र किया है और सरकार ने इस अभिभाषण में अपनी इच्छाशक्ति को दृढ़ साबित करके यह कहा है कि हम इस प्रदेश के अन्दर भ्रष्टाचार और गरीबी का बड़े अच्छे ढंग से उन्मूलन करना चाह रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के युवा मुख्य मंत्री महोदय ने जैसे ही अपने हाथ में प्रदेश की बागडोर सम्भाली, उन्होंने यह आते ही कहा था कि राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार और गरीबी के खिलाफ मैं अभियान छेड़ूंगा। उन्होंने इसी सदन में घोषणा की थी कि राजस्थान के जितने भी विधायक चुनकर आवें वे सबसे पहले अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा इस सदन में पेश करें। उन्होंने अपने मुख से यह बात कही थी। जहां तक मेरी सोच है, मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार में आखिर कौन लोग लिप्त रहते हैं, किसके द्वारा होता है और कौन लोग इस भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार की जो मंशा है, अगर हम वास्तव में राजनैतिक भावनाओं से ऊपर उठकर इस प्रदेश के अन्दर सबसे बड़ी बीमारी अगर कही जाए तो भ्रष्टाचार की बीमारी इस प्रदेश में इस कदर फैल चुकी है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह बी. जे. पी. ने फैलायी है या कांग्रेस ने फैलायी है, लेकिन देश को आजाद हुए आज 50 साल हो गये आज भी भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वे बहुत गहराई तक पहुंच चुकी हैं। अगर इस सदन में सत्तापक्ष के लोग कहें हम उसे उखाड़कर फेंक देंगे, चाहे प्रतिपक्ष कहें, लेकिन हम सबको मिलकर इस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास करना चाहिए। मेरा तो यहां तक सुझाव है कि 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया, आठ साल बी. जे. पी. ने राज किया, आप और हम सबने इस प्रदेश के अन्दर शासन किया और सबका शासन हमने देखा है, लेकिन भ्रष्टाचार पर आज दिन तक कोई अंकुश नहीं लगा पाये हैं और हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय यह कह रहे हैं और उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति है कि हम राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार को उखाड़कर फेंक देंगे। हम इस बात का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ–साथ में यह भी निवेदन है कि अगर राजस्थान से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना है तो सबसे पहले हमारे जन–प्रतिनिधियों को जो पंचायत में सरपंच बैठा हुआ है वहां से लागू करके यहां इस सदन के अन्दर चाहे मिनिस्टर हो, चाहे विधायकगण हों, हम सबको इस राजस्थान

(श्री जीतमल खांट)

की जनता ने जिस कदर से चुनकर भेजा है उसका सम्मान करते हुए हमारी सम्पत्ति का सारा ब्यौरा राजस्थान की सरकार के सामने रखना चाहिए। पंचायत के सरपंच से लगाकर प्रधान और जिला प्रमुख तक सभी जिला कलेक्टर के सामने अपनी आय का ब्यौरा रखें ताकि पांच साल के दरम्यान में कौन कितना हड़पता है, कौन कितना लूटता है यह आप और हमारे सामने आयेगा। हम लोग भ्रष्टाचार को खतम करने की बात करते हैं लेकिन जिन एजेन्सियों के माध्यम से भ्रष्टाचार फैलता है, चाहे वो पी. डब्ल्यू. डी. हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट हो, किसी भी महकमे के माध्यम से भ्रष्टाचार होता हो, लेकिन भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले लोग आप और हम हैं। इसलिए सबसे पहले आप और हमको मन को मजबूत करना पड़ेगा तभी जाकर हम राजस्थान सरकार की भ्रष्टाचार की जो बात कह रहे हैं सभी पक्ष और विपक्ष, तभी जाकर हम इस प्रदेश के अन्दर कर पायेंगे। जनता का दम घुट रहा है, क्योंकि जितने भी लोग चुनावी अभियान में जाते हैं सभी भ्रष्टाचार और गरीबी के नाम पर वोट लेकर आते हैं और बड़ी–बड़ी डींगें हांककर वोट ले आते हैं। वे पांच साल तक इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि 50 साल हो गये, हमारा कोई न कोई भला होगा, कोई सच्ची बात होगी। मैं जन–प्रतिनिधि होने के नाते यह कहना चाहता हूं कि कई सारे जन–प्रतिनिधि भी जनता को सही दशा और दिशा देने की स्थिति में नहीं हैं, हम लोग आज भी हमारी जनता को गुमराह करने की बात करते हैं। इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा बोलते समय कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रदेश के अन्दर खुशहाली लाना चाहते हैं तो हमको मिलजुलकर काम करना होगा। निश्चित रूप से 50 साल में जो चीज नहीं हो पायी वह सबका मत हो, हमारा संकल्प हो तो निश्चित रूप से इस तरीके की सीढ़ी को हम पार कर सकते हैं।

अब मैं कुछ और बात कहना चाहूंगा। वर्तमान समय में ज्यादा बिन्दु पर अपने विचार न देते हुए शिक्षा पर कुछ कहना चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर शिक्षा का प्रतिशत बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ रहा है और विशेष तौर पर हम उदयपुर सम्भाग में आये, ट्राइबल बैल्ट के जनजाति के लोगों का पिछड़ा हुआ प्रतिशत रहा है। इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मैं जो प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनकी भी सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि जो 40 साल के दरम्यान साक्षरता का अभियान नहीं छिड़ा वो भैरोंसिंहजी शेखावत के नेतृत्व में साक्षरता का अभियान छेड़कर प्रदेश के अन्दर शिक्षा की नयी क्रान्ति पैदा की। जो आज के समय में विद्यालयों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत जो एनरोलमेंट के रूप में देखने को मिलता है वह उसी का परिणाम है। लेकिन

(श्री जीतमल खांट)

साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हों, चाहे सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हों, जितनी भी छोटे—मोटे कस्बों के अन्दर सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हों वहां स्टाफ की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन दूर—दराज के अन्दर सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हैं वहां पर हमें हमेशा यह देखने को मिलता है। कुछ ग्रामीण इलाकों के अन्दर पढ़ने वाले एक—एक सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में 700—800 छात्र अध्ययन करते हैं, सभी प्रकार के विषय भी खोले गये हैं, लेकिन वहां पढ़ाने के लिए अगर कहीं कोई बात आती है तो, बांसवाड़ा के अन्दर अधिकांश समय इस बार कई बार छात्रों ने आंदोलन किया, कई बार हड़तालें कीं। लेकिन हमारे अधिकांश सीनियर सैकण्डरी और सैकण्डरी विद्यालय अध्यापकों की कमी की वजह से हमारे उस इलाके के नौजवान साथियों का, हमारे देश का भविष्य उन नौजवान साथियों पर है और उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा, हमारे बीच में शिक्षा मंत्रीजी नहीं हैं, लेकिन यह बात हम उन तक भी पहुंचायेंगे और विशेष तौर पर अनुरोध करेंगे कि शिक्षा के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे में जितनी भी कुरीतियां या उस इलाके में पिछड़ापन है, हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे तभी हमारा विकास व विकास की सम्भावनाओं व विकास की बातों को भली प्रकार से समझ पाएंगे। इसलिए जहां शिक्षा का मामला कमजोर आ रहा है वहां पर विशेष तौर पर महाविद्यालय के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। हमारे बीच में शिक्षा मंत्रीजी डा. साहब नहीं हैं, सी. पी. जोशी साहब के पास शिक्षा का विभाग है, लेकिन पूर्व उच्च शिक्षा मंत्रीजी बांसवाड़ा गये थे उन्होंने नये—नये सब्जैक्टों के सैक्शन खोलने के लिए एनुअल फंक्शन में घोषणा की थी, इस बार मैं उस महाविद्यालय में गया तो लड़कों ने हमें माननीय मंत्री महोदय ने जो भाषण दिया था उसकी पत्रिका की सारी की सारी फोटो कापियां दिखायीं। मुझे अफसोस होता है कि मंत्री महोदय किसी राजकीय महाविद्यालय में जाकर वार्षिक उत्सव में यह घोषणा करें कि मैं अमुक—अमुक विषय खोलूंगा और उसको साल भर बीत जाने के बाद भी वहां के विद्यालयों में, वहां के छात्रों में बहुत बड़ी निराशा है। तो मुझे बड़ा दुःख है।

दूसरी बात, यही बात हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने भी कही है। उनका कहना है कि अंग्रेजी, संगीत, पोलिटिकल साइंस, यह वाद—विवाद की बात नहीं है, यह हकीकत बात है, हकीकत बात हम आपके सामने पेश कर रहे हैं क्योंकि इसी सदन में बैठकर हम अपनी बात कहकर चले जाएंगे लेकिन हम अपनी असलियत की बात अगर यहां इस सदन में पेश नहीं करेंगे तो बाहर डींग हांकने से कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना

(श्री जीतमल खांट)

चाहूंगा कि हमारी बात कहने, हम इसीलिए यहां सब आते हैं कि हमारे दुःख–सुख की बात एक दूसरे के सामने कहें और सरकार इस बात को सुने और इसमें कोई इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी तरह से कुशलगढ़ महाविद्यालय के अन्दर जो बिलकुल गुजरात की सीमा से सटा हुआ इलाका है वहां पर भी हालत इसी तरीके से है, दो तीन प्राध्यापकगण हैं बाकी की सारी की सारी रिक्तियां यों ही पड़ी हुई हैं और कम से कम दो हजार छात्र वहां अध्ययनरत हैं। वहां के छात्रों ने एक महीने तक हड़ताल की फिर भी उसके एवज में उन छात्रों को कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि सरकार शिक्षा के माध्यम से जहां कहीं भी हमारी इस तरह की कमी खामी रही हैं उनको पूरा कराने के लिए अपना ध्यान दे।

तीसरी बात, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। मुझे बड़ा दुःख है, मैं कोई राजनीतिक भावना या कोई द्वेष की भावना से आपके सामने यह बयान नहीं दे रहा हूं बल्कि कांग्रेस सरकार डेढ़ साल से सत्ता में आयी, बांसवाड़ा जिले के अन्दर डेढ़ साल बीत जाने के बावजूद भी विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं जुड़ पायी। मात्र राजीव गांधी पाठशालाओं को छोड़कर, और हमारे पड़ौस में ही जिला डूंगरपुर के अन्दर पिछले समय बड़े धड़ल्ले के साथ वहां अकाल राहत का कार्य खुला और वहां के लोगों ने मजदूरी और हमारे लोगों को गुजरात के लिए पलायन कर जाना पड़ा। हमें मालूम हुआ कि वहां भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख था इसीलिए वहां पर अकाल के कार्य नहीं खोले गये। हमें बड़ा ताज्जुब है कि जहां पर भी इस तरीके की आपदा आती है उस समय भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, कोई भी पार्टी हो, हम सबको मिलकर ऐसी बातों पर सब को मिलकर मुकाबला करना चाहिए परन्तु पिछले समय भी हमें इस तरीके की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा और इस बार भी यह जो अभिभाषण की प्रति है उसमें कहीं कोई बांसवाड़ा के विकास के सम्बन्धित कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं है चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे अकाल का हो, कहीं कोई हमें इस अभिभाषण की प्रति में बांसवाड़ा जिले का कहीं कोई नाम हमें देखने को नहीं मिलता है।

श्री नन्दलाल मीणा : भीखा भाई वहां के हैं ?

श्री जीतमल खांट : भीखा भाई जी डूंगरपुर के हैं। मैं इसी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर माही बजाज सागर परियोजना हमारे जिले की एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है। मैं आज इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि स्वर्गीय हरिदेव जोशीजी, सत्य को सत्य कहना पड़ेगा, असत्य को असत्य कहना पड़ेगा, हरिदेव जोशी के समय 1984 के बाद में उस इलाके के अन्दर काम

(श्री जीतमल खांट)

हुआ था आज दिन तक वहां एक भी नयी ईट नहीं जोड़ी गयी है, काम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। चाहे किसी की भी सरकार रही है लेकिन सच्चाई को आपके सामने कहना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर उस इलाके के अन्दर वाटरशैड के आप काम खोल दोगे, भू–संरक्षण के काम खोले दोगे, कच्ची सड़कों के काम खोल दोगे, आप एनीकटों की मरम्मत करवा दोगे, तालाबों की मरम्मत करवा दोगे हमारे विकास नहीं हो सकते हैं और नहीं होंगे। जहां हम यह कह रहे हैं कि जब माही बांध का पानी जिस इलाके अन्दर पहुंच सकता है, आज जिन काश्तकारों को माही का पानी मिला है उनकी माली हालत में काफी सुधार आया है और जहां माही का पानी पहुंचने की सम्भावना है जहां की नहरों का काम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। 1984 के बाद में अब तक माही की नहरें कच्ची खुदी हुई ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। हमने पिछली बार भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था, हमें एक नयी कौड़ी नहीं दी गयी और इस बार भी हम अकाल के माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी काम अकाल के माध्यम से हमें दें, विभिन्न योजनाओं का जो काम आप दे रहे हैं वह सब छोड़कर वह सारा का सारा बजट हमारी पांच पंचायत समितियों के अन्दर पानी पहुंचने वाले डैम पर वह पैसा लगायें ताकि उसी पैसे से वह कच्ची नहरों की लाइनिंग का काम, एक्वोडेट का काम हो सके। वह काम पूरा होगा तो आने वाले समय में काश्तकारों को पानी मिलेगा उसी सूखी धरती में पानी जाएगा, उसके खेत में हरियाली आएगी, उसके घर में खुशहाली आएगी। इसलिए मैं ज्यादा बात न कहते हुए, माननीय उपाध्यक्ष जी बैठने के लिए इंगित कर रहे हैं, मैं ज्यादा बात न कहते हुए जो भी कमी खामियां रही हैं उन कमी खामियों को सरकार पूरा करे। इन्हीं बातों के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की शेष मांगों (वर्ष 1999-2000) का पारण

मांग संख्या 1–राज्य विधान मण्डल

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1–राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,88,27,000 (एक करोड़ अठासी लाख सत्ताईस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 2–मंत्री परिषद

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2–मंत्री परिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

(श्री उपाध्यक्ष)

को रुपये 17,85,000 (सत्रह लाख पचासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 4–जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4–जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,72,000 (पच्चीस लाख बहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 5–प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5–प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,15,79,000 (एक करोड़ पन्द्रह लाख उन्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 6–न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,57,40,000 (पांच करोड़ सत्तावन लाख चालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 7–निर्वाचन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7–निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,35,66,000 (बत्तीस करोड़ पैंतीस लाख छियासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 8–राजस्व

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8–राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,93,87,000 (चार करोड़ तिरानवे लाख सतासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 12—अन्य कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12—अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,44,58,000 (एक करोड़ चवालीस लाख अठावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 13—आबकारी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13—आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,07,61,000 (बीस करोड़ सात लाख इकसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 15—पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15—पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,08,20,000 (छह करोड़ आठ लाख बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 16—पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16—पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,73,85,000 (छप्पन करोड़ तिहत्तर लाख पिचासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 17—कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17—कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,76,000 (बत्तीस लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 19—लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19—लोक निर्माण कार्य के

(श्री उपाध्यक्ष)

सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000 (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 20–आवास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20–आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,06,52,000 (बीस करोड़ छह लाख बावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 21–सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21–सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,48,90,000 (सात करोड़ अड़तालीस लाख नब्बे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 23–श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23–श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000 (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,97,16,000 (बारह करोड़ सतानवे लाख सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 25–कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25–कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 55,31,000 (पचपन लाख इकतीस हजार) तक की राशि और

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000 (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 27–पेयजल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27–पेयजल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 65,59,38,000 (पैंसठ करोड़ उनसठ लाख अड़तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 28–ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28–ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,71,94,000 (तीन करोड़ इकहत्तर लाख चौरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 30–जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30–जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000 (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 31–पुनर्वास एवं सहायता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31–पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,10,000 (एक

(श्री उपाध्यक्ष)

लाख दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,52,92,000 (चार करोड़ बावन लाख बानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 85,32,81,000 (पिचासी करोड़ बत्तीस लाख इक्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 35–विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35–विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,05,20,83,000 (दो अरब पांच करोड़ बीस लाख तिरासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 36–सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36–सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,10,10,000 (तेईस करोड़ दस लाख दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 37–कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37–कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री उपाध्यक्ष)

वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000 (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 38–लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38–लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000 (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 39–पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39–पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,02,000 (चालीस लाख दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 40–राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40–राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले, व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,19,000 (दो लाख उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 41–सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41–सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,26,04,000 (एक करोड़ छब्बीस लाख चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 42–उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42–उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,00,000 (दस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 43–खनिज

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43–खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,33,16,000 (एक करोड़ तैंतीस लाख सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 44–लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44–लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,24,00,000 (एक करोड़ चौबीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 45–राज्य कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45–राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,20,60,000 (बारह करोड़ बीस लाख साठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 46–सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46–सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,43,62,000 (चार करोड़ तैंतालीस लाख बासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 48–विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48–विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,50,77,97,000 (दो अरब पचास करोड़ सतहत्तर लाख सतानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2000 का पुरःस्थापन, विचार। माननीय वित्त मंत्रीजी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2000

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या–1) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या–1) को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिये जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या–1) को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2000

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या–1) को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए ? आप बोलना चाहते हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1999–2000 का बजट पेश करते वक्त हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री महोदय ने बजट प्रस्ताव सदन के सामने पेश किये, बड़े सुन्दर प्रस्ताव थे, अनेक योजनाओं का वर्णन उन्होंने किया और सरकार ने इस एक साल में उन योजनाओं को पूरा करने की चेष्टा की। मैं उनको गिनाना नहीं चाहूंगा, वह सभी माननीय सदस्यों को पता है। उस वक्त उन्होंने यह कहा था कि बजट में जो घाटा है, बजट में जो असंतुलन है, उसको कुशल वित्तीय प्रबन्ध के द्वारा जिसमें खर्च कम करना और वसूली पर जोर लगाकर बजट को

(श्री शिवनाथ सिंह)

संतुलित करने का प्रयास करूंगा, प्रयत्न किये भी गये थे और हमें खुशी है उसका परिणाम भी हमारे सामने आया है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने हमारे सामने लेखा–जोखा पेश किया हैं, जो यह दर्शाता है कि न तो बजट बनाते वक्त और न उसके आगे चलाने के सम्बन्ध में कुशल वित्तीय प्रबन्ध का दर्शन हमें होता है। उपाध्यक्ष जी, पूरा बजट तो हमने सदन में पास किया था, वह था 14579 करोड़ रुपये का, आज सप्लीमेंट्री डिमांड्स के माध्यम से 6598 करोड़ रुपये हमसे और मांगा जा रहा है। उपाध्यक्ष जी, इस प्रकार का असंतुलन जो हुआ है, इसका बजट जिस तरह से बनाया गया था या जिस समय बजट बनाया गया था, उस समय कौन–कौन से खर्च हमको करने पड़ेंगे, उन सबको नजर अंदाज कर दिया गया। पूरे बजट का 40 प्रतिशत रुपया सप्लीमेंट्री डिमांड्स के माध्यम से मांगा जा रहा है। हम इसको सप्लीमेंट्री डिमांड्स कहें या नया बजट कहें। इतना बड़ा गैप कभी भी, कहीं भी बजट में देखने को नहीं मिलेगा। उपाध्यक्षजी, आज डिमांड्स करीब–करीब 48 डिमांड्स में आपने रुपया मांगा है और उनमें जो कारण दिये गये हैं, उनमें से कुछ कारण मैं निवेदन करना चाहूंगा और वह सबमें कॉमन है, डिक्री सम्बन्धी भुगतान के कारण, पंचायत चुनाव कराये जाने के कारण, पूर्व के बकाया बिलों के भुगतान के कारण, पेंशनर्स को एरियर राशि भुगतान करने के कारण, वेतन–भत्तों के एरियर भुगतान हेतु। माननीय उपाध्यक्ष जी, जो यह डिक्री 31 मार्च, 1999 और आज, जब हम 28 मार्च को बैठ रहे हैं, इसके बीच में एक भी डिक्री पास नहीं हुई है। यह डिक्री वे हैं जो हमारे बजट पेश करने से पहले कभी की पास हो चुकी थी और उनका हमारे अधिकारियों को, हमारे वित्त विभाग को इसकी पूरी जानकारी थी कि आने वाले साल में पंचायत के चुनाव होंगे। हमारे वित्त विभाग को जानकारी थी कि कितने लोगों के बिल बकाया हैं, कितनों को वेतन का और बिलों का एरियर देना है। इन सब बातों को यदि उस समय, बजट बनाते वक्त देखा जाता, ध्यान दिया जाता तो मेरे ख्याल से आज के वित्त मंत्री महोदय को इतनी बड़ी रकम के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स पेश नहीं करनी पड़ती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कुशल वित्तीय प्रबन्ध नहीं कहा जा सकता।

दूसरी बात, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वित्तीय प्रबन्ध में, दोनों बातें आती हैं। खर्च करना भी आता है और वसूली करना भी आता है और राजस्व प्राप्ति भी आती है। इस एक साल में जो हमने बजट पेश करते समय कमिटमेंट किये थे, उनमें रकम के हिसाब से आधा भी खर्च हमने नहीं किया है। हमने स्कूलों की संख्या दे दी, स्कूलें खोल दी गई। हमने डिस्पेंसरीज और औषधालयों की संख्या दे दी, वह भी खोल दी गई। हमने वृद्धावस्था पेंशन के आंकड़े दे दिये, हमने मेडिकल केयर रिलीफ कार्ड बांटे थे और उनमें धन का कितना समावेश करना पड़ेगा। हमने वह सब

(श्री शिवनाथ सिंह)

बजट में रखा था लेकिन आज हमें यह कहते हुए अफसोस होता है कि कागजों में खोलने से स्कूलें नहीं खुली हैं। आज सीनियर सैकण्डरी, सैकण्डरी और उच्च प्राथमिक स्कूलों में जो साल के शुरू में खोल दी गई, उनमें आज भी अध्यापक नहीं है। उन सबका खर्चा जो होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। वह हमारी बचत है। इसी तरह से डिस्पेंसरीज खोल दी गई लेकिन डाक्टर्स उनमें एक भी नहीं भेजा और कम्पाउण्डर्स उनमें नहीं भेजा गया। इस तरह की व्यवस्था हमारी रही एक साल में। माननीय उपाध्यक्ष जी, मेडिकल केयर रिलीफ सोसायटी का यह रिलीफ कार्ड है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कार्ड दे दिये गये, लोग कार्डो को लिये—लिये फिर रहे हैं। वास्तव में भुगतान कितना हुआ है, कहीं कोई इसका हिसाब—किताब नहीं और मुझे जहां तक जानकारी है, मेरे इलाके में पांच प्रतिशत लोगों को दवाई नहीं मिली है। वृद्धावस्था पेंशन हमने बीच में रोक दी थी। (व्यवधान) नहीं, अब खोल दी गई है लेकिन वह जांच करने में रखा गया और बहुत लम्बे समय तक उसको बंद रखा गया। वह रुपया भी हमारी बचत में रहा। यह इस प्रकार का काम है

(16.00 बजे)

जिनके लिए जनता की सुविधा के लिए हमने तो बजट में प्रावधान किया था, वह बजट का प्रावधान पूरा नहीं कर पाये और इसलिए हमें सोचना चाहिए कि क्या आने वाले समय में हम उन सब कमियों को दूर करें। माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पीड़ादायक जो बात है, वह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी दो रोज पहले मैंने एक प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा कि करों कि वसूली से इस साल में कितना कर हमने वसूल करने का लक्ष्य रखा था और वास्तविक प्राप्तियां क्या हुई। उपाध्यक्ष जी, आप भी मेरे साथ आश्चर्य में डूबेंगे। मैं तीन—चार आइटम्स की फिगर देता हूं। बिक्री कर 2430 करोड़ रुपया हमने आंका था, वसूली हुई 2131 करोड़। रजिस्ट्रेशन फीस 450 करोड़ रुपया आंका था, 323 करोड़ हुई। और तो और, आबकारी 1195 करोड़ हमने आंका था, 846 करोड़ हुई। परिवहन 412 करोड़ आंका था, 323 करोड़ हुई। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी विराज रहे हैं, परसों हमारे दो मंत्री, समझदार मंत्री आपस में उलझे हुए थे, एक कह रहे थे कि आपने हमारा बिजली का भुगतान नहीं किया, दूसरे कह रहे थे कि आपने हमारे डिमाण्ड नोट को पड़े रखा, हमारा कनेक्शन नहीं किया। मैं ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि विद्युत कर का 97.7 करोड़ रुपया हमारा वसूल होना चाहिए था और वसूल हुआ है 1.51 करोड़। अब इस प्रकार की स्थिति हमारी है, उस स्थिति में हम क्या सोच कर चलें। यदि समय पर इनकी वसूली होती तो जो वित्तीय संकट हमारे सामने आ रहा है आज, अकाल के लिए हम रुपया खर्च नहीं कर पा रहे हैं और सरकार की परिस्थिति को हम समझते हैं, रुपया नहीं है,

(श्री शिवनाथ सिंह)

लेकिन यदि यह वसूलियां होतीं, वित्तीय प्रबन्ध हमारा अच्छा होता तो यह वसूलियां होतीं और आज राजस्थान की जनता को, जो अकाल से पीड़ित है, उसको हम रिलीफ दे पाते। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा इस वक्त यह कहने का इतना ही मतलब है कि हमें अपनी मशीनरी को टाइट करना पड़ेगा। आज बिक्री कर, कीमतें बढ़ी हैं और सरटेन पर्सेण्टेज कीमत पर वसूल होता है बिक्री कर के माध्यम से, कीमते बढ़ी हैं तो बिक्री कर के माध्यम से हमको रुपया अधिक आना चाहिए था। आज व्हीकल्स की संख्या बढ़ी है, इस एक साल में हजारों नहीं, लाखों हमारे नये व्हीकल्स आये हैं, उनके रजिस्ट्रेशन की फीस है, उनका रोड टैक्स है, सब कुछ हुआ है लेकिन कहां गया वह रुपया ? इसलिए उपाध्यक्ष जी, मैं कोई माननीय वित्त मंत्री जो यहां विराजमान हैं, उनको संकट में डालने के लिए यह बात नहीं कर रहा हूं, न कोई सरकार की आलोचना करता हूं लेकिन हमारा कर्तव्य है कि इन सब बातों की तरफ ध्यान दिया जाए और ध्यान देने के बाद इसमें जो सुधार हो सकता है वह करने की चेष्टा की जाए।

मैं आखिर में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे स्ट्राइक हुई, कर्मचारियों को नो वेजेज, नो वर्क। (व्यवधान) आ गये दोनों, बात एक ही है, घुमा दो उसको, नो वर्क–नो वेजेज, उससे कितनी बचत हमारे खजाने में हुई। वह रुपया हमारे पास बचा हुआ है। इस सप्लीमेंट्री डिमाण्ड में हो सकता है प्रोवीजन उसका नहीं हो लेकिन माननीय वित्त मंत्रीजी जब अपना जवाब दें तो सदन को इस बात के लिए विश्वास में लें, जानकारी दें कि किस प्रकार से कितना रुपया हमारा बचा है। जो मैंने निवेदन किया, टैक्सेज की वसूली में जो कोताही बरती गई, जो कमियां रहीं, कहां रहीं, क्यों रहीं, जबकि जो मैंने आइटम्स गिनाये हैं उनमें टैक्स की वसूली करने की गुंजाइश बहुत बढ़ी थी। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप माननीय वित्त मंत्रीजी, इन बातों को सोच कर इसमें सुधार करने की चेष्टा कीजिये और अच्छा वित्तीय प्रबन्ध आप कर पायें, यही मेरी आशा है, इसीलिए मैं आपकी जानकारी के लिए यह चीजें लाया हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने पिछले वर्ष जब पहली बार बजट प्रस्तुत किया था तब एक श्वेत पत्र के माध्यम से राजस्थान की जनता को यह बताने का प्रयास किया था कि पिछली सरकार ने राजस्थान के आर्थिक हालात को जर्जर अवस्था में पहुंचा दिया। बढ़ा ढिंढ़ोरा पीटा था 23500 करोड़ रुपये कर्ज में डुबोने का। मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, आप सदन के सामने प्रस्ताव लेकर आये हैं 6598 करोड़ की अनुपूरक अनुदान मांगें स्वीकृत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कराने का, आपसे कोई पूछे कि इस पूरे कार्यकाल के दरमियान आपने ऐसा कौन सा काम कर लिया था कि आपको इस पूरी राशि का बजट के अंदर अनुमान नहीं था। आपको याद होगा, एक बार आत्मचिंतन शिविर का आपने आयोजन किया था, मंत्री मण्डल की मैराथन बैठक चली थी 18 और 19 नवम्बर को और उस बैठक के तुरंत पश्चात् आपने राजस्थान की जनता को तोहफा दिया था, 30 नवम्बर को आपके विभाग ने एक परिपत्र जारी किया था, मैं उस परिपत्र के दो अंश आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय। उसमें इन्होंने लिखा – आयोजना एवं आयोजना भिन्न मद में किसी भी नये कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जायेगी। यदि नवीन कार्य पूर्व में स्वीकृत हैं और कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है तो वे अभी प्रारम्भ नहीं होंगे। और इन्होंने इसमें यह भी कहा–अग्रिम आदेशों तक कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की अनुमति से ही आयोजना, गैर आयोजना मदों में नई नियुक्तियां, भर्तियां प्रतिबंधित की जाती है। मतलब आपने नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया और 30 नवम्बर के पश्चात् आपने राजस्थान के अन्दर इस परिपत्र के माध्यम से सभी तरह के कामों पर रोक लगा दी। आपने इतना कुछ किया तो किया ही, उसके साथा ही इस राजस्थान को, जो राजस्थान विकास की ओर बढ़ रहा था, आपने राजस्थान की जो वार्षिक योजना थी, यह, उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास में पहली बार हुआ है, 5022 करोड़ की वार्षिक योजना जब लेकर जाते हैं मुख्य मंत्रीजी और इसी सदन में आकर कहते हैं कि वित्तीय संसाधन कम हैं हमारे पास। परंतु राजस्थान को विकास की दृष्टि से आगे ले जाने के लिए हम 5022 करोड़ की योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ी वाहवाही लूटी थी इन्होंने। बड़ा प्रोवीजन किया था और इन्होंने उस योजना का आकार बीच में घटाया। 5022 करोड़ को घटाकर 3800 करोड़ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज इस योजना का आकार घटाने का प्रभाव क्या पड़ेगा ? उपाध्यक्ष महोदय, 27650 करोड़ का हमारा नाइंथा फाइव ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन ने की, 27650 करोड़ की योजना और अब जिस हिसाब से यह सरकार जब से आई है, पिछली बार भी इन्होंने आते ही हमारे द्वारा जो प्रस्तावित योजना थी चार हजार से ज्यादा की, उसको कम करके 3800 पर किया और इस बार 5022 करोड़ की खुद योजना बनाते हैं और उसको कम करके 3800 पर करते हैं। और इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि अब इन दो वर्षों में अगर हमें 27650 करोड़ का फाइव एनुअल प्लान पूरा करना है तो 15835 करोड़ रुपये इन दो वर्ष में खर्च करने पड़ेंगे, जो सम्भव नहीं है। आज वार्षिक योजना के आकार को घटा कर इन्होंने राजस्थान के विकास के तमाम रास्ते अवरुद्ध कर दिये। बड़े जोर–शोर से आपने कहा था कि हम संसाधन बढ़ायेंगे। और संसाधन बढ़ाने के लिए आप जो चीजें इस सदन के सामने लेकर आये थे, आपने असेट बेचने की बात

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कही। आपने यह कहा था कि हम कृषि भूमि पर बने रिहायशी मकानों का नियमन करके सौ करोड़ कमायेंगे, आपने यह कहा था कि हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जमीन को बेचेंगे, आपने बड़े जोर से यह कहा था कि हम कच्ची बस्तियों का नियमन भी करेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जिन रिसोर्सेज को मोबेलाइज करने की बात कही थी उसमें क्या कारण है कि आप उन रिसोर्सेज को मोबेलाइज नहीं कर पाये ? आपने कृषि भूमि के नियमन की बात को लेकर बड़ी वाहवाही लूटी थी और आपने कितना कुछ किया, इसका पैमाना यह है कि आज सदन के सामने आप 6598 करोड़ की अनुपूरक मांगों को लेकर आये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि कम से कम इस सदन को ही विचार करना चाहिए कि उन अनुदान मांगों को पूरा कर रहे हैं और उस सरकार को पूरा कर रहे हैं जिस सरकार ने आज एक परिपत्र के माध्यम से तमाम तरह के विकास के कार्य अवरुद्ध कर दिये, नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन सारी बातों को वित्त मंत्रीजी गम्भीरता से लें। आप बड़े इतरा रहे हैं इस कुर्सी पर बैठ कर। इस कुर्सी पर हमारे भी चूरू जिले के रहने वाले वित्त मंत्री बैठे थे, आज हालात क्या बन गये, इसलिए यह कांटों का ताज तो आपने पहन लिया पर इस कांटों के ताज को पहन कर अपनी पुरानी मानसिकता को त्यागो, पुरानी मानसिकता को वहीं छोड़ कर आओ राजाखेड़ा के अन्दर। आज इस गरीब को देखो, किसान को देखो जो भूख और प्यास से आज ग्रसित है। विकास के काम आप करो नहीं। और तो और, आज उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय परिवर्तित योजनाएं जितनी भी योजनाएं हैं चाहे वह जे. आर. वाई. हो, चाहे ई. एस. हो, चाहे जो भी योजना हो, चाहे स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना हो उन योजनाओं का पैसा या तो हमारे पास आया नहीं चार सौ करोड़ रुपया। आज हमें पैसा इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम अपना 25 प्रतिशत शेयर उन योजनाओं के साथ जो मैचिंग ग्रान्ट है कहीं 70–30 है, की 25–75 है हम राजस्थान का हिस्सा उसमें देते नहीं हैं और जो योजना पूरी की पूरी सेन्टर स्पोन्सर्ड है उसका पैसा भी आज दूसरे किसी काम में ला रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाकी सारी बातें तो विस्तार में बाद में होंगी परन्तु जिस तरह से अनुदान की मांगें लेकर आये हैं, सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए और प्रताड़ित करना चाहिए सरकार कि इतनी बड़ी राशि पर, जिस राशि का बजट में समावेश नहीं था वह राशि आज सदन के सामने पारित कराने के लिए लेकर आये हैं।

वित्त मंत्रीजी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा परन्तु आपने आत्मचिन्तन शिविर में जिस तरह से बातें कहीं थीं, बड़े लम्बे–चौड़े विचार आपने व्यक्त किये थे और उस शिविर के बाद राजस्थान की जनता को आपने एक सौगात दी है। राजस्थान की जनता ने आपको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अजर–अमर राज नहीं दे दिया। इस पर मत इतराओ कि हम पंचायतों में जीत गये हम उसमें जीत गये। सरकार और सत्ता के साथ–साथ यह स्थानीय निकायों के लोगों के चुनाव हुए उसमें साथ–साथ भागीदारी चलती रहती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी चेतो और मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन से कि कम से कम इस तरह की बातें जिस तरह अकाल की सुबह चर्चा चल रही थी आज चाहे वह कांग्रेस के पक्ष के विधायक का क्षेत्र हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के विधायक का क्षेत्र हो, अकाल की तीखी मार सब जगह है। कुछ मामलों में तो हमें राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। यह जिस तरह का वित्तीय कुप्रबन्धन आज इस मांग के दिन इस राजस्थान सरकार का सामने आया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी चेतना चाहिए क्योंकि ये काम बंद हुए हैं। आपके यहां भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कोई विधायक यह नहीं कह सकता कि इस नवम्बर के बाद इस विपत्र के जारी होने के बाद मेरे निर्वाचन क्षेत्र में छोटा–मोटा भी कोई काम हुआ हो। आखिर जनता ने हमें चुना है। जनता ने इसलिए नहीं चुना कि हम यहां आयें और आकर हां या ना कह कर चले जाएं। जनता हिसाब मांगेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सत्ता पक्ष के लोगों से भी कि वे उठें और अपनी आत्मा को जाग्रत करें और इन अनुदान की मांगों का पुरजोर शब्दों में विरोध करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सप्लीमेंटरी ग्रांट के माध्यम से जो पैसा आप लेना चाह रहे हैं थोड़ा सा इसको दृष्टिपात करने का प्रयास करें। बहुत विनम्रता से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप हमेशा दूसरे की गलती निकालने के लिए तो अपने–आपको बहुत माहिर समझते हैं लेकिन हमने क्या किया है इस सप्लीमेंटरी ग्रांट में, इसको थोड़ा देखने का प्रयास करें क्योंकि हमने पिछली बार जो बजट रखा प्लान का वह कुल ही 5022 करोड़ का रखा उसको भी घटा करके हम 3800 करोड़ रुपये पर ले आए। जितना प्लान का बजट है उसकी तुलना में सप्लीमेंटरी ग्रांट जो आज आप लेने के लिए लाये हैं उन दोनों का मिलान करिये तो आपको अंदाज लग जाएगा कि हमारी अक्लमंदी कितनी है और क्या बनाते हैं और क्या करते हैं। हमने कोई गणित ही नहीं देखी कि आखिर हमको इतनी बड़ी सप्लीमेंटरी डिमाण्ड लेकर के आना पड़ेगा इसका कोई अंदाज नहीं लगा होगा। मतलब जहां 6598 करोड़ की तो सप्लीमेंटरी ला रहे हैं और हमारा पूरा प्लान जो था वह भी 3800 पर आ गया। मतलब अपने प्लान से भी हमारी सप्लीमेंटरी कितनी बड़ी है और वैसे भी आप इस फिगर को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह सारा पैसा कहां जा रहा है कैसे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आ रहा है। यह कहां जा रहा है, आपने इसमें दिया है कि केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम, मतलब इसमें केवल आपने 453 करोड़ रुपये तो आपके इसी में जा रहे हैं। इसके बाद आपका आ रहा है राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण। यह आ रहा है आपके 5108 करोड़ रुपये। मतलब यह जितना भी आपका पैसा है, आप हमारे बारे में तो बड़े जोर–जोर से कहते थे कि आपने डुबो दिया कर्ज लेकर के यह कर दिया वह कर दिया आपने 8 साल में 14 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेकर के डुबो दिया। अब आप अपनी ओर दृष्टिपात करें तो यह कर्ज नहीं है तो क्या है ? आपने तो योजना का आकार भी घटा लिया और उसके बाद भी आपने अपने घर खर्च को चलाने के लिए यह कर्ज लिया है। यह केवल घर खर्च चलाने के लिए यह 5765 करोड़ रुपया उधार लिया है इधर–उधर से, वह पैसा है आपके पास में। उसके आधार पर आपने 201 करोड़ रुपये यह जो ब्याज अदायगी के बारे में जो आप कहते हैं ब्याज अदायगी का इसमें से, तो वास्तव में यह किस दृष्टि से आप सप्लीमेंटरी लेकर आते हैं यदि आपने कोई अच्छा काम किया और उसके कारण से आपका खर्च हो गया तो समझ में आता है। लेकिन केवल अपने इन सब फालतू खर्चों को क्योंकि आपने कोई एस्टीमेट ही नहीं दिया कि हमारा यह बजट जाएगा कहां और उसमें से केवल आपने वाहवाही लूटने के लिए यह 60 से 58 साल की उम्र करके 15 सौ करोड़ रुपये का अपने ऊपर बर्डन लिया। और वह भी ले लेते, कोई हर्जा नहीं होता अगर आप नौजवानों को नौकरी दे देते तो हम यह जहर भी और पी लेते। हमने उस बच्चे को नौकरी नहीं दी और केवल वाहवाही, क्योंकि हमने अपने घोषणा पत्र में कह दिया जैसा आज एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह तो हमारा पांच साल का बाइबिल है पांच साल का बाइबिल है तो हमारी अभी हालत खराब है दो साल के बाद वैसे ही अपने आप आ जाता न। जबरदस्ती हमने चला करके 15 सौ करोड़ रुपये अपने माथे ओढ़ने का काम किया और उसके कारण से हम इसमें से यह जो हमारा सबसे बड़ा हिस्सा है वह उसके कारण से है। फिर आप थोड़ी सी इस पर निगाह डालिये तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जहां एक–एक हजार और दो–दो हजार आया है न यह कौनसे काम हैं ? मतलब यह कौन सा काम है जिस पर आपको एक हजार दो हजार की पड़ती है और केवल एक आबकारी है जिस पर आपको 20 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ गई। किस काम के लिए पड़ी तो आप स्वयं कह रहे हैं कि हम यह 20 करोड़ रुपये आबकारी के लिए सप्लीमेंटरी जो लाये हैं उसमें दो कारण आपने बताये हैं एक तो डिक्री तो सब जगह है। मतलब डिक्री का पेमेंट करना यह तो एक तयशुदा भाषा है। इसमें जितनी डिमाण्ड हैं इसमें एक भी डिमाण्ड ऐसी नहीं है जिसमें हमने डिक्री की सप्लीमेंटरी नहीं लिखा हो। और जैसा माननीय सदस्यों ने कहा वो बात सच है क्या यह डिक्रियां इसी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

समय हुई ? उसके कारण से हर डिपार्टमेंट में पैसा है ? मतलब हम अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए किस प्रकार का आडम्बर करने का धंधा करते हैं यह इसमें दिखता है। एक भी डिमाण्ड ऐसी नहीं जिसमें यह वाक्य नहीं आया हो कि डिक्री सम्बन्धी व्यय के कारण। अब इसमें क्या लिखा है आपने दूसरा कि लीकर तथा स्प्रिट की अधिक खरीद के कारण से, तो आपको कौन सा ऐसा काम करना था जबरदस्ती क्यों खरीद करके 20 करोड़ का आपने अपने माथे ओढ़ा। मतलब जो आपके काम की चीजें थीं उसमें आपने कोई अधिक खर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं समझी। इसका मतलब राजस्थान की जनता को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा इस सप्लीमेंटरी को देखने के बाद कि इस सरकार का काम मतलब जनोपयोगी काम के लिए पैसे की इसको आवश्यकता नहीं पड़ी।

अब आपने यह मांग संख्या–19 में लिखा है कि लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय पर केवल आपको दो हजार रुपये की आवश्यकता पड़ी। एक्सेस खर्च हुआ तो केवल मात्र दो हजार रुपये की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार से आपको क्षेत्रीय विकास में कमाण्ड क्षेत्र के विकास के लिए मतलब जनता के उपयोग के लिए काम में आने वाले पैसे के लिए तो आप कंगालपति हो दिवालिया हो उसमें तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि आपने जनता की भलाई के लिए दो पैसा भी खर्च करने का आपका दिमाग ही नहीं है और उस कारण आपने कितना, केवल चार हजार रुपये का आपका एक्सेस खर्चा है। आपने जो सप्लीमेंटरी पैसा मांगा वह केवल चार हजार रुपये मांगा है। यह कमाण्ड क्षेत्र के विकास के लिए मांगा इन्होंने। इसी तरह से आपने श्रम और रोजगार जिसके लिए आप डींग मारते रहते थे पहले चुनाव जब होने आये थे, तब आप भाषण में डींग हांकते थे कि ऐसे बेकारी मिटा देंगे हम, ऐसा कर देंगे। इस पार्टी ने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और आपका सब करने के बाद भी आपकी सप्लीमेंटरी है कितनी, मात्र एक हजार की आपको जरूरत पड़ी है पूरी की पूरी श्रम और रोजगार में।

इसी तरह से आपकी यह मांग संख्या–26 में इसमें चिकित्सा में भी चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, इसमें भी आपने मात्र एक हजार की आवश्यकता पड़ी। मतलब जितने लोक कल्याणकारी काम हैं उन लोक कल्याणकारी कामों के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ी नहीं क्योंकि आप परिपूर्ण हो चुके थे और आपने सब प्रकार के काम अच्छी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रकार से कर दिये। इसी तरह से जनजाति क्षेत्रीय विकास, मतलब गरीब के लिए जहां भी जरूरत पड़ी हो आपने इस सप्लीमेंटरी में पूरा इस जनजाति के लिए भी आपको केवल एक हजार का ही टोटा पड़ा था। उसको निकालने के लिए आपने इसमें लिखा है। इसी तरह से आपने देखा होगा, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, मतलब जितने भी जनसेवा के काम थे उनमें आपको बजट की जरूरत पड़ी मात्र एक लाख उन्नीस हजार की। मतलब यह जो सारा आपका, इसी तरह से, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण और पूंजीगत में भी मात्र एक हजार की आवश्यकता आपको पड़ी। मतलब यह सारी सप्लीमेंटरी एक के बाद एक बिन्दु देखने के बाद यह बात स्पष्ट हो गई कि इस सरकार ने इस एक वर्ष में इस गरीब के लिए या ऐसे पिछड़े लोगों के लिए उनके विकास के लिए, उनके काम के लिए कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। केवल घर खर्च चलाने के लिए आपने 6 हजार करोड़ रुपये, बिना विकास के योजना को छोटी करने के बाद भी यह जो कर्जा आपने लिया, हमारा 8 साल का कर्जा 12 हजार और 14 हजार तो बहुत मोटा लगता था जो रोज श्वेत पत्र जारी कर कर के ढोल पीटते थे। और उसके कारण से मार्केट में अपनी दशा खराब की, जिसके कारण से कोई उधार देने वाला भी हमको नहीं मिल रहा है, ढूंढ़ना पड़ रहा है। अगर यह 6 हजार करोड़ रुपये लेकर कोई विकास करते तो किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। हमने 12 हजार करोड़ किया तो हमने परिसम्पत्तियां बनाई हैं। हमने कोई इस प्रकार का खर्च नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप जो बड़ी डींग हांक रहे थे, आपने केवल अपने सिस्टम को, जो आपका नॉन प्लान खर्च था उसको मेन्टेन करने के लिए आपको यह कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ी है। अब आप अपनी मजबूरी के कारण से, क्योंकि यहां तो मुखबन्द है, बाकी सब काम होना ही है। किसी के ऊपर चर्चा होने का तो प्रश्न ही नहीं। क्योंकि जानबूझकर बजट लाते ही इसलिए है कि 23 तारीख को विधान सभा चले और फिर अपने सामने तलवार दिखती है कि 31 तारीख को क्या होगा, हमारे बजट का क्या होगा, हमारी योजना पास नहीं होगी। इसलिए धकम–धूम में जैसे चाहो वैसे कराओ। ईमानदारी से तो इस सदन का महत्व ही यह है कि हम एक–एक पाई का ठीक प्रकार से हिसाब लेकर उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा चिंता कर के वह सुव्यवस्थित कैसे हो, यह सोचें। अगर हमारे प्लान में किसी की गलती के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कारण से इस प्रकार होता है तो लोग इसको क्या कहेंगे कि इतना बड़ा सदन है और 5 करोड़ लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको जिस काम के लिए सबसे ज्यादा समय शक्ति लगानी चाहिए उसमें तो किसी को फुर्सत नहीं है, उसमें तो किसी को ज्यादा माथा-पच्ची करने की जरूरत नहीं है और जो काम इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, उसमें हम पूरी शक्ति लगा कर के अपना समय लगा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह जो 23 तारीख को सदन बुलाने की अपनी आदत बन गई है उसमें सुधार करें। कोई पहले वालों ने गलती की तो हम जिन्दगीभर उस गलती को करते रहें, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। अगर हम वास्तव में राजस्थान के पैसे के बारे में एक-एक पाई का ठीक प्रकार से सदुपयोग होता है कि नहीं होता है, उसका क्या है उस पर जितनी चर्चा करेंगे उतना लाभ ही निकलेगा। इसमें पक्ष भी कुछ नहीं कर सकता और विपक्ष भी कुछ नहीं कर सकता। जो तर्कसंगत बातें होंगी, वह तर्कसंगत बातें आपके सामने आएंगी। उसके कारण अगर राजस्थान की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सकता है, उसके सिस्टम को सुधारा जा सकता है तो हमें निश्चित रूप से सुधारना चाहिए। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का अड़ियल रूख बना कर और इस प्रकार के सप्लीमेंट्री को लाकर, ठीक है मजबूरी है, 31 तारीख है, हमारे सामने भी मजबूरी है, इसलिए हमें इस पर छाप लगानी है। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से आप इसको लाते हो। कृपा करके यदि इसमें किसी अच्छे काम के लिए थोड़ा पैसा और जोड़ देते तो इतनी तकलीफ नहीं होती। केवल अपने सिस्टम के कारण आपने यह किया। मेरा आपसे निवेदन है कृपा कर के आप बताओ कि हमारे 8 साल के कर्जे में आपको 12 हजार तो बहुत लगते थे और आपने यह 6 हजार रुपये का कर्जा किस खुशी में लिया ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री शिवनाथ सिंह जी, श्री राजेन्द्र सिंहजी और श्री कटारियाजी का बहुत आभारी हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नाम नहीं लिया करते यहां।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं जरा क्षेत्र भूल रहा हूं इस वक्त। आप कृपया बता दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप बहुत विदुषी हैं और आप बहुत अनुभवी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि यहां पर उन्होंने इन सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बारे में अपने विचार प्रकट किये। मैं बहुत अदब से, बहुत इज्जत से तीनों ही माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा समझने का फर्क है। इसके कारण से यह सप्लीमेंट्री ग्रांट आपको इतनी बड़ी रकम की नजर आ रही है। मेरे लिये भी विभाग नया है...

श्री देवीसिंह भाटी : बणिया हो, काहे का नया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वो तो हूं, क्या कर लूं। बणिया रहूंगा ही, ठाकर तो होने से रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय इस साल का बजट पारित किया गया था 14 हजार 579 करोड़ 32 लाख 47 हजार रुपये की वोटेड मांग थी। क्योंकि बजट के दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है चार्ज और एक होता है वोटेड। वोटेड के ऊपर यहां पर चर्चा होती है और ग्रांट के रूप में वह पारित किया जाता है। चार्ज, जिसमें कि राज्यपाल महोदय का आफिस है, हाई कोर्ट के जजेज हैं, यू. पी. एस. सी. है, स्पीकर का और उपाध्यक्ष महोदय, आपका आफिस है, कोर्ट की डिक्रीज हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट है इनके ऊपर वोट नहीं होता है, चर्चा हो जाती है। दो तरह का लोन होता है श्रीमान्। एक हम लोन लेते हैं सरकार के लिए, लोंग टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और शार्ट टर्म लोन। यहां पर जिस 5 हजार 766 करोड़ 76 लाख 88 हजार रुपये की आप बात कर रहे हैं यह हमार डे टू डे बेसिस का है। वेज एण्ड मिन्स एडवान्स के तहत जो हमारी सीमा है वेज एण्ड मिन्स की, उसके उसमें डे टू डे बेसिस पर जो लेते हैं यह वह रकम है, दर्शानी तो पड़ेगी। इसकी एन्ट्री होगी और इसका चुकारा होता है। जो हमारे मूल बजट में एस्टीमेट थे जिसमें कि हमने उस वक्त इस हैड के तहत 12 सौ करोड़ रुपये का एक प्रावधान रखा था। एक नोशनल प्रावधान होता है। सिर्फ नोशनल आधार पर दो हजार करोड़ कर सकते थे, हजार भी कर सकते थे लेकिन 12 सौ करोड़ का एक नोशनल प्रावधान किया उन्होंने। आप जो ओ.डी. की बात सुनते हो कि ओवर ड्राफ्ट में गये। हमारी वेज एण्ड मिन्स की सीमा रिजर्व बैंक ने 395 करोड़ की तय की हुई है। 202 और 193, इस तरह 395 की सीमा है। इससे ऊपर जब भी हम जाते हैं तो हमको दस दिन में उसका पेमेंट करना पड़ता है और उसके ऊपर अगर 595 के ऊपर चले गये तो तीन दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ता है। अगर नहीं करें आप तो रिजर्व बैंक ट्रेजरी को आदेश दे सकता है कि आपके पेमेंट को रोक दिया जाए। यह हमारा एक वर्किंग अरेंजमेंट है, प्रक्रिया है। आपके समय में भी थी और हर समय में रही है और

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हमारे वक्त में भी है। यह जो रकम है यह कोई राज्य के ऊपर रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए लेते थे। रुपया आता था और वापस दे देते थे। कटारिया जी, मैं आपको एक्सप्लेन करूं, 395 करोड़ है। आज 20 करोड़ आया, कल 30 करोड़ से ऊपर चले गये तो 50 करोड़ हो गया, फिर 60 करोड़ आ गया, बढ़ता गया। कहीं से रुपया आ गया तो एकदम घट गया। हमारे टैक्स के पेटे आ गया, हमारे खुद की टैक्स की रिकवरी आ गई, सेंट्रल की कोई ग्रांट आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिवोलुशन आ गया, हमने कोई मीडियम टर्म लोन लिया, हमें स्माल सेविंग के पेटे डिवोलुशन हुआ तो यह रकम उसमें से घटकर वह जमा हो गई पी. डी. अकाउंट में। इससे कोई चौकने वाली बात नहीं है कि यह रुपया कोई हमारे पास मुख्तलिफ रूप से रहा, it is an accounting system. लेकिन अकाउंटिंग सिस्टम को भी सारे कागजों में दर्शाना पड़ता है। सरकार का काम कोई ऐसा तो है नहीं कि उसे छुपा कर रखा जा सके। उसे अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट है, इट इज ए काउन्टर एण्ट्री, क्रास एण्ट्री जिसे कहना चाहिए। जमा और खर्च, जमा और खर्च। यह उसके पेटे है। अगर आप गौर करेंगे तो यह आपको थोड़ी सी भ्रांति रही इसके अंदर कि इतने बड़े कर्जे का हमने प्रावधान इसमें नहीं किया क्योंकि यह एक्सपेंडीचर का पार्ट है। आपके सामने यहां जो कुछ मैं पेश कर रहा हूं, यह जो इस साल में एक्सेस एक्सपेंडीचर किया गया है चूंकि हमारे पास यह पैसा आया है इसलिए इसमें कोई चिंता की बात नहीं है माननीय सदस्यों, न ही कोई घबराने की बात है। यह एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को भी दर्शाना पड़ता है और पूर्व में भी यह प्रक्रिया दर्शायी गई है। चूंकि पूर्व में गई बार साल में दो दफा सप्लीमेंट्री डिमाण्ड लेकर आते थे लेकिन इस दफा पूरे साल की एक ही सप्लीमेंट्री डिमाण्ड लेकर आये हैं। अब आप इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे दूसरे हिस्से में जो हमारी वोटेड डिमाण्ड थी उसके तहत हमने 831 करोड़ रुपये का एक्सेस एक्सपेंडीचर किया, वह आपके सामने डिमाण्डवार पेश किया है। आपके मन में एक भ्रांति और उत्पन्न हुई कि आपने जन-कल्याणकारी विभागों के लिए एक हजार का एक्सेस किया, कहीं दो हजार का एक्सेस किया। इस किस्म की बात आपने कही। तो उसका कारण यह एक्सेस एक्सपेंडीचर नहीं है, ये नये सबहैड खोलने के लिए प्रावधान किये हैं। बहुत सी सैन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम जब आती हैं किसी हैड के तहत आती हैं। अगर उस सबहैड का प्रावधान पहले से बजट में नहीं है तो उसके लिए टोकन प्रोवीजन करना

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पड़ता है और उस टोकन प्रोवीजन के लिए उस हैड में जिसमें कि नये हैड खोलकर, टोकन प्रोवीजन करके उस हैड के तहत यह रकम आ जाये, इसलिए प्रावधान किया गया है। आपके मन में थोड़ा सा भ्रम है इस बारे में, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए, आपने सिर्फ एक हजार और दो हजार का प्रावधान है। वह सबहैड खोलने के लिए किया है न कि एक्सपेंडीचर इन्क्रर किया गया है। इसके अन्दर सबहैड खुल जाएं क्योंकि, जैसे कहते हैं कि नया खाता खोलते हैं उसके लिए कोई प्रावधान, करना पड़ता है।

आपने एक बात यहां पर कही। सब माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि आपने 20 करोड़ रुपया शराब पर खर्च कर दिया स्प्रिट खरीदने के लिए जो गंगानगर शुगर मिल्स अपनी शराब बनाता है, देशी शराब बनाता है उसके लिए हमने जो एन्टीसिपेट किया था कि इतना खर्चा होगा, हमारे बजट एस्टीमेट्स थे उससे ऊपर गया क्योंकि स्प्रिट की कीमत बढ़ी। तो स्प्रिट की बढ़ी हुई कीमत से जो हमारे बजट एस्टीमेट थे उससे ज्यादा खर्चा करना पड़ा, उस वजह से यह 20 करोड़ का प्रावधान हमें करना पड़ा। हकीकत यह है।

एक बात, डिक्रीज के बारे में। यह आज की प्रथा नहीं है। आप जब भी सप्लीमेंट्री या पुराने सप्लीमेंट्री डिमाण्ड के कागजात निकालकर देख लें कि उसके लिए कोर्ट डिक्री का भी उसी के अनुरूप थोड़ा प्रावधान हर हैड के नीचे किया जाता है, यह अकाउन्टिंग की। मैंने भी जब देखा तो मेरे मन में भी हुआ कि हर महकमे में डिक्री आयेगी क्या ? अदालत का कोई आदेश आएगा कि हर महकमे के ऊपर डिक्री पास कर दी गई है। तो मैंने भी जब उनसे यह कि यह बात पूछी तो उन अधिकारियों ने मुझे अवगत कराया कि यह परम्परा रही है कि जब भी सप्लीमेंट्री डिमाण्ड के तहत आप आते हैं तो यह प्रोवीजन करना आपको लाजमी होता है। और इस प्रकार उस परम्परा के तहत प्रोवीजन किया है। चाहे तो आप पुराने कागजों से आपके मन में जो यह शक है दूर हो सकता है। अब यहां पर वैसे बहुत सारी बातें, कई मुद्दे उठाये गये। 30 तारीख को मैं बजट पेश करूंगा उस बजट पर चर्चा होगी। ऋण के बारे में, काम रोकने के बारे में, प्लान साइज के बारे में आपने यहां कई बातें कहीं। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने, शिवनाथ सिंह जी ने टैक्स कलेक्शन की बात कही, दो–तीन दिन में रिकन्सीलिएशन हो जाएगा अकाउण्ट्स का, लेकिन जो आपकी चिंता है उतनी गिरावट शायद नहीं होगी। जो हमारा लक्ष्य है, जो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हमने एस्टीमेट किया था या रिवाइज एस्टीमेट था, उनके बारे में हमें उम्मीद है कि थोड़ी बहुत कमी रहेगी और उनको हम हासिल करने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे।

आप सब माननीय सदस्यों ने एक बात और पूछी कि कर्मचारियों के पेटे कितनी बचत हुई। शायद गुढा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। अभी इसका भी आकलन कर रहा हूं मैं। देखिये रफली पौने सात–सात लाख के करीब कर्मचारी हैं। दो लाख सत्तर हजार गये थे हड़ताल के ऊपर और वेज बिल है करीब–करीब हर माह का हमारे कर्मचारी का पेंशन के अलावा रफली 500 करोड़ के आस–पास है, वेज बिल, तनख्वाह का भत्ता जो है। पौने सात लाख में से मान लीजिये 2 लाख 60–70 हजार आदमी गये और उसमें से भी सारे कर्मचारी कोई 64 दिन हड़ताल पर नहीं रहे। 64 दिन की हड़ताल पर सिर्फ सचिवालय के आदमी रहे। जहां सचिवालय के अंदर हमारे कर्मचारी गये, अधिकारी गये नहीं, कर्मचारी ही गये, और वहां पर भी उनकी संख्या कोई 2200–2300 के करीब है, इससे ज्यादा नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। तो कौन आदमी कितने दिन रहा, कोई पूरे दिन रहा, कोई महीने रहा, कोई 40 दिन रहा कोई 20 दिन रहा। डिफरेंट समय के ऊपर कर्मचारी हड़ताल पर जाते रहे तो वह भी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी रकम जिससे बचत हुई हो, यह धारणा सही नहीं है। निश्चित रूप से नो वर्क नो पे के आधार के ऊपर निश्चित रूप से कुछ बचत तो हुई होगी यह कोई बात... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अखबार में ढाई सौ करोड़ आया था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये अखबार में कुछ भी आया हो लेकिन मैं आपके सामने सही फिगर्स दे रहा हूं। मैं आपके सामने सारे फिक्रर्स दे रहा हूं। टोटल वेज बिल मंथली वेज बिल, इतने कर्मचारी हड़ताल पर गये, औसत कितना अया। तो इसलिए मैंने आपके सामने सारी बातें रखी हैं। ये सब बातें वह हैं जो किसी से छिपी हुई नहीं है। सब माननीय सदस्यगण, आपने जो यहां बात कही और उसके बारे में जो भी मैंने आपको हकीकत से अवगत कराने की चेष्टा की है और मैं आशा करता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि सप्लीमेंट्री ग्रांट का बजट पारित करेंगे। यह विश्वास दिलाता हूं कि जो अन्य मुद्दे आपने प्लान साइज के बारे में, अन्य चीजों के बारे में उठाये हैं, बजट की जनरल डिबेट के बाद जो उत्तर दूंगा उसमें चीजों का समावेश निश्चित

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रूप से करूंगा। यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2000 को पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.37 बजे मंगलवार, 28 मार्च, 2000 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या–33 का विवरण)

नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं को देय बकाया आर्थिक सहायता/अनुदान की सूची

1.	राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान :	
	(अ) सामान्य उद्देश्य अनुदान	364.65 लाख रुपये
	(बं) विकास अनुदान (विकास कार्यों हेतु)	168.10 लाख रुपये
	(स) प्रोत्साहन अनुदान (अच्छे कार्य हेतु)	146.00 लाख रुपये
	(द) तुल्य अनुदान (मैचिंग ग्राण्ट)	340.20 लाख रुपये
2.	दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं के लिए पालिकाओं को जनसंख्या के आधार पर राशि देने का प्रावधान है, किन्तु यह राशि अभी रिलीज होना बाकी है	809.00 लाख रुपये
3.	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के लिए बकाया राशि के भुगतान की आशा की जा सकती है। इसमें 75 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार का एवं 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार का होता है।	142.00 लाख रुपये
4.	राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम के लिए बकाया राशि में से आधी राशि उपलब्ध होने की सम्भावना है	1176.29 लाख रुपये
5.	बालिका समृद्धि योजना की बकाया राशि के आबंटन की प्रक्रिया जारी है।	63.31 लाख रुपये
6.	पर्यावरण सुधार योजना	1.00 लाख रुपये

नोट :–उक्त राशियों का आवंटन नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं को वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर सम्बन्धित योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं को किया जा सकेगा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि किस–किस नगरपालिका को कितनी–कितनी राशि दी जा सकेगी।

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में हैण्डपम्प हेतु सर्वे

35. **डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्पों की आवश्यकता जानने हेतु कोई सर्वेक्षण किया जाता है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली जयपुर के परिणामों का विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में पेयजल से वंचित ढाणियों के सर्वेक्षण का परिणाम

क्र. सं.	सर्वेक्षण का वर्ष	कुल अलाभान्वित पाई गई ढाणियों की संख्या	माह फरवरी 2000 तक लाभान्वित ढाणियों की संख्या	स्वीकृत ढाणियों की संख्या जिनमें हैण्डपम्प स्थापित होना शेष है	ढाणियों की संख्या जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है	कम आबादी होने के कारण प्रथम चरण में स्वीकृति से वंचित रही ढाणियों की संख्या
1.	1991–93	513	241	25	2	245
2.	1996–97	62	–	–	62	
		575	241	25	64	245

तारांकित प्रश्न संख्या-36
(स्थगित)

राज्य के निजी बसों के संचालन से निगम को हानि

37. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कितनी निजी बसों को परमिट जारी किये हुए हैं व उनसे सरकार को प्रतिमाह कितनी आय हो रही है ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अवैध संचालन को रोकने हेतु सुझाव के लिए उच्चाधिकार समिति का गठन किया था ? क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अवैध संचालन ही निगम के घाटे का प्रमुख कारण माना है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अवैध संचालन को रोकने की क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा तीन हजार रुपये के बदले निजी बसों को चलाने की टोकन व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो कुल कितनी बसों ने टोकन प्राप्त किये हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि टोकन व्यवस्था के बाद भी निगम लगातार घाटे में रहा है ? यदि हां, तो आय का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कुल 12650 निजी बसों को परमिट जारी किये हुए हैं, जिनसे लगभग रुपये 487 लाख की मासिक आय होती है।

(2) जी हां, अवैध संचालन को रोकने हेतु सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। निगम के घाटे का प्रमुख कारण वाहनों का अवैध संचालन ही नहीं है। अवैध संचालन घाटे के अनेक कारणों में से एक कारण है। वाहनों के अवैध संचालन को रोकने हेतु निम्न कार्यवाही की गई है :–

1. अवैध संचालनों को रोकने के लिए समय–समय पर परिवहन एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जांच अभियान चलाए जाते हैं।

2. जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में यातायात सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां यातायात की समस्याओं के समाधान के साथ–साथ वाहनों के अवैध संचालन को रोकने के कारगर उपाय भी करेंगी।

3. अवैध बुकिंग एजेण्टों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश किये गये हैं।

4. अवैध संचालन को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में कलक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसको प्रति माह अवैध वाहनों के संचालन को रोकने हेतु संयुक्त अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया है।

5. बिना परमिट के यात्री वाहनों से पूर्व में एक दिन का टैक्स व संधारण राशि

(यातायात मंत्री)

लेकर वाहनों को छोड़ दिया जाता था। इस सम्बन्ध में नियमों में संशोधन कर 10 सीट तक के यात्री वाहनों से एक वर्ष की अवधि के बराबर की राशि वसूल तथा 10 सीट से अधिक क्षमता के सभी यात्री वाहनों से संविदा वाहनों द्वारा देय एक माह की अवधि के कर के बराबर राशि वसूल किये जाने का प्रावधान किया गया है।

6. 12 सीट तक की बैठक क्षमता के यात्री वाहनों में बैठक क्षमता से अधिक सवारी ले जाने पर पूर्व में 30 रुपये प्रति सवारी की दर से प्रशमन राशि वसूली जाती थी। इस सम्बन्ध में अब ऐसे वाहन के अन्दर क्षमता से अधिक बैठी पाई गई सवारियों के लिए 150 रुपये प्रति सवारी तथा वाहन के बाहर लटकते एवं छत पर बैठकर यात्रा करने वाली सवारियों के लिए 300 रुपये प्रति सवारी की दर से प्रशमन राशि वसूले जाने का प्रावधान किया गया है।

7. निजी वाहनों के स्टैण्ड परिवहन निगम के स्टैण्ड के पास नहीं रखने के निर्देश जारी किये गये हैं।

(4) राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 के नियम 15 (4) में इस आशय का प्रावधान किया जा चुका है किन्तु निजी बसों के लिए यह व्यवस्था अभी लागू नहीं की गई है।

(5) जी नहीं, टोकन व्यवस्था अभी लागू नहीं की गई है।

(रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अल्प बचत आय से विकास कार्य

38. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 की अवधि में राज्य के किस–किस जिले में कितनी–कितनी धनराशि अल्प बचत में जमा हुई तथा किस–किस जिले को कितनी–कितनी धनराशि विकास कार्यों हेतु दी गई ?

उत्तर

वर्ष 1998–99 में रुपये 1884.50 करोड़ का शुद्ध संग्रहण प्राप्त हुआ। जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार है। वर्ष 1999–2000 में माह फरवरी, 2000 तक रुपये 1857.36 करोड़ रुपये का शुद्ध संग्रहण प्राप्त हुआ है। जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट–2 के अनुसार है।

वर्ष 1998–99 में जिला प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत जिलों को वर्ष 1997–98 की उपलब्धि पर रुपये 793.14 लाख उपलब्ध कराये गये हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट–3 के अनुसार है।

वर्ष 1999–2000 में जिलों को विकास कार्यों हेतु कोई राशि नहीं दी गई है क्योंकि अल्प बचत सहभागिता योजनान्तर्गत वर्ष 1999–2000 में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को विकास कार्यों हेतु प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के लिए आयोजना मद में रुपये 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह राशि इन संस्थाओं को स्थाई निर्माण विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराने हेतु विभाग के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित की जा रही है।

परिशिष्ट-1

वर्ष 1998-99 में अल्प बचत में जमा हुई राशि का जिलेवार विवरण

(राशि लाखों में)

नाम संभाग/जिला	लक्ष्य	संग्रहण राशि
1	2	3
अजमेर संभाग		
1. अजमेर	12500	12889.72
2. भीलवाड़ा	4700	4106.70
3. नागौर	5000	3857.46
4. टोंक	2200	2001.53
योग	**24400**	**22855.41**
जयपुर संभाग		
5. जयपुर	30000	33538.45
6. अलवर	8500	7170.46
7. भरतपुर	6900	6980.48
8. धौलपुर	3100	3785.53
9. झुन्झुनूं	7000	5918.72
10. सीकर	6400	5402.67
11. दौसा	3100	2783.45
योग	**65000**	**65579.76**
बीकानेर संभाग		
12. बीकानेर	6900	7392.75
13. चूरू	5300	4858.91
14. श्रीगंगानगर	5500	3717.56
15. हनुमानगढ़	3200	2997.12
योग	**20900**	**18966.34**

1	2	3
कोटा संभाग		
16. कोटा	9000	8333.44
17. बारां	1200	1062.33
18. झालावाड़	2000	1796.70
19. सवाईमाधोपुर	3000	3112.03
20. करौली	2900	2994.38
21. बूंदी	2100	1278.18
योग	**20200**	**18577.06**
जोधपुर संभाग		
22. जोधपुर	11100	13484.98
23. बाड़मेर	3600	2572.98
24. जैसलमेर	1100	1116.52
25. जालौर	2900	1596.25
26. पाली	5000	4412.37
27. सिरोही	3000	2153.75
योग	**26700**	**25336.85**
उदयपुर संभाग		
28. उदयपुर	7900	7420.72
29. चित्तौड़गढ़	3900	3535.41
30. बांसवाड़ा	1700	1706.88
31. डूंगरपुर	1300	1430.99
32. राजसमन्द	3000	3040.08
योग	**17800**	**17134.08**
33. राज्य स्तर पर संस्थागत निवेश		20000.00
कुल योग	**175000**	**188449.50**

परिशिष्ट–2

वर्ष 1999-2000 में माह फरवरी, 2000 तक अल्प बचत में जमा हुई राशि का जिलेवार विवरण

(राशि लाखों में)

नाम संभाग/जिला	लक्ष्य	संग्रहण राशि
1	2	3
अजमेर संभाग		
1. अजमेर	18500	13816.12
2. भीलवाड़ा	7000	4383.20
3. नागौर	6300	3648.09
4. टोंक	3300	2450.52
योग	**35100**	**24297.93**
जयपुर संभाग		
5. जयपुर	44000	28782.59
6. अलवर	12400	8148.90
7. भरतपुर	10400	7405.85
8. धौलपुर	4600	4374.99
9. झुन्झुनूं	10200	10226.15
10. सीकर	8600	4611.39
11. दौसा	4300	2611.15
योग	**94500**	**66161.02**
बीकानेर संभाग		
12. बीकानेर	10300	6293.46
13. चूरू	7700	4280.95
14. श्रीगंगानगर	6800	4109.16
15. हनुमानगढ़	4800	3408.44
योग	**29600**	**18092.01**

1	2	3
कोटा संभाग		
16. कोटा	15200	10440.11
17. बारां		
18. झालावाड़	2400	1226.52
19. सवाईमाधोपुर	4300	3435.27
20. करौली	4000	2622.91
21. बूंदी	2500	1435.35
योग	**28400**	**19160.16**
जोधपुर संभाग		
22. जोधपुर	16500	13183.22
23. बाड़मेर	4200	3257.01
24. जैसलमेर	1400	928.54
25. जालौर	3300	1616.43
26. पाली	7100	4867.35
27. सिरोही	3400	1670.54
योग	**35900**	**25523.09**
उदयपुर संभाग		
28. उदयपुर	11700	10926.14
29. चित्तौड़गढ़	6000	4081.36
30. बांसवाड़ा	2500	1535.18
31. डूंगरपुर	2000	1531.38
32. राजसमन्द	4300	2927.26
योग	**26500**	**21001.32**
33. राज्य स्तर पर संस्थागत निवेश		11500.00
		15000.00
कुल योग	**250000**	**185735.53**

परिशिष्ट—3

वर्ष 1998-99 में स्थाई निर्माण विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का जिलेवार विवरण

(राशि लाखों में)

नाम संभाग/जिला	उपलब्ध कराई गई राशि
1	2
अजमेर संभाग	
1. अजमेर	55.43
2. भीलवाड़ा	17.92
3. नागौर	19.05
4. टोंक	8.98
जयपुर संभाग	
5. जयपुर	129.50
6. अलवर	32.81
7. भरतपुर	32.66
8. धौलपुर	16.85
9. झुन्झुनूं	37.65
10. सीकर	24.56
11. दौसा	14.05
बीकानेर संभाग	
12. बीकानेर	29.75
13. चूरू	25.14
14. श्रीगंगानगर	20.53
15. हनुमानगढ़	13.55
कोटा संभाग	
16. कोटा	42.54
17. बारां	
18. झालावाड़	10.98
19. सवाईमाधोपुर	13.70
20. करौली	14.80
21. बूंदी	10.77
जोधपुर संभाग	
22. जोधपुर	55.21
23. बाड़मेर	22.33
24. जैसलमेर	6.57
25. जालौर	13.61
26. पाली	21.56
27. सिरोही	16.58
उदयपुर संभाग	
28. उदयपुर	37.07
29. चित्तौड़गढ़	14.82
30. बांसवाड़ा	8.06
31. डूंगरपुर	7.44
32. राजसमन्द	13.43
योग	**793.14**

बाड़मेर जिले के बालोतरा सब डिवीजन में उपभोक्ता मंच कैम्प कोर्ट की स्थापना

39. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग एवं जिला मंचों की वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के सन्दर्भ में सरकार ने क्या आवश्यक कदम उठाये हैं ? गत पांच वर्षों में राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग एवं जिला मंचों को कितनी वित्तीय एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999 से 29 फरवरी, 2000 तक जिला बाड़मेर उपभोक्ता संघ न्यायालय के विचाराधीन कुल कितने मुकदमे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त मुकदमों में बालोतरा सब डिवीजन के कुल कितने मुकदमें हैं ?

(3) क्या सरकार ने पूर्व में कोई ऐसा आदेश उपभोक्ता संघ न्यायालय बाड़मेर का कैम्प कोर्ट, बालोतरा में करने का दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सब डिवीजन मुख्यालय पर अधिक मुकदमे होने से उपभोक्ताओं को सस्ता न्याय दिलाने के लिए कैम्प कोर्ट करने के पूर्व आदेश की पालना सरकार करने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग एवं जिला मंचों को सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं एवं आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराने के साथ–साथ न्यायालयों के अध्यक्षों व सदस्यों के पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। गत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग एवं जिला मंचों को आयोजना मद के अन्तर्गत 637.82 लाख रुपये, आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत 617.45 लाख रुपये एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 314.20 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई।

(2) वर्ष 1999 से 29 फरवरी, 2000 तक जिला बाड़मेर उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में कुल विचाराधीन मुकदमे 159 हैं, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इन मुकदमों में बालोतरा सब डिवीजन के कुल मुकदमे 97 हैं।

(3) जी हां। इसकी पालना में बालोतरा कैम्प कोर्ट शुरू करने की कार्यवाही की गई है। अप्रेल, 2000 से सुनवाई हेतु तिथियां निर्धारित की गई हैं।

(4) बालोतरा सब डिवीजन के उपभोक्ता प्रकरणों हेतु कैम्प कोर्ट लगाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं एवं आदेश की पालना के सम्बन्ध में प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

सूची

क्रम संख्या	प्रकरण संख्या	अनवान
1	2	3
1.	242/97	देरावर सिंह/मै. भंवरलाल गफतलाल
2.	319/97	सुखराम/हिंगलाज आयरन स्टोर
3.	33/98	प्रेमसिंह सोलंकी/भाटी कोरियर सर्विस
4.	49/98	श्रीमती भगवती देवी/राज. राज्य विद्युत मण्डल
5.	59/98	श्रीमती देवी/राज. राज्य विद्युत मण्डल
6.	64/98	चमनलाल/दी न्यू इण्डिया इंशो. कं.
7.	65/98	युना. ई. इंशो./वैशाली ट्रांसपोर्ट
8.	75/98	मूलचन्द/शिवशक्ति स्टूडियो
9.	81/98	आईदानाराम/जी.एन.जी. ग्रुप ऑफ कं.
10.	82/98	गणेशमल सोनी/लाईन्स मिचुअल बेनीफिट
11.	83/98	श्रीमती. कमला/लाईन्स मिचुअल बेनीफिट
12.	84/98	ललित कुमार/लाईन्स मिचुअल बेनीफिट
13.	85/98	रामेश्वरलाल/राज. राज्य विद्युत मण्डल
14.	87/98	बाबूलाल/वर्लपूल ऑफ इण्डिया लि.
15.	90/98	मै. लोढा प्लाटर/राज. राज्य विद्युत मण्डल
16.	91/98	शंकराराम/राज. राज्य विद्युत मण्डल
17.	92/98	प्रेमलता/लायन्स फाइनेन्स कार्पोरेशन
18.	94/98	भगवानाराम/भारतीय जीवन बीमा निगम
19.	100/98	युना. इंडिया इंशो./वैशाली ट्रांसपोर्ट
20.	101/98	युना. इंडिया इंशो./वैशाली ट्रांसपोर्ट
21.	112/98	देवराज/त्रिमूर्ति रोड लाईन्स
22.	118/98	युना. इंडिया इंशो./वैशाली ट्रांसपोर्ट
23.	124/98	श्रीमती चन्द्रकला/लायन्स फाइनेन्स कार्पो.
24.	130/98	भंवरलाल/राजस्थान सरकार
25.	141/98	फर्म नेमीचन्द/केरिको रोड केरियर्स

1	2	3
26.	144/98	रिखबदास/जिला दूर संचार नि.
27.	145/98	युना. इंडिया इंशो./ईस्ट इंडिया
28.	146/98	युना. इंडिया इंशो./केरिको रोड केरियर्स
29.	147/98	युना. इंडिया इंशो./स्वरूप केरियर्स
30.	148/98	युना. इंडिया इंशो./वैशाली ट्रांसपोर्ट
31.	149/98	सुमेरमल बाफना/दूरसंचार विभाग
32.	155/98	युना. इंडिया इंशो./स्वरूप केरियर्स
33.	156/98	रूगाराम/राज. रा. वि. मं.
34.	157/98	लालचन्द/युना. इंडिया इंशो.
35.	158/98	मेहराराम—गणेशराम/रा. रा. वि. मं.
36.	2/99	कृष्णकुमार/जैन गुड्स ट्रांसपोर्ट कं.
37.	6/99	चेनीदेवी/राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग
38.	10/99	तेजमल/जिला दूरसंचार विभाग
39.	12/99	सुरेशकुमार/ए. के. चौपड़ा
40.	13/99	बंशीलाल/रा. रा. वि. मण्डल
41.	14/99	रामसिंह/भारतीय जीवन बीमा निगम
42.	16/99	धर्माराम/नगरपालिका, बाड़मेर
43.	17/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
44.	18/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
45.	19/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
46.	20/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
47.	21/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
48.	22/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
49.	23/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
50.	24/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
51.	25/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
52.	26/99	इरसाद अली/दिल्ली राजस्थान ट्रांसपोर्ट

1	2	3
53.	27/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
54.	28/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
55.	29/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
56.	30/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
57.	31/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
58.	32/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
59.	33/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
60.	34/99	पुखराज/रा. रा. वि. मं.
61.	35/99	प्रेमसिंह/रा. रा. वि. मं.
62.	36/99	रिखबदास/नगरपालिका मंडल
63.	37/99	महेश्वर केमीकल्स/युना. इंडिया इंशो.
64.	39/99	युना. इंडिया इंशो./राजधानी इन्टर स्टेट
65.	40/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
66.	41/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
67.	42/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
68.	43/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
69.	44/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
70.	45/99	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
71.	46/99	अशोक कुमार/ग्रीन केरियर्स
72.	47/99	अशोक कुमार/ग्रीन केरियर्स
73.	48/99	अशोक कुमार/ग्रीन केरियर्स
74.	49/99	राणमल/गिरनार ट्रांसपोर्ट
75.	50/99	युना. इंडिया इंशो./ओम केरिंग कार्पो.
76.	51/99	युना. इंडिया इंशो./ओम केरिंग कार्पो.
77.	52/99	युना. इंडिया इंशो./ओम केरिंग कार्पो.
78.	53/99	युना. इंडिया इंशो./ओम केरिंग कार्पो.
79.	54/99	युना. इंडिया इंशो./ओम केरिंग कार्पो.

1	2	3
80.	55/99	युना. इंडिया इंशो./ओम केरिंग कार्पो.
81.	56/99	युना. इंडिया इंशो./ओम केरिंग कार्पो.
82.	57/99	युना. इंडिया इंशो./ओम केरिंग कार्पो.
83.	58/99	युना. इंडिया इंशो./ओम केरिंग कार्पो.
84.	59/99	युना. इंडिया इंशो./ओम केरिंग कार्पो.
85.	60/99	युना. इंडिया इंशो./ओम केरिंग कार्पो.
86.	61/99	युना. इंडिया इंशो./गिरनार ट्रांसपोर्ट
87.	62/99	युना. इंडिया इंशो./ओम केरिंग कार्पो.
88.	63/99	युना. इंडिया इंशो./नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट
89.	64/99	साम्बाराम/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर
90.	65/99	हीरा मिल्स/नेशनल इंडिया इंशो.
91.	66/99	श्रीमती उम्मेद कंवर/डी. सी. एम. लि.
92.	67/99	श्रीमती तुलसी देवी/भारतीय जीवन बीमा
93.	68/99	हरीवल्लभ/भारतीय जीवन बीमा निगम
94.	69/99	श्रीमती सरस्वती देवी/वैशाली रोड केरि.
95.	70/99	यूना. इंडिया इंशो./वैशाली ट्रांसपोर्ट
96.	71/99	यूना. इंडिया इंशो./वैशाली ट्रांसपोर्ट
97.	72/99	यूना. इंडिया इंशो./वैशाली ट्रांसपोर्ट
98.	73/99	यूना. इंडिया इंशो./वैशाली ट्रांसपोर्ट
99.	74/99	यूना. इंडिया इंशो./ईस्ट इंडिया ट्रांसपोर्ट
100.	75/99	यूना. इंडिया इंशो./ईस्ट इंडिया ट्रांसपोर्ट
101.	76/99	यूना. इंडिया इंशो./ओम केरिंग कार्पो.
102.	77/99	यूना. इंडिया इंशो./ओम केरिंग कार्पो.
103.	78/99	यूना. इंडिया इंशो./केरिको रोड केरियर्स
104.	79/99	यूना. इंडिया इंशो./कटारिया ट्रांसपोर्ट केरि.
105.	80/99	यूना. इंडिया इंशो./राजधानी इन्टर स्टेट
106.	81/99	श्रीमती गैरी देवी/यूना. इंडिया इंशो.

1	2	3
107.	82/99	कण्ड़ा खां/यूना. इंडिया इंशो.
108.	83/99	भूकनाराम/यूना. इंडिया इंशो.
109.	84/99	नीबसिंह/यूना. इंडिया इंशो.
110.	85/99	हीरालाल/जिला दूरसंचार विभाग
111.	86/99	जगमाल मीणा/भारतीय जीवन बीमा
112.	87/99	नरसिंगाराम/यूना. इंडिया इंशो.
113.	88/99	पुखराज/निदेशक, एक्कोईजय प्लान्टेशन
114.	89/99	सुरेशकुमार/दूरसंचार विभाग
115.	90/99	केशरसिंह/रा. रा. वि. मंडल
116.	91/99	पूनमचन्द/रा. राज. वि. मंडल
117.	92/99	प्रेमाराम/यूना. इंडिया इंशो.
118.	93/99	श्रीमती सुशीला देवी/पोरवाल कार्पो.
119.	94/99	श्रीमती मंजू देवी/पोरवाल कार्पो.
120.	95/99	श्रीमती बच्ची/यूना. इंडिया इंशो.
121.	96/99	देवराम/गिरनार ट्रांसपोर्ट
122.	97/99	हस्तीमल/टाटा इंजन एण्ड लोको.
123.	98/99	माईक्रो टैक्स./स्वरूप केरियर्स
124.	99/99	विजय कुमार/न्यू इंडिया इंशो.
125.	1/2000	भूराराम/रा. रा. वि. मंडल
126.	2/2000	मूलाराम/रा. रा. वि. मंडल
127.	3/2000	केवलचन्द/लायन्स फाईनेन्स कार्पो.
128.	4/2000	लेखराज/डाक विभाग, बाड़मेर
129.	5/2000	सुल्तान खां/रा. रा. वि. मंडल
130.	6/2000	यूना. इंडिया इंशो./केरिको रोड केरियर्स
131.	7/2000	यूना. इंडिया इंशो./उत्तम रोडवेज
132.	8/2000	यूना. इंडिया इंशो./वैशाली ट्रांसपोर्ट
133.	9/2000	यूना. इंडिया इंशो./केरिको रोड केरियर्स

1	2	3
134.	10/2000	चन्नाराम/यूना. इंडिया इंशो.
135.	11/2000	श्रीमती चन्दूदेवी/भारतीय जीवन बीमा
136.	12/2000	द्वारकाराम/रा. रा. वि. मंडल
137.	13/2000	आईदानाराम/यूना. इंडिया इंशो.
138.	14/2000	नरेन्द्र सिन्थेटिक/कम्प्यूटर एज्यूकेशन
139.	15/2000	नाजूमल/रा. रा. वि. मंडल
140.	16/2000	श्रीमती रामेश्वरी/राजस्थान सरकार
141.	17/2000	श्रीमती गवरी देवी/भारतीय जीवन बीमा
142.	18/2000	डूंगरदान/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
143.	19/2000	श्रीमती सुशीला देवी/भारतीय जीवन बीमा
144.	20/2000	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
145.	21/2000	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
146.	22/2000	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
147.	23/2000	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
148.	24/2000	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
149.	25/2000	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
150.	26/2000	लालचन्द/ग्रीन केरियर्स
151.	27/2000	यूना. इंडिया इंशो./केरिको रोड केरियर
152.	28/2000	यूना. इंडिया इंशो./केरिको रोड केरियर
153.	29/2000	यूना. इंडिया इंशो./वैशाली ट्रांसपोर्ट
154.	30/2000	यूना. इंडिया इंशो./गिरनार ट्रांसपोर्ट
155.	31/2000	यूना. इंडिया इंशो./बालरघाट ट्रांसपोर्ट
156.	32/2000	यूना. इंडिया इंशो./नोर्थ ईस्ट केरिंग
157.	33/2000	यूना. इंडिया इंशो./दी विजयलक्ष्मी ट्रांसपोर्ट
158.	34/2000	यूना. इंडिया इंशो./ओम केरिंग कार्पो.
159.	188/92 (रिमांड प्रकरण)	नेमीचन्द/क्रिसेन्ट कम्प्यूटर

राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में अनियमितताओं की जांच

40. **श्री प्रभूलाल** (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सहकारिता रजिस्ट्रार ने वर्ष 1999 में राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कानफैड) में हुई अनियमितताओं के मामलों में जांच के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो कितने मामलों में ?

(2) क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने भी उपभोक्ता संघ में उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद के मामलों में छापा मारा था ? यदि हां, तो यह क्या मामला था ?

(3) सहकारिता रजिस्ट्रार के जांच के आदेश के बाद किसके द्वारा जांच की गई है और इस प्रकरण में कौन–कौन दोषी पाये गये तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सहकारिता रजिस्ट्रार ने वर्ष 1999 में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कानफैड) में हुई अनियमि–तताओं के 6 मामलों में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच के दो आदेश दिये हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा उन्हें प्राप्त शिकायत के आधार पर कानफैड के अधिकारियों/कर्मचारियों से पूछताछ की जाकर उनके लिखित बयान लिए गए हैं तथा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा इस मामले से सम्बन्धित कार्यालय अभिलेख अपने अधिकार में लिया गया है।

(2) पंजीयक, सहकारी समितियां द्वारा जांच के आदेश के बाद एक प्रकरण में महा प्रबन्धक (वित्त) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि., जयपुर द्वारा तथा दूसरे प्रकरण में परियोजना निदेशक (मानीटरिंग) सहकारी विभाग राजस्थान द्वारा कथित अनियमितताओं की जांच की गई है।

(3) पंजीयक, सहकारी समितियां के आदेशों के अन्तर्गत परियोजना निदेशक (मानीटरिंग) द्वारा दिनांक 23.3.2000 एवं महाप्रबन्धक (वित्त) राजफैड द्वारा दिनांक 24.3.2000 को अपने जांच निष्कर्ष पंजीयक, सहकारी समितियां को प्रेषित किये गये हैं। राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत आगे की न्यायिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीय ध्वज की अवमानना में कार्यवाही

41. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) एवं **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान में गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की नागरिकों को अनुमति है ? यदि हां, तो

(श्री मदन दिलावर)

फिर 26 जनवरी, 2000 को राष्ट्रीय ध्वज फहराने हेतु अम्बेडकर सर्किल, जयपुर पर एकत्र हुए कर्मचारियों पर लाठी चार्ज क्यों किया गया ?

(2) क्या तिरंगा फहराने जा रहे कर्मचारियों पर लाठी चार्ज से झण्डे का डण्डा टूटने से झण्डा नीचे गिर गया था ? यदि हां, तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किसने और क्यों किया ? इस प्रकार का कृत्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस पर प्रत्येक भारतीय नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति है। दिनांक 26 जनवरी, 2000 को अम्बेडकर सर्किल पर एकत्र हुए कर्मचारियों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया। इस दिन हड़ताली कर्मचारियों का अम्बेडकर सर्किल पर काला झण्डा फहराने का कार्यक्रम था जिनको इस कृत्य से रोकना था। इसी दौरान कर्मचारियों द्वारा किये गये विरोध के फलस्वरूप पुलिस व कर्मचारियों के बीच टकराव, धक्कामुक्की की घटना हुई थी।

(2) दिनांक 26.1.2000 को हड़ताली कर्मचारियों का राज्य सरकार के प्रति रोष प्रकट करने के रूप में अम्बेडकर सर्किल पर काला झण्डा फहराने का कार्यक्रम था, जिसे रोकने हेतु प्रशासन ने धारा 144 द.प्र.सं. लगा रखी थी। कर्मचारियों द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस के साथ धक्का–मुक्की, टकराव हुआ, सम्भव है इस घटना के दौरान किसी हड़ताली कर्मचारी के हाथ से राष्ट्रीय ध्वज गिर गया हो। पुलिस कर्मियों द्वारा ना तो राष्ट्रीय ध्वज का डंडा तोड़ा गया और ना ही राष्ट्रीय ध्वज को नीचे गिराया गया। जब पुलिस कर्मियों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ही नहीं किया तो पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। कर्मचारियों ने जिलाधीश की स्वीकृति मिलने पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की अपूर्ण सड़कें

42. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कृषि उपज मण्डी द्वारा वर्ष 1997 से फरवरी, 2000 तक कुल कितने ग्रामों की सड़कें मंजूरी की गई और उनमें से कौन–कौन सी सड़कें अब तक पूर्ण हो गई हैं एवं कितनी सड़कें अपूर्ण हैं ? अपूर्ण सड़कें रहने के क्या कारण रहे ? क्या सरकार उक्त अपूर्ण सड़कों का निर्माण वर्ष 1999–2000 में कराने का विचार रखती है ?

(श्री रामस्वरूप)

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में और नई सड़कें बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां से कहां तक ? ग्राम/कस्बों का नाम, राशि एवं किस योजना के तहत बनेगी, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जनता ने अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराने की मांग की है ? यदि हां, तो अब कब तक पूर्ण करा दी जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि धनाभाव के कारण उक्त सड़कें अपूर्ण हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या का निराकरण करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्ष 1999–2000 में कुल कितनी राशि आवंटित की जा रही है उसमें से कितनी राशि किस–किस योजना एवं सड़क पर व्यय की जानी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कुल दो सड़कें गीजगढ़ गुढाचन्द्रजी रोड से बाड़ा तथा गंगापुर नादोती रोड से बाड़ पिचनोट मंजूर की गई है। दोनों सड़कों का कार्य प्रगति पर है। इन दोनों सड़कों का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष तक पूर्ण हो जाएगा।

(2) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्रभावी सड़क नीति के अनुसार स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा। आर. आई. डी. एफ. योजना के तहत 4 सड़कें स्वीकृत हैं जो परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष तक अपूर्ण सड़कें पूर्ण हो जाएंगी।

(4) जी नहीं।

(5) विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत राशि एवं व्यय का ब्यौरा

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	नाम निर्माण कार्य	योजना	कुल अनु. लागत	वर्ष 1999 -2000 में बजट प्रावधान	व्यय 2/2000	15 मार्च 2000 तक संभावित व्यय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	स. स. भीलवाड़ा	मंडी विकास कोष	32.59	–	29.48	–	कार्य पूर्ण
(2)	गौण मण्डी टोडाभीम परियोजना						
1.	16 दुकान मय गोदाम	मंडी विकास परि.	35.06	0.90	33.16	1.97	कार्य पूर्ण
2.	खुदरा दुकान 6	मंडी विकास परि.	3.90	0.60	3.24	0.41	कार्य पूर्ण
3.	कार्यालय भवन	मंडी विकास परि.	3.49	0.20	2.22	0.61	कार्य पूर्ण
4.	कृषक विश्राम गृह	मंडी विकास परि.	4.88	0.81	4.07	1.24	कार्य पूर्ण
5.	प्याऊ	मंडी विकास परि.	0.49	0.16	0.30	0.18	कार्य पूर्ण
6.	नीलामी चबूतरा	मंडी विकास परि.	3.83	0.05	3.69	0.14	कार्य पूर्ण
7.	पानी की खेल	मंडी विकास परि.	0.66	0.10	0.08	–	कार्य पूर्ण
8.	आंतरिक सड़क	मंडी विकास परि.	13.75	1.50	10.27	0.39	कार्य पूर्ण
9.	कियोस्क–2	मंडी विकास परि.	0.52	0.20	0.11	0.03	कार्य पूर्ण
10.	टायलेट ब्लॉक	मंडी विकास परि.	0.71	0.10	0.14	0.07	कार्य पूर्ण
11.	ट्यूब वैल	मंडी विकास परि.	9.60	7.00	2.60		
(3) 1.	सं. सं. नान्द	आर.आई.डी.एफ.	17.91	2.58	–	–	लेवल लिया जा चुका है
2.	सं. स. जैसनी	आर.आई.डी.एफ.	12.90	1.86	–	–	–
3.	सं. स. राजोली	आर.आई.डी.एफ.	13.33	1.92	–	–	मिट्टी कार्य प्रगति पर है
4.	उडदयन	आर.आई.डी.एफ.	35.01	5.04	–	–	सी.डी. कार्य प्रगति पर है

तारांकित प्रश्न संख्या–43

(स्थगित)

जिला अलवर में कृषि भूमि पर खनन पट्टे

14. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षों में जिला अलवर में ग्रेनाइट एवं चिनाई के पत्थरों की कितनी खान खातेदारी की भूमि में आवंटित की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग के अधिकारियों ने उक्त खनिज पट्टाधारी को रवन्ना दिए हैं ? यदि हां, तो किस–किस पट्टाधारी ने कितने–कितने रवन्ना का उपयोग किया है।

(3) क्या उक्त खातेदारी की भूमि में आवंटित खान का पट्टा जारी करने के बाद उसका खनिज सम्पदा के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण किया गया है ?

(4) क्या उक्त अवधि में अलवर में जो पट्टा दिया गया उनमें खनिज हैं ?

उत्तर

(1) खातेदारी भूमि में 2 खानें खनिज ग्रेनाइट तथा 4 खानें खनिज चेजा पत्थर की आवंटित की गई है। सूची प्रदर्श "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उपरोक्त पट्टाधारियों में एक चेजा पत्थर की खान के अलावा शेष में खनिज निर्गमन हेतु विभागीय रवन्ना जारी किये गये हैं। सूची प्रदर्श "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। खनिज ग्रेनाइट की दोनों खानों का निरीक्षण किया गया है। परन्तु चेजा पत्थर की खानों का निरीक्षण नहीं किया गया है।

(4) जी हां।

प्रदर्श "अ"

खातेदारी भूमि में गत पांच वर्षो में आवंटित खनिज ग्रेनाइट एवं चेजा पत्थर की खानों की सूची

क्र.सं.	पट्टाधारी	खनिज	क्षेत्र	अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्री ताराचन्द यादव	ग्रेनाइट	लिसानी (किशनगढ़बास)	3.1.98 से 20 वर्ष
2.	श्री श्रीचंद चमार	ग्रेनाइट	तरवाला (किशनगढ़बास)	7.5.99 से 20 वर्ष
3.	श्री आसीन खां	चेजा पत्थर	नीमली (तिजारा)	22.9.98 से 20 वर्ष
4.	श्री ज्ञानेन्द्र यादव	चेजा पत्थर	कूलावट (तिजारा)	23.11.98 से 20 वर्ष
5.	श्री जब्बार खां	चेजा पत्थर	बघेड़ी (किशनगढ़बास)	11.6.99 से 20 वर्ष
6.	श्री रहमत मेव	चेजा पत्थर	नीमली (तिजारा)	17.6.99 से 20 वर्ष

प्रदर्श "ब"

खातेदारी भूमि में गत पांच वर्षो में आवंटित खनिज ग्रेनाइट व चेजा पत्थर के पट्टाधारियों को जारी रवन्ना एवं उपयोग करने की सूची

क्र. सं.	पट्टाधारी	खनिज	क्षेत्र	जारी किये गये रवन्ना	उपयोग किये गये रवन्ना
1	2	3	4	5	6
1.	श्री ताराचन्द यादव	गेनाइट	लिसानी	27	8 रवन्ना 98–99 में
2.	श्री श्रीचंद चमार	ग्रेनाइट	तरवाला	5	मासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं
3.	श्री आसीन खां	चेजा पत्थर	नीमली	1120	98–99 में 45 रवन्ना
4.	श्री ज्ञानेन्द्र यादव	चेजा पत्थर	कूलावट	1200	मासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं
5.	श्री जब्बार खां	चेजा पत्थर	बघेड़ी	निल	मासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं
6.	श्री रहमत मेव	चेजा पत्थर	नीमली	20	मासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं

डोडा/जटवाड़ा (अलवर) की पेयजल योजना

45. **श्री रमेश खींची (कठूमर)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के ग्राम डोडा से जटवाड़ा एवं खेड़ली रेल मसारी के लिए पेयजल योजना स्वीकृत की हुई है ? यदि हां, तो उक्त योजना में अब तक कितना कार्य पूर्ण किया जा चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृत योजना अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) अब उक्त योजना को कब तक पूर्ण करवा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला अलवर के ग्राम टोडा से जटवाडा एवं ग्राम खेरली रेल (283) मसारी (221) तहसील कठूमर की कोई पेयजल योजना स्वीकृत नहीं हुई है। परन्तु ग्राम जटवाडा के लिए एक क्षेत्रीय जल योजना जटवाडा रींझपास के नाम से स्वीकृत है, जो निर्माणाधीन है।

टोडा से खेरली रेल की दूरी 40 कि.मी. व मसारी की दूरी 30 कि.मी. है। इसलिए इन गांवों में स्थानीय जल स्रोत द्वारा 37.95 लाख व 7.09 लाख रुपये की योजना बनाई गई है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है। वैसे इन गांवों में क्रमशः 15 व 13 हैण्डपम्प स्थापित हैं।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार।

जिला बाड़मेर व जैसलमेर का डेजर्ट नेशनल पार्क

46. **श्री अमीन खान (शिव)** : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर व जैसलमेर में एक डेजर्ट नेशनल पार्क घोषित किया गया है ? यदि हां, तो उसका क्षेत्रफल कितना है ?

(2) डेजर्ट नेशनल पार्क बनाने का मकसद क्या है ? क्या उस मकसद की पूर्ति हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि जिला बाड़मेर व जैसलमेर में राष्ट्रीय मरू उद्यान अभ्यारण्य घोषित किया हुआ है एवं इसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जिला जैसलमेर का 1962 वर्ग किलोमीटर एवं जिला बाड़मेर का 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है।

(2) राष्ट्रीय कृषि आयोग भारत सरकार की रिपोर्ट वर्ष 1976 में की गई अनुशंषा व भारतीय वन्य जीव मंडल तथा वन्य जीव संरक्षण विशेषज्ञ समिति 1977 के अभिस्ताव

(राज्य मंत्री, वन)

पर जिला जैसलमेर व बाड़मेर के 3162 वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय मरू उद्यान, अभ्यारण्य राज्य पक्षी गोडावण को संरक्षण प्रदान करने, क्षेत्र के वन्य जीवों के संवर्द्धन तथा क्षेत्र की परिस्थितिकी को यथावत रखने के मकसद से सृजित किया गया है। जहां तक योजना के मकसद की पूर्ति का प्रश्न है उसमें क्षेत्र के वन्य जीवों को प्रभावी संरक्षण प्रदान करने, जल व भोजन को प्राकृतिक रूप से उपलब्ध करवाने हेतु क्लोजर्स, टांके व गजलर बनाये गये हैं तथा सुरक्षा चौकियां निर्मित कर उपलब्ध स्टाफ तैनात किया गया है। इनके संरक्षण के प्रयासों से इस क्षेत्र में काफी मात्रा में वन्य जीवों की संख्या में अभिवृद्धि हुई है जिससे पार्क बनाने के मकसद की पूर्ति हुई है।

परिवहन अधिकारी, कार्यालय जयपुर में व्याप्त अनियमित प्रकरण

47. **श्री मदन दिलावर** (अटरू): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नवम्बर 1999 के प्रथम सप्ताह में अचानक परिवहन अधिकारी कार्यालय जयपुर पहुंचे आयुक्त ने किसी लिपिक को निलम्बित किया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त समय परिवहन आयुक्त ने परिवहन अधिकारी कार्यालय जयपुर के यहां जांच के दौरान क्या–क्या अनियमितताएं पाई थीं ?

(3) विभाग का होलोग्राम किसके पास रहता है ? क्या होलोग्राम दलालों के हाथों में पहुंचा हुआ है ? होलोग्राम दलालों के पास पहुंचने पर परिवहन कार्यालय जयपुर में कार्यरत कर्मियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) अब तक परिवहन अधिकारी जयपुर ने इस प्रकार चल रही अनियमितताओं को क्यों नहीं रोका है ? इसके क्या कारण रहे हैं ?

(5) क्या सरकार इन अनियमितताओं से आवेदनकर्ताओं को बचाने हेतु कोई उपाय करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। निरीक्षण के दौरान एक कनिष्ठ लिपिक द्वारा राजस्व आय की रसीद काटने में अनियमितता करते हुए पाये जाने पर निलम्बित कर दिया गया था।

(2) परिवहन आयुक्त ने प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर के निरीक्षण के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक के साथ दुर्व्यवहार, दलालों का कार्यालय में अनधिकृत प्रवेश, विभाग के होलोग्राम का एवं परमिट बुक को प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में मिलना आदि अनियमितताएं

(यातायात मंत्री)

पाई गई थीं।

(3) विभाग का होलोग्राम प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय से सम्बन्धित लिपिकों के पास रहते हैं। दलालों के पास नहीं। परिवहन आयुक्त के निरीक्षण के समय विभागीय होलोग्राम के निजी व्यक्ति के हाथ में मिलने पर सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया था। जवाब सन्तोषप्रद नहीं होने के कारण जिला परिवहन अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(4) ज्योंही अनियमितताओं की जानकारी मिली, कार्यवाही कर दी गई।

(5) आवेदनकर्ताओं के गुमराह होने एवं अनियमितताओं से बचाने के लिए विभाग द्वारा नागरिक अधिकार–पत्र एवं पोस्टर जारी किये गये हैं। जिनमें विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों यथा परमिट, लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र आदि के सम्बन्ध में अपनाई जा रही प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित फीस की जानकारी देने के लिए परिवहन कार्यालय पर बोर्ड भी लगवाये गये हैं।

अल्प बचत मद से सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का हस्तान्तरण

48. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टर अजमेर ने अल्प बचत योजना कोष से दिनांक 20.3.99 को 8 लाख 47 हजार रुपये की राशि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 से ग्राम नदी सराधना–1 तक सम्पर्क सड़क बनाने हेतु स्वीकृत की थी ?

(2) क्या उक्त कार्य को सम्पादित करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग ग्रामीण खण्ड अजमेर को अधिकृत किया था ? यदि हां, तो क्या इस कार्य को करवाने हेतु निविदा आमंत्रित कर ठेका भी दे दिया गया था ?

(3) क्या अल्प बचत विभाग अजमेर ने अब तक यह राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों और अब यह राशि कब तक हस्तान्तरित कर दी जाएगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम अजमेर को कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया था। नदी सराधना से ग्राम मसीनिया तक सड़क निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निविदाएं आमंत्रित कर ली गई थीं। परन्तु कार्यादेश जारी नहीं

(राज्य मंत्री, अल्प बचत)

किया गया।

(3) जिला कलेक्टर अल्प बचत, अजमेर ने कार्यालय आदेश क्रमांक 586–89 दिनांक 22.3.2000 (प्रति संलग्न) जारी कर रुपये 8,47,000/– का चैक (सं. ए 199125 दिनांक 22.3.2000) दिनांक 22.3.2000 को सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड–प्रथम, अजमेर को भिजवा दिया है।

कार्यालय जिला कलक्टर (अल्प बचत) अजमेर

क्रमांक : अ.ब./585 **दिनांक 22.3.2000**

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या 946–50 दिनांक 22.2.99 एवं संशोधित आदेश संख्या 2017–20 दिनांक 20.3.99 के द्वारा जिला प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत स्थाई निर्माण कार्य मद से ग्रामीण क्षेत्र हेतु 8,47,000/– रुपये की स्वीकृति गांव नदी सराधना प्रथम को मसीनिया गांव की ओर जाने वाली सड़क से जोड़ने हेतु जारी की गई थी।

अतः उक्त आदेशों में कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, अजमेर को राशि रुपये 8,47,000/– भेजने हेतु विकास अधिकारी पीसांगन को निर्देश दिये गये थे इसमें संशोधन करते हुए उक्त राशि अल्प बचत कार्यालय से भुगतान करने के निर्देश दिये जाते हैं एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पीसांगन को निर्देशित किया जाता है वह राशि रुपये 8.47 लाख का डिमाण्ड ड्राफ्ट अब सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड अजमेर के स्थान पर जिला कलक्टर अजमेर (अल्प बचत) के नाम 10 दिवस में भेजें।

ह0

जिला कलक्टर (अल्प बचत)

अजमेर

प्रजा सहकारी उद्योग लिमिटेड भरतपुर में हुई अनियमितताओं की जांच

49. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रजा सहकारी उद्योग भरतपुर लि., भरतपुर के एक अवसायक ने अपने कार्यकाल के दौरान कितनी धनराशि विभिन्न मदों में व्यय की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवसायक ने अपने दो पुत्रों व एक भान्जे को संस्था में नियुक्ति दी है ? क्या यह नियम विरुद्ध नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवसायक के कार्यकाल के दौरान शेयर धारकों को क्लेम फाइलों पर वकील की कानूनी राय लेने के लिए एक वकील को सौ रुपये प्रति फाइल से भुगतान किया गया है ? क्या उक्त वकील ने संस्था के कर्मचारी द्वारा अंकित फाइल में कर्मियों का एक प्रपत्र छपवाकर अपनी राय दी थी ? क्या इस विषय में कोई जांच हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त संस्था के सबसे पुराने व अनुभवी कर्मचारी को तत्कालीन अवसायक ने हटा दिया ? क्या उक्त अनुभवी कर्मचारी द्वारा शिकायत करने पर कोई कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) एक अवसायक द्वारा दिनांक 25.8.81 से दिनांक 6.2.94 तक कुल 5,05,757 रुपये की राशि व्यय की गई है। विभिन्न मदों में व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	मद	**अवसायक श्री रामेश्वर दयाल शर्मा के कार्यकाल 25.8.81 से 6.2.94 तक का व्यय (रुपये)**
1.	विधिक व्यय	2,18,229
2.	रिक्शा व्यय	8,852
3.	यात्रा व्यय	55,876
4.	स्टेशनरी	11,458
5.	प्रशासकीय भत्ता	420
6.	विज्ञापन व्यय	14,798
7.	डाक व्यय	4,143
8.	वेतन व्यय	1,43,691
9.	विविध व्यय	12,047
10.	कार्यालय किराया	15,262
11.	अवसायक भत्ता	10,981
12.	अग्रिम	10,000
		5,05,757

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां, यह नियम विरुद्ध है।

(3) जी हां। कोई जांच नहीं हुई है। अब इस सम्बन्ध में जांच कराई जाकर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(4) जी हां। प्राप्त शिकायत पर प्रकरण में अब जांच के आदेश कर दिये गये हैं तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

राज्य के पेट्रोल पम्पों की सुरक्षा

50. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2000 के मध्य तक कितने पेट्रोल पम्पों पर लूट की वारदातें हुई और कितनी राशि लूटी गई ? थानावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पुलिस द्वारा कितने मामलों में लुटेरों को पकड़ा गया तथा कितने मामलों में बरामदगी की गई ? थानावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पेट्रोल पम्पों की सुविधा/सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठायें जाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) राज्य में दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2000 के मध्य पेट्रोल पम्प लूटने की 22 घटनाएं घटित हुई, इन घटनाओं में कुल 578518 रुपये लूटे गये। थानेवार दर्ज घटनाओं का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) राज्य में 22 पेट्रोल पम्प की लूट के प्रकरण में से 11 प्रकरणों में 39 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनसे 28080 रुपये की राशि बरामद की गई, जिनकी थानावार व जिलेवार पूर्ण विवरण सूची परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(3) पुलिस मुख्यालय द्वारा पेट्रोल पम्प की लूट की घटनाओं की रोक के सम्बन्ध में समस्त पुलिस अधीक्षकों को समय–समय पर दिशा–निर्देश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक अपने स्तर पर सम्बन्धित थानाधिकारीगण को अपने–अपने क्षेत्राधिकार में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रात्रि गश्त, नाकाबन्दी एवं पेट्रोल पम्प के चारों तरफ रोशनी व्यवस्था एवं पुलिस गश्त के दौरान निगरानी, पेट्रोल पम्पों पर अधिक राशि नहीं रखने की हिदायतें, टेलीफोन की सुचारू सुविधा बनाये रखने आदि के सम्बन्धत में दिशा–निर्देश जारी कर सुरक्षा के माकूल उपायों के बारे में व्यवस्था के निर्देश दिये जाते हैं।

परिशिष्ट-''क''

राज्य में माह दिसम्बर, 2000 तक के मध्य पेट्रोल पम्पों की लूट की घटनाओं की तालिका

क्र.सं.	अभियोग सं.	दिनांक	धाराएं	थाना	जिला	घटनास्थल	लूटी गई राशि	बरामद की गई राशि	गिर. अ. की सं.	नतीजा
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	353/99	21.11.99	458, 392 भा.दं.सं.	गुलाबपुरा	भीलवाड़ा	रूपा हेली भट्टा चौराहा	31092	–	–	अनुसंधान जारी है
2.	351/99	–	394, 34 भा.दं.सं.	ब्रह्मपुरी	ज. उत्तर	कृष्णा पेट्रोल पम्प, जलमहल	280 10 लीटर पेट्रोल	280	2	चालान 24.11.99
3.	213/99	23.11.99	394 भा.दं.सं.	ट्रांसपोर्ट नगर	ज. दक्षिण	सैठी पेट्रोल पम्प, आगरा रोड	28500	–	–	एफ.आर. अदमपता 31.12.99
4.	112/99	–	392,34 भा.दं.सं.	दूदू	ज. ग्रामीण	एन.एच.डब्ल्यू. 8 तन दूदू	6500	6500	5	चालान 8.6.99
5.	248/99	11.12.99	394, 34 भा.दं.सं.	शिवदासपुरा	ज. ग्रामीण	एन.एच.डब्ल्यू. 12 तन भानपुरनाग्ल्या	100000	–	–	अनुसंधान जारी है
6.	182/99	8.11.99	457, 382, 427, 323, 395 भा.दं.सं.	जामसर	बीकानेर	चन्द्र सर्विस स्टेशन, चुंगीनाका, गंगानगर, रोड, बीकानेर	5600	5600	7	चालान 16.12.99
7.	467/99	27.10.99	392, 34, 342 भा.दं.सं.	जवाहरनगर	गंगानगर	सुखाड़िया सर्विस पेट्रोल पम्प, गंगानगर	4200	–	2	चालान 22.12.99
8.	597/98	10.12.98	395, भा.दं.सं.	बयाना	भरतपुर	झील तिराया पेट्रोल पम्प, भरतपुर	24560	12000	5	चालान 8.3.99
9.	420/99	8.10.99	392 भा.दं.सं.	सेवर	भरतपुर	एन.एच.11, पेट्रोल पम्प, ग्राम लुधावई	70000	–	–	एफ.आर. अदम पता 27.12.99
10.	60/99	2.4.99	394, 307 भा.दं.सं. 3/25 आर्म्स एक्ट	खेडली	अलवर	बृजबिंहार पेट्रोल पम्प, खेड़ली	15990	–	2	चालान 5.12.99
11.	268/99	26.9.99	392 भा.दं.सं.	शिवाजी पार्क	अलवर	पेट्रोल पम्प, मूगस्का	800	–	6	चालान 10.12.99
12.	123/99	16.7.99	395 भा.दं.सं.	बासनी	जोधपुर शहर	नसरानी पेट्रोल बासनी	12800	–	–	एफ.आर. अदमपता 8.12.99
13.	16/2000	21.1.2000	392 भा.दं.सं.	कोतवाली	सिरोही	चंदन सर्विस पेट्रोल, सिरोही	80000	–	–	अनुसंधान जारी है
14.	157/99	14.6.99	394, 34 भा.दं.सं.	कुन्हाड़ी	कोटानगर	कुन्हाड़ी पेट्रोल पम्प, कोटा	24700	400	2	2चालान 14.12.99, 2 फरार, 299चा.
15.	466/99	1.9.99	394, 34 भा.दं.सं.	विज्ञान नगर	कोटानगर	सुमंगलम पेट्रोल पम्प, कोटा	16000	–	–	एफ.आर. अदमपता 30.11.99
16.	293/99	10.9.99	394, 342 भा.दं.सं.	उद्योग नगर	कोटानगर	दास पेट्रोल पम्प, कोटा	19300	–	1	1चा 31.12.99, 173(8) अनु.जारी है

1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
17.	27/8000	10.2.2000	395 भा.दं.सं.	सदर	बूंदी	रामगंज बालाजी पेट्रोल पम्प, बूंदी	35000	–	–	अनुसंधान जारी है
18.	19/2000	–	394, 34 भा.दं.सं.	बकानी	झालावाड़	पेट्रोल पम्प बकानी, झालावाड़	11500 2 घड़िया, बिल बुक	11500	–	अनुसंधान जारी है
19.	46/2000	–	392 भा.दं.सं.	गोवर्धनविलास	उदयपुर	देवाली पेट्रोली पम्प गोवर्धन विलास	11600	–	–	अनुसंधान जारी है
20.	235/99	–	457, 382	मावली	उदयपुर	बागरोदा पेट्रोल पम्प	10749	–	–	एफ.आर. अदमपता 15.12.99
21.	705/99	1.10.99	395, 397	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	संजय पेट्रोल पम्प बांसवाड़ा	9347	2300	4	4 गिरफ्तार 4 फरार अनुसंधान जारी है
22.	226/99	18.10.99	323, 147, 149, 395	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उमा आयल कम्पनी, रावतभाटा	60000	–	3	चालान 4.1.2000
							578518	28080	39	

तहसील चूरू में सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति

51. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में मण्डी कोष में वर्ष 1999–2000 में कितनी राशि सड़क निर्माण हेतु कब से शेष है ? उक्त राशि में से कितनी राशि की सड़कें किस–किस जिले में कब–कब स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग ने दिसम्बर, 1999 में जिन ग्रामीण सड़कों को स्वीकृत किया था उन्हें बाद में बिना किसी कारण रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ने कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्मित सड़कों के निर्माण की स्वीकृति सड़क नीति से हटकर दी है ? यदि हां, तो किस–किस जिले में कितनी–कितनी ?

(4) तहसील चूरू में कृषि उपज मण्डी द्वारा किन–किन सड़कों के प्रस्ताव कब–कब राज्य सरकार को प्रेषित किये और उक्त प्रस्तावों में कितनी सड़कें कब–कब स्वीकृत की गई ?

उत्तर

(1) ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु पृथक से कोई मण्डी कोष संधारित नहीं है। राज्य की मण्डी समितियों द्वारा अपनी प्रतिवर्ष की बचत का 60 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर व्यय किये जाने का प्रावधान है।

चालू वर्ष 1999–2000 में विभिन्न मण्डी समितियों के अन्तर्गत मण्डी कोष से 260 सड़कें जिनकी अनुमानित लागत 7284.85 लाख रुपये की स्वीकृत की गई हैं, का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है।

(3) जी नहीं।

(4) विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

दवे आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही

52. **श्री भंवर लाल शर्मा** (हवामहल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए दवे आयोग का गठन किया गया था ? यदि हां, तो आयाग द्वारा दी गई रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिपोर्ट में किन–किन अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही

(श्री भंवरलाल शर्मा)

करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा दवे आयोग का गठन किया गया था। दवे आयोग की रिपोर्ट काफी विस्तृत तथा 9 खण्डों में होने के कारण 2 फोटो कापियां ही संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(2) दवे आयोग द्वारा की गई जांच के आधार पर प्राधिकरण के श्री मदनलाल वर्मा वरिष्ठ मानचित्रक को दोषी पाये जाने के कारण उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने वाले अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है।

(3) दवे जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण के वरिष्ठ मानचित्रक श्री मदनलाल वर्मा को निलम्बित कर दिया गया है तथा दवे जांच आयोग द्वारा अन्य प्रकरण में की गई जांच में दोषी पाये जाने वाले कर्मचारी/अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

(उक्त प्रश्न की सूची विस्तृत होने के कारण प्रश्न-शाखा में सुरक्षित रखी गई है)

विधान सभा क्षेत्र लाडनूं की स्वीकृत अपूर्ण पेयजल योजना

53. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लाडनूं जिला नागौर की कई योजनाएं विभाग के पास स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन सी और कब–कब से और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ योजनाएं, स्वीकृत हैं और उनका कार्य सम्पादन होना है ? यदि हां, तो कौन–कौनसी और कितनी–कितनी राशि की तथा कब–कब चालू हुई और कब तक पूर्ण होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में लाडनूं विधान सभा क्षेत्र की कोई योजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। स्वीकृत योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-क

लाडनूं विधान सभा क्षेत्र की अपूर्ण पेयजल योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक	स्वीकृत राशि (लाखों में)	चालू होने की दिनांक	योजना पूरी होने की दिनांक	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1.	शहरी जल प्र0 योजना लाडनूं	131 पीपीएल 7.10.99	257.74	1.1.2001	31.3.2002	नलकूप खोदने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अन्य कार्य की निविदाएं आमंत्रित कर ली गई है।
2.	ग्रामीण ज.प्र.यो.रताऊ	366 एफ.सी. 1.11.99	42.00	8.3.2000	8.3.2001	योजना की तकनीकी स्वीकृति जारी हो चुकी है। कार्यों की निविदाएं आमंत्रित कर ली गई है।
3.	ग्रामीण ज.प्र.यो. आसोटापदमपुरा	6/24.3.99	6.85	1.6.99	1.6.2000	पाइपों के क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं। पाइप प्राप्त होने पर योजना पूर्ण कर ली जायेगी।
4.	ग्रामीण ज.प्र.यो. भिण्डासरी	7/24.3.99	3.88	1.6.99	1.6.2000	नलकूप खोद दिया गया विद्युत सम्बन्ध प्राप्त होने पर नलकूप चालू कर दिया जावेगा।
5.	ग्रामीण ज.प्र.यो. डाबड़ी मालियों पुरोहितों की ढाणी	9/24.3.99	6.41	1.7.99	1.7.2000	पाइपों के क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं। पाइप प्राप्त होने पर योजना पूर्ण कर ली जायेगी।
6.	ग्रामीण ज.प्र.यो. इन्द्रपुरा जैसलान	10/24.3.99	7.97	1.7.99	1.7.2000	पाइपों के क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं। पाईप प्राप्त होने पर योजना पूर्ण कर ली जायेगी।
7.	ग्रामीण ज.प्र.यो. मालगांव	12/24.3.99	7.96	1.7.99	1.7.2000	नलकूप खोद दिया गया है। पाइपों के क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं। विद्युत संबंध तथा पाइप प्राप्त होने पर योजना पूर्ण कर ली जावेगी।
8.	ग्रामीण ज.प्र.यो. सांवराद	14/24.3.99	8.00	1.7.99	30.4.2000	नलकूप खोद दिया गया है। पाइपों के क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं। विद्युत संबंध तथा पाइप प्राप्त होने पर योजना पूर्ण कर ली जावेगी।
9.	ग्रामीण ज.प्र.यो. दुजार	15/24.3.99	5.51	1.7.99	30.4.2000	नलकूप खोद दिया गया है। पाइपों के क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं। विद्युत संबंध तथा पाइप प्राप्त होने पर योजना पूर्ण कर ली जावेगी।
10.	ग्रामीण ज.प्र.यो. पाडोलाई की ढाणी (निम्बीजोधा)	16/24.3.99	5.63	1.7.99	1.7.2000	नलकूप खोद दिया गया है। पाइपों के क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं। विद्युत संबंध तथा पाइप प्राप्त होने पर योजना पूर्ण कर ली जावेगी।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
11.	ग्रामीण ज.प्र.यो. भरनावां सांडास	17/24.3.99	5.73	1.7.99	1.7.2000	नलकूप खोद दिया गया है। पाइपों के क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं। विद्युत संबंध तथा पाइप प्राप्त होने पर योजना पूर्ण कर ली जावेगी।
12.	ग्रामीण ज.प्र.यो. बाकलिया बालसमंद	18/24.3.99	7.95	1.7.99	1.7.2000	नलकूप खोद दिया गया है। पाइपों के क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं। विद्युत संबंध तथा पाइप प्राप्त होने पर योजना पूर्ण कर ली जावेगी।
13.	ग्रामीण ज.प्र.यो. गैनाणा	19/24.3.99	4.58	1.7.99	1.7.2000	नलकूप खोद दिया गया है। पाइपों के क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं। विद्युत संबंध तथा पाइप प्राप्त होने पर योजना पूर्ण कर ली जावेगी।
14.	ग्रामीण ज.प्र.यो. बिठुड़ा	273/8.7.99	1.07	1.7.99	1.7.2000	कुएं में बोरिंग करने के आदेश दे दिये गये हैं।
15.	ग्रामीण ज.प्र.यो. दौलतपुरा पाठन	363 एफ.सी. 20.9.99	5.40	1.12.99	30.4.2000	नलकूप खोदे जा रहे हैं। स्रोत सफल होने के पश्चात् शेष योजना की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
16.	ग्रामीण ज.प्र.यो. छिडोदा खारा	211/17.6.99	1.97	1.8.99	30.4.2000	छिडोदा खारे के कुएं में बोरिंग कर दी गई है। छिडोदा मीठके के कुएं में बोरिंग करने के आदेश दे दिये गये हैं।

राज्य में नील गायों से हो रहे नुकसान की रोक हेतु तारबन्दी में अनुदान

54. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में नील गाय (रोजड़ों) की अनुमानित संख्या कितनी है ? प्रत्येक जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नील गायों के आतंक से पूरे राज्य के किसान पीड़ित हैं ? यदि हां, तो फसल को बचाने के लिए सरकार ने अब तक क्या–क्या उपाय किये हैं ?

(3) क्या सरकार ने किसानों को बन्दूक के लाइसेंस देने की इस विषयक छूट दे रखी है ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने किसानों को तारबंदी करके अपने खेतों की सुरक्षा करने हेतु सब्सिडी देकर सहायता करना चाहती है ? यदि हां, तो कब से उक्त सुविधा प्रदान की जाएगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1996 से 1999 के मध्य करवाये गये आंकलन के आधार पर राज्य में रोजड़ों की अनुमानित संख्या 2,31,729 आंकी गई है। संख्या की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही है कि अभ्यारण्यों एवं वन क्षेत्रों के बाहर रोजड़ों (नील गाय) की संख्या में भारी वृद्धि हुई है एवं किसानों के खेतों में इनके द्वारा फसलों को भारी नुकसान किया जाता रहा है। नील गाय (रोजड़ा) वर्तमान में अनुसूची–III का प्राणी है। इसे अनुसूची–V में स्थानान्तरित करने हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा अपने पत्रांक 2385 दिनांक 4.1.92 एवं पत्रांक दिनांक 29.2.92 से केन्द्रीय वन मंत्री जी को लिखा गया। दिनांक 20–21.2.92 तथा इसके पश्चात्वर्ती दिल्ली में आयोजित वन मंत्रियों की बैठक के दौरान वन मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा रोजड़े को अनुसूची III से अनुसूची V में स्थानान्तरित करने हेतु विशेष निवेदन किया गया। दिनांक 3.6.98 को माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान की अध्यक्षता में जयपुर में आयोजित बैठक में भी केन्द्रीय वन मंत्री को रोजड़ों द्वारा फसल को होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में अवगत कराया एवं इसे अनुसूची–III से अनुसूची–V में स्थानान्तरित करने हेतु निवेदन किया गया। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राज. जयपुर द्वारा भी रोजड़े को अनुसूची–III से अनुसूची–V में स्थानान्तरित करने हेतु अपने पत्रांक 2881 दिनांक 31.3.92, 622 दिनांक 13.1.99, 415 दिनांक 13.1.99, 4885 दिनांक 3.4.99 एवं 12568 दिनांक 6.9.99 द्वारा भारत सरकार को निवेदन किया। भारत सरकार द्वारा निवेदनानुसार V शिड्यूल में स्थानान्तरण नहीं किये जाने

(राज्य मंत्री, वन)

पर समस्या की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमशः संख्या प. 11 (27) वन/91 दिनांक 30.4.97 द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (बी) के अन्तर्गत ऐसी नील गाय (रोजड़ा) जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुंचाती है, को मारने की अनुमति देने के लिए राज्य के 26 जिलों के क्षेत्रीय वन अधिकारी (रेन्जर) तक को प्राधिकृत किया गया है। प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से उपयुक्त स्तर के राजस्व अधिकारियों को भी अधिकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए वर्तमान में सरकार द्वारा ऐसी किसी प्रकार की सहायता किसानों को दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

BLUE BULLS

ESTIMATED NUMBER OF ROJHRA (BLUE BULL)

S.N.	DISTRICT	TOTAL
1.	Ajmer	1300
2.	Alwar	17232
3.	Banswara	0
4.	Baran	1182
5.	Barmer	17513
6.	Bharatpur	1820
7.	Bhilwara	3470
8.	Bikaner	7394
9.	Bundi	677
10.	Chittorgarh	193
11.	Churu	34807
12.	Dausa	1459
13.	Dholpur	786
14.	Dungarpur	0
15.	Hanumangarh	5176
16.	Jaipur	16662
17.	Jaisalmer	57
18.	Jalore	-
19.	Jhalawar	61

S.N.	DISTRICT	TOTAL
20.	Jhunjhunu	6976
21.	Jodhpur	9000
22.	Karauli	750
23.	Kota	584
24.	Nagaur	10479
25.	Pali	68472
26.	Rajsamand	1140
27.	Sawaimadhopur	5342
28.	Sikar	1650
29.	Sirohi	14038
30.	Sri Ganganagar	-
31.	Tonk	570
32.	Udipur	2939
	TOTAL	231729

NOTE :

1. Above figures are for 1996-99 period and the number of the animals is estimated to be more than 3.00 lakhs now.
2. Informations from 13 Collectors for Revenue areas and 4 DCFs for Forest areas has not been received so far.

डूंगरपुर आगार में लम्बित पेंशन प्रकरण

55. **श्री शंकर लाल अहारी** (चौरासी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) डूंगरपुर आगार में दिनांक 31 अगस्त, 1997 के बाद परिचालकों के कितने पेंशन प्रकरण क्यो लम्बित हैं ?

(2) अब सरकार इन्हें कब तक भुगतान कराने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर आगार में दिनांक 31.8.97 के पश्चात् 6 परिचालकों/पत्रक वितरकों के पेंशन प्रकरण ओवर ऐज (नियुक्ति के समय आयु अधिक होने के कारण), न्यायिक वाद, अनुपस्थिति एवं मृत्यु पश्चात् दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण लम्बित हैं।

(2) प्रकरणों का निष्पादन प्रक्रियाधीन है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति बूसी के व्यवस्थापक के विरुद्ध कार्यवाही

56. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पाली सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. में श्री पूनम सिंह राजपुरोहित बूसी व्यवस्थापक पद पर कार्यरत था और उसकी गबन व फर्जी कागजात बनाने के अपराध में सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्थापक की नियुक्ति कब हुई व सेवाएं समाप्त कब की गईं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यवस्थापक ने घाणेराव, देसूरी व डेण्डा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी गबन किया था और गबन की अलग–अलग राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा 117 के तहत डिक्रियां जारी हो चुकी हैं ? यदि हां, तो किस–किस न्यायालय से कब–कब, किस तारीख को डिक्री हुई थी और आज तक वसूली की कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरपंच बूसी एवं भूतपूर्व अध्यक्ष पाली, सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक ने प्रशासक एवं प्रबन्ध संचालक तथा रजिस्ट्रार, सहकारिता मंत्रीजी को पत्र लिखकर शीघ्र वसूली की कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया था ? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि नीलामी की कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो किस कानून के तहत नीलामी रोकी गई है और डिक्रीदार से क्या लिखित में लिया है ? क्या नीलामी बैंक के अधिकारी व कर्मचारियों की मिलीभगत से रोकी है ?

(श्री आत्माराम मेघवाल)

यदि हां, तो ऐसा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

(5) क्या यह सही है कि बिना किसी कारण के नीलामी की कार्यवाही रोकी गई और अवैधानिक तरीके से बैंक द्वारा डिक्री की नकलें बैंक कर्मचारी ने दी है ? क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रशासक व प्रबन्ध संचालक ने की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री पूनम सिंह की सेवाएं मुख्यावास से अनुपस्थिति के कारण समाप्त की गई। नियुक्ति आदेश दिनांक 1.6.85 परिशिष्ट "अ" तथा सेवा समाप्ति आदेश दिनांक 30.3.92 परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। डिक्रियां राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 118 के अन्तर्गत जारी की जाती हैं। जारी डिक्रियों की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। वसूली की कार्यवाही की गई है। किन्तु कुर्कशुदा भूमि की नीलामी में बोलीदाताओं द्वारा बोली नहीं लगाये जाने के कारण वसूली नहीं हुई। वर्तमान में न्यायालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर द्वारा भूमि नीलामी पर दिनांक 23.3.2000 तक रोक लगाई गई है।

(3) जी हां। सरपंच बूसी एवं पूर्व अध्यक्ष से पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक को शिकायत प्राप्त होने पर श्री पूनमसिंह से वसूली की कार्यवाही में उसके हिस्से की भूमि कुर्क की गई।

(4) जी हां। न्यायालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 128 के अन्तर्गत विचाराधीन निगरानी की सुनवाई के दौरान भूमि नीलामी पर रोक लगाई गई है। क्योंकि रोक न्यायालय के निर्णय के द्वारा लगी है इसलिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

(5) जी नहीं।

परिशिष्ट "अं"

दी पाली सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., पाली-मारवाड़ (राज.)

क्रमांक : पीसीसीबी/केप्र/84–85/385.3–8		दिनांक : 1 जून, 1985

श्री पूनम सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह
बूसी ग्राम सेवा स. स. लि.,
ग्राम पोस्ट बूसी पं. स. रानी

राजस्थान को–आपरेटिव क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन केडर आथोरिटी लि0 की ओर से कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति के व्यवस्थापक पद पर वेतन शृंखला 470–10–550–15–640–20–720 में अस्थाई रूप से दो वर्ष के परिवीक्षा काल के लिए घाणेराव ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. में नियुक्ति की जाती है एवं इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता 71/– रुपये देय होगा। प्रारम्भ में कुल वेतन 541/– रुपये देय होगा। यह नियुक्ति कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के चयन नियुक्ति एवं सेवा नियम, 1977 के अन्तर्गत की गयी है तथा भविष्य में जो भी संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन इन सेवा नियमों के अन्तर्गत होंगे वे सभी आपको मान्य होंगे। नियुक्ति सम्बन्धी अन्य शर्ते निम्न होंगी :–

(1) उपस्थिति की दिनांक से आपको सेवारत माना जाएगा एवं इस उपस्थिति के लिए आपको किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(2) समिति हित में आपको स्थानान्तरण जिले की किसी भी समिति में किया जा सकेगा।

(3) आप सम्पूर्ण समय में निष्ठापूर्वक कर्तव्यरत रहते हुए योग्यता के साथ समिति की सेवाओं में संलग्न रहेंगे एवं सद्व्यवहार सहित बैंक एवं समिति पदाधिकारियों की आज्ञाओं व आदेशों की उचित रीति से पालना करते रहेंगे।

(4) परीविक्षाकाल में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस आपकी सेवाएं सचिव केडर आथोरिटी द्वारा समाप्त की जा सकेंगी अथवा परिवीक्षाकाल की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेंगी।

(5) आपकी लगातार तीन वर्षो तक आवंटित निर्धारित लक्ष्यों की कार्य प्रगति 80 प्रतिशत से कम रहने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति नियमानुसार बिना नोटिस आपकी

सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(6) प्रत्येक व्यवस्थापक को रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत सहकारी प्रशिक्षणालय में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(7) प्रशिक्षण में जाने से पूर्व एक बाण्ड केडर आथोरिटी के पक्ष में भरना होगा। बाण्ड में निर्धारित अवधि के पूर्व यदि सेवा से अलग होना चाहेंगे तो प्रशिक्षणकाल का पूरा खर्च एवं वेतन यदि कोई दिया गया है तो केडर आथोरिटी को लौटाना होगा।

(8) समिति सेवाओं से पृथक होने के लिए आप द्वारा बैंक को एक माह पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर आपको क्षतिपूर्ति नियमानुसार देनी होंगी।

(9) व्यवस्थापक के पद पर नियुक्ति के समय अथवा नियुक्ति के पश्चात् किसी भी राजनैतिक दल से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध नहीं रख सकेंगे। साथ ही पद से त्याग पत्र दिये बिना किसी भी प्रकार के जन प्रतिनिधि के पद हेतु चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे।

(10) जिस समिति में आपको लगाया गया है उस समिति के सहकारी वर्ष 1984–85 ऋण वितरण व वसूली के लक्ष्य आवश्यक रूप से 30.6.85 के पूर्व प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

आदेशों की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उपस्थिति नहीं दिये जाने पर नियुक्ति आदेश रद्द समझा जाएगा।

ह0

प्रबन्ध संचालक

दी पाली सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लि.,

पाली (राज.)

परिशिष्ट "ब"

The Pali Central Co-operative Bank Ltd;

Head Office : PALI-MARWAR 306401

No. PCCB/केप्र/जांच/91–92/ Dated : पाली, 30.3.92

कार्यालय-आदेश

श्री पूनम सिंह, पुत्र श्री प्रताप सिंह, पूर्व समिति व्यवस्थापक डेण्डा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., हाल मुख्यावास प्रधान कार्यालय, पाली जो बिना किसी सूचना एवं बिना अवकाश प्रार्थना पत्र के दिनांक 1.10.90 से निरन्तर अपने मुख्यावास से अनुपस्थित चल रहे हैं, फलस्वरूप प्रधान कार्यालय के आदेश क्रमांक–5389–96 दिनांक 11.5.91 को निलम्बित किया गया। श्री पूनमसिंह के अनुपस्थित रहने के संदर्भ में कार्यालय पत्रांक–केप्र/जांच/का.70/दिनांक 21.5.91 के क्षरा उपस्थिति देने हेतु दैनिक राजस्थान पत्रिका में विज्ञप्ति जारी की गई कि श्री पूनम सिंह अपने मुख्यावास प्रधान कार्यालय, पाली पर 15 दिवस के भीतर–भीतर उपस्थिति देवें जो विज्ञप्ति दिनांक 24 जून, 1991 के अंक में प्रकाशित हुई, श्री पूनम सिंह द्वारा निश्चित समयावधि पूर्ण हो जाने पर भी न तो अपनी उपस्थिति मुख्यावास पर दी गई है और न ही अन्य कोई सूचना प्रस्तुत की है। अतः पूनमसिंह की आज दिनांक 30.3.92 को कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के व्यवस्थापकीय चयन, नियुक्ति सेवा नियम, 1991 की सं. 17 (1) (ग) के तहत सेवाओं से बर्खास्त किया जाता है।

ह0

अधिशासी अधिकारी

परिशिष्ट "स"

श्री पूनम सिंह राजपुरोहित के विरुद्ध जारी डिग्रियों का विवरण

क्र., सं.	नाम समिति	डिग्री जारी तिथि	डिग्री जारी करने वाला न्यायालय	डिग्री राशि
1.	डेण्डा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	25.7.95	न्यायालय अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी	70386.17
2.	घाणेराव ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	25.7.95	न्यायालय अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी	28800.00
3.	डेण्डा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	10.1.94	न्यायालय प्रबन्ध निदेशक, दी पाली सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लि.	4019.00
4.	देसूरी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	12.10.93	न्यायालय प्रबन्ध निदेशक, दी पाली सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लि.	8000.00

उप खण्ड बांदीकुई में दर्ज आपराधिक प्रकरण

57. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उप खण्ड बांदीकुई के थानों में वर्ष 1999 से फरवरी, 2000 तक कुल कितने मुकदमें दर्ज किये गये हैं ? अलग–अलग मुकदमों के आंकड़ों सहित सूची सदन की मेज पर रखें॥

(2) क्या उक्त उप खण्ड के कई स्थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई है ? यदि हां, तो किस–किस मुकदमें में ? सूची सदन की मेज पर रखें॥

(3) क्या यह सही है कि उप खण्ड बांदीकुई के थानों में उक्त अवधि में चोरी, डकैती, लूट व हत्याओं के अपराध अधिक हो रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त घटनाएं कहां–कहां व किन–किन के साथ घटित हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप खण्ड बांदीकुई के क्षेत्राधिकार में थाना बांदीकुई, कोलवा, मानपुर, सलेमपुर मंडावरा एवं महुआ का क्षेत्र आता है। उपरोक्त में वर्ष 1999 से 29 फरवरी, 2000 तक कुल 2461 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं। दर्ज अभियोगों के शीर्षकवाइज आंकड़े परिशिष्ट "अ" में संलग्न है॥

(2) उप खण्ड बांदीकुई के थानों में दर्ज मुकदमों में से कुल 808 अभियोगों में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई है। अभियोगों के शीर्षकवार एवं थानेवार आंकड़े परिशिष्ट "ब" एवं "ब–1" में संलग्न है॥

(3) उप खण्ड बांदीकुई के थानों में वर्ष 1997, 1998 की तुलना में वर्ष 1999 में हत्या व चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है एवं डकैती की घटनाओं में कमी हुई है॥ तथा लूट की घटनाओं में वर्ष 1997 की तुलना में कमी हुई है तथा वर्ष 1998 की तुलना में कोई वृद्धि नहीं हुई है॥ वर्ष 1997, 1998 व 1999 के तुलनात्मक आंकड़े शीर्षकवार परिशिष्ट "स" में संलग्न है॥ घटित घटनाओं के सम्बन्ध में थानेवार एवं अभियोगवार सूचना परिशिष्ट "द" में संलग्न है।

(4) ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा जगह–जगह नाकाबन्दी की जाती है। रात–दिन इलाके में माकूल गश्त एवं बदमाशों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। टास्क पार्टी गठित कर अपराधियों को गिरफ्तार किये जाने के भरसक प्रयास किये जाते हैं। हाईवे पार्टियों द्वारा भी दिन रात गश्त कर बदमाशों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

(विवरण/सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बिलाड़ा (जोधपुर) में कपास के बीज क्रय में अनियमितता

58. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बिलाड़ा जिला जोधपुर में राज्य बीज निगम व राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा वर्ष 1998–99 में बीज उत्पादन के लिए कितने किसानों का पंजीयन किया गया व उनसे नियमानुसार कितनी फीस ली गई ? मय रसीद संख्या तथा किसानों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने किसानों ने बिलाड़ा में कपास का फाउंडेशन बीज क्रय किया और अपने खेत पर बुआई की है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बीज निरीक्षकों द्वारा पंजीकृत किसानों के खेत पर जाकर नियमानुसार बीज उत्पादन का निरीक्षण किया गया है ? यदि हां, तो किन–किन दिनांक को किन–किन किसानों के यहां निरीक्षण किया गया ? निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि बीज नियमों द्वारा 20717 क्विंटल कपास किसानों से क्रय किया गया है ? यदि हां, तो किन–किन पंजीकृत किसानों से कितना–कितना कपास क्रय किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या भारतीय किसान संघ बिलाड़ा द्वारा बीज घोटाले के बारे में जनवरी, 1999 में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? क्या उक्त प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के द्वारा की गई है ? यदि हां, तो जांच के पश्चात् किन–किन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या–क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1998–99 में बिलाड़ा क्षेत्र में कपास बीज उत्पादन हेतु राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा 81 कृषकों का पंजीकरण किया गया व उनसे कुल राशि 1,28,200 रुपये प्राप्त किये। इसमें पंजीकरण प्रत्येक किसान से 75/– रुपये प्रति किसान व निरीक्षण शुल्क 65/– रुपये प्रति एकड़ क्षेत्रफल के अनुसार ली गई जिसका विवरण संलग्नक "क" पर दिया गया है तथा राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा 35 किसानों का पंजीयन कर उनसे 60,105/– रुपये प्राप्त किये गये जिसमें 75/– रुपये प्रति कृषक पंजीयन शुल्क व 65/– रुपये प्रति एकड़ क्षेत्रफल के अनुसार लिया गया, जिसका विवरण संलग्नक "ख" पर है।

(2) राजस्थान राज्य बीज निगम से 31 कृषकों ने 48.20 क्विंटल फाउन्डेशन बीज व राष्ट्रीय बीज निगम से 35 कृषकों ने 30.90 क्विंटल फाउन्डेशन बीज क्रय किया। इनमें से सभी ने अपने खेतों पर बुवाई की। नामवार-सूची संलग्नक "क" एवं "ख" में दी गई है।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(3) हां। बीज प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षकों ने बीज उत्पादन क्षेत्रों का समय–समय पर निरीक्षण किया, जिसकी विस्तृत सूची संलग्नक "ग" पर अंकित है।

(4) राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा 11,844.05 क्विंटल बीकानेरी नरमा व 1930.80 क्विंटल आर. एस. टी. 9 बीज कपास बीज प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षण के बाद नियमानुसार कुल 13,744.85 क्विंटल क्रय किया गया जिसमें आधार बीज भी सम्मिलित है। जबकि राष्ट्रीय बीज निगम ने 6,405.56 क्विंटल क्रय किया। नामवार सूची संलग्नक "क" एवं "ख" पर दिया गया है।

(5) हां। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा प्रथम रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसका अन्वेषण चल रहा है।

(विवरण/सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपालिकाओं के वार्डो का पुनर्सीमन

59. **श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य की कई नगरपालिकाओं का कार्यकाल अगस्त या सितम्बर, 2000 में समाप्त होने जा रहा है ?

(2) क्या उक्त चुनावों के मद्दे नजर रखते हुए स्वायत्त शासन मंत्री ने विधायकों को वर्तमान वार्डो के पुनर्सीमन किये जाने के प्रस्ताव भेजे जाने हेतु एक पत्र लिखा है ?

(3) यदि हां, तो किन–किन विधायकों से प्रस्ताव मांगे गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) राजस्थान विधान सभा के सभी विधायकों को पुनर्सीमन किये जाने के प्रस्ताव भेजने के लिए पत्र लिखे गये थे।

पंचायत समिति क्षेत्र जवाजा (अजमेर) में शुद्ध पेयजल आपूर्ति

60. **डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायत समिति क्षेत्र जवाजा (अजमेर) में पीने का पानी मानव स्वास्थ्य के लिए सही है ?

(2) क्या उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में पीने के पानी की समय–समय पर रासायनिक जांच कराई जाती है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम आये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में पीने का पानी फ्लोराइडयुक्त

(डा. के. सी. चौधरी)

या खारा (सेलाइन) सप्लाई किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस विषयक जन शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र को फ्लोराइड व खारे पानी से मुक्त पानी सप्लाई करने के लिए कोई प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति जवाजा के 39 गांवों के अलावा शेष गांवों का पानी मानव स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है। 39 ग्रामों का पानी स्वीकृत प्रचलित मापदण्ड के अनुसार नहीं है।

(2) जी हां। जांच के परिणामों के अनुसार 39 गांवों के पानी में फ्लोराइड की मात्र प्रचलित मापदण्ड से अधिक है। विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–1)

(3) पंचायत समिति के 39 गांवों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मापदण्ड से ज्यादा है। शेष सभी में स्वीकृत प्रचलित मापदण्ड के अनुरूप है। इस विषयक कोई असामान्य जन शिकायतें रिकार्ड अनुसार प्राप्त नहीं हुई हैं।

(4) पर्याप्त गुणवत्ता एवं जल उत्पादन क्षमता के जल स्रोत उपलब्ध होने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट-1

केमिकल जांच रिपोर्ट

क्र. सं.	ग्रामीण जल योजना	स्रोत	केमिकल जांच रिपोर्ट			
			क्लोराइड	फ्लोराइड	टीडीएस	नाइट्रेट
1.	टाटगढ़ पाइप्ड	ट्यूबवैल	130	1.4	860	84
2.	जवाजा पाइप्ड	खुला कुआं–1	280	1.5	1392	80
		खुला कुआं–2	270	1.8	1392	60
3.	काबरा पाइप्ड	ट्यूबवैल–2	130	1.4	860	84
		ट्यूबवैल–1	80	1.5	491	25
4.	राजीयावास	खुला कुआं–1	730	0.5	2189	125
	पी एण्ड टी	ट्यूबवैल–2	320	0.2	2703	5
		खुला कुआं–2	1510	0.7	3709	70
5.	ब्यावर खास	खुला कुआं–1	80	0.5	504	10
	पी एण्ड टी	खुला कुआं–2	90	0.6	541	10
6.	रूपनगर पी एण्ड टी	ट्यूबवैल	270	0.5	730	35
		खुला कुआं	50	1.5	368	40
7.	नून्दरी मेन्द्रीतार					
	पी एण्ड टी	ट्यूबवैल	260	4.61	942	22
8.	देलवाड़ा जे. जे. वाई.	खुला कुआं	110	1.1	573	20
9.	खेडा कला पनघट	खुला कुआं	200	1.9	942	10

परिशिष्ट-1

पंचायत समिति जवाजा के निम्न गांवों में हैण्डपम्पों के जल में फ्लोराइड की मात्रा 3 पी.पी.एम. से अधिक पाई गई है

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड सं.	आबादी 1991	वर्तमान	फ्लोराइड
1	2	3	4	5	6
1.	फतहगढ़ सल्ला	3	0946	1117	3.3
2.	जोहरखेड़ा	5	511	603	3.9
3.	सरगांव	14	1211	1429	4.6
4.	भवानीखेड़ा	15	7	9	4.6
5.	फतहपुरा	40	21	25	3.2
6.	सरमालिया	30	1045	1234	3.2
7.	डूंगरखेड़ा	37	141	167	4.9
8.	नून्दरी मैन्द्रीतान	38	2543	3001	4.8
9.	रतनपुरा सरदारा	39	935	1104	4.4
10.	रामसर बलाइधान	42	260	307	4.0
11.	बाडिया श्याना	43	403	476	5.8
12.	बनेवड़ी	44	222	262	6.05
13.	जालिया प्रथम	45	1147	1354	6.15
14.	बाडिया जग्गा	46	350	413	4.35
15.	शिवनाथपुरा	49	610	720	4.20
16.	खेजड़ला	51	233	275	6.5
17.	मालीपुरा	52	360	425	3.65
18.	रामावास	54	1329	1569	3.9
19.	खारिया खेड़ा	56	395	467	5.4
20.	लालपुरा धनाद	64	368	435	5.3

1	2	3	4	5	6
21.	ठाकरावास	69	72	85	6.9
22.	बाडिया लूम्बा	71	227	268	4.2
23.	बाडिया तेजा	75	53	63	4.8
24.	गजीपुरा	79	68	81	4.8
25.	किशनपुरा	80	569	672	5.5
26.	अमरपुरा	81	285	337	3.3
27.	खेडादंड	82	342	404	3.5
28.	नाहरपुरा	85	397	469	7.1
29.	रोहिडाखेड़ा	88	577	681	4.8
30.	धोलादांता	57	727	858	6.7
31.	जालिया द्वितीय वासरूप	106	403	476	3.2
32.	भैंसापा	67	289	341	3.27
33.	भाम्भीपुरा	164	184	217	6.0
34.	जालिया द्वितीयवास दुर्गा	111	241	285	3.5
35.	लसानी द्वितीय	113	339	401	4.0
36.	नथाखेड़ा	114	608	718	4.5
37.	दादोला	115	1708	2016	5.2
38.	खडिया खेड़ा	56	395	467	3.3
39.	दुर्गावास	55	932	1100	3.55

प्रजा सहकारी उद्योग लि. भरतपुर के शेयर होल्डरों को भुगतान

61. **श्री निर्भय लाल (रूपवास)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रजा सहकारी उद्योग भरतपुर लि. भरतपुर में शेयर होल्डर्स की कितनी राशि उक्त संस्था के पास जमा है ?

(2) क्या उक्त उद्योग अपने शेयर होल्डर्स को उनकी राशि ब्याज सहित लौटाने को तैयार है ? यदि हां, तो 6 वर्ष पूर्व शेयर होल्डर्स के चैक तैयार होने के उपरान्त भी शेयर होल्डर्स को क्यों नहीं भेजा गया ?

(3) उक्त उद्योग के प्रशासक/अवसायक के कार्यकाल के दौरान हुए अब तक के समस्त खर्चों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में उक्त संस्था का कार्य किस स्थिति में है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संस्था के पास शेयर होल्डर्स की हिस्सा राशि 13 लाख 79 हजार जमा है।

(2) जी नहीं। पूर्व में न्यायालय एडीशनल मुंसिफ एण्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट नं. एक भरतपुर द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 1.8.79 के कारण हिस्सा राशि का भुगतान नहीं किया गया।

(3) उपलब्ध अभिलेख के आधार पर वर्ष 79–80 से अब तक हुए खर्चों की सूचना संलग्न प्रस्तुत है, जिसके अनुसार मदवार व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	मद	प्रशासक के कार्यकाल का व्यय 79–80 से 80–81 (रुपये)	अवसायक श्री रामेश्वर दयाल शर्मा के कार्य–काल 25.8.81 से 6.2.94 तक का व्यय (रुपये)	अवसायक संयुक्त रजिस्ट्रार, भरतपुर के कार्यकाल 7.2.94 से फरवरी, 2000 तक का व्यय (रुपये)
1	2	3	4	5
1.	विधिक व्यय	16,900	2.18.229	1.40.388
2.	रिक्शा व्यय	3,139	8,852	–
3.	यात्रा व्यय	12,826	55,876	18,535
4.	स्टेशनरी	139	11,458	945
5.	प्रशासकीय भत्ता	3,090	420	–
6.	विज्ञापन व्यय	2,214	14,798	39,500

1	2	3	4	5
7.	डाक व्यय	148	4,143	462
8.	वेतन व्यय	100	1,43,691	36,323
9.	विविध व्यय	–	12,047	1,516
10.	कार्यालय किराया	–	15,262	–
11.	अवसायक भत्ता	–	10,981	–
12.	अग्रिम	–	10,000	–
	योग	30,556	5,05,757	2,37,911

(4) अवसायन रिपोर्ट पूर्ण करने हेतु क्लेम्स की विज्ञप्ति दिनांक 29.2.2000 को टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित हुई है। समस्त क्लेम प्राप्त होने के बाद लेनदारियों एवं देनदारियों का निस्तारण अधिनियम के अनुसार किया जाकर समापन की कार्यवाही की जाएगी।

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-47 का विवरण)

गुलाब बाड़ी के मैगजीन स्कूल के मैदान व परकोटे पर किये गये अतिक्रमियों की सूची मय विवरण

क्र. सं.	नाम एवं पता	अतिक्रमित मकान का आकार एवं प्रकार (फीट में)	कब से रह रहा है
1	2	3	4
1.	श्री मो. नसीर/अब्दुल सत्तार	कच्चा केवेलू पोश घर 15x15	20 वर्ष से
2.	श्री भंवर लाल जी खटीक	दो कच्चे घर 20x15	20 वर्ष.
3.	श्री रामप्रताप नाथ	केवेलू पोष कच्चा घर 20x15	10 वर्ष से
4.	श्रीमती शरीफन/स्व. रमजानी	दो कच्चे घर 20x25	20 वर्ष से
5.	श्री अब्दुल सत्तार/अब्दुल समद	3 टापरी कच्ची 15x18	20 वर्ष से
6.	श्री बशीर खां	कच्चा घर केवेलू पोश 12x15	20 वर्ष से
7.	श्रीमती कमरून्निसा/बुन्दू खां	दो घर कच्चे 15x15	20 वर्ष से
8.	श्री मंगू भाई/समीर खां	एक घर कच्चा 15x12	20 वर्ष से
9.	श्रीमती जन्नत बाई	एक कमरा, एक बरामदा पक्का20x25	15 वर्ष से
10.	श्री बुन्दू खां/मिट्ठे खां	दो कमरे पक्के 20x25	20 वर्ष से
11.	श्री चांदभाई/गनी मोहम्मद	दो कमरे पक्के, एक कच्चा 30x15	20 वर्ष से
12.	श्रीमती शरीफन/श्री रमजानी	कच्चा घर एक 10x10	18 वर्ष
13.	श्री नथे खां/शकूर मोहम्मद	कच्ची टापरी 12x12	15 वर्ष
14.	श्री बशीर खां/इब्राहिम खां	एक कमरा पक्का 25x25	17 वर्ष
15.	श्री अब्दुल रहीम/अ.गनी	कच्चा घर 12x20	16 वर्ष
16.	श्री निजाम/अ.गनी	कच्चा घर 12x20	16 वर्ष
17.	श्री मुन्ना/अ. करीम	तीन कमरे पक्के 14x60	20 वर्ष
18.	श्री जमील भाई	एक कमरा पक्का बाड़ा 12x60	20 वर्ष
19.	श्री नारायण/अमर सिंह	कच्चा घर 12x20	15 वर्ष
20.	श्री अ. रशीद/कल्लू खां	कच्चा घर 15x15	20 वर्ष
21.	श्री अ. वहीद/कल्लू खां	कच्चा घर 15x15	20 वर्ष
22.	श्री कल्लू खां/मो. खां	कच्चा घर 15x15	20 वर्ष
23.	श्री अनवर हुसैन/कल्लू खां	पक्का बिना पट्टी पोश 10x10	20 वर्ष
24.	श्री महमूद खां/मो. खां	पक्का कमरा 10x10	15 वर्ष

1	2	3	4
25.	श्री गनी भाई	पक्का कमरा एवं टापरी 20x40	10 वर्ष
26.	श्री शाकिर अली/मजहर अली	कच्चा मकान 10x25	15 वर्ष
27.	श्री मेहमूद अली/अहमद अली	दो कमरे पक्के 20x40	20 वर्ष
28.	श्री अब्दुल शकूर/अ. गनी	कच्चा घर 12x20	20 वर्ष
29.	श्री रमजानी/ख्वाजू खां	एक कमरा पक्का 8x12	15 वर्ष
30.	श्री रामजानी/ख्वाजू खां	दो कमरे पक्के 10x20	15 वर्ष
31.	श्रीमती रईसा/मो. इस्माइल	एक घर कच्चा 20x15	15 वर्ष
32.	श्री अजीज/मो. हासम	तीन कमरे पक्के 20x35	20 वर्ष
33.	श्री अख्तर/श्री इसहाक खां	एक कमरा पक्का एवं जमीन 15x35	20 वर्ष
34.	श्री गेंदाजी/मुनीर खां	दो कच्चे घर 20x25	20 वर्ष
35.	श्री वहीद/सिकंदर	कच्चा घर 15x10	15 वर्ष
36.	श्री मो. शफी/नूर मोहममद	कच्चा घर 20x10	15 वर्ष
37.	श्री नईम/अ. रज्जाक	कच्ची टापरी 10x12	15 वर्ष
38.	श्री वली बेग/बहादुर बेग	पक्का एवं कच्चा 25x30	20 वर्ष
39.	श्री रफीक/नसीर खां	कच्चा घर 10x15	20 वर्ष
40.	श्री रईस/मुन्ना खां	एक कमरा पक्का 10x20	20 वर्ष
41.	श्री मुन्ना खां/सिकंदर खां	एक कमरा पक्का 10x20	15 वर्ष
42.	श्री लतीफ खां/याकूब खां	एक कमरा पक्का 10x12	15 वर्ष
43.	श्री जहूर/शकूर	कच्चा घर 10x10	15 वर्ष
44.	श्री लतीफ/हाजी खां	एक कमरा पक्का 8x12	20 वर्ष
45.	श्री बाबू खां/इस्माईल	तीन कमरे कच्चे, पक्के 10x30	20 वर्ष
46.	श्री सलीम/नशीर	कच्चा घर 10x12	15 वर्ष
47.	श्री जाकिर हुसैन/मोहम्मद उमर	दो घर पक्के 10x30	15 वर्ष
48.	श्रीमती शफीका/युसुफ	पक्के कमरे तीन 25x25	15 वर्ष
49.	श्री बुन्दू बक्श	दो कमरे पक्के 15x25	20 वर्ष
50.	श्री जमील/नशीर	एक कमरा पक्का 10x25	15 वर्ष
51.	श्री अब्दुल गफूर/कादर बक्श	एक कच्चा घर 15x15	15 वर्ष
52.	श्री अ. शकूर/श्री मुनीर खां	पक्का घर 15x15	15 वर्ष
53.	श्री शकील मो./लटूर मोहम्मद	तीन कमरे कच्चे, पक्के 10x30	15 वर्ष

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-50 का विवरण)

कार्यालय नगरपालिका तिजारा (अलवर) राज.

नगरपालिका तिजारा में अध्यक्ष श्री कमलेश सैनी के कार्यकाल सितम्बर, 1990 से अगस्त, 1995 तक दैनिक वेतन पर रखे गये सफाई कर्मचारियों को किये गये भुगतान की सूची

क्र.सं.	भुगतान अवधि (माह)	बा. सं.	दिनांक	कुल व्यक्ति	भुगतान राशि	
1	2	3	4	5	6	
1.	मार्च, 91	23	4.4.91	6	2794.00	
2.	मई, 91	44	14.6.91	20	5808.00	
3.	अगस्त, 91	9	4.9.91	10	4609.00	
4.	सितम्बर, 91	9	5.10.91	1	572.00	
5.	अक्टूबर, 91	6	1.11.91	5	2486.00	
6.	दिसम्बर, 91	13	8.1.92	5	2321.00	
7.	फरवरी, 92	11	7.3.92	13	3498.00	N.R.Y.
8.	अप्रेल, 92	24	15.5.92	1	572.00	
9.	मई, 92	26	10.6.92	1	440.00	
10.	मई, 92	19	6.6.92	5	1166.00	N.R.Y.
11.	मार्च, 92	15	8.4.92	10	4488.00	N.R.Y.
12.	अप्रेल, 92	27	15.5.92	9	1254.00	N.R.Y.
13.	जून, 92	15	6.7.92	5	2266.00	N.R.Y.
14.	जून, 92	16	6.7.92	1	572.00	
15.	जून, 92	41	22.7.92	5	704.00	N.R.Y.
16.	जुलाई, 92	1	1.8.92	6	2189.00	N.R.Y.
17.	जुलाई, 92	2	1.8.92	5	2607.00	N.R.Y.
18.	जुलाई, 92	64	27.8.92	1	594.00	

1	2	3	4	5	6	
19.	अगस्त, 92	26	9.9.92	5	1936.00	N.R.Y.
20.	अगस्त, 92	27	9.9.92	6	2387.00	N.R.Y.
21.	अगस्त, 92	47	17.9.92	1	572.00	
22.	सितम्बर, 92	18	12.10.92	1	572.00	
23.	सितम्बर, 92	45	20.10.92	10	2893.00	N.R.Y.
24.	अक्टूबर, 92	33	11.11.92	11	5588.00	N.R.Y.
25.	नवम्बर, 92	22	10.12.92	1	374.00	
26.	नवम्बर, 92	30	16.12.92	10	4345.00	N.R.Y.
27.	दिसम्बर, 92	13	5.1.93	1	594.00	
28.	दिसम्बर, 92	19	6.1.93	8	891.00	N.R.Y.
29.	जनवरी, 92	32	15.2.93	1	572.00	
30.	नवम्बर, 92	51	22.2.93	40	902.00	N.R.Y.
31.	फरवरी, 93	25	15.3.93	10	2409.00	
32.	मार्च, 93	26	19.4.93	7	3608.00	
33.	मई, 93	20	11.6.93	6	1727.00	
34.	जून, 93	26	12.7.93	6	2035.00	
35.	जुलाई, 93	17	16.8.93	8	4158.00	
36.	अगस्त, 93	10	3.9.93	6	2288.00	
37.	सितम्बर, 93	14	13.10.93	1	550.00	
38.	अक्टूबर, 93	9	6.11.93	1	550.00	
39.	नवम्बर, 93	28	17.12.93	1	528.00	
40.	दिसम्बर, 93	18	11.1.94	1	594.00	
41.	जनवरी, 94	21	7.2.94	1	462.00	
42.	जनवरी, 94	56	17.2.94	6	770.00	
43.	फरवरी, 94	14	7.3.94	1	484.00	
44.	मार्च, 94	20	13.4.94	1	572.00	
45.	मार्च, 94	22	13.4.94	4	2035.00	
46.	अप्रेल, 94	11	7.5.94	4	2112.00	

1	2	3	4	5	6
47.	अप्रेल, 94	17	9.5.94	1	555.00
48.	मई, 94	21	14.6.94	1	506.00
49.	मई, 94	27	17.6.94	4	1859.00
50.	जून, 94	15	11.7.94	1	572.00
51.	जून, 94	42	28.7.94	4	792.00
52.	जुलाई, 94	19	8.8.94	4	1727.00
53.	जुलाई, 94	22	8.8.94	1	572.00
54.	अगस्त, 94	45	18.8.94	4	132.00
55.	अगस्त, 94	2	5.9.94	1	561.00
56.	अगस्त, 94	3	5.9.94	4	2167.00
57.	सितम्बर, 94	10	10.10.94	5	2475.00
58.	अक्टूबर, 94	14	2.11.94	5	198.00
59.	अक्टूबर, 94	18	2.11.94	5	2948.00
60.	नवम्बर, 94	27	14.12.94	1	539.00
61.	दिसम्बर, 94	52	13.1.95	1	594.00
62.	दिसम्बर, 94	57	13.1.95	5	2607.00
63.	जनवरी, 95	6	1.3.95	9	4576.00
64.	फरवरी, 95	2	4.4.95	10	6064.00
65.	मार्च, 95	15	8.5.95	7	4866.00
66.	अप्रेल, 95	2	1.7.95	7	4624.00
67.	मई, 95	25	27.7.95	8	4464.00
68.	जून, 95	19	9.8.95	1	800
			कुल योग		1,29,641.00

ह0

अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका, तिजारा

कार्यालय नगरपालिका तिजारा

नगरपालिका अध्यक्ष तिजारा में अध्यक्ष श्री कमलेश कुमार सैनी के कार्यकाल में पालिका से उठाये गये टी.ए. तथा डी.ए. का भुगतान विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	भुगतान अवधि (माह)	बा. सं.	दिनांक	भुगतान योग्य राशि
1	2	3	4	5
1.	फरवरी—मार्च, 91	35	6.4.91	324.52
2.	अप्रेल, 91	3	2.5.91	156.48
3.	मई, 91	48	17.6.91	106.32
4.	जून—जुलाई, 91	41	16.7.91	355.52
5.	अगस्त—सितम्बर, 91	32	19.9.91	371.94
6.	सितम्बर—अक्टूबर, 91	10	2.11.91	217.04
7.	अक्टूबर, 91	25	7.11.91	54.24
8.	नवम्बर—दिसम्बर, 91	14	8.1.92	466.32
9.	जनवरी, 92	24	13.2.92	108.38
10.	जनवरी, 92	25	13.2.92	108.38
11.	फरवरी—मार्च, 92	24	13.4.92	534.80
12.	जुलाई, 92	11	5.8.92	882.88
13.	मई, 92	12	5.8.92	199.72
14.	मार्च—अप्रेल, 92	13	5.8.92	332.96
15.	मई, 92	14	5.8.92	427.40
16.	अगस्त—सितम्बर, 92	59	28.10.92	390.80
17.	अक्टूबर, 92	60	28.10.92	234.48
18.	दिसम्बर, 92	21	9.2.93	340.64
19.	जनवरी, 93	34	17.2.93	535.72
20.	फरवरी—मार्च, 93	12	7.4.93	624.12
21.	अप्रेल, 93	42	21.5.93	731.74
22.	मई, 93	43	21.5.93	460.78
23.	जून—जुलाई, 93	53	28.7.93	451.20
24.	जुलाई—अगस्त, 93	24	27.10.93	641.261

1	2	3	4	5
25.	सितम्बर–अक्टूबर, 93	25	27.10.93	656.50
26.	सितम्बर, 93	47	25.1.94	747.94
27.	अक्टूबर–नवम्बर, 93	15	5.2.94	460.78
28.	जनवरी, 94	70	24.2.94	635.82
29.	जनवरी, 94	48	22.3.94	270.72
30.	फरवरी–मार्च, 94	24	13.4.94	511.44
31.	अप्रेल, 94	38	27.4.94	480.52
32.	अप्रेल, 94	39	27.4.94	133.32
33.	अप्रेल, 94	32	19.5.94	446.02
34.	मई, 94	28	20.6.94	476.02
35.	जून, 94	38	27.6.94	666.08
36.	जून–जुलाई, 94	39	28.7.94	295.94
37.	जुलाई, 94	17	8.8.94	360.96
38.	अगस्त, 94	29	22.8.94	448.78
39.	अगस्त, 94	30	22.8.94	148.48
40.	अगस्त–सितम्बर, 94	13	10.10.94	828.68
41.	सितम्बर–अक्टूबर, 94	9	2.11.94	553.44
42.	नवम्बर, 94	40	30.12.94	566.64
43.	दिसम्बर, 94	58	24.3.95	753.80
44.	फरवरी–मार्च, 95	63	29.6.95	959.36
45.	अप्रेल, 95	28	23.8.95	905.00
46.	मई, 95	29	23.8.95	534.00
47.	जून, 95	30	23.8.95	534.00
48.	जुलाई–अगस्त, 95	31	23.8.95	315.00
			योग	21,546.88

ह0

अधिशाषी अधिकारी

नगरपालिका, तिजारा

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-55 का विवरण)

क्र.सं.	माह का नाम	दिनांक	कुल दिवस
1.	मार्च, 1999	26.3.99 से 27.3.99 तक 30.3.99 से 31.3.99 तक	4
2.	अप्रेल, 1999	2.4.99 से 3.4.99 तक 6.4.99 से 10.4.99 तक 13.4.99 15.4.99 से 17.4.99 तक 20.4.99 से 21.4.99 तक 23.4.99 से 24.4.99 तक 28.4.99 से 29.4.99 तक	17
3.	मई, 1999	3.5.99	1
			22 दिन

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-56 की सूची)

जिला नागौर में 4/99 से 12/99 तक विभिन्न जलप्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो की सूची व वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	तहसील	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों)	कार्य पूर्ण/ अपूर्ण
1	2	3	4	5
1.	डेगाना	घासलों की ढाणी (भेरून्दा)	1.98	अपूर्ण
2.	डेगाना	बुडियों की ढाणी (कालनी) हैण्डपम्प	0.50	पूर्ण
3.	डेगाना	आलनियास (राईकों की ढाणी) हैण्डपम्प	0.50	पूर्ण
4.	डेगाना	शमशान घाट (आलनियावास) हैण्डपम्प	0.50	पूर्ण
5.	डेगाना	बन्जारों की ढाणी (बाडी घाटी) हैण्डपम्प	0.70	अपूर्ण
6.	डेगाना	आसन राताटुण्डा (हैण्डपम्प)	0.50	पूर्ण
7.	डेगाना	डेरी गेरा की ढाणी (ढाणीपुरा) हैण्डपम्प	0.50	पूर्ण
8.	डेगाना	रावतों की ढाणी (देवगढ़) हैण्डपम्प	0.70	पूर्ण
9.	डेगाना	चोयलों की ढाणी (भेरूंदा) हैण्डपम्प	0.50	पूर्ण
10.	डेगाना	जगजी की ढाणी (हरसौर) हैण्डपम्प	0.50	पूर्ण
11.	डेगाना	मावरों की ढाणी (थावला) हैण्डपम्प	0.50	पूर्ण
12.	डेगाना	राईकों का बास (डोडियाना) हैण्डपम्प	0.50	पूर्ण
13.	डेगाना	गूजरों की ढाणी (विजाथल) हैण्डपम्प	0.50	पूर्ण
14.	डेगाना	छातियों का बास (पिपलिया) हैण्डपम्प	0.50	पूर्ण
15.	डेगाना	रेगरों का बास (अखावास) हैण्डपम्प	0.70	पूर्ण
16.	डेगाना	जाटों का बास (घाटा) हैण्डपम्प	0.50	पूर्ण
17.	डेगाना	राइकों की ढाणी (भेरूंदा) हैण्डपम्प	0.50	पूर्ण
18.	डेगाना	सिपाहियों का बास (हरसौर) हैण्डपम्प	0.50	पूर्ण
19.	डेगाना	इटावडा इटवाली की ढाणी (थांवला) है.पं.	0.70	अपूर्ण
20.	डेगाना	कुमारों की ढाणी (ईडवा)	1.97	अपूर्ण
21.	डेगाना	माला की ढाणी बुटाटी	1.85	अपूर्ण
22.	मेड़ता	अनुसूचित जाति बस्ती (सातवास) मेड़ता	0.71	अपूर्ण
23.	मेड़ता	नराथनियों की ढाणी (हरसोलाव)	1.98	अपूर्ण

1	2	3	4	5
24.	मेड़ता	डारा की ढाणी (लाई)	1.76	अपूर्ण
25.	मेड़ता	आगु.ग्रामीण जल योजना कबीर आश्रम हरसोलाव	1.85	अपूर्ण
26.	मेड़ता	आगु.ग्रामीण जल योजना रिया श्यामदास	1.41	अपूर्ण
27.	मेड़ता	आगु. ग्रामीण जल योजना बाकलियावास	1.34	अपूर्ण
28.	मेड़ता	पाद उप खण्ड के अधीन सिविल वर्क्स का रिपेयरिंग कार्य	1.24	पूर्ण
29.	लाडनूं	हैण्डपम्प निर्माण का कार्य ग्राम ध्यावाना, निम्बी जोधा, इन्द्रपुरा	1.96	पूर्ण
30.	लाडनूं	हैण्डपम्प निर्माण का कार्य ग्राम उदरसर, रोडू, मीडांसरी	1.47	पूर्ण
31.	लाडनूं	हैण्डपम्प निर्माण का कार्य ग्राम श्यामपुरा, सिंघाना, रींगण	1.47	पूर्ण
32.	लाडनूं	हैण्डपम्प निर्माण का कार्य ग्राम रेबारों का बास, बीडूडा, राठील, थिरडोदा खारा	1.96	पूर्ण
33.	लाडनूं	नायकों की ढाणी में भूतल जलाशय को जोड़ने का कार्य (रायधना)	0.48	पूर्ण
34.	लाडनूं	संवर्धन जलप्रदाय योजना बिठुडा	1.07	अपूर्ण
35.	लाडनूं	गुणपालिया में भुतल जलाशय को जोड़ने का कार्य	0.66	पूर्ण
36.	लाडनूं	मैनपम्प हाउस स्विच बोर्ड रूप के मरम्मत का कार्य उप खण्ड लाडनूं	1.98	पूर्ण
37.	लाडनूं	मरम्मत कार्य भूतल जलाशय, सी डब्ल्यू आर उप खण्ड लाडनूं	2.00	पूर्ण
38.	लाडनूं	हैण्डपम्प निर्माण कार्य डाबडी	0.49	पूर्ण
39.	लाडनूं	संवर्धन जलप्रदाय योजना खोखरी	1.63	पूर्ण
40.	लाडनूं	संवर्धन जलप्रदाय थिरडोदा खारा	1.97	पूर्ण
41.	लाडनूं	जलप्रदाय योजना एससी/एसटी बस्ती लाडनूं	2.00	पूर्ण
42.	लाडनूं	संवर्धन जलप्रदाय योजना रताऊ	44.27	अपूर्ण

1	2	3	4	5
43.	लाडनूं	पुनर्गठित जलप्रदाय योजना लाडनूं शहर	252.72	अपूर्ण
44.	डीडवाना	हैण्डपम्प निर्माण का कार्य डीडवाना शहर	1.71	पूर्ण
45.	डीडवाना	मंडूकरा	1.71	पूर्ण
46.	डीडवाना	छोटी खाटू	1.71	पूर्ण
47.	डीडवाना	मोलासर	1.62	पूर्ण
48.	डीडवाना	दाऊदसर	1.62	पूर्ण
49.	डीडवाना	डीडवाना	1.71	पूर्ण
50.	डीडवाना	बुरोद अलकपुरा	1.62	पूर्ण
51.	डीडवाना	खुनखुना अमरपुरा	1.38	पूर्ण
52.	डीडवाना	दीनारपुरा बेगसर	1.62	पूर्ण
53.	डीडवाना	छापरी खुर्द	1.62	पूर्ण
54.	डीडवाना	थानू	0.57	पूर्ण
55.	डीडवाना	बल्दू	0.57	पूर्ण
56.	डीडवाना	देवराठी	0.57	पूर्ण
57.	डीडवाना	पुनर्गठित जलप्रदाय योजना दौलतपुरा पाटन	5.40	अपूर्ण
58.	डीडवाना	पुनर्गठित जलप्रदाय योजना मडूकरा भवाद	2.83	अपूर्ण
59.	नागौर	रिपेयरिंग ऑफ वैरियस आर.सी.सी., जी.एल.आर. जोधियासी	1.22	पूर्ण
60.	नागौर	प्रफोसल एफजी पीओएफ फोरसोलर स्टील फोर डीसेलीनेशन प्लांट एट गोगेलाव	0.75	पूर्ण
61.	नागौर	प्रपोजल फोर प्रोविडिंग एचपी इन वीलेज शिवपुरा, डूजासर एण्ड गुडा भगवानदास	1.71	अपूर्ण
62.	नागौर	प्रपोजल फोर प्रोविडिंग एचपी इन असावरी ग्राम गगवाना	0.60	अपूर्ण
63.	नागौर	प्रपोजल फोर एचपी इन एससी/एसटी कच्ची बस्ती ऑफ तहसील नागौर	1.96	अपूर्ण
64.	नागौर	मोडीनीसेसन आफ चरकडा/दूजासर हैडवर्क्स	1.97	अपूर्ण

1	2	3	4	5
65.	नागौर	जाट मालियों की ढाणी खेण	1.55	अपूर्ण
66.	नागौर	मालियों की ढाणी दुकोसी	1.73	अपूर्ण
67.	नागौर	प्रपोजल आफ आगु. आफ डब्ल्यू एस एस एचपी इन हमीदूदी खुर्द दरगाह इन लोहारपुरा वार्ड नं. 33 एट नागौर	0.41	अपूर्ण
68.	नागौर	प्रपोजल ऑफ वाटर सप्लाई एससी/एसटी बस्ती/कच्ची बस्ती चेनार तहसील नागौर	1.99	अपूर्ण
69.	नागौर	संवर्धन जलप्रदाय योजना थिरोद	0.24	पूर्ण
70.	नागौर	संवर्धन जलप्रदाय योजना नंदवाणी	1.94	अपूर्ण
71.	नागौर	हैण्डपम्प निर्माण कार्य जोशियाद, डींगसरा, बैराथल, भेड	1.68	पूर्ण
72.	नागौर	हैण्डपम्प निर्माण कार्य बासनी, कुमारी, भेड	1.72	पूर्ण
73.	नागौर	हैण्डपम्प निर्माण कार्य बासनी, भाकरोद, कादरपुरा	1.68	पूर्ण
74.	नागौर	हैण्डपम्प निर्माण कार्य नारवाकलां, कांटिया, खींवसर	1.64	पूर्ण
75.	नागौर	हैण्डपम्प निर्माण कार्य रूण	0.98	पूर्ण
76.	नागौर	संवर्धन जलप्रदाय योजना बासनी	1.94	अपूर्ण
77.	नागौर	विभिन्न मौहल्ला तरनाऊ में पाइप लाइनें डालने का कार्य	0.14	अपूर्ण
78.	नागौर	रिपेयरिंग आफ वैरियस आरसीसी, जीएलआर अण्डर जे ईएन हैड	1.78	पूर्ण
79.	परबतसर	हैण्डपम्प बिदियाद	1.30	पूर्ण
80.	परबतसर	हैण्डपम्प श्यामपुरा	1.30	पूर्ण
81.	परबतसर	हैण्डपम्प भावसिया	1.30	पूर्ण
82.	परबतसर	हैण्डपम्प ढाढोता	0.65	पूर्ण
83.	परबतसर	हैण्डपम्प किनसरिया	0.65	पूर्ण
84.	परबतसर	हैण्डपम्प धोकलिया	0.65	अपूर्ण

1	2	3	4	5
85.	परबतसर	हैण्डपम्प खोखर	1.30	पूर्ण
86.	परबतसर	हैण्डपम्प मायापुर	0.65	पूर्ण
87.	परबतसर	पी एण्ड टी मालास गुसाई	1.30	अपूर्ण
88.	परबतसर	हैण्डपम्प नानदवा	0.65	पूर्ण
89.	परबतसर	हैण्डपम्प बाजवास	0.65	पूर्ण
90.	परबतसर	हैण्डपम्प बिसास	0.65	पूर्ण
91.	परबतसर	हैण्डपम्प भकरी	0.65	पूर्ण
92.	परबतसर	हैण्डपम्प बंवाल	1.30	पूर्ण
93.	परबतसर	हैण्डपम्प अडानी	0.65	पूर्ण
94.	परबतसर	हैण्डपम्प हरिपुरा	0.65	पूर्ण
95.	परबतसर	हैण्डपम्प कुण्डरी	1.30	अपूर्ण
96.	परबतसर	हैण्डपम्प पीलवा	0.65	अपूर्ण
97.	परबतसर	हैण्डपम्प जालमपुरा	0.65	पूर्ण
98.	परबतसर	हैण्डपम्प नैतियास	0.65	पूर्ण
99.	परबतसर	हैण्डपम्प कुतियाना	0.65	पूर्ण
100.	परबतसर	हैण्डपम्प मानपुरा	0.65	पूर्ण
101.	परबतसर	हैण्डपम्प मंगलाना	0.65	पूर्ण
102.	परबतसर	हैण्डपम्प खुडियास	0.56	पूर्ण
103.	परबतसर	हैण्डपम्प पीलवा	0.56	पूर्ण
104.	परबतसर	हैण्डपम्प बाजवास	0.65	पूर्ण
105.	परबतसर	हैण्डपम्प रघुनाथपुरा	0.65	पूर्ण
106.	परबतसर	हैण्डपम्प ढुढीया	0.65	अपूर्ण
107.	परबतसर	हैण्डपम्प बागोट	0.56	पूर्ण
108.	परबतसर	हैण्डपम्प पीलवा	1.12	पूर्ण
109.	परबतसर	हैण्डपम्प सिटावट	0.56	पूर्ण
110.	परबतसर	हैण्डपम्प कानपुर	0.56	अपूर्ण
111.	परबतसर	हैण्डपम्प किनसरिया	1.12	पूर्ण
112.	परबतसर	हैण्डपम्प चारणावास	0.56	पूर्ण
113.	परबतसर	हैण्डपम्प मंगलाना	1.12	पूर्ण
114.	परबतसर	हैण्डपम्प मेहगांव	1.12	पूर्ण

1	2	3	4	5
115.	परबतसर	हैण्डपम्प रूणीजा	0.56	पूर्ण
116.	परबतसर	हैण्डपम्प मण्डल	0.56	पूर्ण
117.	परबतसर	हैण्डपम्प श्यामपुरा	0.56	पूर्ण
118.	परबतसर	हैण्डपम्प मिण्डकिया	0.95	पूर्ण
119.	परबतसर	हैण्डपम्प नडवा	0.65	पूर्ण
120.	परबतसर	हैण्डपम्प परबतसर ग्रामीण	0.65	पूर्ण
121.	परबतसर	हैण्डपम्प रिड	0.65	पूर्ण
122.	परबतसर	हैण्डपम्प पीपलाद	0.65	पूर्ण
123.	परबतसर	हैण्डपम्प लिखिवास	0.65	पूर्ण
124.	परबतसर	हैण्डपम्प कुण्डरी	0.65	पूर्ण
125.	परबतसर	हैण्डपम्प परबतसर	1.30	पूर्ण
126.	परबतसर	हैण्डपम्प भकरी	0.65	पूर्ण
127.	परबतसर	हैण्डपम्प गांगवा	1.30	पूर्ण
128.	परबतसर	हैण्डपम्प खडियास	0.65	पूर्ण
129.	परबतसर	हैण्डपम्प परबतसर	0.65	पूर्ण
130.	परबतसर	हैण्डपम्प बरूण	1.30	पूर्ण
131.	परबतसर	हैण्डपम्प लिखियास	0.65	पूर्ण
132.	परबतसर	हैण्डपम्प खिदरपुरा	1.30	पूर्ण
133.	परबतसर	हैण्डपम्प मंगलाना	1.85	अपूर्ण
134.	परबतसर	हैण्डपम्प खेडी खिंवसी	0.89	अपूर्ण
135.	परबतसर	हैण्डपम्प किनसरिया	1.68	अपूर्ण
136.	परबतसर	हैण्डपम्प करकेडी	0.81	अपूर्ण
137.	मकराना	हैण्डपम्प बोरावड़	0.95	पूर्ण
138.	मकराना	हैण्डपम्प गुणावती	1.90	पूर्ण
139.	मकराना	हैण्डपम्प सबलपुरा	1.90	पूर्ण
140.	मकराना	हैण्डपम्प गुणावती	1.90	पूर्ण
141.	मकराना	हैण्डपम्प जूसरी	0.95	पूर्ण
142.	मकराना	हैण्डपम्प जाखली	0.95	पूर्ण
143.	मकराना	हैण्डपम्प कालवा बड़ा	0.95	पूर्ण
144.	मकराना	हैण्डपम्प जूसरी	1.09	पूर्ण

1	2	3	4	5
145.	मकराना	हैण्डपम्प दम्बोई कला	0.95	पूर्ण
146.	मकराना	हैण्डपम्प डोबडी कला	0.95	पूर्ण
147.	मकराना	हैण्डपम्प अति. जूसरी	1.96	अपूर्ण
148.	मकराना	हैण्डपम्प बोरावड़	1.72	पूर्ण
149.	मकराना	हैण्डपम्प मकराना	1.95	पूर्ण
150.	मकराना	पी. एण्ड टी. बोरावड़	0.53	अपूर्ण
151.	मकराना	पी. एण्ड टी. भैया खुर्द	1.29	पूर्ण
152.	नावां	पाईप्ड मारोठ	0.16	अपूर्ण
153.	नावां	हैण्डपम्प पांचवा	1.76	पूर्ण
154.	नावां	हैण्डपम्प पांचवा	0.88	पूर्ण
155.	नावां	हैण्डपम्प दिपपुरा	0.88	पूर्ण
156.	नावां	हैण्डपम्प जिलोट	0.88	पूर्ण
157.	नावां	हैण्डपम्प गांधी ग्राम	0.88	अपूर्ण
158.	नावां	हैण्डपम्प मानजी की ढाणी	0.88	अपूर्ण
159.	नावां	हैण्डपम्प नालोट	1.76	अपूर्ण
160.	नावां	हैण्डपम्प नालोट	0.88	अपूर्ण
161.	नावां	हैण्डपम्प टोडास	1.76	अपूर्ण
162.	नावां	हैण्डपम्प खारिया	0.88	पूर्ण
163.	नावां	हैण्डपम्प हिराणी	0.88	पूर्ण
164.	नावां	हैण्डपम्प पांचवा	1.90	पूर्ण
165.	नावां	हैण्डपम्प खोरण्डी	1.90	अपूर्ण
166.	नावां	हैण्डपम्प इण्डाली	0.95	अपूर्ण
167.	नावां	हैण्डपम्प हिराणी	0.95	अपूर्ण
168.	नावां	हैण्डपम्प नारायणपुरा	0.95	अपूर्ण
169.	नावां	हैण्डपम्प पांचोता	1.62	अपूर्ण
170.	नावां	हैण्डपम्प आबास	0.88	अपूर्ण
171.	नावां	हैण्डपम्प सांवतगढ़	0.81	अपूर्ण
172.	नावां	हैण्डपम्प कुचामन सिटी	1.90	अपूर्ण
173.	नावां	हैण्डपम्प कुकनवाली	0.81	अपूर्ण
174.	नावां	हैण्डपम्प मंगलपुरा	0.81	अपूर्ण
175.	नावां	हैण्डपम्प गुजरों की ढाणी	0.81	अपूर्ण

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-64 की सूचना)

पंचायत समिति बामनवास में क्षेत्रीय एवं पी. एण्ड टी. योजनाओं से लाभान्वित ग्राम

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभान्वित ग्राम का नाम	कोड सं.
1	2	3	4
1.	क्षेत्रीय जलयोजना बानोर शफीपुरा	1. बानोर	24
		2. टोडा	25
		3. ठिकिरिया	30
		4. श्यामपुरा	33
		5. कीरतपुरा	49
		6. बडीला	51
		7. रानीला	54
		8. दाता सूंती	52
		9. झाडोली	56
		10. बाढ़ झाड़ोली	57
		11. सराय	58
		12. गण्डाल	69
		13. बन्धावल	62
		14. शफीपुरा	63
		15. नागतलाई	65
		16. राधेकी	64
		17. रामसिंहपुरा	67
2.	क्षेत्रीय जलयोजना लिवाली बामनवास	1. लिवाली	36
		2. कंकराला	16
		3. राधोपुरा	18
		4. बाढ़ राधोपुरा	19
		5. नाहरसिंहपुरा	35
		6. अभयपुरा	34

1	2	3	4
3.	क्षेत्रीय जल योजना लाडपुरा नागरहेडा	1. डाबर	82
		2. सीतापुरा	44
		3. रमजानीपुरा	06
		4. भंवर की	105
		5. कांचरहेडा	45
4.	क्षेत्रीय जल योजना बरनाला रामसिंहपुरा	1. बरनाला	133
		2. मीना ठीकरी	116
5.	क्षेत्रीय जल योजना कंडी गावडी जाखोलाल खुर्द	1. जाखोलाल खुद	127
		2. कडी गावडी	104
6.	क्षेत्रीय जल योजना जीवद बनजारी	1. बिनजारी	120
	1. पम्प एण्ड टैंक योजना अमावरा डगरपट्टी	1. अमावरा	01
	2. पम्प एण्ड टैंक योजना रिवाली	1. रिवाली	06
	3. पम्प एण्ड टैंक योजना सीतोड	1. सितोड	76
	4. पम्प एण्ड टैंक योजना फुलवाडा	1. फुलवाडा	118

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-65 की प्रति)

कार्यालय-ग्राम पंचायत कोहली प्रेमपुरा

प्रेषक–
केलीदेवी गुर्जर
सरपंच
ग्राम पंचायत कोहलीप्रेमपुरा
पंचायत समिति बामनवास जि. सवाईमाधोपुर

प्रेषिती-
सहायक अभियंता महोदय,
जन स्वा. अभि. वि.,
पिपलाई (बामनवास)

पत्रांक : ग्रा. पं./ S D

दिनांक ....

नकल प्रस्ताव सं. 5 दिनांक 3.3.2000

प्रस्ताव :– ग्राम कोहली प्रेमपुरा में पीने के पानी की गंभीर समस्या के निराकरण हेतु

इस क्रम में आम जनता ग्राम कोहली प्रेमपुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसमें गांव में कुओं के सूखने व पानी पीने के गंभीर समस्या होने बाबत अवगत कराया है। गांव वालों की उक्त समस्या सही है। गांव में पीने के पानी की गंभीर समस्या है तथा समस्या आगे चलकर और भी विकराल रूप धारण करेगी। जिससे गांव वालों को पानी दूर–दूर से लाना पड़ रहा है अतः उक्त समस्या के निराकरण हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, सवाईमाधोपुर एवं सम्बन्धित अधिकारियों व क्षेत्र के जन–प्रतिनिधियों को अवगत कराया। इस समस्या से ग्रामीण जनता को राहत पहुंचाने का निर्णय सर्वसम्मति से रहा। गांव में जल योजना है लेकिन पानी आज तक नहीं आया है।

ह0
सरपंच
ग्राम पंचायत कोहली प्रेमपुरा
पं. स. बामनवास (सवाईमाधोपुर)

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-66 की सूची)

क्र. सं.	पट्टाधारी का नाम	खनिज	क्षेत्र	क्षेत्रफल	खनन पट्टा प्रभावी दिनांक
1.	श्री श्याम सोनी पुत्र श्री कन्हैयालाल सोनी निवासी बलूंदा तह. जैतारण जि. पाली	चायनाक्ले व बालक्ले	खराड़ी तह. जैतारण जिला पाली	92.5 हैक्टेयर्स	5.4.99 से 20 वर्ष
2.	श्रीमती दरियाव कंवर पत्नी श्री विशनसिंह निवासी मालपुरिया पो. बिरोल तह. जैतारण जिला पाली	चायनाक्ले व बालक्ले	लिथरिया तह. जैतारण	93.245 हैक्टेयर्स	1.5.97 से 20 वर्ष
3.	सर्वश्री जे.के.सीमेंट वर्क्स गोटन, जिला नागौर	चायनाक्ले	राजपूतों की ढाणी तह. जैतारण जिला पाली	42 हैक्टेयर्स	18.2.93 से 20 वर्ष

परिशिष्ट–10
(अतारांकित प्रश्न संख्या-67 की सूची)

परिशिष्ट "क"

जिला नागौर में 1 अप्रेल, 1999 से दिसम्बर, 1999 तक की अवधि में कुल दर्ज अभियोगों का थानेवार एवं शीर्षवार विवरण जिला नागौर (राजस्थान)

क्र.सं.	नाम थाना	डकैती	लूट	कतल	नकबजनी	चोरी	बलवा	बलात्कार	अन्य भादस	योग भादस के अपराध	स्थानीय एवं विशेष अधि0	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	नागौर	–	2	3	27	42	4	5	260	343	76	419
2.	पांचोडी	–	–	1	4	1	–	1	52	59	5	64
3.	श्री बालाजी	–	–	2	3	1	–	1	53	60	5	65
4.	भावण्डा	–	–	2	3	–	–	–	60	65	2	67
5.	खींवसर	–	–	–	1	4	1	1	84	91	4	95
6.	जायल	–	–	–	3	2	–	–	103	108	8	116
7.	खाटूबड़ी	–	–	1	2	4	6	–	44	57	10	67
8.	मूण्डवा	–	–	–	1	3	–	1	64	69	13	82
9.	सुरपालिया	–	–	2	–	1	–	–	58	61	8	69
10.	रोल	–	–	1	–	3	5	1	59	69	2	71
11.	मेडतासिटी	–	1	1	7	22	1	–	185	217	29	246
12.	मेडता रोड	–	–	–	3	4	1	1	55	64	6	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	डेगाना	—	—	2	7	9	2	1	135	156	14	170
14.	पादूकलां	—	1	4	3	6	3	—	143	160	4	164
15.	थांवला	—	1	5	2	9	5	—	98	120	3	123
16.	कुचेरा	—	—	2	7	7	5	—	114	135	6	141
17.	गोटन	—	—	2	6	15	—	3	183	209	15	224
18.	डीडवाना	—	1	3	10	10	8	1	88	121	13	134
19.	लाडनूं	—	—	1	2	11	4	2	151	171	17	188
20.	जसवंतगढ़	—	1	1	1	2	2	—	80	87	3	90
21.	मौलासर	—	1	—	7	6	—	—	106	120	5	125
22.	खुनखुना	—	—	1	2	8	9	—	109	129	6	135
23.	मकराना	—	2	3	20	40	2	—	242	309	25	334
24.	परबतसर	—	—	—	5	15	2	—	131	153	18	171
25.	गुच्छीपुरा	—	—	1	3	2	4	—	121	131	10	141
26.	पीलवा	—	—	1	1	4	—	1	80	87	13	100
27.	कुचामनसिटी	—	—	1	5	7	10	—	103	126	17	143
28.	नावासिटी	—	—	3	6	6	2	—	111	128	6	134
29.	चितावा	—	—	2	2	6	1	—	98	109	7	116
30.	मारोठ	—	—	1	4	4	5	—	45	59	3	62
	कुल योग	-	10	46	147	254	82	19	3215	3773	353	4126

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-70 की प्रतियां)

प्रतिलिपि :– जांच रिपोर्ट विरुद्ध थानाधिकारी देसूरी, श्री कालूराम हैड कानि. एवं श्री गजराज सिंह कानि. जिला पाली।

कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस एस.सी./एस.टी. व महिला प्रकोष्ट पाली

क्रमांक : 161 दिनांक :.15.1.2000

प्रेषिति : पुलिस अधीक्षक
जिला पाली

विषय : अ.सं. 5/2000 धारा 376 भादस व 3 (1)(11) एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना देसूरी में थानाधिकारी देसूरी, घाणेराव प्रभारी चौकी, गजराज सिंह कानि. के आचरण व भूमिका के बाबत तथ्यात्मक रिपोर्ट।

प्रसंग : आपके अ.शा. पत्रांक 26 दिनांक 12.1.2000 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेशानुसार मन उप अधीक्षक पुलिस जगदीश चन्द्र एस.सी./एस.टी. सैल पाली ने मुकदमा नं. 5/2000 थाना देसूरी के अन्वेषण के दौरान थानाधिकारी देसूरी, प्रभारी चौकी-घाणेराव व घाणेराव चौकी से हटाये गये श्री गजराज सिंह कानि. का इस पूरे प्रकरण में क्या रोल रहा के बारे में जांच सम्पादित की तथा अन्वेषण के साथ मौके पर पहुंच इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए दौराने जांच गवाह श्री पूनाराम भील (पति), श्रीमती हंजा प्रकरण की मुस्तगीसा, दलाराम भील, मोहनलाल जोशी (पटवारी), मांगीलाल सरगरा, मिश्रीलाल मेणा, रामसिंह, चन्द्रशेखर, मगनाराम सरपंच, जेठमल छीपा, पोकरलाल परिहार पूर्व विधायक सहित पुलिसकर्मियों श्री दुदाराम एस.एच.ओ. देसूरी, पेमाराम कानि. 801, कानसिंह कानि. 763, रूपाराम कानि. 727, खेताराम कानि. 105, राजीव परिहार एस.आई. (प्रो.), कल्लासिंह कानि. 785 के बयान लिये तथा सम्बन्धित रिकार्ड में रोज. आम थाना देसूरी दिनांक 26.10.99 व ओ.पी.घाणेराव ड्यूटी रजिस्टर दिनांक 26 व 27.10.99 की नकल रपटें व उपस्थिति पंजिका अस्थाई पदस्थापन मुलाजमान एस.पी. ऑफिस बमाह जनवरी 2000 अवकाश प्रार्थना पत्र एच.सी. श्री कालूराम दिनांक 11.1.2000 व रवानगी रपट नकल रोज. आम थानाधिकारी देसूरी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड बाबत वी.सी.एस.बी. पार्ट–I देसूरी टिप्पणी दिनांक 10.11.97 व 11.7.98 रोज. आम.

नकल दिनांक 26.2.99 क्रमांक 802 एवं पूर्व विधायक पोकरलाल व मगनाराम सरपंच, जेठाराम छीपा, एच.सी. कालूराम व कानि. गजराज सिंह से सम्बन्धित समय समय पर दर्जशुदा परिवार व जांच रिपोर्ट की प्रतियां व एफ.आई.आर. की प्रतियां इत्यादि प्राप्त किया।

सम्पूर्ण जांच से इस प्रकरण में हैड कानि. कालूराम नं. 442 ओ.पी. घाणेराव व श्री गजराज सिंह कानि. 530 जिला पाली की भूमिका निम्न प्रकार पाई गई :–

1. श्री गजराज सिंह कानि. 530

यह है कि इस प्रकरण मु. नं. 5/2000 थाना देसूरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में श्री गजराज सिंह कानि. 530 ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए पूर्व विधायक श्री पोकरलाल के सहयोग से मुस्तगीसा के पति पूनाराम से उसके गांव जाकर सम्पर्क किया व उसे उकसाकर प्रलोभित कर अपने साधन से (जीप) हमराह लेह उसके ससुराल सिवेरा साथ जाकर मुस्तगीसा श्रीमती हंजा व अन्य परिवारजनों को साथ लेकर पाली पहुंच अपने द्वारा रिपोर्ट टाइप करवा उनके साथ दिनांक 7, 8.1.2000 को जोधपुर पहुंचकर पोकरलाल पूर्व विधायक से सम्पर्क कर श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस रैंज जोधपुर को बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत करवाई व इस रिपोर्ट में अपनी स्वार्थसिद्धि हेतु थाना देसूरी व चौकी घाणेराव में पुलिसकर्मियों के आपस चिर–परिचित विवाद व एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रक्रिया में अपने विरोधी हैड कानि. कालूराम व अन्य को निशाना बनाया है। जो जांच से गवाह श्री पूनाराम, श्रीमती हंजा, एस.एच.ओ. देसूरी श्री दूदाराम व पोकरलाल, रामसिंह, दलाराम भील सहित प्राप्त रिकार्ड से प्रमाणित होता है। तथा श्री गजराज कानि. 530 इस कार्य हेतु दिनांक 8 व 9.1.2000 को मुख्यालय की बिना अनुमति प्राप्त किये शरीक रहा इसकी पुष्टि उपस्थिति पंजिका से होती है।

इस प्रकरण में अब तक के अन्वेषण से पाया गया है कि पंजीबद्ध एफ.आई.आर. के तथ्यों को बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है जो प्रमाणित हो रहा है।

2. कालूराम है.का. 442 ओ.पी. घाणेराव

यह कि इस प्रकरण मुकदमा नं. 5/2000 थाना देसूरी में हैड कानि. श्री कालूराम नं. 442 ने मन अन्वेषणकर्ता के वितन्तु संदेश क्रमांक 56 दिनांक 10.1.2000 जिसमें गवाहन तलबी एस.एच.ओ. देसूरी कालूराम है.का. व कानसिंह कां. के अलावा अन्य कानि. से करवाने के निर्देशों की सरासर अवहेलना करते हुए दिनांक 11.1.2000 को इस कार्य हेतु अवकाश लेकर प्रकरण के गवाहान श्रीमती हंजा, पूनाराम, दलाराम इत्यादि को प्रलोभित

करने के इरादे से अपने सक्रिय सहयोग से साथ लिया व गवाहान श्रीमती हंजा व पूनाराम को इस दरम्यान पाली कचहरी में ले जाकर उनसे शपथ पत्र मूर्तिब कराये व बाला बाला उन्हें श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस साहब जोधपुर कैम्प पाली के समक्ष पेश होने हेतु उकसाया व अपने अधीनस्थ कानि. करनसिंह को प्रभावित किया जो गवाह श्रीमती हंजा, पूनाराम, करनसिंह कानि. रामसिंह, पोकरलाल परिहार, दलाराम इत्यादि के कथनों व रिकार्ड से प्रमाणित है।

यह कि है. का. श्री कालूराम ने उपरोक्त कार्य हेतु अवकाश का कारण बच्ची की परीक्षा का बहाना बताकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह किया तथा गवाहों को हमराह रख इस कार्यालय के आदेशों की अवहेलना कर प्रभावित किया है तथा श्री गजराज सिंह कानि. ने इस प्रकरण को दर्ज करवाने में व तथ्यों को बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत करने में सक्रिय रहकर पुलिस के आचरण के विरीत कार्य किया है व मुख्यालय से बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ा है। इस प्रकार उक्त दोनों पुलिस कर्मचारियों का आचरण पुलिस कर्तव्यों व छवि के विपरीत होकर अनुशासनहीनता का प्रतीक है। इनके इस आचरण के कारण जनसाधारण व प्रचार तंत्रों में पुलिस छवि धूमिल हुई है तथा इन्होंने अपने परस्पर स्वार्थ, एक दूसरे को नीचा दिखाने हेतु क्षेत्र के पुलिस विरोधी तत्वों को प्रोत्साहित किया है।

इस प्रकरण में जांच से एस. एच. ओ. देसूरी श्री दूदाराम व अन्य मुलाजमान का कोई अनुशासनहीन कृत्य नहीं पाया गया है तथा पूर्व विधायक पोकरलाल परिहार ने अपने व्यक्तिगत आचरण के अनुरूप पुलिस विरोधी रुख के कारण सक्रिय भूमिका निभाकर पुलिस तंत्र को प्रभावित करने का प्रयास किया है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि मुस्तगीसा श्रीमती हंजा के मजिस्ट्रेट बयान 164 जा. फो. दिनांक 13.1.2000 से होती है।

ह0/–

उप पुलिस अधीक्षक

एस.सी./एस.टी./महिला सैल, पाली

परिशिष्ट "ब"

प्रतिलिपि निलम्बन आदेश–श्री कालूराम मुख्य आरक्षक नं. 442 व श्री गजराज सिंह कानि. नं. 530

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, जिला पाली (राजस्थान)

क्रमांक : व. 13( )पाली/अश/विजा/2000/749–55 दिनांक 17.1.2000

निलम्बन आदेश

श्री कालूराम मुख आरक्षक नं. 442 पुलिस चौकी घाणेराव थाना देसूरी श्री गजराज सिंह कानि. नं. 530 पुलिस चौकी घाणेराव थाना देसूरी हाल अस्थाई कार्यालय हाजा के विरुद्ध गंभीर आरोप होने से विभागीय जांच किया जाना प्रस्तावित है।

अतः श्री कालूराम मुख आरक्षक नं. 442 व श्री गजराज सिंह कानि. नं. 530 को राज. सेवा नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) रूल्स 1958 एवं संशोधित नियम 1988 के नियम 13 के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

उक्त उपरोक्त क्रमशः श्री कालूराम मुख्य आरक्षक नं. 442 व श्री गजराज सिंह कानि. नं. 530 को निलम्बनकाल में उनके वेतन का 1/2 भाग वेतन एवं उसे देय महंगाई भत्ता नियमानुसार देय होगा। निलम्बनकाल में मुख्य आरक्षक श्री कालूराम नं. 442 का मुख्यालय पुलिस थाना शिवपुरा व कानि. श्री गजराज सिंह नं. 530 का मुख्यालय पुलिस थाना केरला में होगा।

ह0

पुलिस अधीक्षक, जिला पाली

परिशिष्ट "स"

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, जिला पाली (राज.)

क्रमांक : व. 13( )पाली/अशा/विजा/99/895 दिनांक 19.1.2000

प्रेषिति—

श्री कालूराम, मुख्य आरक्षक नं. 442,
पुलिस लाइन, पाली
मार्फत् थानाधिकारी पुलिस थाना रानी

विज्ञप्ति पत्र

(1) संलग्न दोषारोपण पत्र में यह निर्णय दिया गया है कि आपको क्यों नहीं नियम 17 राज. असैनिक सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) रूल्स 1958 एवं संशोधित नियम 1988 के अन्तर्गत विभागीय दण्ड दिया जाए।

(2) उपरोक्त दण्ड से पूर्व आपको अवसर दिया जाता है कि आप उपरोक्त आरोपों के विरुद्ध अपनी सफाई का लिखित उत्तर देना चाहें तो प्रस्तुत करें ताकि अंकित दण्ड देने से पूर्व आपसे विचार विमर्श किया जा सके। आप लिखित उत्तर इस मूल की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। आपको आरोप से संबंधित रिकार्ड देखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(3) आप इस विषय में इस पत्र की प्राप्ति से 15 दिन के अन्दर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सफाई दे सकते हैं।

(4) आपका उत्तर उपरोक्त अंकित किये गये समय में प्राप्त नहीं हुआ और आप मेरे समक्ष उपस्थित नहीं हुए तो यह मान लिया जाएगा कि आपको इस विषय में कुछ उत्तर नहीं देना है तथा ना ही मेरे समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में विभागीय जांच का निर्णय एक तरफा कर दिया जाएगा।

(5) इस पत्र की प्राप्ति रसीद पत्र प्राप्त होने के दो दिन के भीतर—भीतर इस कार्यालय को प्रेषित की जाए। दोषी अधिकारी के उपस्थित रहने के उपरांत भी तामील नहीं करवाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

ह0
जिला पुलिस अधीक्षक
पाली

आरोप पत्र अन्तर्गत नियम 17 सीसीए (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) रूल्स 1958 एवं संशोधित नियम 1988 विरुद्ध श्री कालूराम मु. आ. नं. 442 पुलिस लाइन पाली

आरोप संख्या-1

आप श्री कालूराम मु. आर. नं. 442 दिनांक 4.5.99 से 16.1.2000 तक बतौर चौकी प्रभारी घाणेराव थाना देसूरी पर पदस्थापित रहे। प्रभारी चौकी घाणेराव की हैसियत से आपके अवांछनीय तत्वों से सांठ–गांठ होने की शिकायतें होती रहीं एव आप थाना देसूरी क्षेत्र के कुछ गैर सरकारी व्यक्तियों से मिलकर स्थानीय मसलों में लिप्त होते रहे।

आपने प्रभारी चौकी होने के नाते स्टाफ की आपस की गुटबाजी को समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि आपकी खुद की, जन सहयोग द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति को खुर्द बुर्द करने की शिकायतें आपके विरुद्ध होती रहीं, जिसके लिए आपने कोई सुधार नहीं किया।

घाणेराव चौकी के ही एल एच सी श्री गजराज सिंह नं. 530 व आपके विरुद्ध अनेकों शिकायतें हुई, आपके पद की गरिमा को देखते हुए कुछ शिकायतें पर, विशेष गौर भी नहीं किया गया पर आपने स्थिति में कोई सुधार नहीं किया। आपकी तैनाती के दौरान आपके कार्यकलापों से, झूठी शिकायतों को प्रोत्साहन मिला, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई।

आपका रवैया एक लापरवाह/गैर जिम्मेदार/स्वेच्छाचारिता का पाया गया।

आरोप संख्या-2

दिनांक 26.10.99 की दरमियानी रात्रि करीब 11 पी.एम. पर थाने के सामने ही स्थित मुसाफिर खाने में, श्रीमती हंजा नामक आदिवासी युवति के साथ, थाने के सामने ही होटल चलाने वाले प्रकाश ब्राह्म्ण ने छेड़खानी की/प्रयास किया। थाना देसूरी की पुलिस आई तथा प्रकाश ब्राह्मण को 151 सी आर पी सी में गिरफ्तार कर ले गई।

दिनांक 8.1.2000 को एल एच सी गजराज सिंह व एक शिकायती प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा श्रीमती हंजा से, 476 भादंस व 3 (11) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत दिनांक 8.1.2000 को थाना देसूरी में मुकदमा नं. 5/2000 दर्ज करवाया। तफ्तीश उप अधीक्षक

पुलिस, एससी/एसटी सैल पाली को दी गई।

तफ्तीस कुनिन्दा उप अधीक्षक पुलिस एससी/एसटी सैल ने थाना देसूरी को प्रथम वितन्तु संदेश क्रमांक 56 दिनांक 10.1.2000 को भेजा था, जिसके तहत श्रीमती हंजा के साथ आपको आने के निर्देश थे, इसके बावजूद भी, अधिकारी के आदेशों की अवहेलना कर, आप श्रीमती हंजा को उसके गांव सिवेरा से, साथ लिया, कोर्ट बाली गये, वहां से उसके शपथ पत्र बनवाये, तथा उसको गाड़ी में बैठाकर मुख्यालय पाली आप लेकर आये और मेरे सामने पेश करवाया।

श्रीमती हंजा के साथ आने, उसके शपथ पत्र करवाने में सहयोग देने, तथा आपने जो बचाव की कार्यवाही की, वह आपकी अनुशासनहीनता, लापरवाही व स्थानीय अपराधिक तत्वों के लोगों के साथ, बचाव के साथ सांठ गांठ व उनको आप द्वारा शह देने का द्योतक है।

आपके इन कृत्यों से विभाग की छंवि पर प्रतिकूल असर पड़ा है, पुलिसकर्मियों की गुटबाजी को आपने बढ़ाया है तथा आपके कृत्यों से अवांछनीय तत्वों को बढ़ावा मिला है। इस हेतु आवश्यक तत्वों की जांच भी करवाई गई।

जिसके लिए आपको आरोपित किया जाता है।

ह0/–

जिला पुलिस अधीक्षक,

पाली

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, जिला पाली (राज.)

क्रमांक : व. 13( )पाली/अशा/विजा/99/896 दिनांक 19.1.2000

प्रेषिति–

श्री गजराज सिंह आरक्षक नं. 530,
मार्फत् थानाधिकारी पुलिस थाना, केरला

विज्ञप्ति पत्र

(1) संलग्न दोषारोपण पत्र में यह निर्णय दिया गया है कि आपको क्यों नहीं नियम 17 राज. असैनिक सिविल सेवा वर्गीकरण एवं अपील रूल्स 1958 एवं संशोधित नियम 1988 के अन्तर्गत विभागीय दण्ड दिया जाए।

(2) उपरोक्त दण्ड से पूर्व आपको अवसर दिया जाता है कि आप उपरोक्त आरोपों के विरुद्ध अपनी सफाई का लिखित उत्तर देना चाहें तो प्रस्तुत करें ताकि अंकित दण्ड देने से पूर्व आपसे विचार विमर्श किया जा सके। आप लिखित उत्तर इस मूल की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। आपको आरोप से संबंधित रिकार्ड देखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(3) आप इस विषय में इस पत्र की प्राप्ति से 15 दिन के अन्दर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सफाई दे सकते हैं।

(4) आपका उत्तर उपरोक्त अंकित किये गये समय में प्राप्त नहीं हुआ और आप मेरे समक्ष उपस्थित नहीं हुए तो यह मान लिया जाएगा कि आपको इस विषय में कुछ उत्तर नहीं देना है तथा न ही मेरे समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में विभागीय जांच का निर्णय एक तरफा कर दिया जाएगा।

(5) इस पत्र की प्राप्ति रसीद पत्र प्राप्त होने के दो दिन के भीतर–भीतर इस कार्यालय को प्रेषित की जाए। दोषी अधिकारी के उपस्थित रहने के उपरांत भी तामील नहीं करवाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

ह0
जिला पुलिस अधीक्षक
पाली

आरोप पत्र अन्तर्गत नियम 17 सी.सी.ए. (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) रूल्स 1958 एवं संशोधित नियम 1988 विरुद्ध श्री गजराज सिंह कानि. नं. 530 पुलिस थाना देसूरी हाल अटेच कार्यालय हाजा।

आरोप संख्या-1

आप श्री गजराज सिंह एल एच सी नं. 530 दिनांक 19.5.98 से 26.10.99 तक थाना देसूरी की चौकी घाणेराव पर पदस्थापित रहे, आपके खिलाफ अवैध तरीकों से धनराशि प्राप्त करने की एक शिकायत प्राप्त हुइ, जिसके आरोप की जांच उप अधीक्षक पुलिस वृत बाली से करवाई गई। आरोप प्रमाणित पाये गये।

दिनांक 27.10.99 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आपको बुलाया गया जहां से आप दिनांक 11.1.2000 को 6 योम सी.एल./जी.एच. लेकर रवाना हुए तथा दिनांक 11.1.2000 से 17.1.2000 तक आप हलका देसूरी/पाली/अन्य स्थानों पर श्रीमती हंजा पत्नी पूनाराम भील निवासी सिवेरा के साथ आपको देखा गया।

श्रीमती हंजा द्वारा दर्ज मु. नं. 5/2000 धारा 376 भादंसं एवं एससी/एसटी एक्ट थाना देसूरी में दिनांक 8.1.2000 को दर्ज करवाया गया। इस प्रकरण में आपने श्रीमती हंजा को कुछ स्थानीय शिकायती प्रवृत्ति के लोगों को साथ लेकर, पुलिस थाना देसूरी व वहां के स्टाफ के शिकायत करवाने में आप अग्रणी रहे।

आप दिनांक 19.5.98 से 26.10.98 तक थाना देसूरी के चौकी घाणेराव में पदस्थापित रहे उस दौरान चौकी घाणेराव में पार्टीबाजी में लिप्त रहे तथा स्थानीय शिकायती प्रवृत्ति के लोगों से मिलकर स्थानीय शिकायती बाजी में सक्रिय रहे।

आपको दिनांक 27.10.99 को जिला मुख्यालय पाली बुलाया गया। क्योंकि आप वहां के स्थानीय गुटबाजी में अहम भूमिका अदा कर रहे थे, तथा आपके खिलाफ कुछ आरोपों की जांच भी तस्दीक हो रही थी। आप अपनी आदत से बाज नहीं आये तथा आपको देसूरी एरिया में अक्सर जाने के लिए जब प्रतिबन्ध महसूस हुआ तो दिनांक 11.1.2000 से 17.1.2000 तक आप छुट्टी लेकर गये तथा श्रीमती हंजा प्रकरण में पुलिस की शिकायत

करवाने में आपने अहम भूमिका निभाई जो आप एक राज्य कर्मचारी के लिए अवांछनीय है।

आरोप संख्या-2

आप दिनांक 25.11.83 से 25.8.93 तक सर्किल बाली में पदस्थापित रहे तथा येनकेन प्रकारेण देसूरी के आसपास, अपने पदस्थापन के लिए अपनी पोस्टिंग मैनेज करते रहे तथा स्थानीय प्रकरणों में जिनसे पुलिस विभाग/राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं था, हिस्सा लेते रहे जिससे विभाग की छवि पर विपरीत असर पड़ा एवं अन्य सहकर्मियों के अनुशासन पर भी विपरीत असर पड़ा।

आरोप संख्या-3

स्थानीय अवांछनीय तत्वों से सांठ—गांठ कर देसूरी हल्के में पदस्थापित रहकर आपके साथ वाले पुलिसकर्मियों/अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत करवाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा, पुलिस थाना देसूरी की चौकी घाणेराव की आम शोहरत भी काफी खराब रही। आपके बारे में वस्तुस्थिति जाननी व निष्पक्ष जांच करवाने हेतु आपको मुख्यालय पाली, कुछ दिन के लिए अटेच किया गया। ज़हां आपने राज कार्य में कोई रूचि नहीं ली तथा अवकाश लेकर एक औरत को साथ लेकर, आप शिकायत करवाने हेतु कुछ शिकायती प्रवृत्ति, आम शोहरत जिनकी अच्छी नहीं थी, को साथ लेकर पुलिस के खिलाफ, झूठी शिकायत करवाने हेतु, पाली/प्रेस में देखे गये व आपने इसमें अहम भूमिका निभाई।

आपके इन कृत्यों से तथा दृष्टिकोण से विभाग की छवि पर विपरीत असर पड़ा है।

इस कारण उपरोक्त आरोपों से आपको आरोपित किया जाता है।

ह0

जिला पुलिस अधीक्षक

पाली

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-77 की सूची)

उदयपुर रिट–

क्र. सं.	नम्बर		उनवान	विषय	न्यायालय का नाम
1	2		3	4	5
1.	एस.बी.रि.नं.	438/76	मै.जे.आर.भंडारी ब.स.	केरोसिन अनु.पत्र निरस्ती बा.	उच्च न्या.जोधपुर
2.	स्पे.अपी.	74/83	शंभु एण्ड कं.ब.सरकार	केरोसिन अनु.पत्र निरस्ती बा.	उच्च न्या.जोधपुर
3.	एस.बी.रि.नं.	3393/91	इंद्र एजेंसी ब.सरकार	केरोसिन अनु.पत्र निरस्ती बा.	उच्च न्या.जोधपुर
4.	एस.बी.रि.नं.	6213/92	ललित कठावा ब.सरकार	केरोसिन अनु.पत्र निरस्ती बा.	उच्च न्या.जोधपुर
5.	एस.बी.रि.नं	6461/92	रमजान बेग ब.सरकार	गैस कनेक्शन बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
6.	एस.बी.रि.नं	1525/96	कमल ट्रेडिंग ब.सरकार	6ए में जब्ती के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
7.	एस.बी.रि.नं	839/97	पनालाल ब.सरकार	6ए में जब्ती के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
8.	एस.बी.कि.	242/96	मै.मोतीलाल ब. सरकार	कमेटी के निर्णय वि.	उच्च न्या.जोधपुर
9.	एस.बी.कि.	243/96	नाथू लाल ब. सरकार	कमेटी के निर्णय वि.	उच्च न्या.जोधपुर
10.	अपील सं.	–	मै. महादेव ट्रेडर्स ब.स.	वि.न्या.के निर्णय वि.	उच्च न्या.जोधपुर
11.	अपील सं.	–	मै. वाटिका रे. ब.स.	वि.न्या.के निर्णय वि.	उच्च न्या.जोधपुर
12.	अपील सं.	–	मै. हरियाली रे. ब.स.	वि.न्या.के निर्णय वि.	उच्च न्या.जोधपुर
13.	अपील सं.	314/97	सरकार बनाम चतरलाल	19.5.99 के विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
14.	रिवि. सं.	–	सरकार ब. किशोरीलाल	प्र.स.95/99 के वि.	उच्च न्या.जोधपुर

1	2		3	4	5
सिरोही रिट—					
1.	डी.बि.रि.नं.	3485/88	विष्णु आ. मि. ब. सरकार	सि.कन्ट्रोल के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
2.	डी.बि.रि.नं.	3496/88	यूनिलेक्स सी. ब. सरकार	सि.कन्ट्रोल के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
नागौर रिट—					
1.	एस.बी.कि.	317/88	जगदीश प्र. ब. सर.	अधी.न्यात्रके नि. वि.	उच्च न्या.जोधपुर
2.	एस.बी.रि.	1991/92	नागौर को. मार्के. ब. सर.	एफ.पी.एस.आ. के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
3.	एस.बी.रि.	54/95	राज.रा.स.ति.उ. ब. सर.	तिलहन जब्दी के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
4.	एस.बी.रि.	1560/96	दूड़ाराम ब. सरकार	पैट्रो.प्रो.का.ला. नि.	उच्च न्या.जोधपुर
5.	अपील	—	सरकार ब. रामस्वरूप	आदेश 3.12.98 के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
पाली रिट—					
1.	एस.बी.रि.नं.	3451/92	सुगनामल ब. सरकार	एफ.सी.एस.प्रा.नि.बा.	उच्च न्या.जोधपुर
राजसमन्द रिट—					
1.	एस.बी.रि.	15/84	धूलचंद ब. सरकार	जब्त माल के विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
2.	एस.बी.क्रि.	185/96	के.सी.गुप्ता ब. सरकार	समिति के निर्णय वि.	उच्च न्या.जोधपुर
3.	एस.बी.क्रि.	392/94	लक्ष्मी लाल, अन्य ब. सर.	जब्त माल के विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
हनुमानगढ़ रिट—					
1.	एस.बी.रि.	766/96	दयालचंद,गंगाराम ब. सर.	अनु.पत्र निरस्त बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
2.	एस.बी.रि.	3552/80	सुभाष ब. सरकार	चना निर्यात के आ.वि.	उच्च न्या.जोधपुर
3.	डी.बी.रि.	1548/89	माहेला ग्रा.से.स.स.ब.सर.	रा.सामग्री देने बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
4.	एस.बी.रि.	1018/89	बिहारी लाल ब. सरकार	कोयले का ला.नि.बा.	उच्च न्या.जोधपुर
5.	एस.बी.रि.	4260/89	सूरजाराम तुलाराम ब.स.	अनु.पत्र नि. बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
6.	एस.बी.रि.	3037/92	जगदीश प्र. ब. सरकार	क.लि.की नियुक्ति बा.	उच्च न्या.जोधपुर
जोधपुर रिट—					
1.	एस.बी.रि.नं.	1391/05	सर.ब.अन्नराज सुमितचंद	ब्याज राशि बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
2.	एस.बी.रि.नं.	76/95	सर.ब.अन्नराज-सुमितचंद	ब्याज राशि बाबत	उच्च न्या.जोधपुर

1	2		3	4	5
3.	डी.बी.अपील	565/95	जयनारायण ब. सरकार	वेतन भत्ते देने बा.	उच्च न्या.जोधपुर
4.	रि.वि.	718/92	सरकार ब. अन्नराज	कमीशन व ब्याज बा.	उच्च न्या.जोधपुर
5.	डी.बी.रि.	1342/87	सुरेश चंद ब. सरकार	पैट्रो प्रो.के आदेश वि.	उच्च न्या.जोधपुर
6.	एस.बी.रि.नं.	2753/91	विप्रो इन्फोटेक लि.ब.स.	जि.मंचों के निर्णय बा.	उच्च न्या.जोधपुर
7.	डी.बी.रि.	2926/88	साबू सीमेंट ब. सरकार	सीमेंट कं.आ. के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
8.	एस.बी.रि.नं.	6176/91	एस.डी.खेतानी ब. सर.	जित्रमंचों के कार्य बा.	उच्च न्या.जोधपुर
9.	डी.बी.रि.	3764/93	फिनोलेक्स पाइप ब. सर.	जि.मंचों के नि. वि.	उच्च न्या.जोधपुर
10.	एस.बी.रि.नं.	6655/92	गोविन्दराम चो. ब. स.	जि.मंचों के कार्य बा.	उच्च न्या.जोधपुर
11.	एस.बी.रि.नं.	750/93	गोपालमोहन माथुर ब.स.	वरिष्ठता सूची के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
12.	एस.बी.रि.नं.	1327/93	गोपालमोहन माथुर ब.स.	वरिष्ठता सूची के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
13.	एस.बी.रि.नं.	3131/93	इस्ट पटेल नगर ब. स.	उ.मू.दु.आवंटन बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
14.	एस.बी.रि.नं.	47/93	भगत की कोठी ब. स.	उ.मू.दु.आवंटन बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
15.	एस.बी.रि.नं.	1213/94	नरपत सिंह ब. सरकार	उ.मू.दु.आवंटन बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
16.	एस.बी.रि.नं.	3178/96	नरपत सिंह ब. सरकार	उ. संरक्षण अधि.चुनौती	उच्च न्या.जोधपुर
17.	एस.बी.रि.नं.	1791/97	कंवरा राम ब. सरकार	लोक सेवक	उच्च न्या.जोधपुर
18.	एस.बी.रि.नं.	1302/97	सरकार ब. लक्ष्मण	लोक सेवक	उच्च न्या.जोधपुर
गंगानगर रिट–					
1.	डी.बी.स्पे.	101/88	अमर लाल ब. सरकार	कैरोसीन अनु.नि.बा.	उच्च न्या.जोधपुर
2.	स्पेशल लीव	9618/91	सरकार ब. रामचन्द्र	पेट्रोल आ.1979 के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
3.	एस.बी.क्रि.	148,149/86	स्नेहलता ब. सरकार	पेट्रोल आ.1979 के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
4.	एस.बी.क्रि.	366/83	सरकार ब. फर्म पूसराज	चीनी नियं.आ. के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
5.	एस.बी.रि.	1292/91	कुमार आ.मिल्स ब. सर.	केरोसीन लाई.विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
6.	एस.बी.रि.	4269/92	केरो.रिटे.विक्रेता ब. सर.	केरोसीन लाई.विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
7.	एस.बी.रि.	4215/93	चेयरमेन यू.आई.टी. ब.सर.	जि.मं.गंगा.नि.विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
8.	एस.बी.रि.	4259/93	चेयरमेन यू.आई.टी. ब.सर.	जि.मं.गंगा.नि.विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर

1		2	3	4	5
9.	एस.बी.रि.	2626/97	आई.ओ.सी. ब. सरकार	भूमि अवाप्ति	उच्च न्या.जोधपुर
10.	एस.बी.रि.	1096/97	अवतार सिंह	बेरल पाइंट बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
चित्तौड़गढ़ रिट–					
1.	डी.बी.स्पे.	1910/85	सुरेश कुमार ब. सरकार	सी.कंट्रोल आ. विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
2.	एस.बी.रि.	1908/85	बजरंग सीमेंट ब. सरकार	सी.कंट्रोल आ. विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
3.	एस.बी.रि.	1200/81	मेवाड़ सु.मि. ब. सरकार	चीनी दर निर्धारण बा.	उच्च न्या.जोधपुर
4.	एस.बी.रि.	1,2,3/75	जगदीश पेट्रोल पं. ब. स.	टायर ट्यूब मू.सू.वि.	उच्च न्या.जोधपुर
5.	एस.बी.रि.	79/80	मेवाड़ सु.मि. ब. सरकार	चीनी दर निर्धारण बा.	उच्च न्या.जोधपुर
6.	एस.बी.रि.	254/92	महावीर आयल मि. ब.सर.	अनु.प.निलंबन बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
7.	एस.बी.रि.	1368/96	मेवाड़ सु.मि. ब. सरकार	लेवी चीनी आव.के बा.	उच्च न्या.जोधपुर
8.	डी.बी.सी.	338/80	मूलचंद मांगीलाल ब. स.	शुगर रि.अनु.नि.बा.	उच्च न्या.जोधपुर
बांसवाड़ा रिट–					
1.	एस.बी.रि.	421/96	कमेश कुमार ब. सरकार	समिति के नि.विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
2.	एस.बी.रि.	23/90	मोहन लाल ब. सरकार	समिति के नि.विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
3.	एस.बी.रि.	2948/92	रमन लाल चम्पा. ब.सर.	माल जब्ती के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
4.	एस.बी.रि.	367/95	चन्द्रकांत ब. सरकार	समिति के निर्णय वि.	उच्च न्या.जोधपुर
5.	प्रकरण	17/89	सरकार ब. पूनम चंद	ई.सी.एक्ट के नि.वि.	उच्च न्या.जोधपुर
6.	प्रकरण	131/89	सरकार ब. कमन नमि	ई.सी.एक्ट के नि.वि.	उच्च न्या.जोधपुर
7.	प्रकरण	16/89	सरकार ब. नरू भील	ई.सी.एक्ट के नि.वि.	उच्च न्या.जोधपुर
8.	प्रकरण	7/89	सरकार ब. बदामी लाल	ई.सी.एक्ट के नि.वि.	उच्च न्या.जोधपुर
9.	एस.बी.रि.	2795/89	महावीर प्रसाद ब. सरकार	ई.सी.एक्ट के नि.वि.	उच्च न्या.जोधपुर
जालौर रिट–					
1.	डी.बी.रि.	3440/88	बाबूलाल ब. सरकार	6ए के निर्णय बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
2.	डी.बी.रि.	1968/88	भैंराराम ब. सरकार	6ए के निर्णय बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
3.	डी.बी.रि.	2958/88	बाबूलाल ब. सरकार	6ए के निर्णय बाबत	उच्च न्या.जोधपुर

1	2		3	4	5
4.	डी.बी.रि.	2818/88	बाबूलाल ब. सरकार	6ए के निर्णय बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
5.	डी.बी.रि.	2180/88	भीकालाल ब. सरकार	6ए के निर्णय बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
6.	एस.बी.सी.	225/89	हरिसिंह ब. सरकार	6ए के निर्णय बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
7.	एस.बी.सी.		चम्पालाल ब. सरकार	6ए के निर्णय बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
8.	एस.बी.सी.	4134/97	सरकार ब. मदनसिंह	रि 4134/97 के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
9.	डी.बी.सी.		सरकार ब. पहाड़ सिंह	रि.3627 के विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
चूरू रिट–					
1.	एस.बी.अपी.	46/85	मोहनलाल ब. सरकार	अनु.पत्र लेने बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
2.	एस.बी.रिट	2785/86	बगरिया गैस स. ब. सर.	लाई.निरस्ती बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
3.	एस.बी.रिट	349/90	महालक्ष्मी दाल.आ. ब.सर.	माल जब्ती के विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
4.	एस.बी.रिट	4992/93	मोहनराम ब. सरकार	एफ.पि.एस.आवंटन बा.	उच्च न्या.जोधपुर
5.	एस.बी.रिट	2334/96	गुमताराम ब. सरकार	एफ.पि.एस.आवंटन बा.	उच्च न्या.जोधपुर
6.	एस.बी.सि.		भूतपूर्व से. ब. सरकार	एफ.पि.एस.आवंटन बा.	उच्च न्या.जोधपुर
बाड़मेर रिट–					
1.	एस.बी.अपि.	70/85	भगवानदास ब. सरकार	राशि वसूली बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
भरतपुर रिट–					
1.	एस.बी.रिट	35/83	दीपचंद ब. सरकार	गेहूं उत्पादन आ.1973	उच्च न्या.जोधपुर
2.	एस.बी.रिट	266/85	कल्याण प्रसाद ब. सर.	पैट्रोल आ.1979 के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
3.	एस.बी.रिट	1616/93	ओमप्रकाश ब. सरकार	पैट्रोल आ.1979 के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
4.	डी.बी.रि.	6107/91	मोहन ब्रादर्स ब. यू.आ.इ.	पैट्रोल आ.1979 के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
5.	एस.बी.रिट	1619/93	देवेन्द्रनाथ ब. सरकार	पैट्रोल आ.1979 के वि.	उच्च न्या.जोधपुर
6.	एस.बी.रिट	2128/93	श्रीलाल गुप्ता ब. सरकार	केरोसिन दर नि. बा.	उच्च न्या.जोधपुर
7.	एस.बी.रिट	6775/94	सुरजभान प्रमो ब. सर.	समिति निर्णय विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
8.	एस.बी.रिट	2390/96	जगदीश प्रसाद ब. सर.	बेरल पाइंट बाबत	उच्च न्या.जोधपुर

1	2		3	4	5
9.	रियू		बी.आर.आ.मिल्स	सरसो तेल जब्ती वि.	उच्च न्या.जोधपुर
10.	एस.बी.रिट	150/96	गोपाल सिंह ब. सरकार	एफ.पि.एस. बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
11.	एस.बी.रिट	257/95	भगवानदास ब. सरकार	6सी के निर्णय बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
सवाईमाधोपुर रिट–					
1.	एस.बी.सि.रि.	1516/74	मांगीलाल ब. सरकार	आरटीए 1973 विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
2.	एस.बी.सि.रि.	1326/74	रतनलाल ब. सरकार	आरटीए 1973 विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
3.	एस.बी.सि.रि.	904/75	रामवल्लब ब. सरकार	आरटीए 1973 विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
4.	एस.बी.सि.रि.	1156/75	सुगर मर्चेंट ब. सरकार	सुगर 1967	उच्च न्या.जोधपुर
5.	एस.बी.सि.रि.	277/82	चिरंजीलाल ब. सरकार	सुगर 1967	उच्च न्या.जोधपुर
6.	एस.बी.सि.रि.	493/86	सरकार ब. रामपाल	सुगर 1967	उच्च न्या.जोधपुर
7.	एस.बी.सि.रि.	3598/89	किरोड़ीलाल ब. सरकार	कंट्रोल कपड़ा	उच्च न्या.जोधपुर
8.	एस.बी.सि.रि.	1/91	स.माधो.आ.मिल्स ब. सर.	राशि वसूली	उच्च न्या.जोधपुर
9.	एस.बी.सि.रि.	126/92	डंगायत ग्रा. ब. सरकार	निर्णय विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
10.	एस.बी.सि.रि.	4440/97	प्रभा खंडेलवाल ब. सर.	सदस्य पद से ह. बा.	उच्च न्या.जोधपुर
दौसा रिट–					
1.	एस.बी.रिट	545/75	कल्याण स. ब. सरकार	माल जब्ती टायर टूब	उच्च न्या.जोधपुर
2.	एस.बी.रिट	6887/92	बार एसो. ब. सरकार	बैठक बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
3.	डी.बी.स्पे.	364/97	सरकार ब. केदारनाथ	सेवानिवृत्ति मुक्ति बा.	उच्च न्या.जोधपुर
टोंक रिट–					
1.	एस.बी.रिट	1612/91	प्रहलाद ब. सरकार	केरो.लाई.नि. बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
2.	एस.बी.रिट	7180/92	श्रीनाथ शमा ब. सरकार	वेतन भत्ते बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
3.	एस.बी.रिट	484/94	अशोक कुमार ब. सरकार	जब्त माल के विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
कोटा रिट–					
1.	एस.बी.रिट	222/93	शाह एग्रो इंड. ब. सरकार	समिति के निर्णय वि.	उच्च न्या.जोधपुर
2.	एस.बी.रिट	1798/84	नेमीचंद ब. सरकार	केरो.लाई.नि. बाबत	उच्च न्या.जोधपुर

1	2		3	4	5
3.	एस.बी.रिट	1720/95	स्वालका गेस एजे. ब. स.	लाई.देने बाबत	उच्च न्या.जोधपुर
4.	एस.बी.रिट	58/96	बी.सी.जेन ब. सरकार	समिति के निर्णय वि.	उच्च न्या.जोधपुर
करोली रिट–					
1.	एस.बी.रिट	566/75	अग्रवाल आटो स. ब. स.	मूल्य निर्धारण	उच्च न्या.जोधपुर
2.	एस.बी.रिट	1413/81	गुडाचन्द्र जी ग्रा.से. ब. स.	मूल्य निर्धारण	उच्च न्या.जोधपुर
धौलपुर रिट–					
1.	डी.बी.स्पे.	235/85	इंडोडेन मिल्क प्रो. ब. स.	निर्यात आदेश विरुद्ध	उच्च न्या.जोधपुर
2.	स्पे.बी.पी.	714/83	सरकार ब. रामप्रसाद	उ. न्या. के नि.विरुद्ध	सु. कोर्ट
3.	प्रथम अपील		सरकार ब. हरीशंकर	निर्णय वि. 31.3.98	उच्च न्या.जयपुर
बून्दी रिट–					
1.	एस.बी.रिट	4728/96	रविन्द्र कु. ब. सरकार	जि.मं.सद.नियुक्ति बा.	उच्च न्या.जयपुर
2.	एस.बी.रिट	979/97	रामप्रसाद ब. सरकार	बैरल पा.अनु. बाबत	उच्च न्या.जयपुर
3.	एस.बी.रिट	342/95	मनीष इंड. ब. सरकार	जब्ती विरुद्ध	उच्च न्या. जयपुर
अजमेर रिट–					
1.	एस.बी.रिट	2621/74	रामेश्वर लाल ब. सरकार	जब्त माल बाबत	उच्च न्या. जयपुर
2.	डी.बी.सी.	23/84	कान सिंह ब. सरकार	चना निर्यात आर्डर बा.	उच्च न्या. जयपुर
3.	डी.बी.रिट	257/88	रामराज ब. सरकार	तेल जब्ती बाबत	उच्च न्या. जयपुर
4.	एस.बी.अपी.	152/92	सुरेश यादव ब. सरकार	अति.जि.से.निर्णय वि.	उच्च न्या. जयपुर
5.	एस.बी.रिट	3373/97	मोहन सिंह ब. सरकार	अनु. निरस्त बाबत	उच्च न्या. जयपुर
6.	डी.बी.अपी.	685/95	ज्ञानचन्द गणेश ब. सर.	1239/97 के विरुद्ध	उच्च न्या. जयपुर
अलवर रिट–					
1.	एस.बी.रिट	1617/85	बृजेन्द्र कुमार ब. सरकार	अनु. पत्र लेने बाबत	उच्च न्या. जयपुर

1	2		3	4	5
2.	एस.बी.रिट	505/88	रमेश चंद ब. सरकार	जब्ती के विरुद्ध	उच्च न्या. जयपुर
3.	एस.बी.क्रि.	243/82	के.के.इण्ड. ब. सरकार	मु.न्या.मजि. 25.8.82	उच्च न्या. जयपुर
4.	एस.बी.रिट	21,75/86	कमलेश कु. ब. सरकार	पेट्रो आ. 1979 के वि.	उच्च न्या. जयपुर
5.	अपील		सरकार ब. अमरनाथ	प्राधिकार निलंबन वि.	उच्च न्या.जयपुर
6.	एस.बी.रिट	2189/91	सियाशरण,जगदीश ब.स.	केरो.रेट के विरुद्ध	उच्च न्या.जयपुर
7.	स्पे. लीव	2589/92	मोहन बा. ब. सरकार	पेट्रो प्रो.1979 के वि.	उच्च न्या. जयपुर
8.	एस.बी.रिट	4152/76	सोनक इंड. ब. सरकार	सीमेंट क्वा.कंट्रोल आ.	उच्च न्या. जयपुर
झुंझुनूं रिट–					
1.	एस.बी.रिट	1243/83	आटो सर्विस से. ब. सर.	सीमेंट हेडलि.आ.वि.	उच्च न्या. जयपुर
2.	एस.बी.रिट	1546/84	प्यारेलाल ब. सरकार	रिकवरी बाबत	उच्च न्या. जयपुर
3.	एस.बी.रिट	5416/95	सरकार ब. झंडीप्रसाद	लाई.निरस्ती बाबत	उच्च न्या. जयपुर
4.		1190	सरकार ब. अनिल कुमार	इसीएक्ट निर्णय बा.	उच्च न्या. जयपुर
5.	एस.बी.	3244/96	मनीराम ब. सरकार	सेवा में न लेने बा.	उच्च न्या. जयपुर
सीकर रिट–					
1.	डी.बी.रिट	375/89	दानमल मालीराम ब. सर.	6ए में जब्ती के वि.	उच्च न्या. जयपुर
2.	डी.बी.रिट	600/93	सुरेश कु. ब. सरकार	केरो. दर निर्धारण	उच्च न्या. जयपुर
3.	डी.बी.रिट	880/94	नबाब अली ब. सरकार	एफ.पि.एस.आ.विरुद्ध	उच्च न्या. जयपुर
4.	डी.बी.रिट	6066/96	विनोद कुमार ब. सरकार	जि.मंच सद.नि.बाबत	उच्च न्या. जयपुर
5.	एस.बी.रिट	3395/96	विनोद कुमार ब. सरकार	जि.मंच सद.नि.बाबत	उच्च न्या. जयपुर
6.	एस.बी.रिट	4862/96	सांवरमल जाट ब. सर.	एफ.पि.एस.आवंटन बा.	उच्च न्या. जयपुर
7.	एस.बी.रिट	1907/97	मुमताज अली ब. सरकार	एफ.पि.एस.आवंटन बा.	उच्च न्या. जयपुर
जयपुर रिट–					
1.	एस.बी.रिट	3322/74	चंचलसिंह ब. सरकार	ट्रक व चावल ज. वि.	उच्च न्या. जयपुर

1		2	3	4	5
2.	एस.बी.रिट	1242/80	रामप्रसाद ब. सरकार	खण्डसारी स्टा.सी.बा.	उच्च न्या. जयपुर
3.	एस.बी.रि.	1169/85	राज.पुस्तक मंदिर ब. स.	नोट बुक नहीं लेने बा.	उच्च न्या. जयपुर
4.	डी.बी.रिट	2542/88	जयपुर ल्यूब एसो. ब.स.	लुब्रीकेंट आयल ग्रीस	उच्च न्या. जयपुर
5.	एस.बी.रि.	2249/90	शंकर सह.उप.भ.ब.सर.	केरो.सप्ला.नहीं करने	उच्च न्या. जयपुर
6.	स्पे. अपील	24/		रिट प्रति प्राप्त नहीं	उच्च न्या. जयपुर
7.	एस.बी.रिट	2067/92	बद्री ब. सरकार	भूमि अवाप्ति बाबत	उच्च न्या. जयपुर
8.	एस.बी.रिट	5866/95	दीलिप मेहता ब. सर.	जि.मंच के निर्णय वि.	उच्च न्या. जयपुर
9.	एस.बी.रिट	5865/95	मिस पद्मा ब. जि. मंच	जि.मंच के निर्णय वि.	उच्च न्या. जयपुर
10.	एस.बी.रिट	1169/81	कुमार एजे. ब. सरकार	चीनी भंडारण आ.बा.	उच्च न्या. जयपुर
11.	एस.बी.रि.	2661/81	राजेन्द्र ट्रेडिंग ब. सरकार	चीनी भंडारण आ.बा.	उच्च न्या. जयपुर
12.		372/80	केदारमल ब. सरकार	चीनी भंडारण आ.बा.	उच्च न्या. जयपुर
13.	एस.बी.क्रि.	176/95	रामनारायण ब. सरकार	जि.सै. के निर्णय वि.	उच्च न्या. जयपुर
14.	एस.बी.रि.	6117/96	जय.वि.बा.पान मर्च. ब.स.	केरोसीन आवं. के क्रम	उच्च न्या. जयपुर
15.	एस.बी.रि.	101/97	जय.राश.विक्रेता ब. सर.	अनु. निरस्ती बाबत	उच्च न्या. जयपुर
16.	एस.बी.रि.	1052/97	बाबूलाल ब. सरकार	बैरलपाइंट न देने बा.	उच्च न्या. जयपुर
17.	एस.बी.रि.	1351/93	फूलचंद ब. सरकार	उ.मु.दु. न देने के वि.	उच्च न्या. जयपुर
18.	एस.बी.रि.	1634/97	गोविन्द बल्लब ब. सर.	गैस योजना के विरुद्ध	उच्च न्या. जयपुर
19.	एस.बी.रि.	3495/96	विनोद नरूका ब. सरकार	केरो. आवं.में धांधली	उच्च न्या. जयपुर
20.	एस.बी.रि.	558/94	खेतान होस्टो ब. सरकार	जि.मं. के निर्णय विरुद्ध	उच्च न्या. जयपुर
21.	एस.बी.रि.	3626/97	मोतीराम ब. सरकार	लोक सेवक संबंधित	उच्च न्या. जयपुर
22.	एस.बी.रि.		तेज गैस एंटरप्रा. ब. सर.	रिट प्रति प्राप्त नहीं	उच्च न्या. जयपुर
23.		471/90	भूरामल ब. सरकार	कोयला प्र. यग.	उच्च न्या. जयपुर

1	2		3	4	5

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग (मुख्यालय) पर विचाराधीन प्रकरणों की सूची

रिट–

1.	एस.बी.रि.	353/91	ओमना के कुरूप ब.सर.		उच्च न्या. जयपुर
2.	डी.बी.सी.अ.	773/93	ओमना के कुरूप ब.सर.		उच्च न्या. जयपुर
3.	डी.बी.सी.अ.	1668/95	रमेश चन्द जैन ब. सर.	समाप्ति के विरुद्ध	उच्च न्या. जयपुर
4.	डी.बी.रिट	2710/95	कुलदीप सिंह ब. सरकार	चयनित वेतन बावत	उच्च न्या. जयपुर
5.	एस.बी.रि.	240/95	भगवान ब. सरकार	वेतन वृद्धि रोकने बा.	उच्च न्या. जयपुर
6.	एस.बी.रि.	4991/96	कंजूमर एक्शन ब. सर.	उ.स.में सुविधा बाबत	उच्च न्या. जयपुर
7.	एस.बी.रि.	4987/96	कंजूमर ब. सरकार	विभा. की शक्ति	उच्च न्या. जयपुर
8.	डी.बी.स्पे.अ.	731/96	घनश्याम उपाध्याय ब.स.	चयनित वेतनमान बा.	उच्च न्या. जयपुर
9.	डी.बी.स्पे.अ.	588/96	सोभाग चन्द माथुर ब.सर.	चयनित वेतनमान बा.	उच्च न्या. जयपुर
10.	डी.बी.स्पे.अ.	587/96	श्यामसुंदर शर्मा ब. सर.	चयनित वेतनमान बा.	उच्च न्या. जयपुर
11.	एस.बी.रिट	333/96	निर्मला शर्मा ब. सरकार	पद समाप्ति के विरुद्ध	उच्च न्या. जयपुर
12.	एस.बी.रिट	4575/95	केशव अग्रवाल ब. सर.	राज्य आयोग के विरुद्ध	उच्च न्या. जयपुर
13.	एस.बी.रिट	4697/97	मांगीलाल ब. सरकार	पेंशन बाबत	उच्च न्या. जयपुर
14.	एस.बी.रिट	6546/92	नेमी चन्द ब. सरकार	पेंशन बाबत	उच्च न्या. जयपुर
15.	एस.बी.रिट	2363/96	नवनीत कृष्ण पुरो. ब.सर.	वेतन वृद्धि बाबत	उच्च न्या. जयपुर
16.	एस.बी.रिट	5507/94	श्रीनाथ शर्मा ब. सरकार	पेंशन बाबत	उच्च न्या. जयपुर
17.	एस.बी.रिट	1875/95	इन्द्रजीत सिंह ब. सरकार	पदोन्नति बाबत	उच्च न्या. जयपुर
18.	रिव्यू	13/97	इन्द्रजीत सिंह ब. सरकार	पदोन्नति बाबत	उच्च न्या. जयपुर
19.	डी.बी.स्पे.	–	सरकार ब. बाबूलाल	पदावनत बाबत	उच्च न्या. जयपुर
20.	डी.बी.स्पे.	–	सरकार ब. श्याम सुंदर	भत्ते व सुविधा हेतु	उच्च न्या. जयपुर
21.	एस.बी.रि.	5690/96	सरकार ब. राज्य आयोग	जजों को पूर्णकालिक	उच्च न्या. जयपुर
22.	एस.बी.रि.	–	सुभाष पुरोहित ब. सरकार	सदस्य से हटने हेतु	उच्च न्या. जयपुर

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-82 की सूची)

कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लि. कोटा

बैंक शाखा सुल्तानपुर द्वारा 1 जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 तक वितरित ऋणों की सूची

क्र.सं.	नाम कृषक मय वल्दियत व जाति	ग्राम
1	2	3
1.	श्री वच्छराज/श्री भैंरू मीणा	लाससनीज
2.	श्री पृथ्वीलाल/श्री भंवरलाल मीणा	मंजूली
3.	श्री हरलाल/गणेश मीणा	नीमोदा उजाड़
4.	श्री रामलाल/माधोलाल मेघवाल	कुन्हाड़ी
5.	श्री रामगोपाल/रामनाथ मीणा	सागाहेडी
6.	श्री फकीर मोहम्मद/हुसैन	सुल्तानपुर
7.	श्री मथुरालाल/हीरालाल मीणा	रूण्धी
8.	श्री मांगीलाल/मंगला माली	सीमल्या
9.	श्री हंसराज/मन्नालाल गूजर	कोटड़ा दीपसिंह
10.	श्री बंशी/मोतीलाल गूजर	रलायता
11.	श्री कुंजबिहारी/बद्रीलाल ब्राह्मण	झाड़ात्रि
12.	श्री विद्याधर/मन्नालाल	डूगरजा
13.	श्री खेमा/ग्यारसीराम बलाई	नीमोदा
14.	श्री गुरदीप सिंह/जगतार सिंह	मण्डावरी
15.	श्री गणपतलाल/गोपाल गूजर	ठाकरवाड़ा
16.	श्री नारायण/घासी बलाई	धोमाबीड़ू
17.	श्री जगन्नाथ/रामचन्द्र मीणा	मण्डोता
18.	श्री प्रभूलाल/किशनलाल मीणा	बक्तरी
19.	श्री लक्ष्मीचन्द/रामनारायण अहीर	गोकुलपुरा
20.	श्रीमती कल्याणी/मोती गूजर	नीमोदा

1	2	3
21.	श्रीमती गायत्री/छोटू मीणा	बरगू
22.	श्री मोडसिंह/इन्द्रसिंह राजपूत	वसूली
23.	श्री गजानंद/मांगीलाल गूजर	भोरा
24.	श्री मुकेश/नाथूलाल नागर	मण्डावरा
25.	श्री चन्दा/बेनिया धाकड़	चन्द्राकला
26.	श्री गिरीराज/हीरा खाती	चोमा कोट
27.	श्री सीताराम/रामनाथ मीणा	कोटसुआ
28.	श्रीमती चन्द्री बाई/रामजीवन मीणा	कोटसुआ
29.	श्री हरीराम/लाला मीणा	जहांगीरपुरा
30.	श्री देवीलाल/माधो मीणा	पाली
31.	श्रीमती रूक्मणी बाई/नाथूलाल धाकड़	गण्डावरा
32.	श्री ताराचन्द/घासीलाल	मण्डावरा
33.	श्री मोतीलाल/नारायण चमार	चौमा बीचू
34.	श्री अमरा/रामचन्द्र कलाल	कोटड़ा दीपसिंह
35.	श्री मोहनलाल/लाला कंडारा	प्रेमपुरा
36.	श्री हीरालाल/नन्दलाल अहीर	बनेठिया
37.	श्री रामनिवास/नन्दलाल मीणा	सेडली धाकडान
38.	श्री प्रभूलाल/देवलाल चमार	आन्नोरा
39.	श्री बंशीलाल/गोकुल महा.	घौसाई कलां
40.	श्री छाजूलाल/गणेश मीणा	नीमोदा उजाड़
41.	श्रीमती विनिता/ज्ञानेन्द्र शर्मा	सुल्तानपुर
42.	श्री रामप्रसाद/चन्ना गूजर	खेड़ली घाटा
43.	श्री राधेश्यांम/जगन्नाथ मीणा	करीर का खेड़ा
44.	श्री सूरजमल/नन्दकिशोर	पोलाई खुर्द
45.	श्री चतुरभुज/बिशना बलाई	ठाकरवाड़ा
46.	श्री रामलटूर/माडो मीणा	नीमली

1	2	3
47.	श्री हरीकरण/रामनाथ धाकड़	सुल्तानपुर
48.	श्री बलवन्त सिंह/हीरासिंह	चोमामालियान
49.	श्री प्रभूलाल/नृसिंहलाल	झोटेसी
50.	श्री रामगोपाल/रामचन्द्र माली	चोपड़खेड़ी
51.	श्री छीतरलाल/बजरंगलाल गूजर	डोबरसी
52.	छगन्या/पन्न कुम्हार	रामनगर
53.	श्री बैजनाथ/मन्नालाल लश्करी	रूग्थी
54.	श्री अखलाख अहमद/नूर मोहम्मद	नोताड़ा
55.	श्री शम्भू दयाल/शिवनारायण खंगार	मण्डावरा
56.	श्री भैरूं लाल/गजानन्द मीणा	कराडिया
57.	श्रीमती कौशल्या देवी/ताराचंद धाकड़	मण्डावरा
58.	श्रीमती नूर बानो/अ. गनी	तोरण
59.	श्री रामप्रताप/प्रेमचन्द्र	रेलगांव
60.	श्रीमती कान्तीबाई/रूपनारायण धाकड़	चन्द्राकला
61.	श्रीमती घींसी बाई/धन्ना धाकड़	चन्द्राकला
62.	श्रीमती रामकन्या/मथुरा लुहार	टाकरवाड़ा
63.	श्री केशरा/हरदेव बेरणा	कुबृडसिंहपुरा
64.	श्री पन्नालाल/माधो बुलाई	भूदेन
65.	श्री प्रेमचन्द्र/छगनलाल मीणा	नीमोदा उजाड़
66.	श्री जगन्नाथा/मथुरा मीणा	कोटड़ा दीपसिंह
67.	श्री घासी/रामगोपाल मीणा	चोमामालियान
68.	श्री हेमराज/चन्दा लाल धाकड़	मण्डावरा
69.	श्री नैनगीलाल/लक्ष्मण मेघवाल	सुल्तानपुर
70.	श्री मोडूलाल/गोपाल बैरवा	कोटड़ा दीपसिंह
71.	श्री जगन्नाथ/मथुरा धाकड़	कोटड़ा दीपसिंह
72.	श्री रामस्वरूप/जगन्नाथ छीपा	सुल्तानपुरा

1	2	3
73.	श्री भूपेन्द्र/किशन चन्द्र महाजन	सुल्तानपुरा
74.	श्री श्रवण/जगन्नाथ	नीमोदा उजाड़
75.	श्री कान्हा/बिरधा धाकड़	मण्डावरा
76.	श्री रामकुमार/भैरूंलाल मीणा	जादिमपुरा
77.	श्री छीतर लाल/रामकरण माली	चौमाधीड़ू
78.	श्री रामदयाल/हजारी मीणा	बमूलीरावतान
79.	श्री छगनलाल/गणेशराम मीणा	नीमोदा उजाड़
80.	श्री रामप्रसाद/रघुनाथ बैरवा	कोटडापुरा
81.	श्री बजरंगलाल/सुक्खा बैरवा	बनेठिया
82.	श्री बाबूलाल/मोधो लुहार	सुल्तानपुरा
83.	श्री शम्भू नाथ/किशननाथ	बमूली
84.	श्री राधेश्याम/प्रभूलाल मीणा	चौमा मालियान
85.	श्री मोहन लाल/किशनलाल धोबी	सुहाना
86.	श्री प्रभूलाल/माधो कोली	कोटड़ा दीपसिंह
87.	श्री रामगोपाल/नन्दा गूजर	झोटेनी
88.	श्री नाथूलाल/धूलीलाल धाकड़	मण्डावरा
89.	श्री नाथ्या/कान्हा बलाई	मंडावरी
90.	श्री किशोर/श्रवण बलाई	बमूली
91.	श्री कान्हा/धूल्या माली	चौमाबीबू
92.	श्री अरसद उल्हा/कल्लू खां	बड़ोद
93.	श्री हजारीलाल/धन्ना धाकड़	नौहती
94.	श्री मथुरालाल/नारायण मीणा	चौमाबीबू
95.	श्री रामचन्द्र/नैनगा गूजर	कोटड़ा दीपसिंह
96.	श्री रामचन्द्र/नैनगा गूजर	कोटड़ा दीपसिंह
97.	श्रीमती मांगीबाई/पत्नी धूलीलाल मीणा	चौमाबीबू
98.	श्री धन्नालाल/मथुरा मीणा	कराडिया

1	2	3
99.	श्री हरीशंकर/चतरा मीणा	भीमपुरा
100.	श्री अब्दुल रहमान/अलाउदीन	नौतांडा
101.	श्री रामगोपाल/रामकल्याण धोबी	सुहाना
102.	श्री हेमराज/जगन्नाथ धाकड़	मण्डावरा
103.	श्री रामचरण/चौथमल	रेलगांव
104.	श्री मांगीलाल/औंकार धाकड़	टाकरवाड़ा
105.	श्री लेखराज/मांगीलाल धाकड़	धौलाईकलां
106.	श्री रामनिवास/गोबरीलाल मीणा	बमूली
107.	श्री प्रेमचन्द्र/प्रहलाद मीणा	चौमाबीमू
108.	श्री धन्नालाल/जयकिशन खाती	चामाकोट
109.	श्रीमती घींसी बाई/माधो माली	चौमा मालियान
110.	श्री गोबरी लाल/सुक्खा मीणा	चौमाबीबू
111.	श्री बिरधीलाल/धोलू मीणा	चौमाबीबी
112.	श्री दर्शनसिंह/चन्द्रसिंह	सुल्तानपुर
113.	श्री बनवारीलाल/रामगोपाल मीणा	चौमा मालियान
114.	श्री सीताराम/गोपाल बलाई	सुहाना
115.	श्री बाला/चन्द्रा गूजर	टाकरवाड़ा
116.	श्री हरलाल/रामबक्श मीणा	चौमाबीबू
117.	श्री माधो/धन्ना मीणा	चौमाबीबू
118.	श्री रामा/भूरा कुम्हार	चौमाबीबू
119.	श्री अब्दुल मुनीर/इशाक मुस.	नोताडा
120.	श्री रामनाथ/मोती बैरवा	सांगाहेडी
121.	श्री बजरंगलाल/मोती बैरवा	सांगाहेडी
122.	श्री धन्नालाल/गोपाल गूजर	टाकरवाड़ा
123.	श्री हीरालाल/गिरधारी चमार	सांगाहेडी
124.	श्री रामगोपाल/जगन्नाथ बैरागी	सांगाहेडी
125.	श्री मथुरालाल/कंवरलाल बैरवा	खेडली सहरान

1	2	3
126.	श्री मोडूलाल/गोरधन	कोटड़ा दीपसिंह
127.	श्री बजरंगलाल/बिरधा माली	खेडली काल्या
128.	श्रीमती सावित्री बाई/नाथू मीणा	ऐचरा
129.	श्री देवीशंकर/मथुरा मीणा	नीमोदा उजाड़
130.	श्री प्रहलाद/गणेश चमार	खेड़ली धारला
131.	श्री घासी/भैरूं माली	चौमाबीबू
132.	श्री घासी/नन्दा	झोटेली
133.	श्री अब्दुल सलाम/बशीर मोह.	नोताड़ा
134.	श्री रेवड़ी लाल/मन्नालाल माली	चौमाकोट
135.	श्री रामचन्द्र/देवलाल अहीर	बनेठिया
136.	श्री गोपाल/देवा चमार	झाड़ोल
137.	श्री गोपाल/बिरधा	डोबरसी
138.	श्री चन्द्र गोपाल/शंकर सैनी	नीमोदा
139.	श्री चरबिहारी/गेन्दीलाल ब्राह.	सुल्तानपुर
140.	श्री बजरंगलाल/धूतीलाल मीणा	भूदेन
141.	श्री शिशुपाल/रामरख मीणा	चौमाबीबू
142.	श्री कल्याण/मथुरालाल मीणा	ऐबरा
143.	श्री रामपाल/रघुनाथ मीणा	रामपुरिया
144.	श्री राधेश्याम/मोतीलाल ब्राह.	पी.बिरम
145.	श्री कालू/बजरंगा कीर	मौ.पुरा
146.	श्री शांतीलाल/सुक्खा मीणा	बम्बूली
147.	श्री रामभरोस/देवा मेहर	सदेडी
148.	श्री सुन्दरलाल/रामनारायण मीणा	चौमा मालियान
149.	श्री रामप्रताप/कल्याण कुम्हार	चौमा मालियान
150.	श्री प्रभूलाल/रामा बैरवा	बम्बूली
151.	श्री जगतसिंह/मुंशी सिंह सिक्ख	चार

1	2	3
152.	श्री नन्दकिशोर/माधो कीर	मोराना
153.	श्री कल्याण/छीतर लाल महाजन	कोटड़ा दीपसिंह
154.	श्री बाबूलाल/मथुरा मीणा	खेड़ली सहरान
155.	श्री नन्दकिशोर/देवीलाल मीणा	गिरधारपुरा
156.	श्री रामस्वरूप/किशनगोपाल मीणा	चौमा कोट
157.	श्री सुजानसिंह/कल्याण सिंह	सुरेला
158.	श्री नन्दकिशोर/रामनारायण मीणा	चौमाकोट
159.	श्री बेणीराम/गोपाल मीणा	झाड़ोब
160.	श्री रामकुमार/भैरूं मीणा	जातिमपुरा
161.	श्री कन्हैया लाल/जयलाल	दीगोद
162.	श्री प्रभूलाल/रामकरण अहीर	टेहला
163.	श्री मंगला/सावलिया चमार	मोराना
164.	श्री डूंगरसिंह/कल्याणसिंह	सुरेला
165.	श्री कमला शंकर/मांगीलाल	कोटड़ा दीपसिंह
166.	श्री रामपाल/हीरालाल मीणा	चौमा मालियान
167.	श्री शिवनन्दन/नंदकिशोर ब्राह.	धौलाईखुर्द
168.	श्री महेन्द्र कौर/सुन्दसिंह	मेहंदी
169.	श्री भैरूंलाल/बक्शु माली	चौमाकोट
170.	श्री शिवकरण/लाल मीणा	चौमाकोट
171.	श्रीमती पुष्पा/माधो बलाई	सुहाना
172.	श्री कन्हैया लाल/मथुरा जाट	नीमोदा हरीबी
173.	श्री कान्हा/पांच्या बलाई	जातिमपुरा
174.	श्री मंगल्या/सावल्या चमार	मोराना
175.	श्री गोरधान/रामनारायण मीणा	धौलाईकलां
176.	श्री छीतरलाल/कान्हा गूजर	झाडौल
177.	श्री बिरधा/नाथू माली	चौमा मालियान
178.	श्री रामभरोस/माधो कुम्हार	चौमाबीबू

1	2	3
179.	श्री प्रथवी लाल/गणपत धाकड़	चौमाबीबू
180.	श्री मथुरा लाल/चूल्या नायक	डोबरली
181.	श्री भैरूं लाल/बक्शू माली	चौमाकोट
182.	श्री परमानन्द/रामचन्द्र माली	चौमा मालियान
183.	श्री जगन्नाथ/रामनारायण मीणा	चौमा मालियान
184.	श्री पन्नालाल/भूरा माली	चौमा मालियान
185.	श्री रामकरण/कल्याण कुम्हार	चौमा मालियान
186.	श्री मोतीलाल/माधो मीणा	गटेपान
187.	श्री पन्ना/गणेश माली	चौमा मालियान
188.	श्री मदन गोपाल/जगन्नाथ ब्राह.	धनबा
189.	श्री छीतर/कान्हा गूजर	झाडोल
190.	श्री जगन्नाथ/रामधन धाकड़	हरीपुरा
191.	श्री बंशी लाल/गंगाराम	सुल्तानपुर
192.	श्री उमाशंकर/भंवरलाल	सुहाना
193.	श्री देवकरण/गेन्दिया खाती	उदपुरिया
194.	श्री रामनाथ/बिरधा बैरवा	डोबरसी
195.	श्री सूरजमल/धन्ना माली	डोबरसी
196.	श्री महावीर/किशनदास	पीपल्यासमेल
197.	श्री रामविलास/जगन्नाथ ब्राह.	धौलाईकलां
198.	श्री मदन गोपाल/जगन्नाथ ब्राह.	धनवा
199.	श्री छीतरलाल/पन्ना गूजर	चौमाकोट
200.	श्री बजरंग लाल/कजोड़ धाकड़	धौलाईकलां
201.	श्री पुखराज/रामनारायण गूजर	रेल
202.	श्री नन्द किशोर/गणेश राम मीणा	जातिमपुरा
203.	श्री धनराज/किशनदत्त मीणा	ढाबा
204.	श्री विमल कुमार/रतन लाल महा.	ढाबा

1	2	3
205.	श्री कन्हैयालाल/जगन्नाथ माली	चौमामालियान
206.	श्री छोटू खां/भैवरदीन	नोसाडा
207.	श्री गिर्राज/कन्हैया लाल	सुल्तानपुर
208.	श्री लटूर/गोपाल धाकड़	जोखडोन
209.	श्री महावीर/रामलाल लश्करी	रूग्थी
210.	श्री गोपाल/देवा बैरवा	पतेपुर
211.	श्री रामनारायण/माधो खाती	जातिमपुरा
212.	श्री राधेश्याम/जयलाल मीणा	लालसनिजा
213.	श्री जमनालाल/भेरिया मीणा	लालसनिजा
214.	श्री कल्याण/चूम्मी मीणा	झाडावि
215.	श्री रामपाल/मथुरा मीणा	पीपलदावीरम
216.	श्री कन्हैयालाल/मथुरा महाजन	मोरिया
217.	श्री प्रभूलाल/माधो महावर	कोट डादी.
218.	श्री रामचन्द्र/नेनका गूजर	कोट डादी.
219.	श्री रामरतन/कालू मीणा	रामपुरिया
220.	श्री रामेश्वर/रामप्रताप धाकड़	भांडाहेडा
221.	श्री रूखसत खां/आलम खां	नोसाड़ा
222.	श्री जवाहरलाल/रामनाथ मीणा	बगतरी
223.	श्री बजरंग लाल/घासी धाकड़	बगावदा
224.	श्री मुरली मनोहर/धन्नालाल मीणा	नापाहेडा
225.	श्रीमती जसविन्दर/हरबंस सिंह	मेहन्दी
226.	श्री उमराव सिंह/विजय सिंह	खेड़ली तखरान
227.	श्री सुरेश/सुन्दरा मीणा	जालिमपुरा
228.	श्री गोबरीलाल/कृष्णा बैरवा	खुमला
229.	श्री देवीशंकर/रामदयाल खटीक	टाकरवाड़ा
230.	श्री हरीशंकर/पन्नालाल गूजर	नरपत खडी

1	2	3
231.	श्री बृजराजसिंह/महेन्द्र सिंह	गांवड़ी
232.	श्री पन्नालाल/कजोड़ीलाल धाकड़	चौमा बहबू
233.	श्री रामप्रताप/मथुरा मीणा	चौमा कोट
234.	श्री अमृतलाल/रामदयाल खटीक	टाकरवाड़ा
235.	श्री रामस्वरूप/रामधन धाकड़	सीतिल्या
236.	श्री रामकल्याण/गणेश राम मीणा	जालिमपुरा
237.	श्री लटूर/बिरध बलाई	टाकरवाड़ा
238.	श्री केदारनाथ/बिरधा बलाई	टाकरवाड़ा
239.	श्री रामप्रसाद/सीताराम मीणा	नीमोदा उजाड़
240.	श्री भूरूलाल/घांसी बलाई	भगतरी
241.	श्री छीतरलाल/नाथ्या बलाई	चौमाबीबू
242.	श्री महावीर प्रसाद/धन्नालाल मीणा	कचोलिया
243.	श्री देवीलाल/शंकरलाल मीणा	बगादढा
244.	श्री द्वारकालाल/रामनाथ माली	को. दीपसिंह
245.	श्री भंवरलाल/रामनाथ माली	से.सवरान
246.	श्री दीलिप कुमार/ज्ञानेन्द्र शर्मा	सुल्तानपुर
247.	श्री राजाराम/नन्दा मीणा	बम्बूली
248.	श्री भूरूलाल/राम माली	चौमाकोट
249.	श्री दानलाल/जगन्नाथ मीणा	चौमाकोट
250.	श्री मोहनलाल/प्रताप गूजर	निमोदा
251.	श्री यशदत्त/प्रभूलाल	सेहलीकाल्या
252.	श्री भंवरलाल/छीतरलाल ब्राह.	धनवा
253.	श्री काल्या/बीरधा माली	चौमाकोट
254.	श्री मोहनलाल/जगन्नाथ ब्राह.	भांडाहेडा
255.	श्री धन्नालाल/मथुरा मीणा	कराडिया
256.	श्री गोरधन/रामनारायण मीणा	धौलाईकलां

1	2	3
257.	श्री छोटूलाल/श्योलाल मीणा	लाखसनिण
258.	श्री हंसराज/रामा मीणा झाड़ गांव	
259.	श्री भैरूलाल/बिरधा मीणा	झाड़ गांव
260.	श्री माधो मीणा/नन्दा	बम्बूली
261.	श्री धन्ना/रामकरण मीणा	धौलाई खुर्द
262.	श्री प्रभूसिंह/मोतीसिंह नायक	किशोरपुरा
263.	श्री छोटूलाल/धूली लाल गूंजर	खे. तोधरान
264.	श्री रेबड़ीलाल/भूरूलाल मीणा	झाड़गांव
265.	श्री सीताराम/भूरूलाल मीणा	झाड़गांव
266.	श्री जुगलकिशोर/छीत्या नाई	से. काल्या
267.	श्री ईस्माइल/रमजान खां	मण्डावरा
268.	श्री नरपतसिंह/कान्हा चौधरी	डाबा
269.	श्री कुन्जबिहारी/बद्रीलाल ब्राह.	झाड़गांव
270.	श्री मदनलाल/किशनलाल धोबी	सुहाना
271.	श्री शिवशंकर/रामकुमार ब्राह.	सुहाना
272.	श्री रामभरोस/मुन्ना मेघवाल	मूण्डला
273.	श्री सम्पूर्ण सिंह/सोहन सिंह	मेहन्दी
274.	श्री प्रभूलाल/घासीलाल माली	बगसरी
275.	श्री मोड़सिंह/बिरधा धाभाई	बोरा
276.	श्री दानमल/जगन्नाथ मीणा	चौमाकोट
277.	श्री नन्दकिशोर/माधो कीर	मोराना
278.	श्री धूलीलाल/सुक्खा चमार	कोटड़ा दीपसिंह
279.	श्री नन्दकिशोर/रामगोपाल ब्राह.	किशनगंज
280.	श्री सुरजमल/चतुर्भुज धाकड़	जाखडोन
281.	श्री रेवड़ी लाल/देवीलाल धाकड़	रेलगांव
282.	श्री दुर्गाशंकर/लक्ष्मीनारायण	गुमानपुरा

1	2	3
283.	श्री चन्दनसिंह/आनन्दसिंह	कोटड़ा दीपसिंह
284.	श्री लटूर लाल/हरिबल्लभ माली	बगतरी
285.	श्री जोधराज/मांग्या मीणा	बमूली
286.	श्री अब्दुल रहमान/अलादीन खां	नोताड़ा
287.	श्री मोहनसिंह/भंवरसिंह धौलाईकलां	
288.	श्री ओमप्रकाश/देवा लाल धाकड़	झाड़गांव
289.	श्री गोमदा/नारायण मीणा	कोटड़ापुरा
290.	श्री सीताराम/भैरूंलाल मीणा	झो.
291.	श्री बजरंगलाल/किशनलाल धोबी	सुहाना
292.	श्री महेन्द्र कुमार/अमरलाल मीणा	रेलगांव
293.	श्री देवीलाल/भैरूंलाल मीणा	बगावदा
294.	श्री चन्दालाल/नारायण मीणा	फतेहपुर खुश्क
295.	श्री बाला/चन्दा गूजर	टाकरवबाग
296.	श्री रणजीत सिंह/बंतासिंह	दीगोद

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-84 का विवरण)

परिशिष्ट-1

निगम में वर्ष 1990-91 से हुए लाभ/हानि का विवरण

वर्ष	लाभ/हानि (लाखों रुपये में)	संकलित लाभ/हानि (लाखों रुपये में)
1990–91	– 1010.52	– 4742.08
1991–92	+ 1208.59	– 3533.49
1992–93	+ 588.52	– 2944.97
1993–94	+ 2293.08	– 651.89
1994–95	+ 2412.83	+ 1760.94
1995–96	+ 774.29	+ 2535.23
1996–97	+ 401.99	+ 2937.22
1997–98	– 2398.61	+ 538.61
1998–99	– 4401.36	– 3862.75
1999–2000 (फरवरी, 2000 तक)	–8241.14	–12103.89

परिशिष्ट-2

राज्य परिवहन निगम वर्ष 1997-98 से वर्ष 1999-2000

(माह फरवरी, 2000) तक हानि में रहने के प्रमुख कारण

(1) कन्द्र सरकार के पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों क अनुरूप कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते स्वीकृत किया जाना।

(2) गत वर्षों में समय–समय पर डीजल/स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में हुई वृद्धि।

(3) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर वाहनों का अवैध संचालन।

(4) रियायती यात्राओं का राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पुनर्भरण नहीं किया जाना।

(5) नगरीय सेवाओं का अलाभकारी संचालन।

(6) राजस्थान में गत वर्षों में बड़ी रेल लाइनों का विस्तार।

(7) अन्तरराज्यीय बस अड्डा देहली से निगम बसों के संचालन में दिन के समय प्रतिबंध के कारण बसों के यात्री भार में कमी हुई है।

(8) दुर्घटना दावों का न्यायालय के आदेशों के कारण अधिक भुगतान आदि के कारण निगम की कुल लागत में अत्यधिक वृद्धि रही।

विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को देय निःशुल्क एवं रियायती यात्र सुविधाओं से निम्न पर पड़ने वाले वित्तीय भार का विवरण

क्र.सं. श्रेणी	देय सुविधा	वर्ष		वित्तीय भार राशि लाखों में					योग
		92–93	93–94	94–95	95–96	96–97	97–98	98–99	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. पत्रकार	निःशुल्क	29.01	33.55	37.04	43.23	46.02	55.80	64.03	308.68
2. स्वतंत्रता सेनानी एवं सहयोगी तथा स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाएं	निःशुल्क	205.13	236.52	256.96	256.96	273.73	332.94	385.52	1947.76
3 नेत्रहीन	निःशुल्क	28.47	37.78	45.63	50.19	58.29	76.51	97.09	393.96
4. विकलांग	75 प्रति0 रियायत	53.38	69.26	82.13	88.97	102.80	132.42	156.04	684.20
5. केन्सर रोगी/थेतिसिनिया रोगी मय सहयोगी	75 प्रति0 रियायत	5.34	7.56	10.95	13.69	17.49	24.72	29.13	108.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	कुष्ट रोगी	75 प्रति0 रियायत	2.67	3.78	5.48	6.84	8.74	12.36	14.56	54.43
7.	युद्ध में मृतक फौजियों की विधवा एवं उन पर आश्रित	75 प्रति0 रियायत	213.16	251.85	273.75	273.75	290.78	351.88	416.10	2071.27
8.	विद्यार्थी	50 प्रति0 रियायत	266.10	378.00	517.50	621.00	730.00	979.00	1144.80	4636.40
9.	अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की बालिकाए कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन हेतु	निःशुल्क	—	—	60.00	120.00	160.00	237.00	234.00	811.00
	योग :		803.26	1018.30	1289.44	1474.63	1687.05	2202.63	2541.27	11016.58
										लाख

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-85 की प्रति)

परिशिष्ट-1

कार्यालय मुख्य प्रबंधक, रा. रा. प. प. नि. विधाधर नगर आगार, जयपुर

मार्ग-चांदपोल से जयरामपुरा

किराया तालिका नगर वाहन सेवा, प्रभावी दिनांक :

		कि.मी.	कि.मी.										
1.	चांदपोल	00	00										चांदपोल
2.	रोड नं. 14	12	11.9	5									रोड नं. 14
3.	रोड नं. 14 केंटीन	13	12.9	5	1								रोड नं. 14 कैंटीन
4.	जोड़ला	15	14.5	5	2	2							जोड़ला
5.	नींदड़ मोड़	16	15.5	6	3	2	1						नींदड़
6.	नींदड़	18	17.4	6	3	3	2	2					नींदड़
7.	दौलतपुरा	23	22.5	7	5	4	4	4	3				दौलतपुरा
8.	नांगल	24	23.7	7	5	5	4	4	4	2			नांगल
9.	गोविन्दपुरा	25	24.8	7	5	5	4	4	4	2	2		गोविन्दपुरा
10.	जयरामपुरा	28	27.5	7	6	5	5	5	5	3	3	2	जयरामपुरा

नोट :– मुख्यालय के पत्र क्रमांक 81 दिनांक 24.2.2000 के द्वारा प्राप्त किराया तालिका अनुसार तैयार की गई है।

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक : प.7(71)परि/नियम/मु./97/पार्ट/ जयपुर, दिनांक : 9.12.99

अधिसूचना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 67 की उप धारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उप धारा के खण्ड (क) से (घ) तक की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार राजपत्र विशेषांक दिनांक 1.12.97 में एस.ओ. 291 द्वारा प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना सं. प. 7(71) परि/नियम/मु./97/पार्ट दिनांक 1.12.97 में तत्काल प्रभाव से निम्न संशोधन करती है अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 की प्रविष्टियों को निम्न से प्रतिस्थापित किया जा[ता] है :–

वाहन की किस्म	भाड़े की दरें रु. पै.	
1. मंजिली गाड़ियां	1.50	2 कि.मी. तक
	2.50	2 कि.मी. से अधिक किंतु 3 कि.मी. तक
	3.00	3 कि.मी. से अधिक किंतु 6 कि.मी. तक
	4.00	6 कि.मी. से अधिक किंतु 10 कि.मी. तक
	5.00	10 कि.मी. से अधिक किंतु 15 कि.मी. तक
	6.00	15 कि.मी. से अधिक किंतु [illegible] कि.मी. तक
	7.00	20 कि.मी. से अधिक किंतु 30 कि.मी. तक
	8.00	30 कि.मी. से अधिक

राज्यपाल के आदेश से,

ह0

(शमीम अख्तर)

शासन उप सचिव